दृष्टि The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

अगस्त भाग-1

2020

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **7**

- अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव: स्थगित करना संभव नहीं 7
- अधिकांश भारतीय स्वास्थ्य बीमा की सुविधा से वंचित 8
- बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएँ और जम्मू-कश्मीर 10
- कोविशील्ड: नैदानिक परीक्षण के चरण 11
- लोकमान्य तिलक की 100वीं पुण्यतिथि 12
- न्यायिक अवमानना बनाम वाक् स्वतंत्रता 13
- सहकार कूपट्यूब एनसीडीसी चैनल 15
- EWS आरक्षण की संविधान पीठ में सुनवाई 16
- COVID-19 तथा विटामिन-D की कमी 17
- वन नेशन-वन राशन कार्ड 20
- हमारा घर, हमारा विद्यालय' कार्यक्रम 21
- ट्राइफेड: डिजिटाइज़ेशन ड्राइव 22
- सिज़ोफ्रेनिया तथा इसके संभावित कारण 24
- आंगनवाड़ी सेवाओं का कार्यान्वयन 25
- विधी रिपोर्ट 26
- समुद्री और स्टार्टअप हब- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 27
- टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म: ई-संजीवनी और ई-संजीवनी ओपीडी 28
- इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2020 29
- भारत छोड़ो आंदोलन 31
- राज्य बनाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 34
- जम्मू-कश्मीर में परीक्षण के आधार पर इंटरनेट बहाली 35
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं लॉकडाउन 36
- मतदान में ब्लॉकचेन तकनीक 37

आर्थिक घटनाक्रम **39**

- राजकोषीय घाटे में वृद्धि 39
- यूरोज़ोन अर्थव्यवस्था का संकुचन 40

नोट :

- कृषि निर्यात के 'टर्म ऑफ रेफरेंस' पर रिपोर्ट 41
- कोर उद्योगों में संकुचन 42
- क्रय प्रबंधक सूचकांक में गिरावट 43
- RBI की मौद्रिक नीति की समीक्षा 45
- नीतिगत दरों में अपरिवर्तन: कारण और प्रभाव 47
- दिवाला और शोधन अक्षमता संबंधी नियमों में संशोधन 48
- रणनीतिक क्षेत्र के लिये सरकार की नीति 50
- भुगतान शेष: अर्थ और महत्त्व 51
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में गिरावट 52
- प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना 53
- सौर उपकरण विनिर्माण में आत्मनिर्भरता 54

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **57**

- एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और भारत 57
- इक्वाडोर के समुद्री क्षेत्र के निकट चीनी हस्तक्षेप 58
- हिरोशिमा काली 60
- चतुष्पक्षीय संवाद 62
- अमेरिका और टिकटॉक 63
- कश्मीर: भारत और चीन 64
- पाकिस्तान का नया मानचित्र 66
- क्यूबा और मानवाधिकार परिषद 67
- ईरान पर यूएन हथियार प्रतिबंध 69
- लोया जिरगा: अफगानिस्तान की महासभा 70
- भारत-नेपाल वार्ता 72
- चीन से बढ़ता आयात 73
- डेपसांग मैदान 74
- तुर्की एवं ग्रीस के मध्य तनाव 75
- भारत द्वारा मालदीव के लिये आर्थिक सहायता की घोषणा 76
- इज़राइल-यूएई शांति समझौता 78

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **80**

- बाईडू नेवीगेशन सैटेलाइट सिस्टम 80
- हिरोशिमा परमाणु बमबारी की 75वीं वर्षगांठ 81
- सौर वातावरण के चुंबकीय क्षेत्र का मापन 83
- मेगा प्रयोगशालाएँ 85
- रूस द्वारा निर्मित COVID-19 वैक्सीन: स्पुतनिक वी 86

नोट :

पर्यावरण एव पारिस्थितिकी **90**

- अगत्ती द्वीप पर नारियल के वृक्षों की कटाई पर रोक 90
- समुद्र जल स्तर में वृद्धि: तटीय क्षेत्रों के लिये खतरा 91
- प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने हेतु निवेश 92
- अंटार्कटिका महाद्वीप में बढ़ती मानवीय गतिविधियाँ 94
- वन भूमि का गैर-वानिकी में परिवर्तन 96
- हॉर्नबिल 97

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन **99**

- UNESCO-IOC का 'सुनामी रेडी' प्रोग्राम 99
- भारत मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान 100
- सौर-कलंक सिद्धांत: कारण एवं प्रभाव 101

सामाजिक न्याय **103**

- दासता पर CHRI की रिपोर्ट 103
- शिक्षा प्रणाली पर COVID-19 महामारी का प्रभाव 105
- हिंदू महिलाओं के विरासत अधिकारों पर SC का निर्णय 107

कला एवं संस्कृति **110**

- राम मंदिर में टाइम कैप्सूल 110

आंतरिक सुरक्षा **112**

- रक्षा निर्यात को बढ़ाने के लिये मसौदा नीति 112
- ब्रू शरणार्थी 113
- विशिष्ट रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध 115
- नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन 116

चर्चा में **118**

- मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 118
- भारत, नेपाल और यूनाइटेड किंगडम के बीच वर्ष 1947 का समझौता 118
- ग्रामोदय विकास योजना के तहत एक पायलट परियोजना 119
- डिडायमोकॉर्पस/स्टोनफ्लावर 119
- भारत एयरफाइबर 120
- मोतियाबिंद 121
- SKOCH गोल्ड अवार्ड 121

नोट :

- बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र 122
- ढोल 122
- इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क 123
- स्पेस एक्स का नया क्रू ड्रैगन 123
- क्लैडोनोटस भास्करी 124
- थेनज़ोल गोल्फ रिज़ॉर्ट परियोजना 124
- एनजीसी 2899 125
- अमोनियम नाइट्रेट 125
- एक्सोप्लैनेट 126
- बासमती चावल के लिये जीआई टैग 126
- चावल की पोक्कली किस्म 126
- मंदिर वास्तुकला की नागर शैली 127
- परिवार पहचान पत्र 127
- एसएफटीएस वायरस 128
- राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 129
- अबनींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती 129
- कॉर्ड ब्लड 130
- फूड सिस्टम विज़न 2050 पुरस्कार 131
- किसान रेल 131
- राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र 132
- 'ईट राइट इंडिया' मूवमेंट ' 132
- 'इन बॉन्ड मैन्युफैक्चर एंड अदर ऑपरेशंस' पर वेबएक्स इवेंट 133
- एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान 133
- विश्व आदिवासी दिवस 134
- 'गंदगी मुक्त भारत' अभियान 135
- विश्व जैव ईंधन दिवस 135
- तितलियों की 140 दुर्लभ प्रजातियाँ 136
- के. वी. कामथ 136
- सिंधु जल संधि 137
- विद्यार्थी उद्यमिता कार्यक्रम 2.0 138
- स्ट्रिआनास्सा लेराई 138
- सेरेस 139
- SN5 स्टारशिप प्रोटोटाइप 139
- द ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, टीबी एंड मलेरिया 140
- माउंट सिनाबंग 141

नोट :

- पारदर्शी कराधान- ईमानदार का सम्मान 141
- विश्व हाथी दिवस 142
- सार्थक 143
- SPT0418-47 : बेबी मिल्की वे 143
- कृषि मेघ 144
- मैक्सिकन स्कॉर्पियन एवं अमेरिकन बुलफ्रॉग 145

विविध **146**

दृष्टि The Vision

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव: स्थगित करना संभव नहीं

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह सुझाव कि नवंबर माह में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों को कुछ समय के लिये टाला जा सकता है, राष्ट्रपति के इस सुझाव के साथ एक नया विवाद शुरू हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि देश में 3 नवंबर को आयोजित होने वाले चुनावों में तब तक देरी हो सकती है, जब तक आम मतदाता सुरक्षित रूप से मतदान नहीं कर सकते।
- ऐसे में यह प्रश्न चर्चा में आ गया है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति को देश में होने वाले चुनाव स्थगित करने का अधिकार है अथवा नहीं ?

इस संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकार

- अमेरिकी कानूनों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनाव स्थगित करने का अधिकार नहीं है।
- अमेरिकी संविधान के अनुसार, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों की तारीख राष्ट्रपति नहीं, बल्कि अमेरिकी कॉन्ग्रेस द्वारा तय की जाती है।
- 25 जनवरी, 1845 को अनुमोदित एक संघीय कानून ने स्पष्ट रूप से चुनाव का समय निर्धारित किया है, निर्वाचक मंडल के चयन का ज़िक्र करते हुए संघीय कानून में कहा गया है कि 'राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचकों को प्रत्येक अमेरिकी राज्य में उस वर्ष नवंबर माह के पहले सोमवार के बाद आने मंगलवार को नियुक्त किया जाएगा, जिस वर्ष राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जानी है।
  - कानून के अनुसार, इस वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति के लिये निर्वाचक मंडल का चयन 3 नवंबर को किया जाएगा।
- हालाँकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी इस कानून को एक नया कानून पारित करके बदला जा सकता है, जिसे अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव (House of Representatives) और सीनेट (Senate) दोनों की मंज़ूरी की आवश्यकता है, साथ ही इस नए कानून को न्यायालय के समक्ष चुनौती भी दी जा सकेगी।

क्या होगा यदि चुनाव स्थगित हो जाते हैं तो ?

- हालाँकि चुनाव स्थगित होने की संभावना काफी कम है, किंतु यदि अमेरिका का नीति निर्माता कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनज़र राष्ट्रपति के चुनावों को कुछ समय के लिये टालने का निर्णय भी लेते हैं तो भी अमेरिकी नियमों के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल की अवधि से ज़्यादा व्हाइट हाउस में बतौर राष्ट्रपति कार्य नहीं कर सकेंगे।
  - विदित हो कि राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल 20 जनवरी, 2021 को समाप्त हो रहा है।
- 23 जनवरी, 1933 को अमेरिकी संविधान में 20वाँ संविधान संशोधन किया गया था जिसके अनुसार, किसी भी स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल चुनाव न होने की स्थिति में उनकी राष्ट्रपति अवधि की समाप्ति के बाद 20 जनवरी की शाम को समाप्त हो जाएगा।
  - इस तिथि में बदलाव नहीं किया जा सकता है।
- आमतौर पर, यदि राष्ट्रपति पद खाली होता है, तो उपराष्ट्रपति पदभार ग्रहण करता है, किंतु इस स्थिति में चुनाव न होने कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस (Mike Pence) दोनों का कार्यकाल 20 जनवरी को समाप्त हो जाएगा।
  - ऐसे में कानून के अनुसार, हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव (House of Representatives) का अध्यक्ष नए राष्ट्रपति के चुनाव तक पदभार संभालेगा।
- हालाँकि यहाँ भी एक समस्या है, अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव का दो वर्ष का कार्यकाल 3 जनवरी, 2021 को समाप्त हो रहा है। यह तारीख भी 20वें संविधान संशोधन में ही तय की गई थी। इस प्रकार हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव का अध्यक्ष पदभार ग्रहण कर सकता है।

नोट :

- नियमों के अनुसार, हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव का अध्यक्ष मौजूद नहीं है तो अगला स्थान अमेरिकी सीनेट (Senate) के प्रेसिडेंट प्रो टेंपोर (President Pro Tempore) का होता है।
  - यह सीनेट में दूसरा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पद होता है, हालाँकि यह पद काफी हद तक औपचारिक ही माना जाता है।
  - अमेरिकी संविधान के अनुसार, सीनेट को अमेरिकी उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में एक प्रेसिडेंट प्रो टेंपोर (President Pro Tempore) का चयन करना चाहिये।

अमेरिका में चुनाव का नया माध्यम

- अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों की तारीख तो संघीय कानून के माध्यम से चुनी जाती है, किंतु चुनाव में मतदान की प्रक्रिया राज्यों के स्तर पर निर्धारित की जाती है।
- इसलिये राज्यों के स्तर पर चुनाव मतदान की प्रक्रिया काफी जटिल बनी हुई है, जहाँ कुछ राज्यों ने मेल-इन वोटिंग (पोस्टल वोटिंग) का तरीका अपनाया है वहीं कुछ राज्यों ने व्यक्तिगत रूप से मतदान का तरीका अपनाया है, इसके अलावा कई अन्य राज्यों ने मतदान के अलग-अलग तरीके अपनाए हैं।
- नियमों के अनुसार, जिनके पास कोई निश्चित पता नहीं है वे या तो व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकते हैं या अपने स्थानीय चुनाव अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

अधिकांश भारतीय स्वास्थ्य बीमा की सुविधा से वंचित

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (National Sample Survey- NSS) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, 80% से अधिक भारतीयों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं हैं।

प्रमुख बिंदु:

- NSS के 75वें दौर के सर्वेक्षण के तहत देश में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति और रुग्णता पर चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं।
- इस सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 85.9% और शहरी क्षेत्रों में 80.9% लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं हैं।
  - इस सर्वेक्षण में सरकारी और निजी बीमा सेवा प्रदाताओं से जुड़ी जानकारी को शामिल किया गया था।
- NNS का नवीनतम/पिछला सर्वेक्षण 2017 और जून 2018 के बीच संचालित किया गया था।
- इस सर्वेक्षण में देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग 5.5 लाख से अधिक लोगों को शामिल किया गया था।

चिंता का कारण:

- हाल के वर्षों में अधिक-से-अधिक लोग निजी स्वास्थ्य सेवा का उपयोग कर रहे हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की तुलना में काफी महँगी है।
- लोगों तक सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा सार्वभौमिक बीमा कवरेज से जुड़ी योजनाएँ शुरू की गई हैं।

अन्य आँकड़ें:

- NSS के हालिया आँकड़ों के अनुसार, अधिकांश (लगभग 55%) भारतीय, स्वास्थ्य सेवाओं के लिये निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर निर्भर हैं।
- इस सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से केवल 42% लोग ही इलाज के लिये सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर गए।
- स्वास्थ्य केंद्र का चुनाव: ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 52% लोग ने इलाज के लिये निजी अस्पतालों और लगभग 46% लोगों ने सार्वजनिक अस्पतालों का विकल्प चुना।
- शहरी क्षेत्रों में केवल 35% लोग ही ऐसे थे जिन्होंने सार्वजनिक अस्पतालों का विकल्प चुना।

नोट :

- सरकारी योजनाओं की पहुँच: ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य से जुड़ी सरकार की योजनाओं से लगभग 13% लोगों को लाभ हुआ जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आँकड़ा मात्र 9% ही रहा।
  - इस सर्वेक्षण में 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana- PMJAY) को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि इस योजना को 23 सितंबर, 2018 को लॉन्च किया गया था, जबकि यह सर्वेक्षण जून 2017 में ही शुरू हो चुका था।

औसत चिकित्सा व्यय:

- इस सर्वेक्षण के अनुसार, एक ग्रामीण परिवार वार्षिक रूप से अस्पताल में लगभग 16,676 रुपए खर्च करता है, जबकि एक शहरी भारतीय के लिये यह खर्च 26,475 रुपए है।
- इस सर्वेक्षण में पाया गया कि निजी अस्पतालों का औसत चिकित्सा व्यय सार्वजनिक अस्पतालों की तुलना में 6 गुना है।
- सर्वेक्षण के अनुसार, सार्वजनिक अस्पतालों में मरीज़ को भर्ती करने का औसत व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 4,290 रुपए है जबकि शहरी क्षेत्रों के लिये यह 4,837 रुपए है।
- जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के निजी अस्पतालों के लिये यह खर्च औसतन 27,347 रूपए और शहरी क्षेत्र के निजी अस्पतालों के लिये 38,822 रुपए है।

प्रभाव:

- स्वास्थ्य बीमा की अनुपस्थिति और स्वास्थ्य सेवाओं के महँगे होने के कारण भारतीयों को अपने परिवार के स्वास्थ्य खर्च को पूरा करने के लिये अपनी बचत या ऋण पर निर्भर रहना पड़ता है।
- इस सर्वेक्षण के अनुसार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 80% परिवार अपने स्वास्थ्य खर्च को पूरा करने के लिये अपनी बचत जबकि लगभग 13% लोग विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ऋण पर निर्भर करते हैं।
- शहरी क्षेत्रों में लगभग 84% लोग स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों के लिये अपनी बचत जबकि लगभग 9% लोग ऋण पर निर्भर हैं।

कारण:

- देश की अधिकांश आबादी तक स्वास्थ्य बीमा सुविधाओं की पहुँच न होने में सरकारी नीतियों की असफलता के साथ एक बड़ा कारण अशिक्षा और रोज़गार भी है।
- वर्तमान में भी देश में कामगारों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है, ऐसे में इस क्षेत्र से जुड़े लोगों तक श्रमिकों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं के साथ स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएँ नहीं मिल पाती है।
- पूर्व में सरकार की नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन की कमियों के चलते स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को ज़रूरतमंद लोगों तक नहीं पहुँचाया जा सका।

आगे की राह:

- केंद्र सरकार के अनुसार, इस सर्वेक्षण के बाद PMJAY जैसी योजनाओं के कारण लोगों तक स्वास्थ्य बीमा सुविधाओं की पहुँच में सुधार हुआ है।
- अधिक-से-अधिक औद्योगिक इकाइयों और व्यवसायों को संगठित क्षेत्र से जोड़कर एक बड़ी आबादी तक स्वास्थ्य बीमा की पहुँच सुनिश्चित की जा सकती है।
- सरकार को बिना न्यूनतम आय सीमा की बाध्यता सभी लोगों को कम दरों पर स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजनाओं की शुरुआत करनी चाहिये।
- COVID-19 महामारी ने देश की स्वास्थ्य सेवा की कमियों को उजागर किया है, अत: सरकार को इस महामारी से सीख लेते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में आवश्यक सुधार करने चाहिये।

नोट :

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएँ और जम्मू-कश्मीर

चर्चा में क्यों ?

उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, 5 अगस्त, 2019 को तत्कालीन जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति समाप्त होने के बाद से जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने अगस्त 2019 से दिसंबर 2019 के बीच दायर लगभग 160 बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं का निपटारा किया और कम-से-कम 270 बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएँ लंबित हैं।

प्रमुख बिंदु

- मामलों को निपटाने की प्रक्रिया के दौरान लगभग 61 प्रतिशत मामलों को 3-4 सुनवाई तक खींचा गया।
- आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि अगस्त 2019 से दिसंबर 2019 के बीच दायर लगभग 160 बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं में से अधिकांश का निपटान मार्च-जुलाई 2020 के बीच किया गया है, यह विश्लेषण दर्शाता है कि जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को निपटाने की प्रक्रिया कितनी लंबी थी।
- कई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाकर्त्ताओं ने कहा कि इन मामलों को निपटाने के दौरान उच्च न्यायालय ने सरकारी वकीलों को अनुचित समय दिया, जिससे मामलों के निपटान में देरी हुई। ऐसे कई मामले देखे गए, जहाँ न्यायालय ने सरकारी वकीलों को आपत्ति दर्ज कराने अथवा अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये 1 माह अथवा उससे भी अधिक समय दिया था।
- जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र में सूचित किया है कि बीते वर्ष अगस्त माह में जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति समाप्त होने के बाद से लगभग 99 प्रतिशत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएँ उच्च न्यायालय में लंबित हैं।
- जम्मू-कश्मीर में निवारक निरोध
  - 5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जम्मू-कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन दो केंद्रशासित क्षेत्रों- जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में विभाजित करने का निर्णय लिया था।
  - 5 अगस्त और उसके पश्चात् कश्मीर घाटी में हज़ारों लोगों को हिरासत में लिया गया, इनमें से कई लोगों को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (Public Safety Act-PSA) के तहत हिरासत में लिया गया, जिसमें पहली बार राज्य के मुख्य धारा के नेता भी शामिल थे।
  - इसी वर्ष मार्च माह में राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बताया था कि 'रिपोर्ट के अनुसार, शांति भंग करने वाले अपराधों को रोकने और राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव करने के उद्देश्य से पत्थलगड़ी, उपद्रवियों और अलगावादियों समेत कुल मिलाकर 7,357 लोगों को निवारक हिरासत में लिया गया।
  - गौरतलब है कि 'निवारक निरोध', राज्य को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी व्यक्ति को कोई संभावित अपराध करने से रोकने के लिये हिरासत में ले सकता है।
  - संविधान के अनुच्छेद 22(3) के तहत यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को 'निवारक निरोध' के तहत गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है तो उसे अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत प्राप्त 'गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण' का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- बंदी प्रत्यक्षीकरण
  - बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार होता है।
  - यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायलय द्वारा जारी आदेश होता है, जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध होता है।
  - बंदी प्रत्यक्षीकरण वह रिट है जिसकी कल्पना एक ऐसे व्यक्ति को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिये एक प्रभावी साधन के रूप में की गई थी जिसने बिना किसी कानूनी औचित्य के अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खो दी है।
  - भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में निहित है।

नोट :

- बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरणों या व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है।

- बंदी प्रत्यक्षीकरण का महत्त्व
  - बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार किसी व्यक्ति को गैर-कानूनी तरीके से उसके निजी अधिकारों से वंचित करने की सभी स्थितियों में एक उपाय के रूप में उपलब्ध है।
  - यह गैर-कानूनी या अनुचित नज़रबंदी से तत्काल रिहाई के प्रभावी साधनों की पुष्टि करता है।
- बंदी प्रत्यक्षीकरण कब जारी नहीं की जा सकती है?
  - यदि व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत हिरासत में लिया गया हो।
  - यदि कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो।
  - न्यायालय के आदेश द्वारा हिरासत में लिया गया हो।

कोविशील्ड: नैदानिक परीक्षण के चरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया' (Drugs Controller General of India-DCGI) द्वारा भारत में कोविशील्ड के द्वितीय और तृतीय चरण के नैदानिक परीक्षण (Clinical Trials) करने के लिये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India-SII), पुणे को मंजूरी दे दी गई है।

प्रमुख बिंदु:

- SII विश्व में वैक्सीन का सबसे बड़ा निर्माता है इसके द्वारा निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिये COVID-19 वैक्सीन बनाने हेतु, स्वीडिश-ब्रिटिश फार्मा एस्ट्राज़ेनेका (AstraZeneca) के साथ टाई-अप किया गया है।
- कोविशील्ड(Covishield)
  - यह ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राज़ेनेका COVID-19 वैक्सीन के निर्माता को दिया गया नाम है जिसे तकनीकी रूप से AZD1222 या ChAdOx 1 nCoV-19 कहा जाता है।
  - COVID-19 वैक्सीन के निर्माण के लिये पहले से ही यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में परीक्षण किये जा रहे हैं, जहाँ परीक्षण में शामिल प्रतिभागियों को लगभग एक माह में दो खुराक दी जा रही है।
  - कोविशील्ड द्वारा अपने प्रारंभिक परीक्षण में कोरोनवायरस के खिलाफ मनुष्यों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया विकसित की गई थी। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को वैश्विक रूप से COVID-19 वैक्सीन के लिये प्राथमिक आवश्यकता माना जाता है।

पृष्ठभूमि:

- 'केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन' (Central Drugs Standard Control Organisation-CDSCO) द्वारा स्थापित COVID-19 से संबंधित चिकित्सा के लिये विषय विशेषज्ञ समिति (Subject Expert Committee (SEC) ने महसूस किया है कि SII के परीक्षण स्थलों पर 'पैन इंडिया' दृष्टिकोण (pan India approach) को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

परीक्षण:

- SII, अब भारत बायोटेक (Covaxin) और ज़ाइडस कैडिला (ZyCov-D) जैसे अन्य वैक्सीन निर्माताओं से आगे बढ़ते हुए व्यापक तौर पर द्वितीय और तृतीय चरण के लिये परीक्षणों को शुरू कर सकता है, जो अभी प्रथम और द्वितीय चरण के परीक्षणों के स्तर पर हैं।
  - हालाँकि, परीक्षण की शुरुआत का सटीक समय अभी तक स्पष्ट नहीं है। परीक्षण शुरू करने से पहले नैतिकता समिति की मंजूरी मिलने में कम से कम एक सप्ताह का समय लगेगा। यदि निर्धारित समय में प्रक्रियाएँ पूर्ण हुई तो वर्ष 2020 के अंत तक वैक्सीन का निर्माण संभव है।

नोट :

- कोविशिल्ड के परीक्षण में देश भर की 18-विषम साइटों (odd sites) से लगभग 1,600 प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनकी पहचान राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (National Biopharma Mission) और ग्रैंड चैलेंज इंडिया प्रोग्राम (Grand Challenges India Programme) द्वारा की गई हैं।

भारत में वर्तमान स्थिति:

- भारत में प्रति केस मृत्यु दर (Case Fatality Rate-CFR) की स्थिति अर्थात प्रति COVID-19 सकारात्मक केस पर मृत्यु की संख्या में सुधार हो रहा है तथा भारत वैश्विक स्तर पर COVID-19 में सबसे कम मृत्यु दरों वाले देश की स्थिति में बना हुआ है।
  - भारत में प्रति केस मृत्यु दर (Case Fatality Rate-CFR) 2.11 प्रतिशत है।

ग्रैंड चैलेंज इंडिया प्रोग्राम:

- ग्रैंड चैलेंज इंडिया प्रोग्राम (Grand Challenges India Programm) भारत में 'जैव प्रौद्योगिकी विभाग के जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद' (Biotechnology Industry Research Assistance Counci- BIRAC) तथा 'बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन' (Bill and Melinda Gates Foundation) के मध्य एक भागीदारी तंत्र है।
  - BIRAC एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जिसे DBT द्वारा स्थापित किया गया है।
- उद्देश्य: भारत में नवीन स्वास्थ्य और विकास अनुसंधान को प्रेरित करने के उद्देश्य से संयुक्त पहल शुरू करना।

राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन

- यह देश में बायोफार्मास्यूटिकल विकास में तेजी लाने के लिये एक उद्योग-अकादमिक सहयोगी मिशन है।
- इसे वर्ष 2017 में कुल 1500 करोड़ की लागत के साथ शुरू किया गया था जो कुल 50 प्रतिशत की सह-लगात (Co-Funded) के साथ विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है।
- इस मिशन को BIRAC द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

लोकमान्य तिलक की 100वीं पुण्यतिथि

चर्चा में क्यों ?

1अगस्त, 2020 को 'भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद' (Indian Council for Cultural Relations-ICCR) द्वारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि मनाने के लिये एक वेबिनार का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि:
  - लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई, 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था।
  - ये पेशे से वकील थे, इन्हें लोकमान्य तिलक के रूप में भी जाना जाता हैं।
  - भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय इन्होंने 'स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा' का नारा दिया।
  - इनकी मृत्यु 1 अगस्त, 1920 को हुई।
- भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान:
  - लोकमान्य तिलक पूर्ण स्वतंत्रता या स्वराज्य (स्व-शासन) के सबसे प्रारंभिक एवं सबसे मुखर प्रस्तावकों में से एक है।
  - लाला लाजपत राय तथा बिपिन चंद्र पाल के साथ ये लाल-बाल-पाल की तिकड़ी (गरम दल/उग्रपंथी दल) का हिस्सा थे।
  - एक अंग्रेज़ी पत्रकार वेलेंटाइन चिरोल द्वारा लिखित पुस्तक 'इंडियन अनरेस्ट' में तिलक को 'भारतीय अशांति का जनक' कहा गया है।
  - लोकमान्य तिलक, वर्ष 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (Indian National Congress-INC) में शामिल हुए।
  - इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया तथा लोगों को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिये प्रोत्साहित किया।

नोट :

- तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम में अखिल भारतीय होम रूल लीग (All India Home Rule League) की स्थापना की।
  - इसका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र (बॉम्बे को छोड़कर), मध्य प्रांत, कर्नाटक और बरार था।
- राष्ट्रवादी संघर्ष में हिंदु-मुस्लिम एकता के लिये भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के प्रतिनिधित्व के तौर पर तिलक तथा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ पैक्ट (Lucknow Pact, 1916) पर हस्ताक्षर किये।
- इन्होंने मराठी भाषा में केसरी तथा अंग्रेज़ी भाषा में मराठा नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया तथा वेदों पर 'गीता रहस्य' और 'आर्कटिक होम' नामक पुस्तकें लिखीं।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद:

- भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (Indian Council for Cultural Relations-ICCR), भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है, जो अन्य देशों तथा उनके निवासियों के साथ भारत के बाहर सांस्कृतिक संबंधों (सांस्कृतिक कूटनीति) के सांस्कृतिक आदान-प्रदान से संबंधित गतिविधियों को देखता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1950 में स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा की थी।
- ICCR को वर्ष 2015 से भारतीय मिशनों/पोस्टों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) को आयोजित करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
- सामाजिक योगदान:
  - तिलक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक (1884) थे, इसके संस्थापक सदस्यों में गोपाल गणेश अगरकर और अन्य भी शामिल थे।
  - महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी त्योहार को लोकप्रिय बनाया।
  - सम्राट छत्रपति शिवाजी की जयंती पर शिव जयंती मनाने का प्रस्ताव रखा।
  - हिंदू धर्म के लोगों को अत्याचार से लड़ने के लिये हिंदू धर्मग्रंथों के इस्तेमाल पर बल दिया।

वर्तमान समय में तिलक के विचारों की प्रासंगिकता:

- स्वदेशी उत्पादों और स्वदेशी आंदोलन के प्रति तिलक का रूख आज के भारत की 'आत्मनिर्भर भारत' की संकल्पना को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। इस प्रकार, आर्थिक राष्ट्रवाद के पुनरुद्धार में तिलक की विचारधारा को समाहित किया जा सकता है।
- कॉन्ग्रेस की स्थानीय बैठकों में तिलक सदस्यों से अपनी मातृभाषा में बोलने की वकालत करते थे। हाल ही में भारत सरकार ने भी 'नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति' (2020) के माध्यम से संस्कृत और स्थानीय भाषाओं को अपनाने पर बल दिया है।
- तिलक अस्पृश्यता के कट्टर विरोधी थे, यही कारण था कि उन्होंने जाति और संप्रदायों के आधार पर विभाजित समाज को एकजुट करने के लिये एक बड़ा आंदोलन चलाया। वर्तमान समय में भी इस तरह के व्यवहार को अपनाने की ज़रूरत है ताकि भारतीय समाज को एकजुट किया जा सके।

न्यायिक अवमानना बनाम वाक् स्वतंत्रता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा उनके विरुद्ध 'न्यायिक अवमानना की कार्यवाही' के तहत 'सर्वोच्च न्यायालय' द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में 142 पृष्ठों वाला हलफ़नामा दायर किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- दरअसल यह मामला वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के द्वारा किये गए ट्वीट (tweet) से संबंधित है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया साइट्स ट्विटर पर पोस्ट किये गये कथित अवमाननाकारक ट्वीट में सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना की थी।
- प्रशांत भूषण ने वैश्विक महामारी COVID-19 के दौरान दूसरे राज्यों से पलायन कर रहे कामगारों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के रवैये की तीखी आलोचना की थी।

नोट :

न्यायिक अवमानना:

- न्यायिक अवमानना का अर्थ है, किसी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना, न्यायिक आदेशों की अवहेलना करना तथा उनका पालन सुनिश्चित न करना।

अवधारणा का विकास:

- 'न्यायालय की अवमानना' संबंधी अवधारणा का अस्तित्त्व इंग्लैंड में कई सदियों से है। इंग्लैंड में इसे एक सामान्य कानूनी सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त है जिसका उद्देश्य राजा की 'न्यायिक शक्तियों' की रक्षा करना है।
- शुरुआत में राजा स्वयं अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता था परंतु बाद में इन शक्तियों का प्रयोग 'न्यायाधीशों के एक पैनल'; जो राजा के नाम पर कार्रवाई कार्य करता है, द्वारा किया जाने लगा। न्यायाधीशों के आदेशों के उल्लंघन को स्वयं राजा के अपमान के रूप में देखा जाता था।
- समय के साथ न्यायाधीशों की किसी भी तरह की अवज्ञा, या उनके निर्देशों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करना, या ऐसी कोई टिप्पणी या कार्य करना जो उनके प्रति अनादर दिखाते थे, दंडनीय माने जाने लगे।
- भारत में न्यायिक अवमानना के कानून स्वतंत्रता से पहले से ही विद्यमान थे। प्रारंभिक उच्च न्यायालयों के अलावा कुछ रियासतों के न्यायालयों में ऐसे कानून विद्यमान थे।

वैधानिक आधार (Statutory Basis):

- संविधान का अनुच्छेद-129 सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद-215 उच्च न्यायालयों को अवमानना पर दंडित करने की शक्ति प्रदान करते हैं।
- 'न्यायालय की अवमानना अधिनियम' (Contempt of Courts Act)- 1971 इसे वैधानिक समर्थन प्रदान करता है।

अनुच्छेद-129 और अभिलेख न्यायालय:

- अभिलेख न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास दो प्रकार की शक्तियाँ हैं:
  - उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही एवं निर्णय सार्वजनिक अभिलेख और साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे तथा उन्हे विधिक संदर्भों की तरह स्वीकार किया जाएगा। इन अभिलेखों पर किसी अन्य न्यायालय में चल रहे मामले के दौरान प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।
  - सर्वोच्च न्यायालय के पास अवमानना पर दंडित करने का अधिकार है। दंड देने की यह शक्ति न केवल सर्वोच्च न्यायालय में निहित है, बल्कि ऐसा ही अधिकार उच्च न्यायालयों , अधीनस्थ न्यायालयों और पंचाटों को भी प्राप्त है।

न्यायिक अवमानना के प्रकार:

- न्यायालय की अवमानना अधिनियम', न्यायिक अवमानना को सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना के रूप में वर्गीकृत करता है:

सिविल अवमानना (Civil Contempt):

- सिविल अवमानना का मतलब है जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से न्यायालय के आदेश, निर्णय या न्यायादेश की अवहेलना करता है।

आपराधिक अवमानना (Criminal contempt):

- लिखित या मौखिक शब्दों, संकेतों और क्रियाओं के माध्यम से न्यायालय के प्राधिकार को कम करना या बदनाम करना या ऐसा करने का प्रयास करना।
- न्यायिक प्रक्रिया के प्रति पूर्वाग्रह रखना या हस्तक्षेप करना।
- न्याय प्रशासन को किसी भी तरीके से रोकना या बाधित करना।

न्यायिक अवमानना में शामिल हैं:

- संपूर्ण न्यायपालिका या अलग-अलग न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप लगाना;
- न्यायालय के निर्णयों और न्यायिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करना;

नोट :

- न्यायाधीशों के आचरण पर किसी भी तरह के अपमानजनक हमले करना।

न्यायालय की अवमानना नहीं है:

- न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग में न्यायालय की अवमानना नहीं होगी।
- किसी मामले की सुनवाई और निपटान के बाद न्यायिक आदेश की युक्तिसंगत निष्पक्ष आलोचना करना।

दंडित करने का अधिकार:

- न्यायालय के पास अवमानना पर पर दंडित करने का अधिकार है। इसमें 6 महीने के लिये सामान्य जेल या 2000 रुपए तक अर्थदंड या दोनों शामिल हैं।

चिंता के विषय:

- संविधान का अनुच्छेद-19 भारत के प्रत्येक नागरिक को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है परंतु न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971 द्वारा न्यायालय की कार्यप्रणाली के खिलाफ बात करने पर अंकुश लगा दिया है।
- किसी न्यायाधीश की आलोचना को सर्वोच्च न्यायालय की निंदा या उसकी गरिमा को कम करने का आधार मानना युक्तिसंगत आलोचना के विरुद्ध है।

आगे की राह:

- न्यायपालिका को दो परस्पर विरोधी सिद्धांतों अर्थात् अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा और न्यायालय की अवमानना की शक्ति को संतुलित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिये।

सहकार कूपट्यूब एनसीडीसी चैनल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation- NCDC) की एक नई पहल, सहकार कूपट्यूब एनसीडीसी चैनल (Sahakar Cooptube NCDC Channel) की शुरुआत की है।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य किसानों और युवाओं को सहकारी समितियों का लाभ उठाने के लिये प्रोत्साहित करना है।
- सहकारिता के माध्यम से युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर भी बढ़ सकेंगे।
  - इस पहल से सहकारिता की दिशा में जागरूकता बढ़ेगी।
- सहकारिता हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसके माध्यम से, सरकार का प्रयास सहकारी आंदोलन में युवाओं की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना है।

प्रमुख बिंदु:

- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसी सहकारी संस्था या समिति के गठन और पंजीकरण हेतु अठारह विभिन्न राज्यों के लिये हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में NCDC द्वारा निर्मित मार्गदर्शक वीडियो भी लॉन्च किये हैं।
- यू-ट्यूब प्लेटफार्म पर चलने वाले, सहकार कूपट्यूब चैनल की शुरुआत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश,बिहार,छत्तीसगढ़,झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, मिज़ोरम, त्रिपुरा, केरल, गुजरात, पंजाब एवं कर्नाटक राज्यों में की गई है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम:

- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना वर्ष 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय के रुप में की गई थी।

नोट :

- NCDC का उद्देश्य कृषि उत्पादन, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक वस्तुओं, पशुधन और सहकारी सिद्धांतों पर उत्पादित कुछ अन्य अधिसूचित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात तथा इसके साथ संबंधित मामलों या आकस्मिक मामलों के लिये कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनका संवर्द्धन करना है।
- NCDC सहकारी क्षेत्र हेतु शीर्ष वित्तीय तथा विकासात्मक संस्थान के रूप में कार्यरत एकमात्र सांविधिक संगठन है। यह कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता को सहयोग प्रदान करता है।
- संगठन एवं प्रबंधन-
  - निगम की नीतियों तथा कार्यक्रमों का निर्माण करने के लिये निगम का प्रबंधन एक व्यापक प्रतिनिधित्त्व वाली 51 सदस्यीय सामान्य परिषद में तथा दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों को निष्पादित करने के लिये एक 12 सदस्यीय प्रबंध मंडल में निहित है ।
  - अपने प्रधान कार्यालय के अलावा NCDC अपने 18 क्षेत्रीय/राज्य निदेशालयों के माध्यम से कार्य करता है ।
- वर्ष 1963 में 22 करोड़ रुपए की अल्प संवितरण के साथ शुरुआत करते हुए, NCDC ने 2019-20 के दौरान लगभग 28,000 करोड़ रुपए का वितरण किया है।
- NCDC ने पिछले छह वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है।
  - इसने वर्ष 1963 के बाद से पिछले छह वर्षों में संचयी वित्तीय सहायता का लगभग 83% हासिल किया है।

EWS आरक्षण की संविधान पीठ में सुनवाई

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section-EWS) के लिये नौकरियों और दाखिले में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने वाले संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास हस्तांतरित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने यह भी आदेश दिया कि इस मुद्दे पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित याचिकाओं को भी पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को हस्तांतरित की जाए।

विवाद

- इस संबंध में दायर याचिकाओं में 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 की संवैधानिक वैद्यता को चुनौती दी है, ध्यातव्य है कि इसी संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में खंड (6) शामिल किया गया था।
- इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने 31 जुलाई, 2019 को अपना निर्णय सुरक्षित रखा था।
- सर्वोच्च न्यायालय को यह तय करना था कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिये आरक्षण की वैद्यता से संबंधित इस मामले को संविधान पीठ के समक्ष भेजा जाए अथवा नहीं।

याचिकाकर्त्ताओं के तर्क

- याचिकाकर्त्ताओं ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि 103वाँ संविधान संशोधन स्पष्ट तौर पर अधिकातीत (Ultra Vires) है, क्योंकि यह संविधान के मूल ढाँचे में बदलाव करता है।
- याचिका में कहा गया था कि यह संविधान संशोधन वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय के विपरीत है, जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि 'पिछड़े वर्ग का निर्धारण केवल आर्थिक कसौटी के संदर्भ में नहीं किया जा सकता है।'
- याचिकाकर्त्ताओं का एक मुख्य तर्क यह भी था कि सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के लिये लागू किये गए आरक्षण के प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू की गई 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन करते हैं , ध्यातव्य है कि SC, ST और OBC वर्ग को पहले से ही क्रमश: 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 27 प्रतिशत की दर से आरक्षण दिया जा चुका है।

नोट :

सरकार का पक्ष

- इस संबंध में केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के सामाजिक उत्थान के लिये आरक्षण की व्यवस्था करना आवश्यक है, क्योंकि इस वर्ग मौजूद आरक्षण प्रावधानों का लाभ नहीं मिलता है।
- सरकार ने कहा था कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) श्रेणी में देश का एक बड़ा वर्ग शामिल है, जिसका उत्थान भी आवश्यक है।
- आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के लिये आरक्षण का उद्देश्य लगभग 200 मिलियन लोगों का उत्थान करना है जो अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश

- मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों वाली खंडपीठ ने कहा कि संविधान पीठ मुख्य तौर पर इस प्रश्न पर विचार करेगी कि 'आर्थिक पिछड़ापन' सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने के लिये एकमात्र मानदंड हो सकता है अथवा नहीं।
- साथ ही संविधान पीठ यह भी तय करेगी क्या आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक हो सकती है।
- गौरतलब है कि इस खंडपीठ ने 103वें संविधान संशोधन के कार्यान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
- तीन न्यायाधीशों वाली खंडपीठ ने कहा कि 'संविधान के अनुच्छेद 145(3) और सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 के आदेश XXXVIII नियम 1(1) से स्पष्ट है, जिन मामलों में कानून की व्याख्या संबंधी प्रश्न शामिल हैं, उन्हें संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या के लिये संविधान पीठ द्वारा सुना जाना चाहिये।
  - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अनुसार, संविधान की व्याख्या के रूप में यदि विधि का कोई सारवान प्रश्न निहित हो तो उसका विनिश्चय करने अथवा अनुच्छेद 143 के अधीन मामलों की सुनवाई के प्रयोजन के लिये संविधान पीठ का गठन किया जाएगा जिसमें कम-से-कम पाँच न्यायाधीश होंगे।

EWS आरक्षण और 103वाँ संविधान संशोधन

- वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया। संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 (6) और अनुच्छेद 16 (6) सम्मिलित किया, ताकि अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया सके।
- संविधान का अनुच्छेद 15 (6) राज्य को खंड (4) और खंड (5) में उल्लेखित लोगों को छोड़कर देश के सभी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लोगों की उन्नति के लिये विशेष प्रावधान बनाने और शिक्षण संस्थानों (अनुदानित तथा गैर-अनुदानित) में उनके प्रवेश हेतु एक विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है, हालाँकि इसमें संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) में संदर्भित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को शामिल नहीं किया गया है।
- संविधान का अनुच्छेद 16 (6) राज्य को यह अधिकार देता है कि वह खंड (4) में उल्लेखित वर्गों को छोड़कर देश के सभी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लोगों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का कोई प्रावधान करें, यहाँ आरक्षण की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत है, जो कि मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त है।

COVID-19 तथा विटामिन-D की कमी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में शोधकर्त्ताओं द्वारा इस बात का दावा किया गया है कि विटामिन-D की कमी उन COVID-19 संक्रमित लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है जो उच्च जोखिम रोगों (मधुमेह, हृदय रोग, निमोनिया, मोटापा) तथा धूम्रपान की लत से ग्रसित हैं।

प्रमुख बिंदु:

- इसका संबंध श्वसन पथ (Respiratory Tract) के संक्रमण तथा फेफड़ों की चोट (Lung Injury) से भी संबंधित है।

नोट :

- अलग-अलग स्थान (शहरी या ग्रामीण), उम्र या लिंग के बावजूद भी भारत में एक बड़ी आबादी विटामिन-D की कमी से पीड़ित है।
  - भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहाँ धूप प्रचुर मात्रा में पहुँचती है तथा शरीर में विटामिन-D के निर्माण को प्रेरित/उत्तेजित करती है।
- इंडियन जर्नल ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज़्म (Indian Journal of Endocrinology and Metabolism) के वर्ष 2017 में प्रकाशित एक विश्लेषण के अनुसार, भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों में विटामिन-D का स्तर 3.15 नैनोग्राम/मिलीलीटर से लेकर 52.9 नैनोग्राम/मिलीलीटर तक था, जो कि 30-100 नैनोग्राम/ मिलीलीटर के आवश्यक स्तर से काफी कम था।
  - दक्षिण भारतीयों में विटामिन-D का स्तर 15.74-19.16 नैनोग्राम/मिलीलीटर के बीच देखा गया। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में लगातार विटामिन-D का निम्न स्तर देखा गया।
- विटामिन-D की कमी ग्रेट ब्रिटेन में बसे भारतीय उपमहाद्वीप मूल के लोगों में भी पाई जाती है।
  - इससे इस क्षेत्र के लोगों की आनुवांशिकी तथा विटामिन-D के चयापचय के मध्य संबंध का पता चलता है।
- राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो (National Nutrition Monitoring Bureau- NNMB) से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, पिछले 50 वर्षों में भारतीय जनसंख्या में कैल्शियम का औसत स्तर प्रति दिन 700 यूनिट से 300-400 यूनिट तक कम हो गया है।
  - मानव शरीर में प्रति दिन कैल्शियम का सामान्य आवश्यक स्तर 800-1,000 यूनिट है, विटामिन- D शरीर द्वारा कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है।
  - हड्डियों को मज़बूती प्रदान करने के लिये लिये शरीर को कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मांसपेशियों के संचालन में तथा तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क एवं शरीर के प्रत्येक हिस्से के मध्य सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिये भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है।
  - यह हार्मोन एवं एंज़ाइमों को स्त्रावित करने में भी मदद करता है जो मानव शरीर में लगभग प्रत्येक कार्य को प्रभावित करते हैं।
  - भारतीयों में कैल्शियम की यह कमी इस तथ्य के विपरीत है कि भारत विश्व में प्रति दिन अधिकतम दूध का उत्पादन करने वाला देश है जो कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत है।

विटामिन-D

- विटामिन-D वसा में घुलनशील विटामिन है, जो प्राकृतिक रूप से बहुत कम खाद्य पदार्थों जैसे- वसायुक्त मछली एवं मछली के यकृत के तेल, सूअर के यकृत, पनीर एवं अंडे की जर्दी में पाया जाता है।
  - इसका स्राव शरीर की कोशिकाओं द्वारा उस समय किया जाता है जब सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणें त्वचा पर पड़ती हैं तथा विटामिन-D के संश्लेषण को प्रेरित/उत्तेजित करती हैं।
  - सूर्य का प्रकाश कोलेस्ट्रॉल-आधारित अणु में एक रासायनिक प्रतिक्रिया को प्रेरित कर इसे यकृत में कैल्सीडियोल (Calcidiol) तथा गुर्दे में कैल्सीट्रियोल (Calcitriol) में परिवर्तित करता है।
  - तकनीकी रूप से 25-OHD (25-Hydroxyvitamin D) कहे जाने वाले ये अणु शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं।

कार्य:

- विटामिन D रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की पर्याप्त मात्रा को बनाए रखने में मदद करता है जो हड्डियों को कमज़ोर होने से रोकते हैं।
- विटामिन-D के अन्य कार्यों में कोशिका वृद्धि, न्यूरोमस्कुलर, प्रतिरक्षा कार्य एवं सूजन को कम करना शामिल है।

आवश्यक मात्रा:

- एक स्वास्थ शरीर में 30-100 नैनोग्राम/ मिलीलीटर की सीमा में 25-ओएचडी का स्तर पर्याप्त माना जाता है। 21-29 नैनोग्राम/मिलीलीटर के बीच के स्तर को अपर्याप्त माना जाता है तथा 20 नैनोग्राम/मिलीलीटर से नीचे का स्तर व्यक्ति में विटामिन-D की कमी को दर्शाता है।

प्रभाव:

- विटामिन-D की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया (हड्डियों का नरम होना) रोग हो जाता है।
- विटामिन-D की कमी से हड्डियाँ पतली, भंगुर हो जाती है तथा इसमें अस्थिसुषिरता (ऑस्टियोपोरोसिस) की समस्या उप्तन्न हो जाती है।

नोट :

भारत में पोषण:

- भारत में आबादी का एक बड़ा हिस्सा भूख, कुपोषण तथा पोषण संबंधी कमियों से ग्रस्त है।
  - छिपी हुई भूख की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लोगों द्वारा खाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता उनके शरीर के लिये पर्याप्त पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती है। इस प्रकार के भोजन में उन आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्वों जैसे विटामिन और खनिजों की कमी है जो उनके वृद्धि एवं विकास के लिये आवश्यक होते हैं।
- यूनिसेफ रिपोर्ट, एडोलेसेंट्स, डाइट्स एंड न्यूट्रिशन: ग्रोइंग विल इन चेंजिंग वर्ल्ड, 2019 (Adolescents, Diets and Nutrition: Growing Well in a Changing World, 2019) के अनुसार भारत में 80% से अधिक किशोर छिपी हुई भूख की समस्या से ग्रसित हैं।
- भारत के शहरी क्षेत्रों में 5 वर्ष से कम आयु के 63% बच्चे (ग्रामीण क्षेत्रों में 72%) एनीमिक (शरीर में रक्त का स्तर आवश्यक स्तर से कम होना) पाए जाते हैं तथा 55% महिलाएँ और 24% पुरुष एनीमिक पाए जाते हैं।
- भारत में भोजन के लिये उत्पादन, खरीद और वितरण प्रणाली अभी भी खाद्य सुरक्षा के मुद्दों को हल करने में सक्षम नहीं है।
  - उदाहरण के लिये भारत में COVID-19 महामारी के समय गरीबों (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना) को दिये जा रहे भोजन में दाल एवं अनाज तो शामिल हैं लेकिन इनमें कच्ची या पकी हुई सब्जियों की कमी है।
- अभी भी एक संतुलित आहार लेना सभी भारतीयों के लिये संभव नहीं है।
- संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी 'स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड, 2020' (State of Food Security and Nutrition in the World 2020) के अनुसार, प्रत्येक देश में खाद्य सुरक्षा और पोषण को ध्यान में रखते हुए पोषक तत्वों से पूर्ण एक समय के भोजन की खुराक की कीमत 25 रूपए/खुराक तथा एक 'स्वस्थ आहार' की कीमत 100 रुपए/दिन है।

सरकारी पहल:

- मध्याह्न भोजन योजना (Mid-day Meal Scheme) गरीब स्कूल जाने वाले बच्चों में पोषण संबंधी कमियों को दूर करने में मददगार साबित हुई है।
- एकीकृत बाल विकास सेवा (Integrated Child Development Services) के तहत आंगनवाड़ियों के माध्यम से संचालित पूर्व स्कूली बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिये पोषण कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण है।
- सरकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act-NFSA) तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System-PDS) के माध्यम से समाज के गरीब वर्ग की खाद्य आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।
- वर्ष 2017-18 में शुरू किये गए पोषण अभियान का उद्देश्य बेहतर निगरानी एवं सामुदायिक सहयोग के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में तालमेल एवं एकरूपता स्थापित करते हुए बौनेपन, कम पोषण, एनीमिया तथा कम वजन वाले शिशुओं को संख्या को कम करना है।
- बायोफोर्टिफिकेशन: पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा विभिन्न फसलों जैसे गाजर (मधुबन गजर), गेहूं (MACS 4028) आदि के लिये एग्रोनोमिक पद्धति, पारंपरिक संयंत्र प्रजनन, या आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से खाद्य फसलों की पोषण गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है।

सुझाव:

- गरीबों और स्कूली बच्चों के लिये मौजूदा 'राशन' में विभिन्न आवश्यक पोषण तत्वों को शामिल करने के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकारों को पोषण विशेषज्ञों एवं संस्थानों की सलाह लेने की ज़रूरत है।
  - गरीबों या बच्चों को दिये जाने वाले भोजन में पालक एवं अन्य हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ, फली, मटर, गाजर, टमाटर, आलू, दूध/दही,अंडा तथा फलों में केले इसके अलावा, ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड शामिल होने चाहिये।
- विटामिन-D और कैल्शियम के अलावा, अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों (जैसे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और Fe, Zn, I, Se, Zn) से पूर्ण भोजन ग़रीबों को उपलब्ध किया जाना चाहिये ताकि उनमें किसी भी संक्रमण के खिलाफ प्रतिरक्षा को विकसित किया जा सके।

नोट :

- सरकार चिकित्सक और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से परामर्श करके मुफ्त में विटामिन-D, अन्य विटामिन एवं कैल्शियम की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकती है।
  - कई भारतीय दवा कंपनियाँ इस प्रकार की दवाओं का निर्माण करती हैं। भारतीय कंपनियों द्वारा इस प्रकार की दवाओं के सप्लिमेंट्स को प्राप्त करना सरकार के 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरूप होगा।
- समुद्री शैवालों का सेवन काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। समुद्री शैवाल शाकाहारी हैं तथा इनमें विटामिन, खनिज, आयोडीन तथा ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं। चूंकि भारत में एक लंबी तटरेखा है, इसलिये ये भारतीयों के लिये एक सस्ती पोषक खुराक हो सकती है।
- विटामिन-D की प्राप्ति के लिये स्कूल में छात्रों को प्रतिदिन 20-30 मिनट धूप में खड़ा किया जा सकता हैं तथा प्रति दिन एक घंटे के लिये शारीरिक व्यायाम और खेलने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- इसके अलावा, मानव शरीर के के लिये स्वस्थ भोजन एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं के महत्त्व के बारे में लोगों के मध्य जागरूकता आवश्यक है।

आगे की राह:

एक स्वस्थ आबादी को विकसित करके ही COVID-19 जैसी महामारी से लड़ने के लिये प्रतिरक्षा क्षमता को विकसित किया जा सकता है। विटामिन-D एवं कैल्शियम की कमी को दूर करके ही सतत् विकास लक्ष्य-2 (Sustainable Development Goal-SDG-2) में वर्णित भूख की समस्या को समाप्त किया जा सकता है जो सतत् विकास लक्ष्य-3 (SDG-3) अर्थात सभी के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिये एक आवश्यक कदम है।

वन नेशन-वन राशन कार्ड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड राज्यों एवं जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory-UT) को 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' (One Nation-One Ration Card- ONORC) योजना में शामिल किया गया हैं।

प्रमुख बिंदु:

- 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' योजना में अब तक कुल 24 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जोड़ा जा चुका है।
- शेष राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को मार्च 2021 तक इस योजना के तहत एकीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है।

ONORC योजना:

- इस योज़ना को वर्ष 2019 में राशन कार्डों की अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी (Inter-State Portability) सुविधा के तहत शुरू किया गया था।
- इस योज़ना के तहत प्रवासी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (Migratory National Food Security Act- NFSA), 2013 के लाभार्थी देश में कहीं भी अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान (Fair Price Shop- FPS) से अपने हिस्से के खाद्यान्न कोटे की खरीद कर सकते हैं।
  - ऐसा योजना के तहत पात्र व्यक्ति द्वारा आधार द्वारा प्रमाणिक अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।
- इस योजना में 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 65 करोड़ लाभार्थी शामिल है, जिनमें से कुल 80% लाभार्थी NFSAके अंतर्गत हैं, जो अब 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं से भी रियायती दर पर राशन प्राप्त कर सकते हैं।

ONORC योजना के लाभ:

- पारदर्शिता: इस योज़ना के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण में अधिक पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।
- पहचान: यह नकली/डुप्लिकेट राशन कार्डों की पहचान करने के लिये तंत्र को और अधिक सुदृढ स्थिति प्रदान करेगा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public distribution system- PDS) के लाभार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पसंद के उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न को लेने/खरीदने का विकल्प प्रदान करेगा।

नोट :

- खाद्य सुरक्षा: यह योजना उन प्रवासी मज़दूरों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी, जो बेहतर रोज़गार के अवसर तलाशने में दूसरे राज्यों में जाते हैं।
- सतत विकास लक्ष्य: यह योजना वर्ष 2030 तक भूख को खत्म करने के लिये सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Developmental Goals- SDG)- 2 के तहत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार साबित होगी।

योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे:

- राशन का वितरण: राशन का वितरण लॉकडाउन के दौरान एक मुद्दा बन गया था जब प्रवासी श्रमिकों के पास उन राज्यों में राशन कार्ड नहीं थे जहाँ वे रह रहे थे। इसके चलते प्रवासियों ने तालाबंदी के बीच अपने गाँवों की ओर रुख किया।
- लॉजिस्टिक मुद्दे: एक 'उचित मूल्य की दुकान' के विक्रेता को मासिक आधार पर उसके पास पंजीकृत लोगों की संख्या के अनुसार निर्धारित खाद्यान कोटे की मात्रा मुश्किल से प्राप्त हो पाती है।
- जब यह योजना पूरी तरह से लागू होगी तो इसके संचालन में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं क्योंकि कुछ उचित मूल्य की दुकानों के क्रताओं के पास अधिक कार्डधारक होंगे जबकि कुछ के पास लोगों के प्रवास कर जाने के कारण कार्डधारकों की कम संख्या होगी।
- आँकड़ों की कमी: राज्यों के भीतर तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में काम की तलाश के लिये पलायन करने वाले गरीब परिवारों का तथा श्रमिकों को रोज़गार देने वाले क्षेत्रों का कोई सटीक डेटा उपलब्ध नहीं है।

सुझाव:

- असंगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (The Unorganised Sector Social Security Act, 2008) के कल्याणकारी बोर्डों की एक प्रणाली के माध्यम से अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के दस्तावेजीकरण की प्रणाली तैयार की गई थी।
  - प्रवासी श्रमिकों के संबंध में विश्वसनीय आँकड़ों को प्राप्त करने के लिये इसके दस्तावज़ों एवं मूल प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिये।
- एक पूर्ण रूप से समर्पित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONORC योजना से संबंधित तार्किक मुद्दों की चुनौती को हल कर सकता है।
- ONORC के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने के लिये सोशल ऑडिटिंग को अनिवार्य किया जाना चाहिये।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act-NFSA) खाद्य सुरक्षा को पोषण सुरक्षा के रूप में परिभाषित करता है।
  - समेकित बाल विकास सेवाओं की वहनीयता, मध्याह्न भोजन, टीकाकरण, स्वास्थ्य देखभाल और गरीब प्रवासी परिवारों के लिये अन्य सुविधाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इन्हें अधिक वहनीय बनाए जाने की आवश्यकता है।
- दीर्घकालीन समाधान के तौर पर गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए,सार्वजनिक वितरण प्रणाली को एक फुलप्रूफ फूड कूपन सिस्टम या फिर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है जहाँ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार कूपन के माध्यम से या नकद भुगतान करके किसी भी किराने की दुकान से चावल, दाल, चीनी और तेल खरीद सकते हैं।

हमारा घर, हमारा विद्यालय' कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh-MP) के सरकारी विद्यालयों में केवल 30% छात्र ही नियमित रूप से 'हमारा घर, हमारा विद्यालय' (Hamara Ghar, Humara Vidyalaya) कार्यक्रम में शामिल हो पा रहे हैं।

प्रमुख बिंदु:

- 'हमारा घर, हमारा विद्यालय' कार्यक्रम:
  - यह मध्य प्रदेश सरकार के 'स्कूल शिक्षा विभाग' (Department of School Education) द्वारा घर पर ही शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक शिक्षण कार्यक्रम है।
  - इसका उद्देश्य COVID-19 महामारी के चलते विद्यालयों के बंद होने के कारण 22 लाख छात्रों तक इस कार्यक्रम की पहुँच को सुनिश्चित करना है।.

नोट :

- कार्यक्रम के पीछे मुख्य रूप से इस अवधारणा को सुनिश्चित करना है कि छात्र घर पर नियमित रूप से अध्ययन करते हैं तथा घर पर ही अपने बड़ों द्वारा जीवन कौशल को भी सीखते हैं।
- इसके तहत मध्य प्रदेश दूरदर्शन द्वारा निश्चित समय पर प्रारूपीय कार्यक्रम (Modular Programme) को प्रसारित किया जाता है। इसके तीन भाग हैं जो पुनर्कथन (Recap), एक नई अवधारणा का वितरण (Delivery of a New Concept) तथा अवधारणा के अभ्यास (Practice of the Concept) पर आधारित हैं।
- व्हाट्सएप के डिजिटल लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम (Digital Learning Enhancement Program- DigiLEP) के माध्यम से वीडियो, प्रैक्टिस शीट तथा क्विज़ के रूप में अध्ययन से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को टीवी कार्यक्रमों के साथ समन्वित किया जाता है।

कार्यक्रम से संबंधित मुद्दे:

- 18 जुलाई से 25 जुलाई के मध्य यह कार्यक्रम कुल 30% छात्रों तक पहुँचने में सक्षम रहा।
  - 20% छात्र टीवी के माध्यम से तथा 10% छात्र व्हाट्सएप के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
- 30% छात्रों के परिवारों के पास अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के लिये इंटरनेट कनेक्शन के साथ टीवी या स्मार्टफोन नहीं है।
  - जिन परिवारों में इंटरनेट कनेक्शन वाले स्मार्टफोन का विकल्प उपलब्ध हैं वहाँ माता-पिता अक्सर स्मार्टफोन को काम के समय अपने साथ ही ले जाते हैं।
- शेष छात्र सीखने के प्रवाह क्रम को तोड़ते हुए नियमित रूप से इस अध्ययन मॉड्यूल का लाभ उठाने में असमर्थ रहे हैं।
- अलीराजपुर, बड़वानी एवं झाबुआ जैसे ज़िलों के 89 आदिवासी बहुल ब्लॉकों में छात्रों तक इस कार्यक्रम की पहुँच को सुनिश्चित करना स्वयं में एक बड़ा कार्य है।

सुझाव:

- छात्रों को 'प्रज्ञाता' दिशा-निर्देशों (PRAGYATA guidelines) के साथ जोड़ते हुए टीवी एवं फोन की उपलब्धता के अनुसार विभिन्न समूहों में विभाजित किया जाना चाहिये।
- यदि किसी परिवार के पास फोन है, तो इसका उपयोग उसके सभी बच्चों द्वारा अपनी पढ़ाई के लिये किया जाना चाहिये।
- जिनके पास टीवी है उन्हें दूरदर्शन पर निश्चित निर्धारित समय पर प्रसारण/टेलीकास्ट को देखना होगा।

आगे की राह:

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (New National Education Policy- NEP) में 'प्रौद्योगिकी का समान उपयोग' (equitable use of technology) सुनिश्चित करने के लिये डिजिटल शिक्षा पर एक खंड/भाग को जोड़ा गया है। निजी संस्थान या प्राइवेट प्लेयर्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (Corporate Social Responsibility- CSR) के माध्यम से छात्रों के लिये ई-संसाधन की पहुँच एवं उपलब्धता को सुनिश्चित कर सकते हैं।

शिक्षा के अधिकार की परिभाषा को ऑनलाइन शिक्षा तक विस्तारित एवं बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि यह ज्ञान एवं सूचना तक लोगों के जुड़ाव तथा पहुँच के महत्व को संबोधित कर सके।

ट्राइफेड: डिजिटाइज़ेशन ड्राइव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 6 अगस्त, 2020 को भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India-TRIFED) द्वारा अपना 33 वाँ स्थापना दिवस मनाया गया तथा उसी दिन TRIFED द्वारा अपने स्वयं के आभासी कार्यालय (Virtual Office) का भी उदघाटन किया गया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- आभासी कार्यालय:
  - इस कार्यालय में 81 ऑनलाइन वर्क स्टेशन एवं 100 अतिरिक्त कन्वर्जिंग स्टेट एजेंसी वर्क स्टेशन शामिल हैं जो आदिवासी लोगों को मुख्यधारा के विकास के करीब लाने की दिशा में देश भर में अपने भागीदारों के साथ मिलकर TRIFED की टीम के सदस्यों की मदद करेंगे।
  - कर्मचारियों में आपसी तालमेल के स्तर का पता लगाने तथा उनके प्रयासों को अधिक सुगम्य बनाने के लिये, डैशबोर्ड लिंक के साथ एक 'एम्प्लॉई इंगेजमेंट एंड वर्क डिस्ट्रिब्यूशन मैट्रिक्स' (Employee Engagement and Work Distribution Matrix) को भी लॉन्च किया गया है।
- कारण:
  - COVID -19 महामारी के कारण , खरीददारी, बैंकिंग, तथा अन्य कार्य ऑनलाइन हो गए हैं तथा यह देखा गया है कि लॉकडाउन के बाद भी ऑनलाइन कार्यों में वृद्धि हुई है।
  - ये सभी संगठनात्मक पहल ट्राइफेड के महत्त्वाकांक्षी डिजिटाइज़ेशन ड्राइव (Digitisation Drive) का एक अभिन्न अंग है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित आर्ट ई-प्लेटफ़ॉर्म (Art e-Platforms) मानकों पर आदिवासियों की वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, आदिवासियों के ग्रामीण उत्पादों तथा आदिवासी कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से जोड़ने, के लिये प्रोत्साहित करता है ।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (TRIFED):

- गठन:
  - TRIFED का गठन वर्ष 1987 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्त्वावधान में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में किया गया।
  - इसे बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (Multi-State Cooperative Societies Act) के तहत पंजीकृत गया था।
  - इसने अपने कार्यों की शुरुआत वर्ष 1988 में नई दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय से की।
- उद्देश्य: जनजातीय लोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास, आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, ज्ञान, उपकरण और सूचना के साथ जनजातीय लोगों का सशक्तीकरण एवं क्षमता निर्माण करना।
- कार्य: यह मुख्य रूप से दो कार्य करता है पहला-लघु वन उपज (Minor Forest Produce (MFP) विकास, दूसरा खुदरा विपणन एवं विकास (Retail Marketing and Development) हैं।

पहल और भागीदारी:

- TRIFED द्वारा वर्ष 1999 में नई दिल्ली में ट्राइब्स इंडिया (Tribes India) नामक अपने पहले रिटेल आउटलेट के माध्यम से आदिवासी कला और शिल्प वस्तुओं की खरीद और विपणन का कार्य शुरू किया गया।
- TRIFED द्वारा वन धन योजना (Van Dhan Yojana) के तहत उत्पादन को बढ़ाने के लिये वन धन इंटर्नशिप कार्यक्रम (Van Dhan Internship Programme) का आयोजन किया गया है।
- TRIFED द्वारा जनजातियों में उद्यमशीलता को विकसित करने के लिये राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (Institutes of National Importance-INI) के साथ मिलकर एक परिवर्तनकारी टेक फॉर ट्राइबल्स प्रोग्राम (Transformational Tech For Tribals Program) को शुरू किया गया है।
- सूक्ष्म वन उत्पादों के संवर्द्धित मूल्य को बढ़ावा देने के लिये ट्राईफूड योजना (TRIFOOD Scheme) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और TRIFED की एक संयुक्त पहल है।
- सूक्ष्म वन उत्पादों (Minor Forest Produce-MFP) के विपणन के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price-MSP) के माध्यम से एक तंत्र विकसित किया गया तथा वर्ष 2013 में MFP के लिये एक मूल्य श्रृंखला को लागू किया गया था ताकि वन निवासी अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes-STs) और अन्य पारंपरिक वनवासियों के उत्पादों का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।

नोट :

- TRIFED द्वारा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nations Children's Fund- यूनिसेफ) एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) के सहयोग से COVID -19 महामारी पर वेबिनार का आयोजन किया है।
- इस वेबिनार में COVID -19 के लिये बेसिक दिशा-निर्देशों के संदर्भ में TRIFED प्रशिक्षक और स्वयंसेवक संघों (Self Help Groups-SHG) के लिये एक आभासी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

सिज़ोफ्रेनिया तथा इसके संभावित कारण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, सिज़ोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन (Schizophrenia Research Foundation-SCARF) और जीवन स्टेम सेल फाउंडेशन (Jeevan Stem Cell Foundation) चेन्नई द्वारा सिज़ोफ्रेनिया रोग से ग्रसित 'विशिष्ट जातीय' समूह के लोगों पर एक प्रारंभिक अध्ययन किया गया। जिसमें रोग के साथ एक विशिष्ट प्रकार के एलील (विशिष्ट जीन के प्रकार) समहू को देखा गया।

प्रमुख बिंदु:

वर्तमान अध्ययन:

- वर्तमान अध्ययन के अनुसार, HLA, प्रतिरक्षा प्रणाली के सुचारु रूप से कार्य करने के लिये बेहद महत्त्वपूर्ण पूर्ण है तथा इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन प्रतिरक्षा प्रणाली में
- ऑटोइम्यून बीमारियों (एंटीबॉडी/लिम्फोसाइटों के कारण होने वाली बीमारी) में, जब शरीर मस्तिष्क में एन-मिथाइल-डी-एस्पेरेट (N-methyl-D-aspartate-NMDA) की प्रतिक्रिया के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण करता है तो ऐसी स्थिति में ये एंटीबॉडी मस्तिष्क से प्राप्त होने वाले सामान्य संकेतों/सिग्नलों को बाधित करती हैं जिसके कारण मस्तिष्क में सूजन (Encephalitis) उत्पन्न हो जाती है इससे पुरुष एवं महिला दोनों ही प्रभावित होते हैं तथा यह स्थिति सिज़ोफ्रेनिया का कारण बन सकती हैं।
- एन-मिथाइल-डी-एस्पेरेट (N-methyl-D-aspartate- NDMA) एक ग्लूटामेट ग्राही (Receptor) एवं आयन चैनल (Ion Channel) प्रोटीन है जो तंत्रिका कोशिकाओं (Nerve Cells) में पाया जाता है तथा स्मृति कार्यों के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- अध्ययन में शोधकर्त्ताओं द्वारा सिज़ोफ्रेनिया से ग्रसित व्यक्तियों में 'एचएलए वर्ग I एलील्स' (HLA Class I Alleles) की उच्च आवृत्ति देखी गई।
- इन एलील्स के वाहक व्यक्तियों में सिज़ोफ्रेनिया के होने की आशंका व्यक्त की जा सकती है।
- अध्ययन के अनुसार, जिन लोगों में सिज़ोफ्रेनिया का प्रभाव कम देखा गया उनके एलील्स के मध्य एक नकारात्मक सह-संबंध (Negative Correlation) विद्यमान था।
- पहली बार, रोगियों के HLA अणुओं में अमीनो एसिड के स्तर का भी अध्ययन किया गया।
- शोधकर्ताओं ने इस अध्ययन में माना है कि सिज़ोफ्रेनिया के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन शायद चयन तथा पूर्व में हुए चयनात्मक दबावों की 'स्मृति' इसकी रोग के शुरुआती लक्षणों का कारण हो सकती है।
- हालांकि, विकार पैदा करने वाले सटीक कारकों का आगे अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है। सिज़ोफ्रेनिया से ग्रसित लोगों में अलग-अलग एलील का होना समस्या नहीं है, लेकिन सटीक एलील की पहचान करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
- प्रारंभिक अध्ययन इस बात को और इशारा करते हैं कि अलग-अलग जातीय समूहों में विभिन्न एलील विदयमान हो सकते हैं। उदाहरण के लिये, सऊदी अरब, ट्यूनीशिया और जापान में किये गए अध्ययन में सिज़ोफ्रेनिया के जोखिम को उत्पन्न करने के लिये भिन्न-भिन्न एलील उत्तरदायी रहे हैं।

सिज़ोफ्रेनिया (Schizophrenia):

- यह मानसिक विकारों के समूह के लिये प्रयोग होने वाला शब्द है जिसमें व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक कार्यपद्धति में विकृति या ह्रास उत्पन्न होने के परिणामस्वरूप व्यक्ति में अव्यवस्थित विचा , विचित्र धारणाएँ, असामान्य भावनात्मक स्थिति तथा मोटर डिसऑर्डर जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

नोट :

- यह कमज़ोरी लाने वाला (किसी को कमजोर तथा दुर्बल बनाने वाला) एक विकार है।
- सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर सिज़ोफ्रेनिया की कीमत रोग से ग्रसित व्यक्तियों के साथ-साथ उसके परिवारों एवं समाज़ दोनों को चुकानी पड़ती है।
- सामन्यत: इस रोग की शुरुआत किशोर अवस्था के अंत में या फिर व्यस्क अवस्था के शुरुआत में होती है।

लक्षण:

- सिज़ोफ्रेनिया से ग्रसित व्यक्ति में अतिरिक्त विकृतिपूर्ण या विचित्र लक्षण जुड़ जाते हैं जिसमें भ्रम की स्थिति, अव्यस्थित तरीके से सोचना एवं बोलना, अत्यधिक कल्पनाशील तथा रोगी की सोच का विकृत होना इत्यादि शामिल हैं।
- ये लक्षण सिज़ोफ्रेनिया से ग्रसित व्यक्ति के विकृतिपूर्ण लक्षणों में कमी या नकारात्मक पक्षों को दर्शाते हैं, जैसे- रोगी द्वारा कम बोलना, भावनाओं को कम या फिर अभिव्यक्त ही न करना, इच्छा शक्ति का अभाव तथा समाज से दूरी बना लेना इत्यादि।
- रोगी में स्वत: स्फूर्ति का अभाव, रोगी द्वारा चहरें के भावों को बेहद विकृत एवं विचित्र प्रकार से प्रकट करना तथा इशारों में बात करना।

कारण:

- सिज़ोफ्रेनिया का वास्तविक कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। इसके संभावित कारणों एवं अन्य संबंधों को जानने के लिये विश्व भर में विभिन्न जातीय समूहों के बीच विभिन्न अध्ययन किये गए हैं।
  - इन अध्ययनों में इस रोग का संबंध ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन (Human Leukocyte Antigen- HLA) से संबंधित विभिन्न एलीलों के साथ देखा गया है।
  - HLA प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण अंग है जो गुणसूत्र संख्या छह पर स्थित जीन के एक समूह से संबंधित है।
  - HLA जीन अत्यंत परिवर्तनशील होते हैं और मानव जातियों में भिन्न-भिन्न होते हैं।
- विशिष्ट एलील जो सिज़ोफ्रेनिया से ग्रसित लोगों में देखा गया वह प्रत्येक नृजातीय समूह में अलग-अलग था।

उपचार:

इस रोग में थेरेपी तथा लोगों का सहयोग ग्रसित लोगों को सामाजिक कौशल सीखने में मदद कर सकता है, शुरुआत में ही लक्षणों की पहचान करके तथा उन्हें एक चेतावनी की तरह लेते हुए इस समस्या से बचा जा सकता है।

आंगनवाड़ी सेवाओं का कार्यान्वयन

चर्चा में क्यों ?

'राइट टू फूड कैंपेन' द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को दिये गए ज्ञापन में आग्रह किया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को पके हुए भोजन का प्रावधान फिर से शुरू करना चाहिये और आंगनवाड़ी सेवाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिये।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि
  - गौरतलब है कि 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन के बाद, 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों, जिसमें छह वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ आदि शामिल हैं, के लिये लगभग 14 लाख आंगनवाड़ियों में पका हुआ भोजन और घर पर राशन लेने का प्रावधान बंद हो गया था।
  - मार्च, 2020 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों को याद दिलाया था कि यदि वे आंगनवाड़ियों में कार्यान्वित एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (Integrated Child Development Services-ICDS) के तहत अनिवार्य भोजन अथवा खाद्यान्न की होम डिलीवरी करने में असमर्थ हैं तो उन्हें प्रत्येक लाभार्थी को मिलने वाले खाद्य सुरक्षा भत्ते का विस्तार करना होगा।
- समस्या
  - 'राइट टू फूड कैंपेन' के अनुसार, न केवल बच्चों के विकास के स्तर पर नज़र रखने और कुपोषितों की सहायता करने संबंधी महत्त्वपूर्ण गतिविधियाँ रोक दी गईं, बल्कि घर-घर तक भोजन पहुँचाने जैसे बुनियादी और मूल प्रावधान भी कई स्थानों पर सही ढंग से लागू नहीं किये गए।

नोट :

- इस असाधारण समय में उक्त प्रावधानों को बंद करने से कुपोषण के प्रति संवेदनशील बच्चों को एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (ICDS) के तहत मिलने वाले पोषक खाद्य पदार्थों की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
- 'राइट टू फूड कैंपेन' ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को लिखे अपने पत्र में कहा है कि 'हमें देश भर से रिपोर्ट मिली है कि एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) के माध्यम से प्रदान किये जाने वाले पोषक खाद्य पदार्थ, जिसे होम डिलीवरी के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान जारी रखा जाना था, अधिकांश स्थानों पर वितरित नहीं किया जा रहा है।
- जून 2020 में संकलित 'पोषण COVID-19 मॉनिटरिंग रिपोर्ट' के अनुसार, भारत में 14 सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से 10 ने कुपोषित बच्चों का सामुदायिक प्रबंधन (Community Management) नहीं किया था और 8 राज्य छह वर्ष तक के बच्चों के विकास मापदंडों को मापने में असमर्थ रहे हैं।

आंगनवाड़ी

- आंगनवाड़ी राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो भारत में ग्रामीण बच्चों और मातृ देखभाल केंद्र के रूप में कार्य करती है।
- एक कार्यक्रम के तौर पर इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1975 में बाल कुपोषण की समस्या से निपटने के लिये की गई थी।

सुझाव

- 'राइट टू फूड कैंपेन' ने आंगनवाड़ियों के माध्यम से बच्चों को दिये जाने वाले खाद्य पैकेज में बदलाव की भी मांग की है, साथ ही इनसे कुपोषण और भूख के प्रति संवेदनशील बच्चों की सुरक्षा के लिये महामारी के दौरान पके हुए भोजन और सूखे राशन जैसे- अनाज, दाल, तेल और अंडे सहित एक व्यापक पैकेज प्रदान करने की सिफारिश की है।
- इसके साथ ही आशा (ASHAs) और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं जैसे फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के लिये कोरोना वायरस (COVID-19) संबंधी सुरक्षा उपकरणों की भी मांग की है।
- इसके अलावा बीते माह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), यूनिसेफ (UNICEF), विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के शीर्ष अधिकारियों ने इस समस्या से निपटने के लिये पोषण तक पहुँच सुनिश्चित करने, मातृ और बाल पोषण में निवेश को बढ़ाने और कुपोषण की जल्द पहचान सुनिश्चित करने के प्रयासों में तेज़ी लाने पर ज़ोर दिया था।

विधी रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दिल्ली स्थित स्वतंत्र थिंक-टैंक, 'विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी' (Vidhi Centre for Legal Policy) द्वारा भारत में खबरों/समाचारों के भविष्य की जाँच करने वाली एक रिपोर्ट को जारी किया है।

प्रमुख बिंदु:

- रिपोर्ट के अनुसार, प्रिंट पत्रकारिता के बिगड़ते आर्थिक हालातों में जनता को विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराने की इसकी क्षमता को मुश्किल में डाल दिया है, जो सत्ता द्वारा नियंत्रित एक संस्था के रूप में कार्य कर रहा है।
- डिजिटल समाचार का संचालन बिना किसी नियमन के होता है।
- सार्वजनिक संचार में 'पोस्ट-ट्रुथ पैराडिज्म' (Post-Truth Paradigm) के प्रतिमानों तथा गलत सूचनाओं का व्यापक प्रसार डिजिटल समाचार वितरण के लाभों को प्राप्त करने में बाधक है।
  - (पोस्ट- ट्रुथ) Post-Truth परिस्थितियों में ऐसे उद्देश्य शामिल होते हैं जिनमें भावुकता और व्यक्तिगत विश्वास की अपेक्षा जनता की राय को आकार देने में वस्तुनिष्ठ तथ्य कम प्रभावशाली होते हैं।

सिफारिशें:

- रिपोर्ट में उच्च-गुणवत्ता वाले प्रिंट पत्रकारिता के ट्रांज़िशन को सुविधाजनक बनाने के लिये कानूनी सुधारों का एक रोडमैप तैयार किया गया है जिसके माध्यम से डिजिटल संचार के इस दौर में लोगों को अधिक लाभ प्राप्त हो सके।

नोट :

- ऑनलाइन विज्ञापन प्लेटफार्मों के प्रभुत्व की जाँच:
  - डिजिटल समाचार के लिये विज्ञापन-राजस्व मॉडल (Advertisement-Revenue Model) द्वारा बाज़ार की विफलता के संकेत प्रदर्शित किये जा सकते हैं।
  - एक विज्ञापन-राजस्व मॉडल में, ऑनलाइन कंपनियाँ मुफ्त में सामग्री का प्रकाशन कर मासिक आधार पर साइट पर सैकड़ों, हज़ारों या फिर लाखों आगंतुकों/दर्शकों(Visitors) को पहुँच प्रदान करती हैं। विज्ञापनदाता साइट्स पर इन आगंतुकों को लाने के लिये ऑनलाइन कंपनियों को भुगतान करते हैं जिससे व्यवसायों को साइट्स पर आगंतुकों की पहुँच के लिये विज्ञापनदाताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस से राजस्व उत्पन्न करने में मदद मिलती है।
- लोगों के कल्याण के लिये डिजिटल समाचार को बाज़ार उन्मुख बनाने के लिये, ऑनलाइन विज्ञापन प्लेटफार्मों की भूमिका और कार्यों का एक विशेष प्राधिकरण द्वारा व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाना चाहिये।
  - रिपोर्ट में ऑनलाइन विज्ञापन प्लेटफार्मों के प्रभुत्व की जाँच करने के लिये भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (Competition Commission of India) से सिफारिश की गई है।
- गलत सूचना के प्रसारण को रोकने के लिये व्यापक उपाय करना:
  - रिपोर्ट में कई विधायी, सह-नियामक और स्वैच्छिक उपायों का सुझाव दिया गया है जो गलत सूचना के प्रसार को रोकने और पाठक साक्षरता को बढ़ावा देने के लिये एक एकीकृत ढाँचा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिये:
    - गलत सूचनाओं की पहचान करने के लिये औद्योगिक मानकों का विकास करना।
    - गलत सूचनाओं के पैटर्न की पहचान करने के लिये एनालिटिक्स (Analytics) का उपयोग इत्यादि।
- डिजिटल समाचार संस्थाओं पर उपयुक्त ज़िम्मेदारियाँ:
  - डिजिटल समाचार संस्थाएँ डिजिटल खबरों के संदर्भ में उन कानूनी कमियों को दूर करती हैं जो ऑनलाइन बातचीत के लिये काफी संवेदनशील हैं।
  - ये संपादकीय ज़िम्मेदारी के लिये एक तंत्र के रूप में स्वैच्छिक पंजीकरण प्रक्रिया और एक संक्षिप्त, सुलभ आचार संहिता के विकास के साथ, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (Press Council of India) को सीमित शक्तियाँ प्रदान करने की सिफारिश करती है।
  - समाचार/खबरों के वितरण में ऑनलाइन प्लेटफार्मों की भूमिका डिजिटल प्लेटफार्मों के पहलूओं पर लक्ष्य आधारित होनी चाहिये।

समुद्री और स्टार्टअप हब- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिये सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना का उद्घाटन किया गया है।

मुख्य बिंदु :

- प्रधान मंत्री के अनुसार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अपने सामरिक महत्त्व के कारण, "समुद्री और स्टार्टअप हब" के रूप में विकसित होने जा रहा है और इसके लिये सरकार ने इस प्रकार की विकास पहलों पर प्रकाश डाला है।
- सबमरीन ओएफसी लिंक चेन्नई एवं पोर्ट ब्लेयर के बीच 2X 200 गीगाबाइट प्रति सेकेंड की बैंडविड्थ उपलब्ध कराएगा।
- 1224 करोड़ रुपए की लागत से चेन्नई-पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर एवं 7 द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर 2300 किलोमीटर लंबी केबल बिछाई गई है।
- यह पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप , लिटिल अंडमान , कार निकोबार , कामोरता , ग्रेट निकोबार , लॉन्ग आइलैंड और रंगत से जोड़ेगी।

परियोजना का महत्त्व:

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को तीव्र मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सेवाएँ मिलेंगी।
- इस क्षेत्र को अब बाहरी दुनिया से जुड़े रहने में कोई समस्या नहीं होगी।

नोट :

- अंडमान में प्रस्तावित ट्रांसशिपमेंट हब यहाँ स्थित द्वीपों के समूहों को नीली अर्थव्यवस्था तथा समुद्री तटवर्ती और स्टार्टअप हब का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र बनने में मदद करेगा।
- इस द्वीप में अब टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन जैसी सेवाओं का विस्तार किया जा सकेगा, जिससे वहाँ के नागरिकों का जीवन स्तर उच्च होगा।
- इस पहल से इन क्षेत्रों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोज़गार सृजन में भी वृद्धि होगी।

उच्च प्रभाव वाली प्राथमिक परियोजनाएँ:

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के 12 द्वीपों को समुद्री खाद्य पदार्थ, जैविक उत्पाद और नारियल आधारित उत्पादों से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं के लिये चुना गया है।

आगे की राह :

- स्वतंत्रता आंदोलन में अंडमान द्वीपसमूह का महत्त्व विभिन्न स्थानों पर देखा गया है तथा सबमरीन केबल कनेक्टिविटी के रूप में इस क्षेत्र को दी गई यह सौगात आत्मनिर्भर भारत परियोजना और नए भारत के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
- सरकार इन द्वीपों के भीतर और देश के बाकी हिस्सों में सबमरीन केबल कनेक्टिविटी के बीच हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिये काम कर रही है, ताकि इनके विकास को नई दिशा दी जा सके।
- कोरोना महामारी के प्रसार को देखते हुए टेलीमेडिसिन यहाँ के दुर्गम क्षेत्रों हेतु वरदान साबित हो सकती है।

टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म: ई-संजीवनी और ई-संजीवनी ओपीडी

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 'ई-संजीवनी' और 'ई-संजीवनी ओपीडी' प्लेटफॉर्मों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए इन टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्मों को लोकप्रिय बनाने में राज्यों के योगदान की सराहना की।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन (Telemedicine) सेवा प्लेटफॉर्मों (ई-संजीवनी और ई-संजीवनी ओपीडी) ने 1,50,000 से अधिक टेली-परामर्शों (Tele-Consultation) को पूरा किया और अपने घरों में रहते हुए ही मरीज़ों को डॉक्टरों के साथ परामर्श करने में सक्षम बनाया है।
- नवंबर, 2019 के बाद बहुत कम समय में ही 'ई-संजीवनी' और 'ई-संजीवनी ओपीडी' द्वारा टेली-परामर्श कुल 23 राज्यों (जिसमें देश की 75 प्रतिशत आबादी रहती है) द्वारा लागू किया गया है और अन्य राज्य इसको शुरू करने की प्रक्रिया में हैं।
- 'ई-संजीवनी और 'ई संजीवनी ओपीडी' प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबसे अधिक परामर्श प्रदान करने वाले शीर्ष राज्यों में तमिलनाडु (32,035 परामर्श) और आंध्रप्रदेश (28,960 परामर्श) आदि शामिल हैं।
- गौरतलब है कि दोनों प्लेटफॉर्मों (ई-संजीवनी और ई-संजीवनी ओपीडी) को सेंटर फॉर डवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (Centre for Development of Advanced Computing: C-DAC) द्वारा विकसित किया गया है।
- ई-संजीवनी:
  - डॉक्टर-टू-डॉक्टर टेली-परामर्श संबंधी इस प्रणाली का कार्यान्वयन आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (AB-HWCs) कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है।
  - गौरतलब है कि इसके तहत वर्ष 2022 तक 'हब एंड स्पोक' (Hub and Spoke) मॉडल का उपयोग करते हुए देश भर के सभी 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में टेली-परामर्श प्रदान करने की योजना बनाई गई है।
  - इस मॉडल में राज्यों द्वारा पहचाने एवं स्थापित किये गए चिकित्सा कॉलेज तथा ज़िला अस्पताल 'हब' (Hub) के रूप में कार्य करेंगे और वे देश भर के स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों यानी 'स्पोक' (Spoke) को टेली-परामर्श सेवाएँ उपलब्ध कराएंगे।

नोट :

- ई-संजीवनी ओपीडी:
  - इसकी शुरुआत COVID-19 महामारी के दौर में रोगियों को घर बैठे डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से की गई थी, इसके माध्यम से नागरिक बिना अस्पताल जाए व्यक्तिगत रूप से डॉक्टरों से परामर्श कर सकते हैं।
  - सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में सभी नागरिकों के लिये उपलब्ध है। वर्तमान में लगभग 2800 प्रशिक्षित डॉक्टर ई-संजीवनी ओपीडी (eSanjeevaniOPD) पर उपलब्ध हैं, और रोज़ाना लगभग 250 डॉक्टर और विशेषज्ञ ई-स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करा रहे हैं।
  - इसके माध्यम से आम लोगों के लिये बिना यात्रा किये स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त करना काफी आसान हो गया है।

टेलीमेडिसिन का अर्थ ?

- टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की एक उभरती हुई शैली है, जो कि स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर को दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए कुछ दूरी पर बैठे रोगी की जाँच करने और उसका उपचार करने की अनुमति देता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, टेलीमेडिसिन का अभिप्राय पेशेवर स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (IT) का उपयोग करके ऐसे स्थानों पर रोगों की जाँच, उपचार तथा रोकथाम, अनुसंधान और मूल्यांकन आदि की सेवा प्रदान करना है, जहाँ रोगी और डॉक्टर के बीच दूरी एक महत्त्वपूर्ण कारक हो।
- टेलीमेडिसिन का सबसे शुरुआती प्रयोग एरिज़ोना प्रांत के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने के लिये किया गया।
- गौरतलब है कि राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) ने टेलीमेडिसिन के शुरुआती विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं भारत में इसरो ने वर्ष 2001 में टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरू पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की थी, जिसने चेन्नई के अपोलो अस्पताल को चित्तूर ज़िले के अरगोंडा गाँव के अपोलो ग्रामीण अस्पताल से जोड़ा था।

आगे की राह

- विदित हो कि ई-संजीवनी और ई-संजीवनी ओपीडी जैसे तकनीक आधारित मंच ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, जिनके पास इस प्रकार की सेवाओं तक आसान पहुँच उपलब्ध नहीं है।
- टेलीमेडिसिन के उपयोग से स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के समय और लागत दोनों में काफी कमी आती है। साथ ही इस प्रकार के प्लेटफॉर्म भारत के 'डिजिटल इंडिया' दृष्टिकोण के भी अनुरूप हैं और मौजूदा COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को सही ढंग से संबंधित करने में भी मददगार साबित हो सकते हैं।
- ई-संजीवनी और ई-संजीवनी ओपीडी को लेकर कई नवीन प्रयास किये हैं, उदाहरण के लिये केरल ने पलक्कड़ ज़िले की जेल में टेलीमेडिसिन सेवाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है, इस प्रकार आवश्यक है कि राज्य द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं का विश्लेषण किया जाए और यदि संभव हो तो उन्हें देशव्यापी स्तर पर लागू किया जाए।

इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2020

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles-EV) नीति, 2020 को अधिसूचित किया गया है। इस नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों के द्वारा निजी चार पहिया वाहनों के बजाय दोपहिया वाहनों, सार्वजनिक परिवहन तथा साझा वाहनों एवं माल-वाहको के प्रतिस्थापन करने पर ज़ोर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- विशेषताएँ:
  - इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020, मौजूदा ऑटो रिक्शा तथा ई-ऑटो एवं ई-बसों के साथ राज्य द्वारा संचालित बसों के प्रतिस्थापन को बढ़ावा देती है। नीति में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि शहर में संचालित डिलीवरी-आधारित सेवाएँ ई-मोबिलिटी से जुड़ी हों।

नोट :

- यह नीति ईंधन आधारित वाहनों के लिये रोड टैक्स बढ़ाने तथा शहर के कुछ हिस्सों में भीड़ शुल्क (Congestion Fee)लगाने की बात करती है जिनमें इलेक्ट्रिक वाहनों को इस शुल्क से छूट मिलेगी।
- इस नीति में उन लोगों के लिये एक 'स्क्रेपिंग इंसेंटिव' (Scrapping Incentive) है, जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते समय पुराने ईंधन आधारित वाहन का आदान-प्रदान करना चाहते हैं, जिससे वाहन लागत में कमी आएगी।
- सरकार वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के इच्छुक लोगों को कम-ब्याज दर पर ऋण प्रदान करेगी।
- यह पॉलिसी राजधानी में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये सब्सिडी, रोड टैक्स तथा पंजीकरण शुल्क से छूट प्रदान करती है।
  - वर्तमान में, सड़क कर, वाहन की लागत का 4% से 10% तक है, जबकि पंजीकरण शुल्क की कीमत भी बढ़ सकती है।
  - इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी की क्षमता 5,000 किलोवाट प्रति घंटे (kilowatt-hour- kWh) के आधार पर 30,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी।
  - पहले 1,000 ई-कारों या इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों की खरीद पर 10,000 रुपए प्रति kWh के हिसाब से सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

- यह सब्सिड़ी केंद्र सरकार द्वारा अपनी FAME इंडिया फेज 2 योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त होगा, जो विशेष रूप से इलेक्ट्रिक दोपहिया, इलेक्ट्रिक भारी यात्री तथा माल वाहनों की खरीद पर एक समान राशि प्रदान करती है।
- इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2020 के सभी खर्चों को शामिल करते हुए एक राज्य इलेक्ट्रिक वाहन फंड (State Electric Vehicles fund) स्थापित किया जाएगा। नीति के प्रभावी कार्यान्वयन एवं निधि के प्रबंधन के लिये एक राज्य इलेक्ट्रिक वाहन बोर्ड (State Electric Vehicle Board) का गठन भी किया जाएगा। इसके अलावा, एक समर्पित इलेक्ट्रिक वाहन सेल का भी गठन किया जाएगा।

इलेक्ट्रिक वाहन नीति के उद्देश्य:

- वायु प्रदूषण को कम करना तथा मांग को तीव्र करके अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना।
- बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में हर वर्ष एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का अनुभव किया जाता है, जो एक आवर्तक वार्षिक संकट बन गया है।
- COVID-19 के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान, राजधानी में PM 10 तथा PM2.5 के स्तर में भारी कमी देखी गई।
- दोनों समस्याओं का समाधान करना, जिसमें खरीद की उच्च लागत तथा पर्याप्त चार्जिंग बुनियादी ढाँचे की कमी शामिल।
- आने वाले पाँच वर्षों में दिल्ली में कम से कम 5,00,000 EVs का पंजीकरण करना।

डिलीवरी-आधारित तथा राइड-हेलिंग सेवाएँ:

- राइड-हेलिंग सेवा (Ride-hailing Service) प्रदाताओं को परिवहन विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले दिशा-देशों के तहत संचालन करने के लिये इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर टैक्सियों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
- यह उम्मीद की जा रही है कि नीति के तहत मिलने वाली राशि से एलेट्रिक दोपहिया वाहनों के प्रयोग से खाद्य वितरण, ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं तथा कोरियर सेवाओं के सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन मिलेगा।
- सभी वितरण सेवा प्रदाताओं को 31 मार्च 2023 तक दिल्ली में संचालित अपने वाहनों के समूह के 50% को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का अनुमान है जो 31 मार्च 2025 तक 100% होने की उम्मीद है।
- डिलीवरी सेवा प्रदाता जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्ध हैं, वे दिल्ली वित्त निगम से वित्तपोषण सहायता के पात्र होंगे।

ऑटोरिक्शा:

- ऑटो रिक्शा की खरीद हेतु प्रोत्साहन राशि 30,000 रुपए प्रति वाहन होगी जो नए इलेक्ट्रिक ऑटो के उपयोग से संबंधित होगा।
- वैलिड मोटो व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस (Valid Light Motor Vehicle Driving Licences) तथा पब्लिक सर्विस व्हीकल बैज (Public Service Vehicle Badge) के साथ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर परमिट प्रदान करने के लिये एक खुली परमिट प्रणाली रखी जाएगी।

नोट :

- दिल्ली में ई-ऑटो को जारी किये गए परमिट पर कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं होगी क्योंकि वे शून्य उत्सर्जन वाहन हैं।
- वर्तमान में, सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा की संख्या की एक निश्चित सीमा है है, जिन्हें शहर में चलाने की अनुमति प्राप्त है।

बसें:

- नीति में कहा गया है कि अगले तीन वर्षों में खरीदी जाने वाली राज्य की आधी बसें पूर्ण इलेक्ट्रिक बसें होंगी।
- वर्ष 2020 तक 1,000 पूर्ण इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाएगा।

इलेक्ट्रिक वाहनों के संदर्भ में केंद्र सरकार की पहल:

- सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक कुल कारों एवं दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के 30% की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है।
- एक स्थायी इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिये, भारत में 'राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान' (National Electric Mobility Mission Plan- NEMMP) एवं 'फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक वाहन' (Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles in India- FAME India) जैसी पहलें शुरू की गई हैं।
- NEMMP को वर्ष 2013 में देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। वर्ष 2020 के बाद से वर्ष दर वर्ष हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की 6-7 मिलियन बिक्री करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।
- FAME India को हाइब्रिड/EV मार्केट डेवलपमेंट तथा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना में 4 फोकस क्षेत्र शामिल हैं- प्रौद्योगिकी विकास (Manufacturing Ecosystem), मांग निर्माण (Demand Creation), पायलट परियोजनाएँ (Pilot projects) और चार्ज बुनियादी ढाँचा (Charging Infrastructure) ।
- भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards- BIS), भारी उद्योग विभाग, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जैसे संगठन इलेक्ट्रिक वाहनों तथा इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट इक्विपमेंट (Electric Vehicle Supply Equipment- EVSEs) के डिज़ाइन और विनिर्माण मानकों को तैयार करने का कार्य रहे हैं।

आगे की राह:

- इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के तीन स्तंभों यथा- शहरी नियोजन, परिवहन एवं बिजली क्षेत्र के मध्य सही समन्वय स्थापित करना जो इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में सहायक होंगे।
- इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग तेज़ी से बढ़ने वाले उद्योग है जो सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को गति प्रदान करने में सहायक होगा।

भारत छोड़ो आंदोलन

चर्चा में क्यों ?

8 अगस्त, 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन (Quit India Movement) के 78 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसे अगस्त क्रांति (August Kranti) के नाम से भी जाना जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए तथा भारत छोड़ो आंदोलन की भावना को पुनर्जीवित करते हुए प्रधान मंत्री द्वारा महात्मा गांधी के 'करो या मरो' (Do or Die) के नारे के स्थान पर एक नया नारा 'करेंगे और करके रहेंगे' (karenge Aur karake Rahenge) दिया गया जिसका उद्देश्य भारत को वर्ष 2022 तक 'न्यू इंडिया' (New India) बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
- आंदोलन के बारे में: 8 अगस्त, 1942 को महात्मा गांधी द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिये एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तहत मुंबई में अखिल भारतीय काँन्ग्रेस समिति (All-India Congress Committee) के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया गया ।

नोट :

- गाँधीजी ने ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक मैदान में दिये गए अपने भाषण में 'करो या मरो' का नारा दिया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान (August Kranti Maidan) के नाम से जाना जाता है।
- अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन में 'ग्रैंड ओल्ड लेडी' के रूप में जाना गया जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिये जाना जाता है।
- 'भारत छोड़ो' का नारा यूसुफ मेहरली द्वारा तैयार किया गया था, जो एक समाजवादी एवं ट्रेड यूनियनवादी थे इन्होने मुंबई के मेयर के रूप में भी काम किया था, इनके द्वारा 'साइमन गो बैक' (Simon Go Back) के नारे को भी गढ़ा गया था।

भारत छोड़ो आंदोलन के कारण:

- आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की समाप्ति/ मिशन के किसी अंतिम निर्णय पर न पहुँचना था।
- द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का ब्रिटिश को बिना शर्त समर्थन करने की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय काँन्ग्रेस द्वारा सही से न समझा जाना।
- ब्रिटिश-विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली थी।
- अखिल भारतीय किसान सभा, फारवर्ड ब्लाक आदि जैसे काँन्ग्रेस से संबद्ध विभिन्न निकायों के नेतृत्त्व में दो दशक से चल रहे जन आंदोलनों ने इस आंदोलन के लिये पृष्ठभूमि निर्मित कर दी थी।
- द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी खराब हो गई थी।

आंदोलन की मांग:

- फासीवाद के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिये भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग की गई।
- भारत से अंग्रेजों के जाने के बाद एक अंतरिम सरकार बनाने की मांग।

आंदोलन के चरण:

आंदोलन के मुख्यत: तीन चरण थे-

- प्रथम चरण:
  - आंदोलन के प्रथम चरण में शहरी विद्रोह, बहिष्कार एवं धरना प्रदर्शन इत्यादि का सहारा लिया गया, जिसे जल्दी ही दबा दिया गया।
  - पूरे देश में हड़तालें एवं प्रदर्शन किये गए और श्रमिकों द्वारा कारखानों में काम न करके समर्थन किया गया।
  - गांधीजी को शीघ्र ही पुणे के आगा खान पैलेस में कैद कर लिया गया तथा लगभग सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
- द्वितीय चरण:
  - आंदोलन के द्वितीय चरण का मुख्य केंद्र बिंदु ग्रामीण क्षेत्र रहा।
  - इस चरण की परिणीति किसान आंदोलन, संचार प्रणालियों को नष्ट करना जैसे- रेलवे ट्रैक एवं स्टेशन, टेलीग्राफ तार तथा खंभे, सरकारी भवनों पर हमले इत्यादि के रूप में हुई।
- तृतीय या अंतिम चरण:
  - यह चरण देश के विभिन्न हिस्सों में समानांतर सरकारों के गठन का साक्षी बना जिनमें बलिया, तामलुक, सतारा इत्यादि की समानांतर सरकारें शामिल हैं।
- स्वत: स्फूर्त हिंसा घटनाएँ: भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ स्थानों पर हिंसा देखी गई जो पूर्व नियोजित नहीं थी।
- भविष्य के नेता: राम मनोहर लोहिया, जे. पी. नारायण, अरुणा आसफ अली, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी आदि नेताओं द्वारा भूमिगत गतिविधियाँ की गईं, जो बाद में प्रमुख नेताओं के रूप में सामने आए।
- महिला भागीदारी: महिलाओं ने आंदोलन में सक्रिय रूप से कार्य किया। उषा मेहता जैसी महिला नेताओं ने एक भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित करने में मदद की जिसके कारण आंदोलन के बारे में लोगों में जागृति आई।

नोट :

आंदोलन को प्राप्त समर्थन:

- मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं हिंदू महासभा द्वारा आंदोलन का समर्थन नहीं किया गया। भारतीय नौकरशाही से भी आंदोलन को समर्थन प्राप्त नहीं हुआ।
- मुस्लिम लीग देश के विभाजन से पहले भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में नहीं थी।
- कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा भी ब्रिटिशों का समर्थन किया गया क्योंकि वे सोवियत संघ के साथ संबद्ध थे।
- हिंदू महासभा ने भारत छोड़ो आंदोलन का खुलकर विरोध किया इसे आशंका थी कि आंदोलन आंतरिक अव्यवस्था पैदा करेगा तथा युद्ध के दौरान देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल देगा।
- इस बीच, सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर से भारतीय राष्ट्रीय सेना और आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया हालाँकि सी. राजगोपालाचारी पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थे जिसके कारण उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय काँन्ग्रेस से इस्तीफा दे दिया।

क्रिप्स मिशन:

- दक्षिण-पूर्व एशिया में जापानी की बढ़ी आक्रामकता, युद्ध में भारत की पूर्ण भागीदारी को सुरक्षित करने के लिये ब्रिटिश सरकार की उत्सुकता, ब्रिटेन पर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बढ़ते दबाव के कारण ब्रिटेन की लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा मार्च 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा गया।
- इस मिशन को स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत में एक नए संविधान एवं स्वशासन के निर्माण से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिये भेजा गया था।

मिशन के मुख्य प्रस्ताव/बिंदु इस प्रकार हैं-

- एक भारतीय संघ का निर्माण जिससे एक प्रभुत्त्व राष्ट्र का दर्जा प्राप्त होगा तथा इसे राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों को तय करने और संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों में भाग लेने के लिये स्वतंत्रता प्राप्त होगी।
- युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमे ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों से चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- कोई भी प्रांत जो संविधान को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है, उसे, भारतीय संघ के समान पूर्ण दर्जा प्रदान किया जाएगा इस प्रावधान के द्वारा मुस्लिम लीग के लिये पाकिस्तान के निर्माण के लिये आह्वान किया गया था।
- संविधान बनाने वाली संस्था तथा ब्रिटिश सरकार सत्ता के हस्तांतरण को प्रभावित करने और नस्लीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिये एक संधि पर बातचीत करेगी।
  - हालाँकि भारतीय राष्ट्रीय काँन्ग्रेस, क्रिप्स मिशन से सहमत नहीं थी क्योंकि इसमे काँन्ग्रेस की तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता की माँग को अस्वीकार कर दिया गया था।
  - महात्मा गांधी द्वारा युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस के क्रिप्स प्रस्ताव के प्रावधान को 'दिवालिया होने वाले बैंक का दिनांकित चेक' (Post-Dated Cheque Drawn on a Failing Bank) बताया गया।

परिणाम:

- अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को हिंसक तरीके से दबाया गया जिसमे लोगों पर गोलियाँ चलाई गई, लाठीचार्ज किया गया तथा गाँवों को जला दिया गया और भारी जुर्माना लगाया गया।
- आंदोलन के दौरान 100000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा सरकार द्वारा आंदोलन को कुचलने के लिये हिंसा का सहारा लिया गया ।
- अंग्रेजों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय काँन्ग्रेस को गैरकानूनी संघ घोषित कर दिया गया।
- आंदोलन ने अंग्रेज़ों के साथ राजनीतिक वार्ता की प्रकृति को बदल दिया जिसने अंततः भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया।

नोट :

राज्य बनाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

चर्चा में क्यों ?

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि परीक्षाओं का संचालन पूरी तरह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission- UGC) के क्षेत्राधिकार के भीतर आता है और राज्य किसी भी स्थिति में परीक्षाओं को रद्द नहीं कर सकते हैं।

प्रमुख बिंदु

- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य अपने स्तर पर इस तरह परीक्षाएँ रद्द नहीं कर सकते हैं और उनके लिये आयोग द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में COVID-19 महामारी के बीच राज्य के विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने के दिल्ली और महाराष्ट्र सरकारों के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये निर्णय नियमों के विरुद्ध है।

विश्वविद्यालय परीक्षाओं की वर्तमान स्थिति

- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ को सूचित किया था कि देश के 800 से अधिक विश्वविद्यालयों में से 209 ने परीक्षाएँ सफलतापूर्वक संपन्न कर ली हैं, जबकि लगभग 390 विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया में हैं।

विवाद

- गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ देश भर के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिये 6 जुलाई, 2020 को UGC द्वारा जारी निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें COVID-19 महामारी के बीच 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ आयोजित करने का निर्देश दिया गया था।
- ध्यातव्य है कि 31 जुलाई, 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था।
- बीते दिनों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने इस संबंध में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा सितंबर 2020 तक ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन या मिश्रित (ऑनलाइन और ऑफलाइन) मोड में आयोजित की जानी चाहिये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पक्ष

- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष UGC का पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि राज्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों में बदलाव नहीं कर सकते क्योंकि डिग्री प्रदान करने संबंधित नियमों को निर्धारित करने का अधिकार केवल UGC के पास है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने तर्क दिया कि परीक्षा का आयोजन न करना छात्रों के हित में नहीं होगा और यदि राज्य सरकारें एकतरफा कार्रवाई करेंगी तो UGC राज्य विशिष्ट के छात्रों की डिग्री को मान्यता नहीं देगा।

याचिकाकर्त्ताओं का पक्ष

- इस संबंध में याचिकाकर्त्ताओं ने दावा किया है कि परीक्षाएँ आयोजित करने को लेकर 6 जुलाई, 2020 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जारी दिशा-निर्देश न तो कानूनी है और न ही संवैधानिक रूप से मान्य हैं।
- इसके अलावा छात्रों के बीच ऑनलाइन परीक्षा को आयोजित कराने को लेकर भी भय की स्थिति है।
- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी भी एक बड़ी समस्या है। वर्तमान में इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑनलाइन परीक्षा के संचालन की एक बड़ी चुनौती है।
- देश भर के कई छात्र इस विषय को लेकर भी ऑनलाइन परीक्षाओं का विरोध का रहे हैं, क्योंकि परीक्षाओं में शामिल होने लेने के लिये उनके पास आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं है।

नोट :

आगे की राह

- ऑनलाइन परीक्षाओं को लेकर छात्रों की चिंताएँ पूरी तरह से न्यायसंगत हैं, भारत आज भी इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में तमाम तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है।
- हालाँकि इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का तर्क भी सही है कि राज्य सरकारों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पूर्व UGC के साथ विचार-विमर्श करना चाहिये, क्योंकि इस विषय को लेकर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार UGC के पास ही है।
- आवश्यक है कि राज्य सरकारें विद्यार्थियों की चिंताओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के समक्ष प्रस्तुत करें, और UGC इस विषय संबंधी कोई निर्णय लेने से पूर्व छात्रों की समस्याओं को भी संबोधित करने का प्रयास करे।

जम्मू-कश्मीर में परीक्षण के आधार पर इंटरनेट बहाली

चर्चा में क्यों ?

जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवाओं की बहाली को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेष समिति ने सुरक्षा स्थिति पर प्रभाव का आकलन करने के लिये एक विशिष्ट सीमित क्षेत्र में परीक्षण के आधार पर उच्च गति इंटरनेट शुरू करने की सिफारिश की है।

प्रमुख बिंदु

- शुरुआत के तौर पर समिति ने 15 अगस्त के बाद जम्मू और कश्मीर डिवीज़न के एक-एक ज़िले में उच्च गति के इंटरनेट की बहाली की सिफारिश की है।

जम्मू-कश्मीर में 4G निलंबन

- बीते वर्ष 5 अगस्त के ही दिन केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जम्मू-कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाकर राज्य का विभाजन दो केंद्रशासित क्षेत्रों- जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में कर दिया था।
- इसी के साथ जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान रद्द हो गया था और वहाँ भारतीय संविधान लागू हो गया था। वहीं जम्मू-कश्मीर के अलग झंडे की अवधारणा भी समाप्त हो गई।
- साथ ही क्षेत्र विशिष्ट में इंटरनेट सेवाएँ भी पूरी तरह से बंद कर दी गई थीं और हज़ारों की संख्या में लोगों को हिरासत में ले लिया गया था।
- इंटरनेट सेवाओं को बंद करते हुए सरकार ने तर्क दिया था कि इस निर्णय का उद्देश्य अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में होने वाली हिंसा को रोकना है।

समिति की सिफारिशें

- समिति के अनुसार, 4G इंटरनेट सेवाओं की बहाली से आंतरिक सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने हेतु जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों को परीक्षण के आधार पर अंशांकित (Calibrated) तरीके से उच्च गति इंटरनेट तक पहुँच प्रदान की जा सकती है।
- समिति की सिफारिशों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर डिविज़न के एक-एक ज़िले में इंटरनेट को बहाल किया जा सकता है।
- हालाँकि इन ज़िलों का चयन करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि वे अंतर्राष्ट्रीय सीमा या नियंत्रण रेखा से दूर हों, और इनमें आतंकवादी गतिविधियों की तीव्रता कम हो।
- इसके अलावा राज्य स्तरीय समिति द्वारा 4G इंटरनेट से संबंधित इस परीक्षण का समय-समय पर मूल्यांकन भी किया जाएगा।
- साथ ही केंद्रीय समिति दो माह की अवधि के पश्चात् अथवा उससे पूर्व ही परीक्षण के परिणामों की समीक्षा करेगी।
- खतरे की स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए ये नियम 15 अगस्त, 2020 के बाद लागू होंगे।

प्रतिबंध हटाने का प्रभाव

- ध्यातव्य है कि वर्तमान समय में अधिकांश वाणिज्यिक गतिविधियाँ उच्च गति इंटरनेट पर निर्भर करती हैं।

नोट :

- 4G इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने से क्षेत्र के लोग ई-कॉमर्स जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे और साथ ही GST तथा आयकर रिटर्न भी दाखिल कर सकेंगे।
- इसके माध्यम से स्थानीय राजस्व में भी बढ़ोतरी करने में भी मदद मिल सकेगी।

इंटरनेट शटडाउन का मुद्दा

- सरल शब्दों में कहें तो समय की एक निश्चित अवधि के लिये सरकार द्वारा एक या एक से अधिक इलाकों में इंटरनेट पर पहुँच को अक्षम करना' इंटरनेट शटडाउन कहलाता है।
- इंटरनेट शटडाउन की इस परिभाषा से मुख्यत: दो घटक सामने आते हैं, पहला यह कि इंटरनेट शटडाउन हमेशा सरकार द्वारा किया जाता है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को किसी क्षेत्र विशेष में इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का आदेश सरकार की एक निश्चित एजेंसी द्वारा दिया जाता है।
- दूसरा यह कि इंटरनेट शटडाउन सदैव किसी विशेष क्षेत्र में लागू किया जाता है, जहाँ एक क्षेत्र विशेष के सभी लोग इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। साथ ही यह एक निश्चित अवधि के लिये ही लागू किया जा सकता है, न कि सदैव के लिये।
- इंटरनेट स्वतंत्रता के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं द्वारा एकत्रित आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014 से वर्ष 2019 के बीच देश भर के तमाम क्षेत्रों में तकरीबन 419 बार इंटरनेट शटडाउन देखा गया।
- वर्ष 2019 में भारत में कुल 106 बार इंटरनेट शटडाउन दर्ज किया गया, जिसमें से 56 प्रतिशत तो जम्मू-कश्मीर में ही था।
- जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद से अब लगभग एक वर्ष बीत चुका हैं, परंतु अब तक यहाँ इंटरनेट की सेवाएँ पूरी तरह से बहाल नहीं की गई हैं।

इंटरनेट शटडाउन: पक्ष

- कुछ मौकों पर इंटरनेट शटडाउन को लेकर सरकार का यह फैसला सही भी नज़र आता है। इतिहास में ऐसी कई घटनाएँ याद की जा सकती हैं, जहाँ यदि सरकार द्वारा सही समय पर इंटरनेट बंद का निर्णय नहीं लिया गया तो संभवत: हिंसा और भी विकराल हो सकती थी।
- धार्मिक समूहों में अफवाह के कारण टकराव की संभावना को टालने के लिये भी ऐसा करना अनिवार्य प्रतीत होता है।

इंटरनेट शटडाउन: विपक्ष

- विशेषज्ञों के अनुसार, इंटरनेट पर रोक लगाने से देश को आर्थिक नुकसान तो होता ही है, साथ ही इससे देश के नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी खतरे में आ जाता है।
- यह समय का वह दौर है, जब व्यावसायिक से लेकर निजी रिश्ते तक डिजिटल कम्युनिकेशन पर निर्भर करते हैं। ऐसे में इंटरनेट बंद होना न सिर्फ असुविधा का कारण बनता है, बल्कि बहुत से मौकों पर सुरक्षा को खतरे में डालने वाला भी साबित हो सकता है।
- साथ ही प्रदेश में 4G इंटरनेट पर प्रतिबंध के कारण बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा काफी हद तक प्रभावित हो रही है।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं लॉकडाउन

चर्चा में क्यों ?

'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पॉलिसी ब्रिफ (8): पीएमजेएवाई अंडर लॉकडाउन: एविडेंस ऑन यूटिलाइज़ेशन ट्रेंड' (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana Policy Brief (8): PMJAY Under Lockdown :Evidence on Utilization Trends) के अनुसार, देश भर में लॉकडाउन के कारण प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) का लाभ उठाने वाले मरीज़ों की देखभाल पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है।

प्रमुख बिंदु:

- इस विश्लेषण में 1 जनवरी से 2 जून 2020 तक 22 सप्ताह के डेटा को शामिल किया गया । संपूर्ण देश में 25 मार्च से लॉकडाउनको शुरू हुआ जो 1 जून तक था।

नोट :

- यह विश्लेषण प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना ट्रांज़ेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (Transaction Management System- TMS) से लिये गए आँकड़ों पर आधारित है।
- इस प्रक्रिया में, नियोजित सर्जरी जैसे-मोतियाबिंद के ऑपरेशन और संयुक्त प्रतिस्थापन (Joint Replacements) में 90% से अधिक की कमी देखी गई है , जबकि हेमोडायलिसिस (जिसे डायलिसिस भी कहा जाता है जो रक्त को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है) में केवल 20% की कमी आई है।
- कुल मिलाकर, लॉकडाउन के 10 सप्ताह के दौरान औसत साप्ताहिक दावा परिणाम (Weekly Claim Volumes) लॉकडाउन से पहले 12 सप्ताह के साप्ताहिक औसत से 51% कम रहा है।
- इस योजना के लाभार्थियों की संख्या में असम में सबसे अधिक कमी (75% से अधिक) देखी गई, उसके बाद महाराष्ट्र और बिहार में, जबकि उत्तराखंड, पंजाब और केरल में बहुत कम गिरावट, लगभग 25% या उससे कम देखी गई है।
- बच्चों के जन्म तथा ऑन्कोलॉजी (ट्यूमर का अध्ययन और उपचार) के लिये अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या में महत्त्वपूर्ण कमी देखी गई है।
  - नवजात शिशुओं के संदर्भ में 24% की गिरावट देखी गई है।
  - नवजात शिशुओं की देखभाल के संदर्भ में सार्वजनिक से निजी अस्पतालों में थोड़ा परिवर्तन देखा गया है जिसके तहत तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों में सर्वाधिक परिवर्तन रहा है।
  - संपूर्ण देश के कुछ राज्यों में ऑन्कोलॉजी के परिणामों (Oncology Volumes) में 64% की कमी देखी गई है।
  - सार्वजनिक क्षेत्र जो PMJAY के तहत ऑन्कोलॉजी देखभाल में एक छोटी भूमिका निभाता है, जिसमे महाराष्ट्र में 90% एवं तमिलनाडु में 65% की कमी आई है।
  - हाँलाकि, लॉकडाउन के दौरान घर पर ही रहकर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ प्राप्त करना या चिकित्सा सुविधाओं तक पहुँच कुछ अपवादों में से एक थी फिर भी इस अवधि में देखभाल एवं स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित प्रावधान निम्न कारणों से काफी प्रभावित हुए:

आपूर्ति पक्ष:

- अस्पतालों को COVID-19 महामारी के लिये पहले से ही तैयार किया गया है जिसके चलते Non COVID-19 मामलों के लिये अस्पतालों में कम चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध रही हैं।
- निजी अस्पतालों द्वारा इस भय से कि स्वास्थ्य कर्मियों के बीच संक्रमण न फैल जाए जिसके कारण सेवाओं को कम किया गया है।

मांग पक्ष:

- किसी अस्पताल में संक्रमण के डर से PMJAY लाभार्थियों को देरी या उपचार में देरी हो सकती है।
- वे सार्वजनिक परिवहन बंद होने तथा उनकी उपलब्धता की कमी के कारण अस्पतालों तक पहुँचने में असमर्थ हो सकते हैं।
- आर्थिक संकट देखभाल की मांग से संबंधित वित्तीय विचारों को प्रभावित कर सकता है।
  - स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर कम से कम संभव प्रभाव सुनिश्चित करना एक सतत् चुनौती होगी जिसे निरंतर निगरानी की आवश्यकता है।

मतदान में ब्लॉकचेन तकनीक

चर्चा में क्यों ?

'निर्वाचन आयोग' (Election Commission- EC) के अधिकारी ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग सुदूरवर्ती क्षेत्रों में वोटिंग में करने की संभावना की तलाश रहे हैं, ताकि मतदान से जुड़ी भौगोलिक बाधाओं को दूर किया जा सके।

प्रमुख बिंदु:

- विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से से मांग की है कि जो प्रवासी मज़दूर मतदान करने से वंचित रह जाते हैं, उनके मतदान को सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

नोट :

- प्रवासी मज़दूर, चुनाव के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिये घर नहीं जा पाते हैं, इसलिये उन्हें उस शहर; जिसमें वे काम कर रहे हैं, से अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिये मतदान करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

ब्लॉकचेन तकनीक:

- ब्लॉकचेन एक प्रणाली है जिसमें रिकॉर्ड का डेटाबेस एक ही समय में कई कंप्यूटरों पर दिखाई देता है, भले ही वह किसी भी नई डिजिटल जानकारी के साथ अपडेट किया गया हो।
- यह अनधिकृत हस्तक्षेप के बिना रिकॉर्ड रखने, वास्तविक-समय लेन देन को सक्षम बनाने, पारदर्शिता और लेखांकन के योग्य प्रणाली का एक विलक्षण संयोजन प्रदान करता है।
- ब्लॉकचेन तकनीक का प्रारंभिक और प्राथमिक उपयोग क्रिप्टोकरेंसी (जैसे बिटकॉइन) लेन देन की निगरानी के लिये था। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में इसके अन्य उपयोग तथा अनुप्रयोग उभर कर सामने आए हैं।
  - आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकार द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग भू-अभिलेखों के रखरखाव में किया जा रहा है।

मतदान में ब्लॉकचेन तकनीक:

- चुनाव सुरक्षा, मतदाता पंजीकरण की सत्यनिष्ठा, मतदाता की पहुँच और मतदाताओं की बढ़ती संख्या जैसी चिंताओं ने सरकारों को ब्लॉकचेन-आधारित मतदान प्रणाली के उपयोग पर विचार करने को प्रेरित किया है, ताकि मतदान प्रणाली में विश्वास बढ़ाया जा सके और आवश्यक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी के साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जा सके।
  - यद्यपि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इस्तेमाल 1970 के दशक से अलग-अलग रूपों में किया जाता रहा है, जो पेपर आधारित प्रणालियों की तुलना में मौलिक रूप से लाभदायक होती हैं। वर्तमान में प्रभावी ई-वोटिंग के लिये ब्लॉकचेन की व्यवहार्यता का पता लगाया जा रहा है।
  - चुनाव आयोग द्वारा सेवा क्षेत्र में कार्यरत मतदाताओं (सशस्त्र बलों, केंद्रीय अर्द्ध- सैनिक बलों और विदेश में भारतीय मिशनों में तैनात केंद्र सरकार के अधिकारियों से मिलकर) के लिये एकतरफा इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। यथा वर्ष 2019 के लोक सभा चुनावों में 'इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलट सिस्टम' (Electronically Transmitted Postal Ballot System-ETPBS) का प्रयोग किया गया।
- ब्लॉकचेन तकनीक में पाई जाने वाली विशेषताओं यथा विकेंद्रीकृत, पारदर्शी, अपरिवर्तनीय और एन्क्रिप्टेड प्रणाली आदि के कारण यह तकनीक चुनावी छेड़छाड़ को कम करने और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में मदद कर सकती है।

संभव कार्यप्रणाली (Possible Working):

- दूरस्थ स्थान पर ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से मतदान प्रक्रिया में मतदान स्थल पर बहु-स्तरित आईटी सक्षम प्रणाली (बायोमैट्रिक्स और वेब कैमरों की मदद से) का उपयोग करके मतदाता की पहचान की जाएगी।
- 'मतदाता पहचान प्रणाली' स्थापित होने के बाद, एक ब्लॉकचेन-तकनीक आधारित व्यक्तिगत ई-बैलेट पेपर उत्पन्न किया जाएगा।
- जब वोट डाला जाएगा तो बैलेट को सुरक्षित रूप से एन्क्रिप्ट किया जाएगा और एक ब्लॉक चेन हैशटैग (#) जेनरेट किया जाएगा। यह हैशटैग अधिसूचना विभिन्न हितधारकों यानी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को भेजी जाएगी।

चुनौतियाँ:

- ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर आधारित कोई भी नई प्रौद्योगिकी प्रणाली साइबर हमलों और अन्य सुरक्षा सुभेद्यता के लिये संवेदनशील है।
  - ये तकनीक वोटों की हेरफेर, कागजी निशान मिटाने या चुनावी अराजकता का कारण बन सकती है।
- इसके अलावा, मतदाता सत्यापन प्रणाली जिसमें बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। चेहरे की पहचान आधारित सत्यापन प्रणाली मतदाताओं में पहचान को लेकर अनेक प्रकार के अफवाह तथा भ्रम उत्पन्न कर सकती है।
- ब्लॉकचेन-आधारित मतदान प्रणाली गोपनीयता के जोखिम और चिंताओं को भी बढ़ा सकती है।

आगे की राह:

- किसी भी नवीन तकनीक में सुरक्षा चिंताओं और तकनीकी नवाचार के बीच एक सामंजस्य बनाने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ब्लॉकचेन-आधारित मतदान प्रणाली में अत्यंत दक्ष प्रौद्योगिकी प्रदाता और प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिये।
- चुनाव आयोग को ब्लॉकचेन-आधारित मतदान प्रणाली को सर्वप्रथम लघु स्तर पर लागू करने का परीक्षण करता चाहिये तथा बाद में व्यापक पैमाने पर संभावना को तलाश करना चाहिये।

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

राजकोषीय घाटे में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के परिणामस्वरूप भारत के राजकोषीय घाटे में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली है और यह जून, 2020 में समाप्त पहली तिमाही में बजटीय अनुमान के 83.2 प्रतिशत यानी 6.62 लाख करोड़ रुपए पर पहुँच गया है।

प्रमुख बिंदु:

- अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थव्यवस्था को महामारी के प्रकोप से बचाने और महामारी के परिणामस्वरूप राजस्व की कमी को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा लिये जा रहे अतिरिक्त ऋण के कारण देश का राजकोषीय घाटा 8 प्रतिशत के आस- पास जा सकता है।
- ज्ञात हो कि वित्तीय वर्ष 1999 से अब तक उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, यह किसी भी पहली तिमाही के लिये प्रतिशत के लिहाज़ से सबसे अधिक राजकोषीय घाटा है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में सरकार ने देश के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 7.96 लाख करोड़ रुपए अथवा सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत निर्धारित किया था।

राजकोषीय घाटे में वृद्धि के कारण:

- अर्थशास्त्रियों के अनुसार, कोरोना वायरस महामारी के कारण सरकार के राजस्व में भारी कमी आई है, जो कि सरकार के राजकोषीय घाटे में वृद्धि का मुख्य कारण है।
- आँकड़ों के अनुसार, अप्रैल से जून माह तक केंद्र सरकार को कर, गैर-कर राजस्व और ऋण वसूली आदि माध्यमों से 1.53 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि यह पूरे वर्ष के बजट अनुमान के 7 प्रतिशत से भी कम है।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General- CAG) द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिये केंद्र सरकार का कुल व्यय 8.15 करोड़ रुपए था, जो कि पूरे वर्ष के लिये बजट अनुमान का लगभग 27 प्रतिशत है।
- वहीं केंद्र सरकार ने करों के अपने हिस्से के रूप में राज्यों को 1.34 लाख करोड़ रुपए स्थानांतरित किये हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 14,588 करोड़ रुपए कम है।
- इसके अलावा केंद्र सरकार ने अतिरिक्त उधार लेने की योजनाओं की घोषणा पहले ही कर दी है, जो जीडीपी का लगभग 5.7 प्रतिशत है इससे राजकोषीय घाटे में और अधिक वृद्धि हो सकती है।

कर राजस्व में कमी:

- वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) की अवधि में सरकार का शुद्ध कर राजस्व 2.69 लाख करोड़ रुपए था, जबकि इसी अवधि में बीते वर्ष कुल शुद्ध कर राजस्व 4 लाख करोड़ रुपए था।
- इस अवधि में प्रत्यक्ष कर संग्रह 1.19 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि बीते वर्ष के संग्रह से लगभग 51,460 करोड़ रुपए कम है। इस अवधि में कुल अप्रत्यक्ष कर 1.51 लाख करोड़ रुपए रहा है।
- इस वर्ष की पहली तिमाही में निगम कर संग्रह में बीते वर्ष की पहली तिमाही की अपेक्षा 23.2 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि लॉकडाउन के दौरान आय में कटौती और रोज़गार न होने कारण आयकर संग्रह में कुल 36 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

प्रभाव:

- कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक ऐसे समय में प्रभावित किया है, जब अर्थव्यवस्था पहले से ही काफी तनाव का सामना कर रही थी।

नोट :

- महामारी के प्रसार को रोकने के लिये लागू किये गए लॉकडाउन ने देश में सभी आर्थिक गतिविधियों और आवश्यक कार्यों को रोकने के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर मांग को काफी न्यून कर दिया है।

- उच्च राजकोषीय घाटे से सरकार को अधिक ऋण लेना पड़ता है, जिसमें उधार लेने पर ब्याज का भुगतान भी शामिल होता है और इससे देश पर सार्वजनिक ऋण का बोझ भी बढ़ जाता है।
- वर्ष-दर-वर्ष ब्याज भुगतान से जुड़े सार्वजनिक ऋण में भारी वृद्धि से देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया अस्थिर हो जाती है।
  - इससे भुगतान संतुलन कमज़ोर पड़ता है और आने वाली पीढ़ियों पर कर्ज़ का बोझ बढ़ जाता है।

राजकोषीय घाटा:

- सरकार की कुल आय और उसके व्यय के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटे के माध्यम से ही यह पता चलता है कि सरकार को अपने कामकाज के लिये कितने उधार की ज़रूरत है।
- कुल राजस्व की गणना करते समय ऋण को शामिल नहीं किया जाता है। राजकोषीय घाटा आमतौर पर राजस्व में कमी या पूंजीगत व्यय में अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है।
  - पूंजीगत व्यय का अभिप्राय कारखानों और इमारतों जैसी दीर्घकालीन संपत्तियों या लंबे समय तक उपयोग होने वाली संपत्तियों के सृजन पर होने वाले व्यय से होता है।
- राजकोषीय घाटे की भरपाई आमतौर पर या तो देश के केंद्रीय बैंक (भारत की स्थिति में रिज़र्व बैंक) से उधार लेकर की जाती है या फिर इसके लिये छोटी तथा लंबी अवधि हेतु बॉन्ड जारी करके फंड जुटाया जाता है।

यूरोज़ोन अर्थव्यवस्था का संकुचन

चर्चा में क्यों ?

पिछली तिमाही की तुलना में अप्रैल-जून 2020 की तिमाही में यूरोज़ोन का सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product-GDP) 12.1% कम हो गया है।

प्रमुख बिंदु:

- यह यूरोज़ोन की अर्थव्यवस्था में अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट है, क्योंकि कोविड-19 में लॉकडाउन के चलते कारोबार बंद हो गया और उपभोक्ता खर्च में निरंतर कमी देखने को मिली है।
- यूरोज़ोन में यूरोपीय संघ (EU) के 19 सदस्य शामिल हैं, जो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में उपयोग करते हैं। यूरोपीय संघ के 8 सदस्य (बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्वीडन) यूरो का उपयोग नहीं करते हैं।
- यूरोपीय संघ के 27 देशों की अर्थव्यवस्था में इसी अवधि के दौरान 11.9% की गिरावट आई है।
- वर्तमान में विश्व का कोई भी देश महामारी के प्रभाव से बच नहीं पाया है। स्पेन ने इस क्षेत्र में सबसे अधिक आर्थिक गिरावट (18.5%) का सामना किया।
- यूरोपीय सरकारें बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन उपायों के साथ मंदी का मुकाबला कर रही हैं। उन्होंने व्यवसायों को जारी रखने के लिये ऋण जारी किये हैं और श्रमिकों के वेतन का भुगतान करने वाले कार्यक्रमों/योजनाओं का समर्थन कर रही हैं।
- यूरोपीय संघ के नेताओं ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बल देने के लिये वर्ष 2021 से 750 बिलियन यूरो के रिकवरी फंड (आम उधारी के माध्यम से) पर सहमति व्यक्त की है।
- यूरोपीय सेंट्रल बैंक अर्थव्यवस्था में नव मुद्रित 1.35 ट्रिलियन यूरो का प्रवेश करा रहा है, ताकि उधार की लागत को कम रखने में मदद की जा सके।
  - यूरोपीय सेंट्रल बैंक (European Central Bank) यूरोपीय संघ का एक आधिकारिक संस्थान और यूरोज़ोन देशों का केंद्रीय बैंक है।

नोट :

कृषि निर्यात के 'टर्म ऑफ रेफरेंस' पर रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

'पंद्रहवें वित्त आयोग' (Fifteenth Finance Commission) के कृषि निर्यात पर स्थापित 'उच्च स्तरीय समूह' (High Level Group- HLEG) द्वारा हाल ही में आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश की गई।

प्रमुख बिंदु:

- वित्त आयोग द्वारा HLEG की स्थापना, कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने तथा उच्च आयात को प्रतिस्थापन करने में सक्षम फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा इस दिशा में राज्यों के लिये 'मापने योग्य प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन' (Measurable Performance Incentives) प्रणाली अपनाने के लिये सिफारिश करने के उद्देश्य से की गई थी।
- गहन अनुसंधान करने तथा विभिन्न हितधारकों से इनपुट लेने के बाद HLEG ने अपनी सिफारिशें वित्त आयोग को पेश की हैं।

'टर्म ऑफ रेफरेंस' (Terms of Reference- ToR)

- बदलते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य में भारतीय कृषि उत्पादों (वस्तुओं, अर्द्ध-प्रसंस्कृत और प्रसंस्कृत) के निर्यात और आयात प्रतिस्थापन अवसरों का आकलन करना और निर्यात को स्थिरतापूर्वक बढ़ाने और आयात निर्भरता को कम करने की दिशा में सुझाव देना।
- कृषि उत्पादकता बढ़ाने, उच्च मूल्य संवर्द्धन तथा कृषि अवशिष्ट में कमी को सुनिश्चित करने और कृषि से संबंधित लॉजिस्टिक अवसंरचना को मज़बूत करने की दिशा में आवश्यक सुझाव देना।
- कृषि मूल्य श्रृंखला में निजी क्षेत्र के निवेश के समक्ष बाधाओं की पहचान करना तथा तीन ऐसे नीतिगत उपायों और सुधारों का सुझाव देना ताकि इस क्षेत्र में निवेशों को आकर्षित किया जा सके।
- वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिये राज्य सरकारों के लिये उपयुक्त 'प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन' प्रदान करने के लिये सुझाव देना तथा कृषि क्षेत्र में तेज़ी से सुधारों को अपनाने की दिशा में अन्य नीतिगत उपायों को लागू करना।

HLEG की सिफारिशें:

कृषि मूल्य श्रंखला:

- 22 प्रमुख फसलों की मूल्य श्रृंखलाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है तथा मांग संचालित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
- मूल्य श्रंखला क्लस्टरों (Value Chain Clusters-VCC) के संबंध में एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाए जाने की आवश्यकता है तथा कृषि उत्पादों के 'मूल्य संवर्द्धन' (Value Addition) पर मुख्यत: ध्यान देने की आवश्यकता है।

निजी क्षेत्र की भूमिका:

- निजी क्षेत्र को मांग अभिविन्यास को सुनिश्चित करने और मूल्य संवर्द्धन पर ध्यान केंद्रित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिये।
  - मांग अभिविन्यास वह विधि है, जिसमें किसी उत्पाद की कीमत उसकी मांग के अनुसार बदल दी जाती है
- निजी क्षेत्र कृषि क्षेत्र में निर्यात की व्यवहार्यता, कार्यान्वयन, वित्त पोषण, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता आदि के माध्यम से अपनी भूमिका निभा सकता है।

राज्य आधारित निर्यात योजना:

- विभिन्न हितधारकों की भागीदारी के साथ राज्यों के नेतृत्त्व में विशेष 'कृषि निर्यात योजनाएँ' बनाई जानी चाहिये।

राज्य आधारित निर्यात योजना (State-led Export Plan):

- यह किसी फसल की मूल्य श्रृंखला में वृद्धि की दिशा में क्लस्टर आधारित व्यावसायिक योजना होगी।
- यह मूल्य श्रृंखला आधारित निर्यात की मांग को पूरा करने के लिये आवश्यक अवसर, पहल और निवेश को पूरा करने की दिशा में कार्य करेगी।
- योजना क्रिया-उन्मुख, समयबद्ध और परिणाम-केंद्रित होंगी।
- योजना में निजी क्षेत्र को एंकर के रूप में तथा केंद्र को एक समर्थकारी (Enabling) के रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिये।

नोट :

- योजना के कार्यान्वयन और सहायता के लिये संस्थागत तंत्र को मज़बूत किया जाना चाहिये।
- योजना का वित्तपोषण मौजूदा योजनाओं, वित्त आयोग के आवंटन और निजी क्षेत्र के निवेश के अभिसरण (Convergence) के माध्यम से किया जाना चाहिये।

कृषि निर्यात के समक्ष चुनौतियाँ:

आयात के कठोर मानदंड:

- ताजे फल और सब्जियों के साथ ही अन्य सेनेटरी तथा फाइटोसेनेटरी मानदंडों को अनेक देशों द्वारा कठोर बनाया जा रहा है।
- आयातक देशों के मानदंडों का पालन करने के लिये केवल पंजीकृत किसानों से ही उपज की खरीद करना आवश्यक है।

अवसंरचना संबंधी:

- कृषि उत्पाद जल्दी ही खराब हो जाते हैं अत: फसल कटाई के समय बंदरगाहों पर कंटेनरों की उपलब्धता होना महत्त्वपूर्ण है। कृषि निर्यात के लिये बंदरगाहों पर कोई समर्पित स्थान नहीं होता है।

फल-सब्जियों की गुणवत्ता:

- गुणवत्ता के लिहाज से (शेल्फ लाइफ, रंग, आकार, सुगंध, आदि) के अनुसार, कुछ भारतीय फल वैश्विक बाज़ार में गैर-प्रतिस्पर्द्धी हैं। कुछ फलों की किस्म निर्यात के लिये उपयुक्त नहीं है।

कृषि निर्यात संभावना (Potential):

- भारत का कृषि निर्यात में कुछ वर्षों में 40 बिलियन डॉलर से बढ़कर 70 बिलियन डॉलर हो सकता है, यदि इस दिशा में आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएँ।
- कृषि निर्यात में वृद्धि से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी अपितु अतिरिक्त निर्यात से अनुमानित 7-10 मिलियन नौकरियाँ पैदा होने की संभावना भी है।
- इसके लिये कृषि निर्यात में अनुमानित 8-10 बिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता है ताकि बुनियादी ढाँचे, खाद्य प्रसंस्करण और मांग पूर्ति क्षमता का निर्माण किया जा सके।

कोर उद्योगों में संकुचन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में लगातार चौथे माह अर्थात जून 2020 तक, अनुबंधित आठ कोर उद्योगों (कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली) के उत्पादन में 15 प्रतिशत की कमी दर्ज़ की गई है।

प्रमुख बिंदु:

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production-IIP) में आठ कोर उद्योगों का योगदान 40.27 प्रतिशत है।

- उत्पादन में कुल संकुचन:
  - पिछले वर्ष की समान अवधि अर्थात अप्रैल-जून 2019 में 3.4 प्रतिशत की सकारात्मक उत्पादन वृद्धि दर की तुलना में अप्रैल-जून 2020 की समयावधि में इन क्षेत्रों में 24.6 प्रतिशत की दर से उत्पादन वृद्धि में कमी दर्ज़ की गई है।
  - मई 2020 तक उद्योगों के उत्पादन में 22 प्रतिशत की कमी देखी गई है। हालाँकि जून 2020 में यह संकुचन 15 प्रतिशत था, जो कुछ आर्थिक सुधार को इंगित करता हैं।
  - अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि कोर उद्योगों के उत्पादन वृद्धि में यह नकारात्मक प्रवृत्ति कम से कम दो महीने और बनी रहेगी।

नोट :

- क्षेत्रवार प्रदर्शन
  - केवल उर्वरक उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें जून 2019 की तुलना में जून, 2020 में 4.2 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि दर्ज़ की गई है।
    - हालाँकि, उर्वरक उद्योग में यह वृद्धि मई 2020 की 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम है फिर भी कृषि क्षेत्र में यह सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है जिसमें सामान्य मानसून में अच्छी खरीफ फसल की उम्मीद की जा सकती है।
  - अन्य सभी सात सेक्टर/क्षेत्रों कोयला (-15.5 प्रतिशत), कच्चा तेल (-6.0 प्रतिशत), प्राकृतिक गैस (-12 प्रतिशत), रिफाइनरी उत्पाद (-9 प्रतिशत), स्टील (-33.8 प्रतिशत), सीमेंट (-6.9 प्रतिशत), और बिजली (-11प्रतिशत) में जून मे माह में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।
    - इस्पात उद्योग का उत्पादन क्षेत्र में सर्वाधिक खराब प्रदर्शन रहा है। इस्पात उद्योग के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत की गिरावट दर्ज़ की गई है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक:

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production-IIP) अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों में एक निश्चित समय अवधि में विकास दर को प्रदर्शित करता है।
- इसका संकलन मासिक आधार पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office-NSO) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) द्वारा किया जाता है।
- IIP एक समग्र संकेतक है जो वर्गीकृत किये गए उद्योग समूहों की वृद्धि दर को मापता है जिनमें शामिल है:
  - व्यापक क्षेत्र- खनन, विनिर्माण और बिजली।
  - उपयोग आधारित क्षेत्र- मूलभूत वस्तुएँ, पूँजीगत वस्तुएँ और मध्यवर्ती वस्तुएँ शामिल हैं।
- IIP में शामिल आठ कोर उद्योग क्षेत्रों की वस्तुएँ अपने कुल भार का लगभग 40 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करती हैं।
  - आठ कोर उद्योग घटते भारांश के क्रम में: रिफाइनरी उत्पाद> विद्युत> इस्पात> कोयला> कच्चा तेल> प्राकृतिक गैस> सीमेंट> उर्वरक।
- IIP के आकलन के लिये आधार वर्ष 2011-2012 है।

IIP का महत्व:

- IIP उत्पादन की भौतिक मात्रा पर माप है।
- इसका उपयोग नीति-निर्माण के लिये वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक सहित अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है।
- IIP, त्रैमासिक और अग्रिम सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुमानों की गणना के लिये अत्यंत प्रासंगिक बना हुआ है।

आगे की राह:

- वर्तमान में कोरोना महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को दी जा रही रियायतों के सकारात्मक प्रभाव लॉकडाउन के नकारात्मक प्रभाव के सापेक्ष प्रभावशाली नहीं है। अत: सरकार को आर्थिक सुधारों को स्थायी बनाने के लिये कोरोनोवायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिये प्राथमिकता दिखानी होगी।

क्रय प्रबंधक सूचकांक में गिरावट

चर्चा में क्यों ?

आईएचएस मार्किट इंडिया (IHS Markit India) द्वारा जारी मासिक सर्वेक्षण के अनुसार, जुलाई 2020 में विनिर्माण क्षेत्र के 'क्रय प्रबंधक सूचकांक' (Purchasing Manager's Index- PMI) में गिरावट दर्ज की गई है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि लगातार 32 महीने तक विस्तार करने के पश्चात् अप्रैल माह में सूचकांक संकुचन की ओर बढ़ना शुरू हो गया था।
- हालाँकि जून माह में क्रय प्रबंधक सूचकांक' (PMI) में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जहाँ मई 2020 में क्रय प्रबंधक सूचकांक' (PMI) 30.8 अंक पर था, वहीं जून माह में यह बढ़कर 47.2 पर पहुँच गया था।
- आईएचएस मार्किट इंडिया (IHS Markit India) द्वारा जारी 'क्रय प्रबंधक सूचकांक' (PMI) जुलाई 2020 में 47.2 अंक से गिरकर जून, 2020 में 46 अंक पर पहुँच गया है।
  - ध्यातव्य है कि इस सूचकांक में 50 से अधिक अंक विस्तार का संकेत देते हैं, जबकि 50 से कम अंक संकुचन का संकेत देते हैं।
  - यह लगातार चौथी बार है जब भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में संकुचन देखने को मिला है।
- निहितार्थ:
  - गौरतलब है कि भारतीय विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित ये आँकड़े COVID-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित देशों में से एक भारत की आर्थिक स्थिति पर अधिक प्रकाश डालते हैं।
  - इस सर्वेक्षण के परिणामों ने उत्पादन और नए आदेशों में हुई गिरावट की पुष्टि की है।
- कारण
  - COVID-19 के मद्देनज़र देशभर में लॉकडाउन की वजह से विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।
  - आईएचएस मार्किट इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट बताती है कि भारत के निर्यात में भारी गिरावट दर्ज की गई है।
  - ध्यातव्य है कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के लिये 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी।
    - इसके परिणामस्वरूप देश भर में सभी प्रकार की आर्थिक और गैर-आर्थिक गतिविधियाँ पूरी तरह से रुक गई थीं और उत्पादन भी लगभग बंद हो गया था।
    - हालाँकि मई माह से शुरू होने वाले चरणों में लॉकडाउन के प्रतिबंधों में कुछ छूट दी जाने लगी, किंतु कई राज्य सरकारों ने राज्य में वायरस के प्रसार को रोकने के लिये लॉकडाउन को और अधिक बढ़ाने का निर्णय लिया, जिससे मई माह में शुरू हुई आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा।
  - जून माह में सुधार के संकेत देने वाले बेरोज़गारी दर जैसे संकेतक राज्यों द्वारा लागू किये गए लॉकडाउन के कारण जुलाई में फिर खराब स्थिति के संकेत देने लगे।
  - आँकड़ों के अनुसार, जुलाई माह के दौरान खुदरा व्यापार काफी सुस्त बना रहा, ऋण वृद्धि कम थी और डीज़ल की मांग में गिरावट देखने को मिली।
  - मांग में कमी के कारण व्यापार में गिरावट को देखते हुए विभिन्न औद्योगिक संस्थानों को अपने कर्मचारियों की संख्या में भी कमी करनी पड़ी है। इसके अलावा भारत के निर्यात में भी कमी देखने को मिली है।
- क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI)
  - PMI विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों का एक संकेतक है। यह एक सर्वेक्षण-आधारित प्रणाली है।
  - इसकी गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिये अलग-अलग की जाती है और फिर एक समग्र सूचकांक का निर्माण किया जाता है।
  - क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) के दौरान विभिन्न संगठनों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आउटपुट, नए ऑर्डर, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और रोज़गार जैसे महत्त्वपूर्ण संकेतक शामिल होते हैं, साथ ही सर्वेक्षण में भाग लेने वाले लोगों से इन संकेतकों को रेट करने के लिये भी कहा जाता है।
  - PMI को 0 से 100 तक के सूचकांक पर मापा जाता है।

नोट :

RBI की मौद्रिक नीति की समीक्षा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हुई 'मौद्रिक नीति समिति' (Monetary Policy Committee) की बैठक में 'भारतीय रिज़र्व बैंक' (Reserve Bank of India- RBI) ने मौद्रिक नीतिगत दरों को यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु:

- MPC ने रेपो दर (Repo Rate) को 4% पर, सीमांत स्थायी सुविधा दर (Marginal Standing Facility Rate) और बैंक दर (Bank Rate) को भी 4.25% पर यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया है।

आयात में कमी:

- कमज़ोर घरेलू मांग और कच्चे तेल की कम कीमतों के कारण जून में आयात में तेज़ी से कमी देखी गई है।

विदेशी मुद्रा भंडार:

- भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (31 जुलाई, 2020 तक) 56.8 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ वर्तमान में 536.6 बिलियन डॉलर है।

वास्तविक जीडीपी:

- वर्ष 2020-21 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि के नकारात्मक रहने का अनुमान है तथा पहली छमाही में इसके संकुचित (Contraction) रहने का अनुमान है।

मांग पर प्रभाव:

- जुलाई माह का उपभोक्ता सर्वेक्षण बताता है कि उपभोक्ताओं का अर्थव्यवस्था में विश्वास काफी निराशावादी है, इसलिये मांग के बुरी तरह प्रभावित रहने का अनुमान है।

उच्च-आवृत्ति वाले आर्थिक संकेतक:

- अप्रैल और मई की कुछ आर्थिक गतिविधियों को लॉकडाउन के बाद पुन: प्रारंभ किया गया है जिससे 'उच्च-आवृत्ति वाले आर्थिक संकेतकों' में कुछ सुधार देखने को मिला।
- लेकिन महामारी के संक्रमण के फिर से बढ़ने से अनेक क्षेत्रों में पुन: लॉकडाउन लगाया गया जिससे आर्थिक संकेतकों में देखा गया सुधार समाप्त हो गया।

उच्च-आवृत्ति वाले आर्थिक संकेतक (High-frequency Economic Indicators):

- यह विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का एक सूचकांक होता है । ये संकेतक नीति निर्माताओं को आर्थिक गतिविधियों से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं जिनके आधार पर वार्षिक और तिमाही जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है।

मौद्रिक नीति का लक्ष्य:

- मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना होता है। मूल्य स्थिरता स्थायी विकास के लिये एक आवश्यक है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम-1934 के अनुसार, भारत सरकार RBI से परामर्श करके प्रत्येक पाँच वर्षों में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य को निर्धारित करेगी।
- केंद्र सरकार ने इसे 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' (CPI) के अनुसार, 5 अगस्त, 2016 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के लिये 4 प्रतिशत निर्धारित किया है। जिसकी ऊपरी सीमा 6 प्रतिशत और निम्न सीमा 2 प्रतिशत है।

मौद्रिक नीति के साधन:

- ऐसे कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपकरण हैं जिनका उपयोग मौद्रिक नीति को लागू करने के लिये किया जाता है।

नोट :

रेपो दर (Repo Rate-RR):

- वह स्थिर ब्याज दर जिस पर RBI, बैंकों को 'तरलता समायोजन सुविधा' (LAF) के तहत सरकार और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों की संपार्श्विक (Collateral) के अधीन ओवरनाइट (अल्पकालिक तरलता) तरलता प्रदान करता है।

रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate-RRR):

- वह स्थिर ब्याज दर जिस पर रिज़र्व बैंक LAF के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक (Collateral) के खिलाफ बैंकों से ओवरनाइट तरलता को अवशोषित करता है।

तरलता समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility-LAF):

- LAF में ओवरनाइट तरलता के साथ-साथ टर्म रेपो की नीलामी भी शामिल है।

सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility- MSF):

- वह सुविधा जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने 'वैधानिक तरलता अनुपात' (SLR) पोर्टफोलियो में तक निश्चित सीमा तक कमी (Dipping) करके ओवरनाइट सुविधा के तहत अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं।

बैंक दर (Bank Rate):

- जिस सामान्य ब्याज दर पर रिज़र्व बैंक द्वारा अन्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है उसे बैंक दर कहते हैं। इसके द्वारा रिज़र्व बैंक साख नियंत्रण (Credit Control) का काम करता है।
- इस दर को MSF दर से संरेखित किया गया है, अत: जब-जब नीति रेपो दर में बदलाव किया जाता है तब MSF दर में भी परिवर्तन होता है।

नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio- CRR):

- प्रत्येक बैंक को अपने कुल नकद रिज़र्व का एक निश्चित हिस्सा रिज़र्व बैंक के पास रखना होता है, जिसे नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है।

वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio- SLR):

- शुद्ध माँग और समय देयताओं (NDTL) का हिस्सा जिसे एक बैंक को सुरक्षित और तरल संपत्ति में बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जैसे कि सरकारी प्रतिभूतियाँ, नकदी और सोना।

खुले बाज़ार के परिचालन (Open Market Operations- OMO):

- इनमें स्थायी तरलता को बढ़ाने और अवशोषण के लिये क्रमश: सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री दोनों शामिल हैं।

बाज़ार स्थिरीकरण योजना (Market Stabilisation Scheme- MSS):

- अधिक स्थायी अधिशेष तरलता को लघु-दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की बिक्री के माध्यम से अवशोषित किया जाता है।

मौद्रिक नीति समिति (MPC):

- MPC का गठन नीतिगत ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिये जून, 2016 को किया गया था।
- वित्त अधिनियम 2016 द्वारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम-1934 में संशोधन किया गया, ताकि मौद्रिक नीति समिति को वैधानिक और संस्थागत रूप प्रदान किया जा सके।
- मौद्रिक नीति समिति के छह सदस्यों में से तीन सदस्य RBI से होते हैं।
- RBI गवर्नर, समिति का पदेन अध्यक्ष होता है।

नोट :

नीतिगत दरों में अपरिवर्तन: कारण और प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली 'मौद्रिक नीति समिति' की बैठक में प्रमुख मौद्रिक नीतिगत दरों को यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- रिज़र्व बैंक ने रेपो दर (Repo Rate) को 4 प्रतिशत पर तथा सीमांत स्थायी सुविधा दर (Marginal Standing Facility Rate) और बैंक दर (Bank Rate) को 4.25 प्रतिशत पर यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया है।
  - साथ ही केंद्रीय बैंक ने रिवर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate) को 3.35 प्रतिशत पर बनाए रखा है।
- ज्ञात हो कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने इस वर्ष फरवरी माह से अब तक नीतिगत दरों में कुल 115 आधार अंकों की गिरावट की है।
  - फरवरी 2019 से अब तक भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतिगत दरों में 250 आधार अंकों की गिरावट की है।

अपरिवर्तन का कारण

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष जून माह में बढ़कर 6.09 प्रतिशत हो गई, जो कि मार्च माह में 5.84 प्रतिशत थी।
- इसी के साथ जून माह में खुदरा मुद्रास्फीति भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 2-6 प्रतिशत के लक्ष्य को पार कर गई है।
- संभवत: यही कारण है कि भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में सर्वसम्मति से नीतिगत दरों में बदलाव न करने का निर्णय लिया गया है।
- इसके अलावा रिज़र्व बैंक घरेलू खाद्य मुद्रास्फीति को लेकर भी काफी चिंतित है।
- महामारी के बीच मुद्रास्फीति की अनिश्चितता और अर्थव्यवस्था की कमज़ोर स्थिति ने देश के केंद्रीय बैंक को नीतिगत दरों को यथावत बनाए रखने के लिये मजबूर किया है।
- संभव है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नीति-निर्माता नीतिगत दरों में कमी करने की बची हुई संभावना को भविष्य में आने वाली अनिश्चितताओं से निपटने पर प्रयोग करने पर विचार कर रहे हैं।

विषम परिस्थिति में अर्थव्यवस्था

- वर्तमान में रिज़र्व बैंक एक विषम परिस्थिति का सामना कर रहा है, अर्थव्यवस्था में जहाँ एक ओर महँगाई बढ़ती जा रही है, वहीं सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर कम होती जा रही है।
- ऐसा इसलिये हो रहा है, क्योंकि महामारी ने एक ओर मांग को तो प्रभावित किया ही है, किंतु दूसरी ओर इसने अर्थव्यवस्था में आपूर्ति को भी बाधित किया है। नतीजतन, अर्थव्यवस्था में दो परिस्थितियाँ एक साथ देखने को मिल रही हैं।
- यह सत्य है कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिये रिज़र्व बैंक को ब्याज़ दरों में वृद्धि करनी चाहिये, और सामान्य परिस्थितियों में RBI द्वारा ऐसा किया भी जाता, किंतु इस समय ब्याज़ दरों में वृद्धि करना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये विनाशकारी साबित हो सकता है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा।
- हालाँकि RBI ब्याज़ दरों में कटौती भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जून माह में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 6.09 प्रतिशत पर पहुँच गई है, इस प्रकार यदि RBI ब्याज़ दर में कटौती करता है तो खुदरा मुद्रास्फीति में और अधिक वृद्धि हो सकती है, जिससे देश के गरीब और संवेदनशील वर्ग के समक्ष बड़ी चुनौती उत्पन्न हो सकती है।
- ऐसी स्थिति में नीतिगत दरों को यथावत बनाए रखना ही सबसे बेहतर विकल्प होगा।

पूर्व में नीतिगत दरों में कटौती

- RBI ने दावा किया है कि फरवरी 2019 से रेपो दर में 250 आधार अंकों की संचयी कमी ने बॉण्ड, क्रेडिट और मुद्रा बाज़ारों में ब्याज दरों और अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

नोट :

- गौरतलब है कि मई माह में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में 40 आधार अंकों की कटौती करते हुए इसे 4 प्रतिशत पर पहुँचा दिया था।
- RBI का कहना है कि रेपो रेट में कमी किये जाने के कारण बैंकों ने भी अपने ब्याज़ दरों में कमी की है, जिसका लाभ आम ग्राहकों को भी मिला है।

अर्थव्यवस्था का आकलन

- भारतीय रिज़र्व बैंक का आकलन है कि जहाँ अप्रैल-मई माह में देशव्यापी लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियाँ पूरी तरह से रुक गई थी, वहीं बीते कुछ दिनों में अनलॉक के कारण आर्थिक गतिविधियाँ पुन: शुरू हो गई हैं।
  - हालाँकि COVID-19 संक्रमण से संबंधित ताज़ा आँकड़ों ने राज्यों को एक बार पुन: नए सिरे से लॉकडाउन लागू करने के लिये मजबूर कर दिया है।
- RBI समेत कई अन्य विशेषज्ञ संस्थानों का मानना है कि खरीफ की बुआई के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रिकवरी होने की उम्मीद है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये समग्र तौर पर वास्तविक GDP वृद्धि दर नकारात्मक होने की उम्मीद है। RBI का मत है कि महामारी को जितना जल्दी रोक जाएगा, अर्थव्यवस्था के लिये उतना ही अच्छा होगा।
- RBI को उम्मीद है की वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही के दौरान मुद्रास्फीति में कुछ कमी देखने को मिलेगी। जून 2020 में हेडलाइन मुद्रास्फीति 5.8 प्रतिशत से बढ़कर 6.1 प्रतिशत हो गई है, हालाँकि अच्छा मानसून और खरीफ फसल आने वाले दिनों में खाद्य कीमतों को कम कर सकते हैं।

तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए ऋण पुनर्गठन ढाँचा

- गौरतलब है कि RBI द्वारा घोषित ऋण भुगतान के स्थगन की अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो रही है, RBI का अनुमान है कि इस अवधि की समाप्ति के बाद गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में काफी वृद्धि दर्ज की जा सकती है।
- RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि आर्थिक स्थितियाँ और अधिक बिगड़ती हैं, तो गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) अनुपात 14.7 प्रतिशत तक भी पहुँच सकता है।
- महामारी से प्रभावित तनावग्रस्त क्षेत्रों के लिये एक बड़ी राहत के रूप में RBI ने घोषणा की है कि तनावग्रस्त MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) उधारकर्त्ता 31 मार्च, 2021 तक ऋण के पुनर्गठन (Restructuring of Loans) के लिये पात्र होंगे, हालाँकि यह तभी होगा जब उनके खाते को 1 जनवरी, 2020 तक 'मानक' (Standard) के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।

दिवाला और शोधन अक्षमता संबंधी नियमों में संशोधन

चर्चा में क्यों ?

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (The Insolvency and Bankruptcy Board of India-IBBI) ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉरपोरेट्स के लिये दिवालियापन समाधान प्रक्रिया) नियम, 2016 और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) नियम, 2017 में संशोधन किया है।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉरपोरेट्स के लिये दिवालियापन समाधान प्रक्रिया) नियम, 2016 में संशोधन

- संशोधन: हालिया संशोधन के अनुसार, अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा प्रस्तुत किये गए तीन इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल (IP) उसी राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश से होने चाहिये, जहाँ से कॉर्पोरेट देनदार के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे अधिक लेनदार हैं।
  - पृष्ठभूमि: वित्तीय लेनदारों को सरलीकृत तरीके से प्रतिनिधित्त्व प्रदान करने के उद्देश्य से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 21 के प्रावधानों के तहत दिवालिया प्रस्ताव के लिये लेनदारों की समिति (Committee of Creditors-CoC) के समक्ष अपनी चिंताएँ व्यक्त करने हेतु एक अधिकृत प्रतिनिधि (Authorised Representative-AR) नियुक्त किया जा सकता है।

नोट :

- नियमों के अनुसार, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अंतरिम समाधान पेशेवर (Interim Resolution Professional) अधिकृत प्रतिनिधि (AR) के तौर पर कार्य करने के लिये कुल तीन इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल (IP) का विकल्प प्रस्तुत करेगा और लेनदारों द्वारा अपने प्रतिनिधित्त्व के लिये अधिकृत प्रतिनिधि (AR) के तौर पर किसी एक इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल (IP) का चुनाव किया जाएगा।
- लाभ: इसके माध्यम से इससे अधिकृत प्रतिनिधि (AR) और लेनदारों के बीच समन्वय और संचार में आसानी होगी।

- संशोधन: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) द्वारा किये गए हालिया संशोधन में यह प्रावधान है कि मूल्यांकन मैट्रिक्स (Evaluation Matrix) के अनुसार सभी समाधान योजनाओं का मूल्यांकन करने के बाद, लेनदारों की समिति (CoC) सभी समाधान योजनाओं पर एक साथ मतदान करेगी।
- इसके तहत जिस भी समाधान योजना को सबसे अधिक मत प्राप्त होंगे उसे अनुमोदित किया जाएगा, हालाँकि ये मत कुल मतदान के 66 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये।
  - पृष्ठभूमि: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में दिये गए नियमों के अनुसार, लेनदारों की समिति (CoC) मूल्यांकन मैट्रिक्स के अनुसार सभी अनुरूप समाधान योजनाओं का मूल्यांकन करेगी ताकि उनमें से सर्वश्रेष्ठ समाधान योजना की पहचान की जा सके और इसे अनुमोदित किया जा सके।
  - यहाँ मूल्यांकन मैट्रिक्स का अभिप्राय किसी समाधान योजना के अनुमोदन हेतु लेनदारों की समिति द्वारा निर्धारित किये गए मापदंडों और उन्हें लागू करने की विधि से है।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) नियम, 2017 में संशोधन

- संशोधन: नियमों में किये गए संशोधन के अनुसार, कॉरपोरेट व्यक्ति अपने वर्तमान परिसमापक (Liquidator) के स्थान पर किसी अन्य दिवाला पेशेवर (इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल) को एक सामान्य प्रस्ताव के माध्यम से परिसमापक (Liquidator) के रूप में नियुक्त कर सकता है।
  - पृष्ठभूमि: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 एक कॉर्पोरेट व्यक्ति को स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने में सक्षम बनाती है, यदि उस पर कोई ऋण नहीं है या वह परिसंपत्तियों की आय से अपने ऋण का पूरी तरह से भुगतान करने में सक्षम है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016

- अगर कोई कंपनी कर्ज़ वापस नहीं चुकाती तो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (IBC) के तहत कर्ज़ वसूलने के लिये उस कंपनी को दिवालिया घोषित किया जा सकता है।
- इस संहिता की धारा 7 किसी कंपनी के विरुद्ध दिवालिया प्रक्रिया की शुरुआत से जुड़ी है अर्थात् जब कोई कर्ज़ देने वाला व्यक्ति, संस्था या कंपनी, कर्ज़ नहीं चुकाने वाली कंपनी के खिलाफ दिवालिया कोर्ट में अपील दायर करती है।
- संहिता की धारा 12 दिवालिया प्रक्रिया को पूरी किये जाने की समयसीमा को तय करती है। इस धारा के तहत यह पूरी प्रक्रिया 180 दिनों के भीतर पूरी की जानी अनिवार्य है।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI)

- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) की स्थापना दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत 1 अक्तूबर, 2016 को हुई थी।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) मुख्य तौर पर दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 को सही ढंग से लागू करने के लिये ज़िम्मेदार है।
- वर्तमान में डॉ. एम.एस. साहू भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) के अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत हैं।

नोट :

रणनीतिक क्षेत्र के लिये सरकार की नीति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने यह घोषणा की है कि शीघ्र ही रणनीतिक क्षेत्रों पर एक नीति बनाई जाएगी और इसके साथ ही गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में कंपनियों के पूर्ण निजीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- आर्थिक कार्य विभाग (Department of Economic Affairs) के सचिव के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण के लिये शीघ्र ही दिशा-निर्देश जारी किये जाएँगे।
- वर्ष 1956 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब सरकार के पास रणनीतिक व गैर-रणनीतिक क्षेत्र में राज्य स्वामित्व वाली कंपनियों की सीमित संख्या होगी।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई माह में आत्मानिभर भारत अभियान के तहत आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए कहा था कि प्रस्तावित नीति निजी क्षेत्रों के साथ-साथ कम से कम राज्य के स्वामित्व वाली एक कंपनी की उपस्थिति की आवश्यकता वाले रणनीतिक क्षेत्रों की सूची को अधिसूचित करेगी।
- अन्य सभी क्षेत्रों में सरकार की योजना सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की है, जो व्यवहार्यता पर निर्भर करेगी।
- अनावश्यक प्रशासनिक लागतों को कम करने के लिये रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक उद्यमों की संख्या 4 तक निर्धारित की गई है और न्यूनतम एक इकाई का संचालन होगा।

निजीकरण से तात्पर्य

- निजीकरण का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें किसी विशेष सार्वजनिक संपत्ति अथवा कारोबार का स्वामित्व सरकारी संगठन से स्थानांतरित कर किसी निजी संस्था को दे दिया जाता है। अत: यह कहा जा सकता है कि निजीकरण के माध्यम से एक नवीन औद्योगिक संस्कृति का विकास संभव हो पाता है।
- यह भी संभव है कि सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र को संपत्ति के अधिकारों का हस्तांतरण बिना विक्रय के ही हो जाए। तकनीकी दृष्टि से इसे अविनियमन (Deregulation) कहा जाता है। इसका आशय यह है कि जो क्षेत्र अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में आरक्षित थे उनमें अब निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति दे दी जाएगी।
- वर्तमान में यह आवश्यक हो गया है कि सरकार स्वयं को 'गैर सामरिक उद्यमों' के नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन के बजाय शासन की दक्षता पर केंद्रित करे। इस दृष्टि से निजीकरण का महत्त्व भी बढ़ गया है।

रणनीतिक व गैर-रणनीतिक क्षेत्र से तात्पर्य

- वर्तमान में रणनीतिक क्षेत्र की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है।
- रणनीतिक क्षेत्रों को औद्योगिक नीति के आधार पर परिभाषित किया जाता था।
- सरकार ने औद्योगिक नीति के आधार पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (Central Public Sector Enterprises-CPSE) को 'रणनीतिक' और 'गैर-रणनीतिक' क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया है जो समय-समय पर बदलते रहते हैं।
- वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रहे निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने 18 रणनीतिक क्षेत्रों को तीन व्यापक खंडों- (A) खनन और पर्यवेक्षण, (B) विनिर्माण, प्रसंस्करण एवं निर्माण (C) सेवा क्षेत्र।
- रणनीतिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी सार्वजनिक उपक्रम गैर-रणनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

निजीकरण में सहायक

- सरकार ने पहले से ही बड़े सार्वजनिक उद्यमों के लिये निजीकरण की योजना तैयार कर ली है।
- इनमें बीपीसीएल, एयर इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया शामिल हैं।
- यह नीति बड़े पैमाने पर निजीकरण और/या केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के समेकन के लिये विकल्प प्रदान करती है।

नोट :

- निजीकरण पर जोर देने से रसायन और अवसंरचना विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियों का निजीकरण हो सकता है।
- सरकार का यह निर्णय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों की संख्या को कम करने की इच्छा भी प्रकृट की है, सरकार का तर्क है कि अब बड़े बैंक ही राज्य स्वामित्व के अंतर्गत कार्य करेंगे।
- राज्य स्वामित्व वाले छोटे बैंकों का नियत समय में निजीकरण हो सकता है।

भुगतान शेष: अर्थ और महत्त्व

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस वर्ष निर्यात में महत्त्वपूर्ण सुधार आने और आयात में कमी होने के कारण देश के भुगतान शेष (Balance of Payments-BoP) की स्थिति काफी मज़बूत रहने की उम्मीद है।

प्रमुख बिंदु

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं और निर्यात में भी महत्त्वपूर्ण सुधार आया है।
- भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, फिक्की (FICCI) के वेबिनार को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 'इस वर्ष जुलाई माह में पिछले वर्ष जुलाई माह के 91 प्रतिशत निर्यात स्तर को हासिल किया जा चुका है, वहीं इस वर्ष आयात जुलाई 2019 के स्तर के 70 से 71 प्रतिशत के बीच ही रहा है।
- इस वर्ष जून माह में भारत के निर्यात में लगातार चौथी बार गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि पेट्रोलियम और कपड़ा जैसे प्रमुख क्षेत्रों के शिपमेंट में गिरावट देखी गई है, हालाँकि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पहली बार अधिशेष की स्थिति दर्ज की गई है, क्योंकि आयात में 47.59 प्रतिशत की गिरावट आई है।
  - आँकड़ों के अनुसार, भारत में इस वर्ष जून माह में 0.79 बिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेष दर्ज किया गया है।
- केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार घरेलू स्तर पर विनिर्माण और घरेलू उद्योग को समर्थन और बढ़ावा देने के लिये कई महत्त्वपूर्ण कदम उठा रही है।

भुगतान शेष का अर्थ ?

- भुगतान शेष (Balance Of Payment-BoP) का अभिप्राय ऐसे सांख्यिकी विवरण से होता है, जो कि एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश के निवासियों के विश्व के साथ हुए मौद्रिक लेन-देनों के लेखांकन को रिकॉर्ड करता है।
- जब भुगतान शेष (BoP) में सभी तत्वों को सही ढंग से समावेशित किया जाता है तो एक आदर्श परिदृश्य में सभी मदों का योग शून्य होता है।
  - इसका अर्थ होता है कि धन का अंतर्वाह (Inflows) और बहिर्वाह (Outflows) एक समान है, किंतु वास्तविक और व्यावहारिक परिदृश्य में सदैव ऐसा नहीं होता है।
- किसी देश का भुगतान शेष (BoP) विवरण यह बताता है कि उस देश में शेष विश्व के साथ व्यापार अधिशेष है अथवा व्यापार घाटा।
  - उदाहरण के लिये जब किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है, तो उसके BoP में व्यापार अधिशेष होता है, वहीं जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है तो उसे (BoP) में व्यापार घाटे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

किसी देश के लिये भुगतान शेष (BoP) का महत्त्व

- किसी देश का भुगतान शेष (BoP) विवरण उस देश की वित्तीय और आर्थिक स्थिति का सटीक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
- भुगतान शेष (BoP) विवरण को यह निर्धारित करने के लिये एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है कि किसी देश की मुद्रा का अभिमूल्यन (Appreciation) हो रहा है अथवा मूल्यह्रास (Depreciating)।
- साथ ही भुगतान शेष (BoP) विवरण देश की सरकार को अपनी राजकोषीय और व्यापार संबंधी नीति को लेकर महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करता है।

नोट :

- यह दूसरे देशों के साथ किसी एक देश के आर्थिक व्यवहार का विश्लेषण करने और उसे समझने हेतु महत्त्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है।
- भुगतान शेष (BoP) विवरण और इसके घटकों का बारीकी से अध्ययन करके उन रुझानों की पहचान करना काफी आसान हो जाता है जो किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिये फायदेमंद या हानिकारक हो सकते हैं, जिसके पश्चात् इन रुझानों का उचित उपयोग कर देश की अर्थव्यवस्था के विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है।

भुगतान शेष के मुख्य घटक

- चालू खाता

चालू खाते का उपयोग देशों के बीच माल एवं सेवाओं के अंतर्वाह और बहिर्वाह की निगरानी के लिये किया जाता है। इस खाते में कच्चे माल तथा निर्मित वस्तुओं के संबंध में किये गए सभी भुगतानों और प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। चालू खाता के अंतर्गत मुख्यत: तीन प्रकार के लेन-देन, जिसमें पहला वस्तुओं व सेवाओं का आयात-निर्यात और दूसरा कर्मचारियों व विदेशी निवेश से प्राप्त आय एवं खर्च तथा तीसरा विदेशों से प्राप्त अनुदान राशि, उपहार एवं विदेश में बसे कामगारों द्वारा भेजी जाने वाली विप्रेषण (Remittance) की राशि, को शामिल किया जाता है।

- पूंजी खाता

देशों के बीच सभी पूंजीगत लेन-देनों की निगरानी पूंजी खाते के माध्यम से की जाती है। पूंजीगत लेन-देन में भूमि जैसी गैर-वित्तीय संपत्तियों की खरीद और बिक्री को शामिल किया जाता है। पूंजी खाते के मुख्यत: तीन तत्त्व हैं, (1) विदेश में स्थित निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों से लिया गया सभी प्रकार का ऋण, (2) गैर-निवासियों द्वारा कॉर्पोरेट शेयरों में किये गए निवेश की राशि और (3) अंतत: विनिमय दर के नियंत्रण हेतु देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखा गया विदेशी मुद्रा भंडार।

- वित्तीय खाता

रियल एस्टेट, व्यावसायिक उद्यम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आदि में विभिन्न निवेशों के माध्यम से विदेशों से/को होने वाले धन के प्रवाह पर वित्तीय खाते के माध्यम से निगरानी की जाती है। यह खाता घरेलू परिसंपत्तियों के विदेशी स्वामित्व और विदेशी संपत्ति के घरेलू स्वामित्व में परिवर्तन को मापता है। इसका विश्लेषण करने से यह ज्ञात किया जा सकता है कि कोई देश अधिक संपत्ति बेच रहा है या प्राप्त कर रहा है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में गिरावट

चर्चा में क्यों ?

नवीनतम आँकड़े बताते हैं कि इस वर्ष जून माह में भारत के औद्योगिक उत्पादन में लगातार गिरावट दर्ज की गई है, हालाँकि मई माह की तुलना में इस गिरावट की दर अपेक्षाकृत कम रही है, जो कि विनिर्माण गतिविधियों के सामान्यीकरण का संकेत दे रहा है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office- NSO) द्वारा जारी आँकड़े बताते हैं कि अप्रैल-जून तिमाही में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में संचयी रूप से बीते वर्ष इसी अवधि की तुलना में 35.9 प्रतिशत का संकुचन हुआ, जबकि वर्ष 2019 की अप्रैल-जून तिमाही में इसमें 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।
  - आँकड़े बताते हैं कि इस वर्ष अप्रैल-जून तिमाही में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं (67.6 प्रतिशत), पूंजीगत वस्तुओं (64.3 प्रतिशत) और विनिर्माण (40.7 प्रतिशत) में सबसे अधिक संकुचन देखने को मिला।
- उपभोक्ता गैर-टिकाऊ (Consumer Non-Durables) वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों पर कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी और उसके कारण लागू किये गए लॉकडाउन का प्रभाव देखने को मिला है।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के अनुसार, जून माह में विनिर्माण क्षेत्र में 17.1 प्रतिशत की कमी देखने को मिली, जबकि इसी वर्ष मई माह में यह 38.4 प्रतिशत था।
- जून 2020 में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में 35.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि मई माह में यह गिरावट 69.4 प्रतिशत के आस-पास थी।

नोट :

- वहीं पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में जून माह में बीते वर्ष जून 2019 की अपेक्षा 36.9 प्रतिशत की कमी देखने को मिली, जबकि मई माह में यह कमी 65.2 प्रतिशत थी।

कारण:

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के अनुसार, कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के प्रसार को रोकने के लिये लागू किये गए देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनज़र मार्च 2020 के अंत से ही औद्योगिक क्षेत्र के कई संस्थान अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पा रहे हैं।
- इसका स्पष्ट प्रभाव लॉकडाउन की अवधि के दौरान औद्योगिक संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले उत्पादन पर पड़ा है।

निहितार्थ:

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने अपने आधिकारिक दस्तावेज़ में कहा है कि कोरोना वायरस (COVID-19) और उसके बाद के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) संबंधी आँकड़ों की तुलना कोरोना वायरस (COVID-19) से पूर्व के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) संबंधी आँकड़ों से करना न्यायसंगत नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियाँ पूरी तरह से अलग हैं।
- कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि हालाँकि देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से आर्थिक गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है, किंतु अगस्त माह में इसमें फिर से कमी होने की उम्मीद है, क्योंकि वायरस के बढ़ते प्रसार के कारण देश भर के राज्यों ने अपने-अपने स्तर पर पर स्थानीय लॉकडाउन लागू कर दिया है।
- विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में जैसे-जैसे स्थितियाँ सामान्य होती जाएंगी, वैसे-वैसे ही औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) और अन्य आर्थिक सूचकांकों में सुधार होता रहेगा।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)

- यह सूचकांक अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के विकास का विवरण प्रस्तुत करता है, जैसे कि खनिज खनन, बिजली, विनिर्माण आदि।
  - इसे अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक संकेतक माना जाता है।
- वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की गणना वित्तीय वर्ष 2011-2012 को आधार वर्ष मान कर की जाती है।
- इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है।
- IIP एक समग्र संकेतक है जो कि प्रमुख क्षेत्र (Core Sectors) एवं उपयोग आधारित क्षेत्र के आधार पर आँकड़े उपलब्ध कराता है।

सूचकांक का महत्त्व और प्रयोग

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) का उपयोग वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) जैसी सरकारी एजेंसियों और निजी फर्मों तथा विश्लेषकों द्वारा विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिये किया जाता है।
- चूँकि 1 वर्ष के प्रोजेक्ट के लिये केवल 1 माह के आँकड़ों को आधार नहीं बनाया जा सकता, इसलिये यह पूरे वर्ष का होना चाहिये।

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (Union Ministry of Housing and Urban Affairs-MoHUA) ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi-PM SVANidhi) योजना के तहत 5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

प्रमुख बिंदु:

- PM SVANidhi योजना 2 जुलाई को शुरू की गई थी और 1 लाख ऋण के आवेदन पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं।
- PM SVANidhi योजना COVID-19 महामारी के मद्देनज़र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत घोषित आर्थिक राहत पैकेज का एक हिस्सा है, यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिये एक वर्ष में ₹ 10,000 तक के पूंजीगत ऋण का प्रावधान करती है।

नोट :

- MoHUA के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य देश भर में 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लॉकडाउन के बाद काम फिर से शुरू करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
- ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदकों को किसी प्रकार की ज़मानत या कोलैट्रल (Collateral) की आवश्यकता नहीं होगी।
- इस योजना के तहत प्राप्त हुई पूंजी को चुकाने के लिये एक वर्ष का समय दिया जाएगा, विक्रेता इस अवधि के दौरान मासिक किश्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान कर सकेंगे।
- साथ ही इस योजना के तहत यदि लाभार्थी लिये गए ऋण पर भुगतान समय से या निर्धारित तिथि से पहले ही करते हैं तो उन्हें 7% (वार्षिक) की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' (Direct Benefit Transfer- DBT) के माध्यम से 6 माह के अंतराल पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- इस योजना में निर्धारित तिथि से पहले ऋण के पूर्ण भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लागू होगा।
- सूक्ष्म-वित्त संस्थानों (Micro finance Institutions- MFI)/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non Banking Financial Company- NBFC)/स्वयं सहायता समूह (Self Help Group-SHG), बैंकों को शहरी क्षेत्र की गरीब आबादी से जुड़ी इस योजना में शामिल किया गया है।
  - इन संस्थानों को ज़मीनी स्तर पर उनकी उपस्थिति और छोटे व्यापारियों व शहरों की गरीब आबादी के साथ निकटता के कारण इस योजना में शामिल किया गया है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान

- COVID-19 महामारी के दौरान देश की अर्थव्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति के मद्देनज़र 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की शुरुआत की गई।
- मिशन को दो चरणों में लागू किया जाएगा:
  - प्रथम चरण के तहत चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।
  - द्वितीय चरण में चरण में रत्न एवं आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है, जो भारत के 'सकल घरेलू उत्पाद' (Gross Domestic Product- GDP) के लगभग 10% के बराबर है। पैकेज में भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों (Land, Labour, Liquidity and Laws- 4Is) पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- आत्मनिर्भर भारत के पाँच स्तंभ:
  - अर्थव्यवस्था (Economy): जो वृद्धिशील परिवर्तन (Incremental Change) के स्थान पर बड़ी उछाल (Quantum Jump) पर आधारित हो;
  - अवसंरचना (Infrastructure): ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने;
  - प्रौद्योगिकी (Technolog): 21 वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली;
  - गतिशील जनसांख्यिकी (Vibrant Demography): जो आत्मनिर्भर भारत के लिये ऊर्जा का स्रोत है;
  - मांग (Demand): भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिये।

सौर उपकरण विनिर्माण में आत्मनिर्भरता

चर्चा में क्यों ?

'आत्मानिर्भर भारत अभियान', भारत के सौर ऊर्जा उपकरण विनिर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हाल ही में अनेक ' विनिर्माण इकाइयों' ने 'नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय' (Ministry of New and Renewable Energy) को इस दिशा में प्रस्ताव पेश किये हैं।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- हाल ही में भारत सरकार ने सौर ऊर्जा उपकरणों के आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाने को अनुमति दी है। सौर उपकरणों के घरेलू निर्माण में इन इकाइयों की दिलचस्पी में वृद्धि, सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से मेल खाती है।
- 10 गीगावाट (GW) से अधिक क्षमता वाले प्रस्ताव पेश करने वाली विनिर्माण इकाइयों में भारत तथा भारत से बाहर स्थित, दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयाँ शामिल हैं।

सरकार के कदम:

सेफगार्ड ड्यूटी:

- घरेलू विनिर्माताओं की सुरक्षा के लिये सरकार ने अल्पकालिक उपाय के रूप में 'सेफगार्ड ड्यूटी' (Safeguard Duties) को लागू किया गया है।
- भारत ने चीन और मलेशिया से सौर उपकरणों के आयात पर लगभग 15 प्रतिशत की दर से 'सेफगार्ड ड्यूटी' लागू की है। जिन्हें जुलाई 2021 तक बढ़ाया गया है।
- सामान्यत: 'सेफगार्ड ड्यूटी' को सीमित समय के लिये आरोपित किया जाता है, अत: यह दीर्घकालीन निवेश को प्रभावित नहीं करता है।

'सीमा शुल्क' (Customs Duties):

- दीर्घकालिक घरेलू निवेश को प्रेरित करने के लिये 'सीमा शुल्क' (Customs Duties) को आरोपित किया गया है।
- हालाँकि सौर उपकरणों पर लगभग 20-25 प्रतिशत के प्रस्तावित 'बुनियादी सीमा शुल्क' (Basic Customs Duty) को आधिकारिक रूप से लागू करना बाकी है।

ब्याज सब्सिडी योजना (Interest Subvention Scheme):

- घरेलू विनिर्माण पर 5 प्रतिशत ब्याज छूट के साथ 'इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम' वर्तमान में वित्त मंत्रालय के पास लंबित है।

'सौर विनिर्माण ज़ोन' (Solar Manufacturing zones):

- सौर विनिर्माण के लिये 'सौर विनिर्माण ज़ोन' (Manufacturing Zones) को नामित करने के एक प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

सौर उपकरण विनिर्माण के समक्ष चुनौतियाँ:

- विगत दो वर्षों में सौर ऊर्जा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये अनेक उपायों यथा सुरक्षा शुल्क, 'घरेलू सामग्री की आवश्यकता नीति' और 'मॉडल और निर्माताओं की अनुमोदित सूची' को अपनाने के बावजूद अपेक्षित पैमाने पर प्रगति नहीं हुई है।
- वर्तमान में सौर उपकरण विनिर्माण के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं:

पूंजी गहन उद्योग:

- सौर सेल विनिर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें उच्च प्रौद्योगिकी और अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। सौर सेल प्रौद्योगिकी का 8-10 महीने में उन्नयन करने की आवश्यकता होती है।

चीन का वर्चस्व:

- वर्तमान में भारत की 20GW की औसत वार्षिक विनिर्माण मांग के बावजूद केवल 3GW के आसपास विनिर्माण क्षमता है। 1.68 बिलियन डॉलर आयात के साथ सौर ऊर्जा उपकरणों का लगभग 80 प्रतिशत चीन से आयतित है।

कम क्षमता:

- 'मेरकॉम इंडिया रिसर्च' (Mercom India Research) के अनुसार, वर्तमान में भारत में 16 सौर सेल विनिर्माता इकाई हैं, जिनमें से केवल आधी इकाइयों की क्षमता 100 मेगावाट या उससे अधिक है।

नोट :

डबल्यूटीओ में चुनौती:

- 'घरेलू सामग्री आवश्यकता' (Domestic Content Requirements) से संबंधित नीति तथा अन्य शुल्क संबंधी उपायों को' विश्व व्यापार संगठन' में चुनौती दी जा सकती है।

आगे की राह:

- संभावित गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की खोज तथा उन्हें किफायती एवं सुलभ बनाने के लिये अनुसंधान की आवश्यकता है।
- भारत को पेरिस समझौते के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वित्तपोषण पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये।
- गैर-पारंपरिक ऊर्जा के साथ-साथ परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में भारत की स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों को अपनाने की दिशा में कार्य करना चाहिये।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता:

- भारत ने वर्ष 2014 के बाद से सौर ऊर्जा क्षमता में काफी प्रगति की है। भारत उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ विश्व के तीसरे बड़े सौर ऊर्जा बाज़ार के रूप में उभरा है।
- भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 175GW अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। जिसमें सौर ऊर्जा से 100 GW, पवन ऊर्जा से 60 GW, जैव-शक्ति ऊर्जा से 10 GW और लघु जल-विद्युत से 5 GW ऊर्जा शामिल हैं।
- भारत ने 'पेरिस समझौते' के तहत 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (INDC) के तहत वर्ष 2030 तक कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का 40% 'गैर-जीवाश्म ईंधन संसाधनों' से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
- भारत की संचयी सौर स्थापित क्षमता लगभग 36.6 GW है, जो भारत में कुल स्थापित विद्युत क्षमता के 9.8% का प्रतिनिधित्व करती है।
- बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को छोड़कर, देश के कुल विद्युत क्षमता मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान लगभग 23.9% है, जिसमें सौर ऊर्जा (9.8%), पवन ऊर्जा (10.1%), जैव-शक्ति (2.7%), लघु जलविद्युत परियोजनाएँ (1.3%), और अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाएँ (0.04%) शामिल हैं।

The Vision

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और भारत

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जिन लिक्यून (Jin Liqun) को पाँच वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिये चीन स्थित 'एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक' (Asian Infrastructure Investment Bank- AIIB) के अध्यक्ष पद हेतु पुन: निर्वाचित किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- जिन लिक्यून के अनुसार, AIIB द्वारा एक 'गैर राजनीतिक संस्था' के रुप में भारत में परियोजनाओं को जारी रखा जाएगा।
- बैंक के प्रबंधन द्वारा राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि आर्थिक और वित्तीय दृष्टिकोण से प्रस्तावित परियोजनाओं का निरीक्षण किया जाएगा।

भारत और एआईआईबी:

- वर्ष 2016 में स्थापित AIIB के 57 संस्थापक सदस्यों में से भारत एक है।
- भारत, AIIB में चीन (26.06%) के बाद दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक (7.62% वोटिंग शेयर के साथ) है।
- भारत द्वारा AIIB से 4.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्राप्त किया गया है जो किसी भी देश द्वारा प्राप्त सबसे अधिक ऋण राशि है।
  - AIIB द्वारा अब तक 24 देशों में 87 परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिये 19.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंज़ूरी दी है।
  - तुर्की 1.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ ऋण प्राप्ति में दूसरे स्थान पर है।
- AIIB द्वारा भारत में ऊर्जा, परिवहन एवं पानी जैसे क्षेत्रों के अलावा बंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना (USD 335 मिलियन), गुजरात में ग्रामीण सड़क परियोजना (USD 329 मिलियन) तथा मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के चरण-3 (500 मिलियन अमेरिकी डॉलर) परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये मंज़ूरी दी गई है।
- हाल ही में एक आभासी बैठक में भारत द्वारा यह कहा गया कि COVID-19 संकट के दौरान AIIB से अपेक्षा की जाती है यह एआईआईबी पुनर्प्राप्ति प्रतिक्रिया (AIIB's Recovery Response) अर्थात 'क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी' द्वारा सामाजिक बुनियादी ढाँचे को विकसित करने तथा जलवायु परिवर्तन एवं सतत् ऊर्जा संबंधी बुनियादी ढाँचे के विकास को एकीकृत करने के लिये नए वित्त संसाधनों को उपलब्ध कराए।
  - इसका निहितार्थ यह है कि हाल ही में भारत द्वारा चीन के साथ अपने व्यापार और निवेश को कम किया गया है इसके बावजूद भारत का चीन के नेतृत्व वाले एशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ अपने सहयोग को बदलने या कम करने का कोई इरादा नहीं है।

चीन का दृष्टिकोण:

- जून 2020 में, AIIB द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक (Asian Development Bank-ADB) के साथ मिलकर 'COVID-19 इमरजेंसी रिस्पांस फंड और हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेडनेस प्रोजेक्ट' के लिये 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा 'COVID-19 एक्टिव रिस्पॉन्स और एक्सपेंडेचर सपोर्ट' (COVID-19 Active Response and Expenditure Support) के लिये 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त को मंज़ूरी प्रदान की गई है।
  - भारत-चीन सीमा के साथ लद्दाख की गलवान घाटी में झड़प के दो दिन बाद भी 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंज़ूरी दी गई थी।
- AIIB द्वारा 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (Belt and Road Initiative- BRI) के तहत कई परियोजनाओं का समर्थन किया गया है, हालाँकि यह औपचारिक रूप से इस परियोजना से जुड़ा हुआ नहीं है।
  - चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो BRI परियोजना का ही भाग है, भारत के लिये सामरिक दृष्टि से एक चिंता का विषय है।

नोट :

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक:

- एआईआईबी एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाने के मिशन के साथ एक बहुपक्षीय विकास बैंक है।
- इसका मुख्यालय बीजिंग (चीन) में है।
- इसने जनवरी, 2016 में कार्य करना शुरू कर दिया था।
- विश्व में इसके कुल अनुमोदित सदस्यों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है।

आगे की राह:

- भारत को AIIB के साथ अपने संबंधों को मज़बूती के साथ कायम रखना चाहिये क्योंकि यह राष्ट्रीय और सीमा पार बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये संसाधनों का उपयोग करने में सहायक होगा।
- जिस प्रकार विश्व बैंक में अमेरिका का वर्चस्व है तथा एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank- ADB) पर जापान का उसी प्रकार AIIB का भी महत्त्व है।
- भारत को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उसके हितों को सदस्य देशों द्वारा स्पष्ट के साथ रखा जाए साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि AIIB चीनी भू राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा नहीं है।

इक्वाडोर के समुद्री क्षेत्र के निकट चीनी हस्तक्षेप

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'इक्वाडोर' (Equador) ने अपने समुद्री क्षेत्र के निकट बड़ी संख्या में चीन के मछली पकड़ने वाले जहाज़ों की गतिविधि में हुई वृद्धि के संदर्भ में आधिकारिक रूप से चीन से अपनी असहजता व्यक्त की है।

प्रमुख बिंदु:

- हाल ही में इक्वाडोर के गैलापागोस द्वीप समूह (Galapagos Islands) के निकट लगभग 260 मछली पकड़ने वाले जहाज़ों को देखे जाने के बाद इक्वाडोर द्वारा इस क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई थी।
- गौरतलब है कि प्रशांत महासागर स्थित गैलापागोस द्वीप समूह लगभग 60,000 वर्ग किमी. में फैला है और यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से लगभग 1,000 किमी. दूरी पर स्थित है।
- गैलापागोस द्वीप समूह के आस-पास मछलियों का व्यावसायिक शिकार बढ़ने से क्षेत्र में पाई जाने वाली शार्क जैसी जलीय प्रजातियाँ अब लुप्तप्राय हो चुकी हैं।
- इक्वाडोर को हर वर्ष इस क्षेत्र में चीन के मछली पकड़ने वाले जहाज़ों से अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हेतु चुनौती का सामना करना पड़ता है।

क्षेत्र में चीनी मछुआरों की बढ़ती सक्रियता:

- हाल में चीनी जहाज़ों के समूह को दोनों तरफ (मुख्य इक्वाडोर और गैलापागोस द्वीप समूह) से इक्वाडोर के अधिकार क्षेत्र से लगभग 200 मील दूर अंतर्राष्ट्रीय जल (International Waters) में देखा गया था। जहाज़ों के इस समूह में लाइबेरिया और पनामा के झंडे लगे कुछ जहाज़ भी शामिल थे।
- इक्वाडोर के विदेश मंत्री के अनुसार, चीन के मछली पकड़ने वाले जहाज़ हर वर्ष इक्वाडोर के अधिकार वाले समुद्री क्षेत्र की सीमा तक आ जाते हैं।
  - वर्ष 2019 में भी इसी क्षेत्र में (इक्वाडोर के समुद्री अधिकार क्षेत्र के बाहर) चीन के 254 मछली पकड़ने वाले जहाज़ों को देखा गया था।
  - वर्ष 2017 में ऐसे ही एक चीनी जहाज़ के इक्वाडोर के अधिकार वाले समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद इक्वाडोर के अधिकारियों द्वारा उसे पकड़ लिया गया था।

नोट :

- इक्वाडोर के अधिकारियों द्वारा पकड़े गए चीनी जहाज़ में रखे समुद्री वन्यजीवों का वज़न लगभग 300 टन बताया गया था।
- इनमें से अधिकांश मात्रा 'स्कैलोप्ड हैमरहेड शार्क' (Scalloped Hammerhead Shark) की थी जिसे IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered) श्रेणी में रखा गया है।
  - चीन के एक प्रचलित भोजन के रूप में स्कैलोप्ड हैमरहेड शार्क की बड़ी मांग है।
  - एक रिपोर्ट के अनुसार, हॉन्गकॉन्ग के बाज़ारों में पाए जाने वाले दो-तिहाई स्कैलोप्ड हैमरहेड शार्क के पर या फिन (Finn) गैलापागोस क्षेत्र से ही आते हैं।

- चीन के मछुआरे अधिकांशत: वर्ष के इस समय में इक्वाडोर के समुद्री क्षेत्र में आ जाते हैं क्योंकि वर्ष के इस समय ठंडी पेरू धारा अपने साथ बड़ी मात्रा में पोषक तत्त्व अपवाहित करती है, जिससे इस क्षेत्र में समुद्री प्रजातियों का एक बड़ा समूह इकठ्ठा हो जाता है।

क्षेत्रीय देशों की प्रतिक्रिया:

- चीनी जहाज़ों को क्षेत्र के अन्य देशों के साथ भी तनाव का सामना करना पड़ा है।
- वर्ष 2016 में अर्जेंटीना के तटरक्षकों ने एक चीनी जहाज़ का पीछा करते हुए इस समुद्र में डुबो दिया था।
  - अर्जेंटीना के तटरक्षकों के अनुसार, यह जहाज़ बिना आधिकारिक अनुमति के दक्षिणी अटलांटिक महासागर में मछली पकड़ रहा था।
- हालिया मामले में इक्वाडोर की नौसेना ने पहले चीनी जहाज़ों को 16 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जल में देखे जाने की घोषणा की थी परंतु इस सप्ताह इसे राजनयिक स्तर तक उठाया गया।
- इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने इस 'खतरे' पर पेरू, चिली, कोलंबिया और पनामा जैसे क्षेत्र के अन्य प्रभावित तटीय देशों से इस मुद्दे पर चर्चा करने की बात कही है।
- संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इक्वाडोर की आर्थिक और पर्यावरणीय संप्रभुता की तरफ निर्देशित आक्रामकता के खिलाफ इक्वाडोर के साथ खड़े होने की बात कही है।

चीन का पक्ष:

- चीन के अनुसार, फिशिंग (Fishing) के मामले में वह एक उत्तरदायी राष्ट्र है और वह अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ एक "शून्य सहिष्णुता" की नीति रखता है।

वैश्विक चुनौती:

- हाल के वर्षों में सैन्य शक्ति और व्यावसायिक विस्तार के साथ-साथ समुद्री शिकार के क्षेत्र में भी चीन की आक्रामकता में वृद्धि देखने को मिली है।
- फरवरी 2020 में चीनी तटरक्षकों के सहयोग से चीन के मछुआरों ने बिना किसी आधिकारिक अनुमति के इंडोनेशिया के नातुना सागर क्षेत्र में प्रवेश किया था।
- अप्रैल 2020 में चीनी मछुआरों द्वारा बिना किसी आधिकारिक अनुमति के दक्षिण अफ्रीका की समुद्री सीमा में प्रवेश करने के कारण उनके जहाज़ों को ज़ब्त कर लिया गया था।

आगे की राह:

- एक रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरों का जल स्तर बढ़ने से मछली पकड़ने के मामले में द्वीपों के आसपास दबाव बढ़ जाएगा। क्योंकि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा द्वीपों के आसपास मछलियाँ मिलने की संभावनाएँ अधिक होती हैं।
- मछुआरों द्वारा अधिक शिकार प्राप्त करने के लिये प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों तथा अनियंत्रित शिकार से समुद्री जीवों की आबादी में गिरावट के साथ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भी भारी क्षति होती है।
- ऐसे में विश्व के सभी देशों को राजनीति मतभेदों को दूर रखते हुए समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा हेतु मिलकर प्रयास करने चाहिये।

गैलापागोस द्वीप समूह:

- गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर स्थित है और यह लगभग 60,000 वर्ग किमी. में फैला है।
- यह द्वीप समूह इक्वाडोर का हिस्सा है और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से लगभग 1,000 किमी. दूरी पर स्थित है।

नोट :

- इक्वाडोर द्वारा इस द्वीप समूह के एक हिस्से को वर्ष 1935 में 'वन्यजीव अभयारण्य' बना दिया गया था, इस अभयारण्य को वर्ष 1959 में गैलापागोस नेशनल पार्क में बदल दिया गया।
- वर्ष 1978 में गैलापागोस द्वीप समूह को यूनेस्को (UNESCO) द्वारा पहले विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिह्नित किया गया था।
- इस द्वीप समूह पर मांटा रे (Manta Ray) और शार्क जैसे जलीय प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- साथ ही इन द्वीपों पर समुद्री इगुआना, फर सील और वेब्ड अल्बाट्रोस जैसे कई जलीय वन्यजीवों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने वर्ष 1835 में इस द्वीप समूह पर कुछ महत्त्वपूर्ण अध्ययन किये थे जिसने उनके विकासवाद के सिद्धांत में अहम भूमिका निभाई थी।

हिरोशिमा काली

संदर्भ

हाल ही में हिरोशिमा (जापान) की एक ज़िला अदालत ने 1945 के परमाणु विस्फोट के बाद हुई 'काली बारिश' से जीवित बचे 84 लोगों को पीड़ितों के रूप में मान्यता दे दी है, अब ये सभी लोग परमाणु विस्फोट के पीड़ितों के रूप में उपलब्ध नि:शुल्क चिकित्सीय सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

परमाणु विस्फोट की घटना

- 6 अगस्त और 9 अगस्त, 1945 को जापान के हिरोशिमा (Hiroshima) एवं नागासाकी (Nagasaki) पर अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया।
- एक अनुमान के अनुसार, इन दोनों विस्फोटों और परिणामी आग्नेयास्त्र (विस्फोट के कारण लगी बड़ी आग) से हिरोशिमा में लगभग 80,000 और नागासाकी में लगभग 40,000 लोगों की मौत हुई थी।
- विस्फोट के बाद रेडियोएक्टिव विकिरण के संपर्क में आने और विस्फोटों के बाद हुई 'काली बारिश' से भी दोनों शहरों में हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी।

'काली बारिश' (Black Rain) क्या है ?

- एक अनुमान के अनुसार, इस परमाणु हमले से नष्ट हुई इमारतों का मलबा और कालिख, बम से निकले रेडियोधर्मी पदार्थ के साथ मिलकर वातावरण में एक मशरूम रूपी बादल के रूप में प्रकट हुआ। ये पदार्थ वायुमंडल में वाष्प के साथ संयुक्त हो गए जिसके बाद काले रंग की बूंदों के रूप में धरती पर गिरने लगे जिसे 'काली बारिश' कहा गया।
- 'काली बारिश' से बचे लोगों ने इसे बारिश की बड़ी-बड़ी बूंदों के रूप में वर्णित किया जो सामान्य बारिश की बूंदों की तुलना में बहुत भारी थी।
- इस घटना में जीवित बचे लोगों के अनुसार, घटना के शिकार हुए बहुत से लोगों के शरीर की खाल जल गई और लोग गंभीर रूप से निर्जलित (Dehydrated) हो गए।

इसका प्रभाव क्या हुआ ?

- काली बारिश, अत्यधिक रेडियोधर्मी पदार्थ से युक्त थी, इस संबंध में हुए अध्ययनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस बारिश के संपर्क में आने से कई प्रकार की गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं।
- वर्ष 1945 में किये गए एक अध्ययन से पता चलता है कि ग्राउंड ज़ीरो से तकरीबन 29 किमी. के क्षेत्र में काली बारिश हुई।
- इस बारिश ने अपने संपर्क में आने वाली सभी चीज़ों को दूषित कर दिया।
- काली बारिश ने कई लोगों में विकिरण के तीव्र लक्षण (Acute Radiation Symptoms-ARS) उत्पन्न किये। कुछ लोग कैंसर से ग्रस्त हो गए तो कुछ लोगों की आँखों की रोशनी चली गई। शहर की ज़मीन और पानी भी विकिरण से दूषित हो गया था।

नोट :

नागासाकी के बारे में बात करें तो

- नागासाकी पर गिराया गया बम हिरोशिमा पर गिराए गए बम से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन इससे कम लोगों की मौत हुई और शहर की भौगोलिक स्थिति के कारण इसका प्रभाव एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित रहा।
- इसका मतलब यह था कि हिरोशिमा की तुलना में नागासाकी में काली बारिश के लिये आवश्यक रेडियोएक्टिव सामग्री कम थी, यही कारण था कि यहाँ अपेक्षाकृत छोटे से क्षेत्र में ही बारिश सीमित थी।

हादसे के संबंध में हुए अध्ययनों के अनुसार

- वर्ष 1976 में जापानी सरकार ने हिरोशिमा में हुए वर्ष 1945 के अध्ययन का उपयोग उस क्षेत्र का सीमांकन करने के लिये किया जिसके भीतर काली बारिश और परमाणु विस्फोट के पीड़ित लोग चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का दावा कर सकें।
- युद्ध के बाद जापान की सरकार द्वारा अध्ययनों से पता चला है कि सरकार द्वारा सीमांकित किये गए आकार का लगभग चार गुना अधिक क्षेत्र काली बारिश से प्रभावित हुआ होगा।
- इन अध्ययनों के आधार पर कुछ इलाकों को बमबारी की वजह से गंभीर रूप से प्रभावित घोषित किया था। उस समय जो लोग वहाँ रह रहे थे उन्हें मुफ्त चिकित्सा देने की घोषणा की गई। ये 84 वादी, जिन इलाकों में रहते थे वो हमले से प्रभावित घोषित इलाके से तो बाहर थे लेकिन हमले के बाद काली बारिश से उत्पन्न हुए रेडियोएक्टिव संदूषण की चपेट में आ गए थे।

  बुधवार को आए फैसले से क्या लाभ होगा?
- इन वादियों ने न्यायालय के समक्ष दलील प्रस्तुत की थी कि उनके स्वास्थ्य पर भी उसी तरह का प्रभाव पड़ा था जैसा कि उन लोगों पर पड़ा था जो घोषित इलाके में रह रहे थे।
- इस संबंध में बुधवार को हिरोशिमा ज़िला न्यायालय में हुई सुनवाई में न्यायालय ने इन लोगों को हिबाकुशा के रूप में मान्यता देते हुए कहा कि 'काली बारिश' में भीगने वाले लोगों की भाँति ये लोग भी ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जिन्हें परमाणु बम से संबंधित माना जाता है।
  - द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा किये गए इस हमले के पीड़ितों को हिरोशिमा में स्थानीय लोग 'हिबाकुशा' कहते हैं।
  - अमेरिकी बमबारी के 75 वर्ष पूरे होने के कुछ दिन पहले ही यह निर्णय आया है।

परमाणु हमले के लिये जापान को ही क्यों चुना गया?

- द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान जर्मनी का साथ दे रहा था। जर्मनी ने मई 1945 में ही समर्पण कर दिया था।
- जुलाई 1945 में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन युद्ध के बाद की स्थिति पर विचार करने के लिये जर्मनी के शहर पोट्सडम में मिले, इसका एक कारण यह था कि अभी तक प्रशांत क्षेत्र में युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। जापान अभी भी मित्र देशों के सामने समर्पण करने के लिये तैयार नहीं था।
- पोट्सडम में ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन को यह जानकारी मिली कि न्यू मेक्सिको में परमाणु बम का परीक्षण सफल रहा है। पोट्सडम में ही ट्रूमैन और चर्चिल के बीच इस बात पर सहमति बनी कि यदि जापान तत्काल बिना किसी शर्त के समर्पण करने के लिये तैयार नहीं होता तो उसके खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाएगा।
- जापान के समर्पण नहीं करने के कारण पहली अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु हमले की तारीख तय की गई। लेकिन तूफान के कारण इस दिन हमले को रोकना पड़ा, इसके पाँच दिन बाद यह हमला किया गया।

हिरोशिमा के बाद नागासाकी पर हमला क्यों किया गया?

- हिरोशिमा पर हुए हमले के बावजूद जापान समर्पण के लिये तैयार नहीं हुआ। संभवत: सीमा पर तैनात जापानी अधिकारियों को हिरोशिमा में हुई तबाही की जानकारी नहीं मिल पाई थी, लेकिन उसके तीन दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया।
- पहले हमले के लिये क्योटो को चुना गया था लेकिन अमेरिकी रक्षा मंत्री की आपत्ति के बाद नागासाकी शहर को चुना गया। फैट मैन नामक बम 22,000 टन टीएनटी की शक्ति के साथ नागासाकी पर गिराया गया।
- वर्ष 1945 में नागासाकी मित्सुबिशी कंपनी के हथियार बनाने वाले कारखानों का केंद्र तो था ही साथ ही वहाँ कंपनी का जहाज़ बनाने के कारखाने के साथ-साथ अन्य कारखाने भी थे जिनमें टारपीडो बनाए जाते थे जिनसे जापानियों ने पर्ल हार्बर में अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला किया था।

नोट :

- नागासाकी पर परमाणु हमले के एक दिन बाद जापान के सम्राट हीरोहीतो ने अपने कमांडरों को देश की संप्रभुता की रक्षा की शर्त पर मित्र देशों की सेना के सामने समर्पण करने का आदेश दे दिया। मित्र देशों ने शर्त मानने से इंकार कर दिया और हमले जारी रखे।
- उसके बाद 14 अगस्त को एक रेडियो भाषण में सम्राट हीरोहीतो ने प्रतिद्वंद्वियों के पास 'अमानवीय' हथियार होने की दलील देकर बिना किसी शर्त के ही समर्पण करने की घोषणा कर दी।
- औपचारिक रूप से तो यह युद्ध 12 सितंबर, 1945 को ही समाप्त हो गया था लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु हमलों के शिकार लोगों की तकलीफ का अंत नहीं हुआ। युद्ध की इस पीड़ा ने जापान के बहुमत को युद्धविरोधी बना दिया।

चतुष्पक्षीय संवाद

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, चीन द्वारा अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ चतुष्पक्षीय संवाद/वार्ता (Quadrilateral Dialogue) का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु:

चार सूत्री योजना:

- इस वार्ता में चीन ने COVID-19 महामारी को रोकने, आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative-BRI) बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को फिर से शुरू करने के लिये चार-सूत्रीय योजना का प्रस्ताव रखा।
- चार सूत्री योजना में शामिल हैं-
  - अच्छे पड़ोसियों के रूप में महामारी से लड़ने में आम सहमति साझा करना।
  - चीन और पाकिस्तान के महामारी के संयुक्त रोकथाम और नियंत्रण मॉडल से सीखना।
  - चारों देशों द्वारा शीघ्र ग्रीन चैनल खोलने पर विचार करना। ग्रीन चैनल एक मार्ग है, जिसके माध्यम से यात्री हवाई अड्डे में सीमा शुल्क आदि देने के बाद यह दावा करते हैं कि उनके पास कोई भी आपत्तिजनक/संदिग्ध सामान नहीं है।
  - चीन को तीन देशों (पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल) में COVID-19 महामारी से बचाव के संदर्भ में विशेषज्ञता हासिल है जिसमें वो टीके भी शामिल हैं जिनको चीन द्वारा विकसित किया जा रहा है तथा जो इन देशों के साथ साझा किये जाएंगे।
- पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान द्वारा इस वार्ता में चीन की प्रस्तावित चार-सूत्री सहयोग पहल का सक्रिय रूप से समर्थन किया गया।
- वार्ता में शामिल अन्य चर्चित मुद्दे:
  - चीन द्वारा अफगानिस्तान में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) का विस्तार करने का भी प्रस्ताव रखा गया, साथ ही नेपाल के साथ एक आर्थिक गलियारे की योजना को आगे बढ़ाते हुए ट्रांस-हिमालयन मल्टी-डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क (Trans-Himalayan Multi-dimensional Connectivity Network) पर भी बात की गई।
  - चारों देशों द्वारा महामारी के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन की बहुपक्षीय मदद अर्थात WHO द्वारा अफगानिस्तान में संघर्ष विराम की स्थिति का समर्थन करना तथा अफगानिस्तान में शांति और सुलह प्रक्रिया का समर्थन आदि का समर्थन किया गया।

भारत की चिंता:

- चीन द्वारा इस चतुष्पक्षीय बैठक में तीन देशों से अपने भौगोलिक हितों का लाभ उठाने, चार देशों एवं मध्य एशियाई देशों के मध्य आदान-प्रदान एवं संपर्क को मजबूत करने तथा क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता की रक्षा करने के लिये कहा गया।
- चीन की यह टिप्पणी उस समय और अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है जब भारत और चीन के मध्य सीमा पर तनाव की स्थिति विद्यमान है।
- यह वार्ता उस समय आयोजित हुई है जब कालापानी क्षेत्र (Kalapani Region) में सीमा विवाद के कारण भारत-नेपाल संबंध चिंताजनक स्थिति में है।
- नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. ओली द्वारा भारत पर अपनी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया गया है।

नोट :

आगे की राह:

चीन दक्षिण एशिया में एक ठोस अतिक्रमण रणनीति को अपना रहा है जो निश्चित रूप से भारत के हितों को प्रभावित करेगा। विशेषज्ञों की ऐसी राय है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (South Asian Association for Regional Cooperation-SAARC) समूह के तीन सदस्यों को भारत की सहमति के बिना चीन द्वारा एक साथ लाना भारत के प्रति चीन का एक भड़काऊ कदम है अत: भारत द्वारा इसे एक संदेश के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है।

अमेरिका और टिकटॉक

चर्चा में क्यों ?

भारत द्वारा टिकटॉक (TikTok) समेत अन्य एप्स पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध के बाद अब टिकटॉक, अमेरिका और चीन के बीच तेज़ी से बढ़ते डिजिटल युद्ध के केंद्र में भी आ गया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि बीते दिनों भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act) की धारा 69 (A) का प्रयोग करते हुए चीन द्वारा निर्मित और संचालित 59 एप्स को प्रतिबंधित कर दिया है, जिनमें टिकटॉक, शेयर इट, कैम स्कैनर इत्यादि शामिल थे।

टिकटॉक और अमेरिका

- भारत द्वारा टिकटॉक और अन्य एप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के बाद अमेरिका भी इसी प्रकार की कार्रवाई पर विचार कर रहा है।
- ध्यातव्य है कि इस संबंध में अमेरिका ने भी सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है।
- केवल टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के बजाय अमेरिका, चीन की इंटरनेट कंपनी बाइटडांस (ByteDance), जिसके पास टिकटॉक का मालिकाना हक है, पर अपने व्यवसाय को अमेरिका की दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) को सौंपने का दबाव बना रहा है।
- ध्यातव्य है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), सत्य नडेला के साथ बातचीत करके बाइटडांस और माइक्रोसॉफ्ट वार्ता में हस्तक्षेप भी किया है।

माइक्रोसॉफ्ट के लिये टिकटॉक का महत्त्व

- उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, जनवरी 2020 तक विश्व में टिकटॉक के पास कुल 800 मिलियन से भी अधिक उपयोगकर्त्ता थे। केवल अमेरिका में ही बीते वर्ष टिकटॉक को कुल 49 मिलियन बार डाउनलोड किया गया था।
- अनुमान के अनुसार, अमेरिका में टिकटॉक उपयोगकर्त्ता औसतन एक दिन में 8 बार और लगभग 40 मिनट तक इस एप का प्रयोग करते हैं।
- इस प्रकार यदि माइक्रोसॉफ्ट, टिकटॉक को प्राप्त करने में सफल रहता है तो उसे अमेरिका में टिकटॉक उपयोगकर्त्ताओं का एक व्यापक आधार मिलेगा।
- गौरतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की अन्य दिग्गज कंपनियों जैसे फेसबुक और गूगल आदि से सोशल मीडिया के क्षेत्र में काफी पीछे रही है, शायद इसका मुख्य कारण यह है कि माइक्रोसॉफ्ट के पास कोई विशिष्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, यदि माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक का अधिग्रहण कर लेता है तो उसकी यह कमी भी पूरी हो जाएगी और उसे एक पहले से बना हुआ तथा प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा।

टिकटॉक के साथ क्या समस्या है ?

- अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की शुरुआत मुख्यत: दो कारणों से हुई, सबसे पहला तो यह कि टिकटॉक चीन की एक इंटरनेट कंपनी, बाइटडांस के स्वामित्त्व में है और दूसरा यह कि चीन लगातार तकनीक समेत अन्य विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे रहा है।

नोट :

- अमेरिका में इस बात को लेकर चिंता काफी बढ़ गई है कि चीन की सरकार इस एप के माध्यम से उन अमेरिकियों के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकती है जो इसका उपयोग कर रहे हैं, ऐसे में अमेरिका के नागरिकों की निजता पर एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है, हालाँकि टिकटॉक ने बार-बार इन आरोपों से साफ तौर पर इनकार कर दिया है।
- ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि चीन की स्वामित्त्व वाली कंपनियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये एक बड़ा खतरा पैदा करती हैं, क्योंकि चीन के स्थानीय कानूनों के तहत चीन की सरकार को चीन में कार्य कर रही कंपनियों के डेटा तक पहुँच प्राप्त है।
- अमेरिका ने इससे पूर्व भी चीन की हूवेई (Huawei) और जेडटीई (ZTE) कंपनियों पर इसी प्रकार के आरोप लगाए थे। इस प्रकार अब टिकटॉक अमेरिका और चीन के बीच इस डिजिटल युद्ध के केंद्र में आ गया है।

अमेरिका-चीन डिजिटल युद्ध

- गौरतलब है कि बीते कुछ वर्षों में उद्योग विकास एवं तकनीक के मुद्दे पर अमेरिका और चीन के मध्य तनाव में काफी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, बीते एक दशक में वैश्विक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दो दिग्गज देशों के बीच यह एक द्वंद्वयुद्ध के रूप में परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है।
- बीते दिनों अमेरिका ने चीन की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे (Huawei) पर कई प्रतिबंध अधिरोपित किये थे। ध्यातव्य है कि ये प्रतिबंध ऐसे समय में लगाए गए थे जब वैश्विक स्तर पर लगभग सभी देशों में 5G को शुरू करने की तैयारी की जा रही है, ऐसे में अमेरिका के इस निर्णय से चीन की 5G तकनीक पर प्रभाव पड़ सकता है।
- वर्ष 2012 में चीन की दूरसंचार कंपनियों के कारण उत्पन्न खतरे की जाँच करने वाली एक अमेरिकी समिति ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि हुआवे और चीन की एक अन्य दूरसंचार कंपनी ज़ेडटीई (ZTE) को विदेशी राष्ट्र जैसे चीन आदि के प्रभाव से मुक्त नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार ये कंपनियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के लिये एक सुरक्षा खतरा उत्पन्न कर सकती हैं।

क्या है टिकटॉक ?

- ध्यातव्य है कि टिकटॉक लघु वीडियो साझा करने वाला एक प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म है, और यह उपयोगकर्त्ताओं को किसी भी विषय पर तकरीबन 15-सेकंड के वीडियो बनाने और उसे साझा करने की अनुमति देता है।
- 2019 की शुरुआत से ही यह एप कई बार शीर्ष स्थान पर रहा है, गौरतलब है कि महामारी-जनित लॉकडाउन के दौरान इस एप में आम लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ी है।
- एक अनुमान के अनुसार, जनवरी 2020 तक विश्व में टिकटॉक के 800 मिलियन से अधिक सक्रिय उपयोगकर्त्ता थे, जिसमें से सबसे अधिक उपयोगकर्त्ता भारत में थे, हालाँकि अभी इस एप को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है।

भारत और टिकटॉक

- बीते दिनों भारत सरकार ने चीन से संचालित टिकटॉक समेत कुल 59 एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- हालाँकि सरकार ने यह प्रतिबंध डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता की दृष्टि से प्रस्तावित किया है, किंतु विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत सरकार द्वारा की गई यह कार्रवाई भारत-चीन सीमा पर दोनों देशों के बीच पैदा हुए तनाव का परिणाम है।
- यह देखते हुए कि भारत टिकटॉक के वैश्विक बाज़ार का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, सरकार के इस निर्णय का टिकटॉक के राजस्व पर काफी गहरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।
- इसके अलावा भारत सरकार का यह प्रतिबंध 21वीं सदी की डिजिटल महाशक्ति बनने के चीन के सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है।

कश्मीर: भारत और चीन

चर्चा में क्यों ?

जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के एक वर्ष बाद चीन ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council-UNSC) में जम्मू-कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है बीते वर्ष विशेष दर्जे की समाप्ति के बाद यह तीसरी बार हुआ है जब चीन ने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के समक्ष उठाया है, इससे पूर्व यह मुद्दा बीते वर्ष अगस्त माह में और इस वर्ष जनवरी माह में उठाया गया था, किंतु पिछले अवसरों की तरह इस बार भी चीन को कोई सफलता नहीं मिल सकी।

जम्मू-कश्मीर पर चीन का पक्ष

- हाल ही में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि 'चीन कश्मीर क्षेत्र की स्थिति पर बारीकी से नज़र बनाए हुए है और कश्मीर के मुद्दे पर चीन की स्थिति सुसंगत और स्पष्ट है।
- कश्मीर के मुद्दे पर अपने पक्ष को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर चीन हमेशा से तीन बातों पर ज़ोर देता हुआ आया है-
  - पहला यह कि कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच इतिहास का बचा हुआ एक विवाद है।
  - दूसरा यह कि कश्मीर क्षेत्र की यथास्थिति में कोई भी एकतरफा परिवर्तन पूर्ण रूप से अवैध और अमान्य है।
  - तीसरा और अंतिम यह कि कश्मीर क्षेत्र का मुद्दा संबंधित पक्षों के बीच बातचीत और परामर्श के माध्यम से शांतिपूर्वक ढंग से हल होना चाहिये।

भारत ने क्या कहा ?

- चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में कश्मीर के मुद्दे को उठाने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 'चीन को इस मामले में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है, और इसलिये चीन को अन्य देशों के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने से बचना चाहिये।
- संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी. एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की हालिया बैठक बंद कमरे में आयोजित पूर्ण रूप से एक अनौपचारिक बैठक थी, जिसका कोई भी रिकॉर्ड संग्रहित नहीं किया गया।'
- भारत ने कई अवसरों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करना भारत का आंतरिक मामला था।

निहितार्थ

- गौरतलब है कि बीते कुछ वर्षों में जम्मू-कश्मीर को लेकर चीन की स्थिति में काफी परिवर्तन आया है, पहले चीन यह कहते हुए अपनी तटस्थता पर बल देता था कि कश्मीर एक ऐतिहासिक मुद्दा है, जिसे भारत और पाकिस्तान द्वारा आपसी समन्वय के माध्यम से सुलझा जाना चाहिये।
- हालाँकि बीते एक वर्ष में खासतौर पर जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे की समाप्ति के बाद से कश्मीर को लेकर चीन के पक्ष में काफी परिवर्तन आया है और वह स्पष्ट तौर पर पाकिस्तान की ओर अधिक झुका हुआ दिखाई दे रहा है।
- इस बीच चीन ने कई बार जम्मू-कश्मीर की स्थिति को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के समक्ष उठाकर कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की है।

जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन की पहली वर्षगांठ

- संयोगवश यह पूरा घटनाक्रम जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन की पहली वर्षगांठ के अवसर पर ही घटित हुआ। गौरतलब है कि बीते वर्ष 5 अगस्त के ही दिन केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जम्मू-कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाकर राज्य का विभाजन दो केंद्रशासित क्षेत्रों- जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में कर दिया था।
- इसी के साथ जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान रद्द हो गया था और वहाँ भारतीय संविधान लागू हो गया था। वहीं जम्मू-कश्मीर के अलग झंडे की अवधारणा भी समाप्त हो गई।
- राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करते हुए सरकार ने तर्क दिया था कि इस निर्णय के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में विकास कार्य सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- 5 अगस्त और उसके पश्चात् कश्मीर घाटी में हज़ारों लोगों को हिरासत में लिया गया, इनमें से कई लोगों को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (Public Safety Act-PSA) के तहत हिरासत में लिया गया, जिसमें पहली बार राज्य के मुख्य धारा के नेता भी शामिल थे।
- साथ ही क्षेत्र विशिष्ट में इंटरनेट सेवाएँ भी पूरी तरह से बंद कर दी गई थीं, जिन्हें अभी तक पूरी तरह बहाल नहीं किया गया है।

नोट :

एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट

- मानवाधिकारों के मुद्दे पर हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की एक रिपोर्ट में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) से जम्मू-कश्मीर में कार्यालय स्थापित करने का आग्रह किया गया है।
- इसके अलावा संगठन ने सरकार से सभी राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को नज़रबंदी से मुक्त करने और राज्य में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएँ बहाल करने का भी आह्वान किया है।

पाकिस्तान का नया मानचित्र

चर्चा में क्यों:

हाल ही में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सर क्रीक और जूनागढ़ को शामिल करते हुए एक नए राजनीतिक मानचित्र का अनावरण किया है।

प्रमुख बिंदु:

- यह मानचित्र अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जे के निराकरण/समाप्ति की पहली वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर जारी किया गया है।
- मानचित्र में पूरे जम्मू और कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है तथा यह कश्मीर के पूर्व में कोई सीमा नहीं दर्शाता है।
  - इसके अलावा इसमें इस्लामाबाद में कश्मीर राजमार्ग नाम बदलकर श्रीनगर राजमार्ग के रूप में दर्शाया गया है।
- यह दावा करता है कि सियाचिन, सर क्रीक के क्षेत्र और गुजरात में जूनागढ़ की पूर्ववर्ती स्थिति पाकिस्तान के क्षेत्र के रूप में है।
  - यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने जूनागढ़ को अपने क्षेत्र के रूप में चित्रित करने की कोशिश की है। वर्ष 2012 के पाकिस्तान के एटलस ने भी जूनागढ़ को पाकिस्तान के क्षेत्र के रूप में चित्रित किया था।
- नक्शे में संघीय रूप से प्रशासित जनजातीय क्षेत्र (Federally Administered Tribal Areas- FATA) को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के हिस्से के रूप में भी दिखाया गया है।

भारत की प्रतिक्रिया:

- इस कदम पर तेज़ी से प्रतिक्रिया देते हुए, भारत ने इसे "राजनीतिक गैर-बराबरी की एक कवायद करार (Exercise In Political Absurdity) दिया है" और इन हास्यास्पद दावों की न तो कोई कानूनी वैधता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता है, कहते हुए इस मानचित्र को खारिज कर दिया।

भारत के लिये चिंता:

- हाल के दिनों में यह दूसरी बार है जब भारत के पड़ोसी देश ने भारत के क्षेत्रों पर दावा करते हुए एक नया मानचित्र प्रकाशित किया है। इससे पहले नेपाल ऐसा करने वाला पहला देश था।
  - नेपाल ने कालापानी क्षेत्र पर अपना दावा करते हुए अपने मानचित्र को प्रकाशित किया था।
- इसके अलावा नेपाल और पाकिस्तान की चीन के साथ निकटता।
- हाल ही में, चीन ने भी अपने पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control- LAC) के साथ अपने पक्ष में यथास्थिति बदल दी।

सर क्रीक लाइन:

- यह कच्छ के रण में भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित जल की 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है।
- मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच की समुद्री सीमा रेखा की अस्पष्ट व्याख्या है।
- पाकिस्तान इसके मुहाने के पूर्वी किनारे का अनुसरण करने के लिये लाइन का दावा करता है जबकि भारत एक केंद्रीय रेखा का दावा करता है।

नोट :

- पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत दावों के अनुसार, वर्ष 1914 में तत्कालीन सिंध सरकार और कच्छ के राव महाराज के बीच हस्ताक्षरित 'बंबई सरकार संकल्प' (Bombay Government Resolution) के अनुच्छेद 9 एवं 10 के अनुसार पूरे क्रीक क्षेत्र पर उसी का अधिकार है।
  - ध्यातव्य है कि इस संकल्प-पत्र में इन दोनों क्षेत्रों के बीच की सीमाओं को सीमांकित किया गया। इसमें क्रीक को सिंध के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। तब से क्रीक के पूर्वी भाग की सीमा को ग्रीन लाइन (Green Line) के रूप में जाना जाता है।
- भारत का कहना है कि सर क्रीक को थालवेग सिद्धांत के अनुसार दोनों देशों के बीच विभाजित किया जाना चाहिये।
  - अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, एक थालवेग प्राथमिक जलमार्ग के बीच वह जलमार्ग है जो राज्यों के मध्य सीमा रेखा को परिभाषित करता है।
- भारत और पाकिस्तान के मध्य सर क्रीक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (International Maritime Boundary line- IMBL) को सीमांकित नहीं किया गया है।

सियाचिन ग्लेशियर:

1. सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख का हिस्सा है जिसे अब केंद्रशासित प्रदेश में बदल दिया गया है। यह दुनिया के गैर-ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है।
2. यह हिमालय में पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जो कि प्वाइंट NJ9842 के उत्तर-पूर्व में है, जहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा समाप्त होती है।
3. यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्धक्षेत्र है।

संघीय रूप से प्रशासित जनजातीय क्षेत्र (FATA):

- संघीय रूप से प्रशासित जनजातीय क्षेत्र उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में एक अर्द्ध-स्वायत्त जनजातीय क्षेत्र था जो वर्ष 1947 से अस्तित्त्व में आया।
- वर्ष 2018 में इसे इसके पड़ोसी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में मिला दिया गया था।

आगे की राह:

- पिछले एक वर्ष में, पाकिस्तान ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जम्मू एवं कश्मीर राज्य को केंद्रशासित प्रदेश बनाने के मुद्दे को उठाया है लेकिन इस मुद्दे पर उसे कोई व्यापक समर्थन नहीं मिला है।
- नेपाल के साथ अनबन होने के साथ, श्रीलंका का चीन की ओर झुक जाना, बांग्लादेश के साथ नागरिकता (संशोधन), 2019 को लेकर विवाद और भारत का ईरान की चाबहार रेलवे लिंक परियोजना से बाहर (जिसका निर्माण भारत को करना था) हो जाना, भारत के प्रभाव क्षेत्र विशेष रूप से इसके पड़ोस और विस्तारित पड़ोस में सापेक्ष गिरावट के कारण हैं। यह विदेश नीति की गहन परीक्षा की मांग करता है।

क्यूबा और मानवाधिकार परिषद

चर्चा में क्यों ?

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ (Mike Pompeo) ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से आग्रह किया है कि वे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (Human Rights Council) में शामिल होने के लिये क्यूबा (Cuba) के दावे का समर्थन न करें।

प्रमुख बिंदु

- अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने क्यूबा द्वारा अन्य देशों को भेजे जाने वाले चिकित्सकों की प्रक्रिया को एक प्रकार की मानव तस्करी के रूप में परिभाषित किया।
  - गौरतलब है कि अन्य देशों में चिकित्सक भेजना क्यूबा के लिये विदेशी मुद्रा का एक मुख्य स्रोत है।
- ध्यातव्य है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिकी प्रशासन ने क्यूबा के साथ अपने राजनयिक रिश्तों को लगभग समाप्त कर दिया है।

नोट :

- क्यूबा इससे पूर्व वर्ष 2014-2016 और वर्ष 2017-2019 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में शामिल था, क्यूबा ने वर्ष 2021-2023 के लिये क्षेत्रीय रिक्तियों में से एक को भरने के लिये आवेदन किया है।
  - संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में सीटों को भौगोलिक रूप से वितरित किया जाता है और वे तीन वर्ष की अवधि के लिये कार्यभार संभालते हैं।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और अमेरिका

- ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) से अपना नाम वापस ले लिया था, इस संबंध में राजदूत निक्की हेली (Nikki Haley) ने UNHRC को मानव अधिकारों का मजाक उड़ाने वाले संगठन के रूप में परिभाषित किया था।
- अमेरिका ने खासतौर पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) द्वारा इज़राइल की निंदा करने वाले प्रस्ताव को अपनाने के लिये परिषद को दोषी ठहराया था।

चिकित्सा के माध्यम से सेवा या मानव तस्करी ?

- गौरतलब है कि क्यूबा में लंबे समय तक आम लोगों की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा था और यह अधिकार केवल कुछ विशिष्ट लोगों के पास तक ही सीमित था।
- क्यूबा ने सबसे पहले वर्ष 1963 में अल्जीरिया में अपने चिकित्सकों का एक समूह भेजा था, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी का सामना कर रहा था।
- इसके पश्चात् क्यूबा ने खराब स्वास्थ्य प्रणाली और संकट का सामना कर रहे कई देशों में भी अपने चिकित्सकों के समूह भेजे।
- 1980 के दशक से पूर्व क्यूबा के ये मिशन पूरी तरह से मानवीय सहायता पर आधारित थे, किंतु 1980 के दशक के बाद क्यूबा के ये चिकित्सा मिशन वाणिज्यिक लाभ प्राप्त करने के लिये किये जाने लगे।
- बर्लिन की दीवार गिरने के बाद क्यूबा को सोवियत संघ से प्राप्त होने वाली सब्सिडी में भारी कमी देखने को मिली, जिससे अन्य देशों में चिकित्सकों को भेजने का वाणिज्यिक कार्य और तेज़ होने लगा।
- क्यूबा की इस नीति ने और अधिक वाणिज्यिक रूप तब ले लिया, जब क्यूबा ने वेनेज़ुएला के साथ वर्ष 2000 और वर्ष 2005 में हस्ताक्षित दो व्यापार समझौतों के हिस्से के रूप में चिकित्सा सहयोग कार्यक्रम (Medical Cooperation Program) स्थापित किया।
  - गौरतलब है कि 'ऑयल फॉर डॉक्टर्स' के नाम से प्रसिद्ध इस कार्यक्रम में प्रतिदिन 105,000 बैरल तेल के बदले में 30,000 से अधिक क्यूबा के चिकित्सकों और दंत चिकित्सकों का वेनेज़ुएला में निर्यात करना शामिल था।
- एक अनुमान के मुताबिक क्यूबा के 40000 से अधिक चिकित्सक वर्तमान में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुल 66 देशों में कार्य कर रहे हैं।
- ध्यातव्य है कि बीते कई वर्षों में इन कार्यक्रमों के दौरान क्यूबा सरकार पर चिकित्सकों के श्रम अधिकारों का उल्लंघन करने और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का पालन न करने का आरोप लगा है।
- इस संबंध में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्राज़ील की सरकार क्यूबा के प्रत्येक चिकित्सक को भोजन, परिवहन और स्वास्थ्य बीमा के अलावा वेतन के तौर पर 4150 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करती है, किंतु क्यूबा के चिकित्सकों को असल में केवल 1000 अमेरिकी डॉलर ही प्राप्त होते हैं, और उसमें से भी 600 अमेरिकी डॉलर उन्हें बैंक खाते में जमा किये जाते हैं, जो वे अपना मिशन खत्म होने के बाद ही प्राप्त कर सकते हैं। शेष बची हुई राशि क्यूबा सरकार द्वारा अधिग्रहित कर ली जाती है।
- इसलिये कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ क्यूबा की इस स्थिति को चिकित्सकों की मानव तस्करी के रूप में परिभाषित करते हैं।

अमेरिका-क्यूबा संबंध

- अमेरिका और क्यूबा के संबंध 1959 के बाद से ही अविश्वास और मनमुटाव से त्रस्त हैं। वर्ष 1959 में ही फिडेल कास्त्रो (Fidel Castro) ने अमेरिका द्वारा समर्थित शासन को उखाड़ फेंका था और वहाँ सोवियत संघ के साथ संबद्ध एक समाजवादी राज्य की स्थापना की थी।

नोट :

- इसके पश्चात् अमेरिका ने क्यूबा को आर्थिक और कूटनीतिक रूप से अलग करने संबंधी नीतियों का अनुसरण किया।
- अमेरिका ने क्यूबा पर किसी अन्य देश की तुलना में लंबे समय तक प्रतिबंध अधिरोपित किये थे।
- हालाँकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने क्यूबा के साथ अमेरिकी संबंधों को सामान्य करने के लिये कुछ महत्त्वपूर्ण कदम उठाए थे, किंतु वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इस दिशा में कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं किया गया, बल्कि दोनों देशों के संबंध और खराब हो गए हैं।

ईरान पर यूएन हथियार प्रतिबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'खाड़ी सहयोग परिषद' (Gulf Cooperation Council-GCC) द्वारा 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' (UNSC) को एक पत्र भेजकर ईरान पर लगाए गए हथियार प्रतिबंध अवधि का आगे विस्तार करने का समर्थन किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत GCC के सदस्य देश हैं।
- वर्ष 2015 में बहुपक्षीय ईरान परमाणु समझौता; जिसे 'संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना' (JCPOA) के रूप मे जाना जाता है, के माध्यम से जहाँ एक तरफ ईरान के 'परमाणु कार्यक्रम' पर आवश्यक सीमाएँ निर्धारित की गई थी वहीं दूसरी तरफ हथियार प्रतिबंधों में राहत प्रदान की गई थी।
- UNSC संकल्प-2231 के तहत ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों की सीमा 18 अक्तूबर, 2020 को समाप्त हो रही है।

अमेरिका तथा JCPOA:

- वर्ष 2015 में ईरान एवं छह प्रमुख शक्तिशाली देशों (P5+1=अमेरिका, रूस, चीन, फ्राँस, ब्रिटेन+जर्मनी) द्वारा JCPOA समझौते को अंतिम रूप दिया गया था।
- परंतु राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2018 में अमेरिका को समझौते से एकतरफा अलग कर लिया।
- ट्रंप प्रशासन वर्तमान में ईरान पर लगाए गए हथियार स्थानांतरण प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने के लिये अपने समर्थक देशों सहित अन्य सुरक्षा परिषद के सदस्यों को मनाने की कोशिश कर रहा है।

शस्त्र स्थानांतरण प्रतिबंध के प्रावधान:

UNSC संकल्प- 1747:

- 24 मार्च, 2007 का यह संकल्प संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों पर ईरान को सभी प्रकार के हथियारों के हस्तांतरण (आयात और निर्यात दोनों) पर प्रतिबंध लगाता है।

UNSC संकल्प-1929

- 9 जून, 2010 का यह संकल्प ईरान को युद्ध के लिये हथियारों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाता है।

UNSC संकल्प- 2231:

- यह संकल्प 'संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना' (JCPOA) को क्रियान्वित करने की दिशा में लाया गया था ताकि ईरान पर लगाए गए हथियार प्रतिबंधों में राहत प्रदान करता है।
- 17 जुलाई, 2015 का यह संकल्प 18 अक्तूबर, 2020 तक ईरान को हथियारों के हस्तांतरण (आयात व निर्यात दोनों) पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है।
- प्रतिबंधित हथियारों को अनुलग्नक सूची-B में शामिल किया गया जिसमें फाइटर जेट, टैंक और युद्धपोत आदि शामिल हैं।
- अनुलग्नक सूची में उन उपकरणों की आपूर्ति पर भी 18 अक्तूबर, 2023 तक प्रतिबंध लगाया गया है, जिनका उपयोग ईरान परमाणु हथियार बनाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करने के लिये कर सकता है।

नोट :

GCC का पक्ष:

- सऊदी अरब के नेतृत्त्व वाले एक गठबंधन ने वर्तमान में यमन के हाउथी (Houthi) विद्रोहियों से लड़ाई जारी रखी है। संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका और आयुध विशेषज्ञों ने ईरान पर इन विद्रोहियों को हथियार प्रदान करने का आरोप लगाया है। हालाँकि ईरान ने इस बात का खंडन किया है।
- GCC देशों ने ईरान पर लेबनान और सीरिया में हिज़्बुल्लाह (Hezbollah) इराक में शिया मिलिशिया और बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब के 'आतंकवादी समूहों' को हथियार प्रदान करने का आरोप लगाया है।
- GCC देशों द्वारा UNSC को लिखे पत्र में ईरान द्वारा यूक्रेन के यात्री विमान को मार गिराने, नौसैनिकों ने एक अभ्यास के दौरान 19 नाविकों को मिसाइल हमले में मार गिराने, सऊदी अरब के तेल उद्योग पर हमले जैसी घटनाएँ भी उल्लिखित की गई है।
- इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान पर राज्य और गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं को हथियारों और सैन्य उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला को स्थानांतरित करने का आरोप है, जिसमें अनेक आतंकवादी संगठन भी शामिल हैं।

ईरान का पक्ष:

- ईरान ने GCC के इस कदम की निंदा करते हुए इसे 'गैर-ज़िम्मेदाराना' करार दिया है, जो अमेरिकी हितों की सेवा करता है।
- ईरान ने GCC देशों की यह कहते हुए आलोचना की है ये देश स्वयं दुनिया में सबसे बड़े हथियारों के आयातक देशों में शामिल हैं।

GCC देशों के आपसी संबंध:

- यद्यपि GCC ने UNSC को लिखे पत्र में एकीकृत बयान की पेशकश की है, परंतु यह समूह भी आंतरिक संघर्ष से प्रभावित है।
- वर्ष 2017 में कतर संकट के दौरान बहरीन, मिस्र, सऊदी अरब और अमीरात ने कतर के साथ राजनयिक संबंध समाप्त कर दिये थे। इन देशों ने कतर के सुन्नी इस्लामिक राजनीतिक समूह पर मुस्लिम ब्रदरहुड और ईरान को सहायता देकर आतंकवाद का समर्थन और वित्तपोषण करने का आरोप लगाया था।
- ओमान के ईरान के साथ भी करीबी संबंध हैं। यह तेहरान और पश्चिमी दुनिया के देशों के बीच एक वार्ताकार मध्यस्थ की भूमिका निभाता है।
- बहरीन, सऊदी अरब और यूएई ईरान पर क्षेत्र में शिया आबादी के बीच असंतोष फैलाने का आरोप लगाते हैं।

आगे की संभावना:

- ईरान पर प्रतिबंध को बढ़ाने के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है।
- रूस और चीन ईरान के प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्त्ता देश हैं। ये दोनों देश सुरक्षा परिषद से स्थायी सदस्य भी हैं। अत: ईरान पर प्रतिबंधों के विस्तार को रोकने के लिये इनके द्वारा वीटो शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।
- रूस और चीन के अलावा यूरोप में भी कुछ देश प्रतिबंधों के विस्तार का विरोध कर सकते हैं।

लोया जिरगा: अफगानिस्तान की महासभा

चर्चा में क्यों:

हाल ही में अफगानिस्तान में हत्या और अपहरण सहित गंभीर अपराधों के लिये दोषी ठहराए गए 400 तालिबान लड़ाकों को मुक्त करने से संबंधित निर्णय लेने के लिये अफगानिस्तान में तीन दिवसीय लोया जिरगा-महासभा को बुलाया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- लोया जिरगा को नियुक्त करने की आवश्यकता:
  - अफगानिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा तालिबान कैदियों को रिहा करने से इनकार किये जाने के बाद लोया जिरगा बैठक को बुलाया गया है।
    - 10 अगस्त, 2020 को दोहा में अस्थायी रूप से निर्धारित की गई अंतर-अफगान वार्ता (Intra-Afghan Talks) के विफल हो जाने के बाद तथा तालिबानी कैदियों को रिहा न करने पर तालिबान द्वारा और अधिक खून-खराबा करने की धमकी दी गई है।
  - अमेरिका का ऐसे मानना है कि अफगानिस्तान सरकार एवं तालिबान के मध्य बातचीत से हिंसा एवं प्रत्यक्ष वार्ताओं में कमी आएगी, जिसके परिणामस्वरूप शांति समझौता के द्वारा अफगानिस्तान में युद्ध को समाप्त किया जा सकता है।

नोट :

पृष्ठभूमि:

- कैदियों की रिहाई/अदला बदली (Prisoner Exchanges) उस समझौते का हिस्सा है जिस पर फरवरी, 2020 में अमेरिकी एवं तालिबान तथा अमेरिकी एवं अफगानिस्तान सरकार के मध्य हस्ताक्षर किये गए थे।
- हालाँकि, इसे कई महीनों तक टाला गया जिस कारण 10 मार्च को होने वाली अंतर-अफगान वार्ता को बंद करना पड़ा।
- कुछ लोगों का तर्क है कि अफगानिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति अशरफ गनी तालिबान के साथ शांति बनाए रखने के लिये जानबूझकर शांति वार्ता को टाल रहे है, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वार्ता में तालिबान द्वारा एक तटस्थ अंतरिम सरकार की मांग की जा सकती है जिसके चलते राष्ट्रपति अशरफ गनी को अपने पद से हाथ धोना पड़ सकता है।
- अफगानिस्तान द्वारा तालिबानी कैदियों को रिहा करने तथा तालिबानियों द्वारा अफगानिस्तानी कैदियों एवं नागरिकों को रिहा करने के बाद अमेरिका द्वारा अपने 8000 सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की गई है।
- पिछले कुछ हफ्तों से , अमेरिकी सरकार नवंबर 2020 के राष्ट्रपति चुनावों पर नजर रखने के साथ-साथ, तालिबान-अफगान के मध्य सुलह प्रक्रिया को तेज़ करने के लिये उत्सुक है।

लोया जिरगा:

- यह अफगानिस्तान की एक सामूहिक राष्ट्रीय सभा है जो विभिन्न जातीय, धार्मिक एवं जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधियों को एक साथ एक मंच पर लाती है।
- यह एक उच्च सम्मानित, दशकों पुरानी परामर्श संस्था है जिसे राष्ट्रीय संकट के समय या राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिये बुलाया गया है।
- अफगान संविधान के अनुसार, लोया जिरगा को अफगान लोगों की सर्वोच्च अभिव्यक्ति माना जाता है। हालाँकि यह आधिकारिक निर्णय लेने वाली संस्था नहीं है एवं न ही इसके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं।
- फिर भी लोया जिरगा के फैसले को राष्ट्रपति और अफगानिस्तान की संसद द्वारा अंतिम रूप मंन देखा जाता है।

अफगानिस्तान में भारत के हित:

- अफगानिस्तान में स्थिरता बनाए रखने में भारत की बड़ी हिस्सेदारी है। भारत द्वारा अफगानिस्तान के विकास में काफी संसाधन लगाए गए हैं। जैसे-अफगान संसद (Afghan Parliament), ज़रीन-डेलारम राजमार्ग (Zaranj-Delaram Highway), अफगानिस्तान-भारत मैत्री बांध (सलमा बांध) Afghanistan-India Friendship Dam (Salma Dam) इत्यादि का निर्माण अफगानिस्तान में भारत के सहयोग से किया गया है।
- अफगानिस्तान की वर्तमान सरकार का भारत द्वारा समर्थन किया जाता है जिसे भारत,पाकिस्तान के लिये रणनीतिक तौर पर देखता है।
- तालिबान की बढ़ी हुई राजनीतिक सैन्य भूमिका एवं उसके क्षेत्रीय नियंत्रण का विस्तार भारत के लिये चिंता का विषय होना चाहिये क्योंकि तालिबान को व्यापक रूप से पाकिस्तान का समर्थक माना जाता है।
- अफगानिस्तान मध्य एशिया का प्रवेश द्वार है।
- अमेरिकी सैनिकों की वापसी से इस क्षेत्र में लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद जैसे विभिन्न भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों का विकास हो सकता है।

आगे की राह:

- भारत द्वारा अफगानिस्तान में किसी भी वास्तविक शांति प्रक्रिया का समर्थन करना चाहिये। हालाँकि अफगानिस्तान में यह शांति प्रक्रिया एकतरफा है जिसे अमेरिका एवं पाकिस्तान के समर्थन से बढ़ाया जा रहा है।
- भारत को तालिबान को तब तक मान्यता नहीं देनी चाहिये जब तक कि वह अफगानिस्तान सरकार को मान्यता प्रदान नहीं करता है।

नोट :

भारत-नेपाल वार्ता

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की समीक्षा के लिये भारत और नेपाल के राजदूत काठमांडू (नेपाल) में मुलाकात कर सकते है। COVID-19 महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक होने की संभावना है।

प्रमुख बिंदु

- यह बैठक 'भारत- नेपाल ओवरसाइट मैकेनिज्म' का एक हिस्सा होगी। चालू द्विपक्षीय आर्थिक और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिये वर्ष 2016 में इसकी स्थापना की गई थी।
- बजट 2020-21 में भारत सरकार ने नेपाल में संचालित परियोजनाओं के लिये 800 करोड़ रुपए का आवंटन किया था।
  - इन परियोजनाओं में तराई क्षेत्र में सड़कों का निर्माण, भूकंप (2015) के बाद के पुनर्निर्माण कार्यों में नेपाल की मदद, रेलवे लाइनों का निर्माण, एक पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, एक तेल पाइपलाइन और सीमा चेक पोस्ट का निर्माण शामिल हैं।
  - हाल ही में काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में एक स्वच्छता सुविधा के निर्माण के लिये भारत और नेपाल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये गए।
- भारत और नेपाल के बीच बढ़ते हाल के तनावों के मद्देनज़र यह बैठक बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है।
  - वर्ष 2017 में नेपाल ने चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) पर हस्ताक्षर किये थे, जिससे नेपाल में राजमार्ग, हवाई अड्डे और अन्य बुनियादी ढाँचे के निर्माण का आश्वासन दिया। भारत ने BRI में शामिल होने से इनकार कर दिया और नेपाल के इस कदम को चीन के प्रति झुकाव के रूप में देखा गया।
  - वर्ष 2019 में भारत सरकार ने देश का नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें जम्मू-कश्मीर का विभाजन करते हुए इसे जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख को दो अलग केंद्र शासित प्रदेशों में दर्शाया गया साथ ही उत्तराखंड राज्य में पिथौरागढ़ ज़िले के हिस्से के रूप में कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को भी प्रदर्शित किया गया।
    - भारत और नेपाल के मध्य कालापानी-लिम्पियाधुरा-लिपुलेख त्रिभुज पर भारत-नेपाल और चीन तथा सुस्ता क्षेत्र (पश्चिम चंपारण ज़िला, बिहार) के बीच सीमा विवाद हैं।
  - नेपाल ने भारत के इस नक्शे के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई और इस मुद्दे को बातचीत के माध्यम से हल करने की सलाह दी।
  - इसके अलावा चीनी सीमा के समीप लिपुलेख दर्रे पर (कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिये) भारत सरकार द्वारा एक सड़क के उद्घाटन ने दोनों देशों के बीच विरोध को और अधिक बढ़ावा दे दिया।
  - इसके प्रत्युत्तर में नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया जिसमें भारत द्वारा दावा किये गए सभी विवादित क्षेत्र को नेपाल का अंग दर्शाया गया हैं।

आगे की राह

- भारत और नेपाल, जिनके बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ संबंध हैं, दोनों देशों के बीच उपजे तनाव को दूर करने के लिये मिलकर प्रयास करने चाहिये।
- चीन के साथ नेपाल की बढ़ती आत्मीयता भारत-चीन संघर्षों के बीच भारत के लिये चिंता का विषय है।
- जैसा कि भारत ने पड़ोसी प्रथम (नेबरहुड फर्स्ट) की नीति को अपनाया हुआ है, ऐसे राजनीतिक संबंधों के साथ-साथ लोगों के मध्य आपसी जुड़ाव जैसे पक्षों पर भी भारत को नेपाल के साथ अधिक सक्रिय रूप से काम करने की ज़रूरत है। इस संदर्भ में गुजराल सिद्धांत/डॉक्ट्रिन (Gujral Doctrine) जिसने भारत-बांग्लादेश विवाद को सुलझाने में मदद की, बहुत मददगार साबित हो सकता है।

नोट :

चीन से बढ़ता आयात

चर्चा में क्यों ?

चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स (General Administration of Customs-GAC) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदारी देश चीन के साथ जून और जुलाई माह के बाद से भारत में चीन से आयातित वस्तुओं में वृद्धि हो रही है।

प्रमुख बिंदु

- महामारी एवं लॉकडाउन के कारण चीन से भारत का आयात अप्रैल और मई के दोनों माह में 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर तक गिर गया था।
- जून के माह में आयात 4.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और जुलाई में 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया जो पूर्व-लॉकडाउन स्तर (मार्च माह) जो लगभग 5.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, पर वापस आ गया है।
  - यह मुख्य रूप से चीन से चिकित्सा आपूर्ति के बढ़ते आयात के कारण हुआ है।
  - भारत में चीन विरोधी भावनाओं के वातावरण के बावजूद ऑनलाइन दुकानदार चीनी मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को पसंद कर रहे हैं।
  - अमेज़न के प्राइम डे 2020 बिक्री डेटा के अनुसार, दिग्गज ई-कॉमर्स, वनप्लस, ओप्पो, हुआवेई ऑनर तथा शाओमी भारत में सबसे अधिक बिकने वाले स्मार्टफोन ब्रांडों में से एक रहे हैं।
- वर्ष 2020 के सात महीनों के लिये, चीन से भारत का आयात 32.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है। हालाँकि अप्रैल और मई में रिकॉर्ड मंदी के कारण यह 24.7% कम रहा है।
- दोनों देशों के बीच दो-तरफा व्यापार 43.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर है जो चीन के पक्ष में बना हुआ है। भारतीय निर्यात 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- जुलाई में चीन का कुल निर्यात 7.2% बढ़ा है जो अनुमानों के अनुसार वर्ष दर वर्ष 1.4% नीचे आया है।
- इसके पीछे प्रमुख कारण चिकित्सा आपूर्ति और घरेलू उपकरणों के निर्यात का बढ़ना रहा है।

स्थानीय उद्यमियों का समर्थन करने हेतु पहल:

- अमेज़न कारीगर स्टोर:
  - वर्ष 2019 में, 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (National Handloom Day), की पूर्व संध्या पर अमेज़न ने कारीगर स्टोर शुरू करने की घोषणा की जिसमें 55,000 से अधिक उत्पादों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें 20 राज्यों के 270 से अधिक कला और शिल्प को शामिल किया गया है।
  - यह भारतीय बुनकरों एवं कारीगरों को ग्राहकों के लिये 'मेड इन इंडिया 'उत्पादों के प्रदर्शन के लिये सक्षम करेगा तथा भारत की हस्तशिल्प विरासत को प्रमुखता देगा।
- सहेली कार्यक्रम:
  - नवंबर 2017 में, अमेज़न ने इस कार्यक्रम को भारतीय महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने तथा देश भर में अपने उत्पादों को बेचने के उद्देश्य से शुरु किया था।
  - महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है।
  - इसे गैर-सरकारी सामाजिक सेवा संस्थाओं जैसे कि स्व-रोज़गार महिला उद्यम (Self-Employed Women Enterprise-SEWA) और आवेग सामाजिक उद्यम (Impulse Social Enterprise) के साथ साझेदारी में शुरु किया गया था।
- अमेज़न लॉन्चपैड:
  - यह बाज़ार के भीतर का बाज़ार है यह मूल्य निर्माण के लिये दो स्तरों पर कार्य करता है पहला- अमेज़न दुकानदार दूसरा आने वाले ब्रांड ।

नोट :

- नई कंपनियों को अपने व्यवसाय को स्थापित करने एवं अपने उत्पादों की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये समय और मार्गदर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जबकि दुकानदार नवीनतम स्टार्टअप के माध्यम से नए उत्पादों तक जल्दी पहुँच का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- चूंकि स्टार्टअप के पास सीमित समय और संसाधन होते हैं, इसलिये उन्हें अक्सर अपने उत्पादों को बाज़ार में चलाने के लिये तथा अपने व्यवसाय को ज़मीनी स्तर पर करने के लिये अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है।

महत्त्व:

- भारत और चीन के बीच COVID-19 महामारी और बढ़ते तनाव को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय बाज़ार को बढ़ावा देना तथा अर्थव्यवस्था की आयात पर निर्भरता को कम करने की ज़रूरत है।
- स्थानीय उद्यमियों और प्रतिभा को बढ़ावा देने से, उनके पेशे और अधिक लाभदायक होंगे जो उन्हें बेहतर जीवन जीने में सक्षम बनाता है।
- कम आयात और मज़बूत टिकाऊ घरेलू बाज़ार से देश को भी लाभ होगा, जिससे अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी।

डेपसांग मैदान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, भारत एवं चीन के मध्य सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण डेपसांग मैदान (Depsang Plains) के मुद्दों पर चर्चा करने के लिये मेजर जनरल-स्तरीय वार्ता संपन्न की गई। वार्ता को दौलत बेग ओल्डी (Daulat Beg Oldie- DBO) में आयोजित किया गया जो दोनों देशों द्वारा प्रस्तुत अलग-अलग दावों के मुद्दों पर चर्चा करने तथा एक-दूसरे द्वारा डेपसांग मैदान में गश्त को रोकने पर केंद्रित थी।

प्रमुख बिंदु:

- बैठक के बारे में:
- 15 जून 2020 को पोस्ट गैल्वान क्लैश (Post Galwan Clash) पर पहली उच्च स्तरीय वार्ता संपन्न हुई।
- तब से सैन्य वार्ता कोर कमांडर स्तर तक ही सीमित है।
- बैठक में केवल सीमा प्रबंधन के हिस्से के रूप में दोनों पक्षों द्वारा नियमित गश्त पैटर्न्स (Routine Patrolling Patterns) पर चर्चा की गई।
- डेपसांग मैदान:
  - पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control (LAC) पर चल रहे गतिरोध में पैंगोंग एवं डेपसांग मैदान दोनों वर्तमान गतिरोध के प्रमुख क्षेत्र हैं।
  - डेपसांग मैदानों के सामरिक महत्त्व के बावजूद, अब तक आयोजित सैन्य वार्ताओं का क्रम गलवान (Galwan), गोगरा हॉटस्प्रिंग (Gogra Hotsprings) और पांगोंग झील के फिंगर कएरिया में (Finger area of Pangong) में उत्पन्न गतिरोध पर ही केंद्रित है।
  - डेपसांग LAC के उन क्षेत्रों में से एक है जहाँ टैंक युद्धाभ्यास संभव है।
  - वर्ष 1962 के युद्ध के दौरान, चीनी सैनिकों ने मैदान पर कब्जा कर लिया था। वर्ष 2013 में चीनी सैनिकों द्वारा इसके 19 किमी अंदर आकर टेंटों को उखाड़ दिया गया जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के मध्य 21 दिन तक गतिरोध बना रहा।
- डेपसांग मैदान में विवाद के मुद्दे:
  - डेपसांग मैदान के एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में काफी संख्या में चीनी सेना की उपस्थिति है, जिसे बल्ज (Bulge) कहा जाता है।
  - चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना की टुकड़ियों को विभिन्न गश्त बिंदुओं/क्षेत्रों तक पहुँचने से रोक दिया है।
  - LAC के समीप चीन के द्वारा निर्माण कार्य तथा टैंक एवं बख्तरबंद वाहनों का मौजूदगी बढ़ाई गई है।

नोट :

भारत की चिंता:

- इस क्षेत्र में चीन की मौजूदगी भारतीय सीमा में स्थित बर्ट (Burts) और राकी नाला (Raki Nala) क्षेत्र में एक चुनौती/खतरा है इसके अलावा दौलत बेग ओल्डीबी (Daulat Beg Oldieby- DBO) चीनी सेना को 255 किमी लंबी दारबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी (Darbuk-Shyok-Daulat Beg Oldie) सड़क के काफी करीब लाता है।

चुनौतियाँ:

- भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित भारत @ 75 शिखर सम्मेलन(India@75 Summit) को संबोधित करते हुए भारत के विदेश मंत्री द्वारा कहा गया कि चीन के साथ एक समझ विकसित करना चीन-भारतीय संबंधों के समक्ष एक बड़ी चुनौती है।
- दोनों देश बिलियन-प्लस आबादी (Billion-Plus Populations) के साथ भौगोलिक रूप से बहुत विशिष्ट हैं।
- ऐसे समय में दोनों के मध्य एक समानांतर लेकिन अंतर में वृद्धि हो रही है जब दोनों आधुनिक देश एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं जहाँ दोनों देशों के मध्य एक संतुलन समझ में बढ़ोतरी हो रही है।

आगे की राह:

- भारतीय विदेश नीति के संचालन के लिये संतुलन स्थापित करना एक केंद्रीय एवं महत्त्वपूर्ण बिंदु है।
- वर्तमान समय में 70 वर्ष पूर्व के राजनयिक संबंध स्थापित करने की मूल आकांक्षा को फिर से जागृत करने, अच्छे पड़ोसी तथा दोस्ती, एकता और सहयोग की भावना को आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
- भारत और चीन के पास विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जनसांख्यिकी, बाज़ार एवं सेनाएँ विद्यमान हैं इसलिये यह दोनों देशों के हितों में है कि वे अपने लोगों, क्षेत्र और वैश्विक शांति एवं विकास के लिये अपनी ऊर्जा को संरेखित करें।

तुर्की एवं ग्रीस के मध्य तनाव

चर्चा में क्यों ?

उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) के सहयोगी तुर्की और ग्रीस पिछले दो सप्ताह में दो बार आपसी विरोध जता चुके हैं।

प्रमुख बिंदु:

- ये दोनों मामले तुर्की द्वारा 1500 वर्ष पुराने हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में परिवर्तित करना और पूर्वी भू-मध्य सागर में हाइड्रोकार्बन की खोज करने के मुद्दे से संबंधित हैं।
- इस वर्ष दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों में गिरावट देखी गई है। फरवरी में, तुर्की ने हज़ारों प्रवासियों को ग्रीस और यूरोपीय संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी, जिसके कारण तनाव उत्पन्न हुआ।

भूमध्य सागरीय पड़ोसी

- सदियों से, तुर्की और ग्रीस ने एक विविध प्रकार का इतिहास साझा किया है। वर्ष 1830 में ग्रीस ने आधुनिक तुर्की के प्रणेता ओटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता हासिल की। वर्ष 1923 में, दोनों देशों ने अपनी मुस्लिम और ईसाई आबादी का आदान-प्रदान किया- यह दूसरा सबसे बड़ा मानव प्रवासन था केवल भारत के विभाजन के समय हुआ प्रवासन ही इतिहास में इससे बड़ा था।
- दोनों देशों के मध्य दशकों पुराने साइप्रस संघर्ष पर विरोध जारी है, और ईजियन सागर में अन्वेषण अधिकारों को लेकर दो बार तो बात युद्ध तक चली गई है।
- हालाँकि, दोनों देश 30-सदस्यीय नाटो गठबंधन का हिस्सा हैं, और तुर्की आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ की पूर्ण सदस्यता के लिये एक उम्मीदवार है, ग्रीस जिसका एक भाग है।

पूर्वी भूमध्यसागरीय विवाद

- 40 वर्षों तक तुर्की और ग्रीस ने पूर्वी भूमध्य सागर और ईजियन सागर के अधिकारों पर असहमति जताई है, जहाँ तेल एवं गैस के भंडार होने की संभावनाएँ हैं।

नोट :

- 21 जुलाई को, तुर्की ने घोषणा की कि ड्रिलिंग जहाज ओरुक रीस तेल और गैस के लिए समुद्र के एक विवादित हिस्से की खोज करेगा। ग्रीस ने अपनी वायु सेना, नौसेना और कोस्टगार्ड को हाई अलर्ट पर रखकर इसका प्रत्युत्तर दिया।

हागिया सोफिया संग्रहालय से संबंधित विवाद

- विशेषज्ञ मानते हैं कि जब तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति रेसेप एरदोगन ने तुर्की की राजनीति में प्रवेश किया था तो उनके प्रमुख एजेंडे में हागिया सोफिया की तत्कालीन स्थिति शामिल नहीं थी।
  - तुर्की के आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार, रेसेप एरदोगन ने अपनी राजनीति के शुरुआत दौर में एक बार हागिया सोफिया को मस्जिद के रूप में बदलने की मांग पर आपत्ति भी ज़ाहिर की थी।
- हालाँकि राष्ट्रपति रेसेप एरदोगन ने इस्तांबुल में नगरपालिका चुनावों में हार के बाद अपना पक्ष पूरी तरह से बदल दिया।
- इसके पश्चात् जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा येरुशलम को इज़राइल की राजधानी के रूप में मान्यता दे दी गई, तब रेसेप एरदोगन ने भी हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया।
- जानकार मानते हैं कि हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद के रूप में बदलने को लेकर रेसेप एरदोगन का पक्ष राजनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा से काफी हद तक जुड़ हुआ है। अपने इस कदम के माध्यम से वह पुन: अपना राजनीतिक समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं, जो इस्तांबुल के नगरपालिका चुनावों के बाद लगातार कम हो रहा है।

हागिया सोफिया-

- इस्तांबुल की इस प्रतिष्ठित संरचना का निर्माण तकरीबन 532 ईस्वी में बाइज़ेंटाइन साम्राज्य (Byzantine Empire) के शासक जस्टिनियन (Justinian) के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ, उस समय इस शहर को कॉन्सटेनटिनोपोल (Constantinople) या कस्तुनतुनिया (Qustuntunia) के रूप में जाना जाता था।
- इस प्रतिष्ठित इमारत को बनाने के लिये काफी उत्तम किस्म की निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया था और इस कार्य में उस समय के सबसे बेहतरीन कारीगरों को लगाया गया था, वर्तमान में यह एक संग्रहालय के रूप में तुर्की के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है।
- गिरजाघर के रूप में इस ढाँचे का निर्माण लगभग पाँच वर्षों यानी 537 ईस्वी में पूरा हो गया। यह इमारत उस समय ऑर्थोडॉक्स इसाईयत (Orthodox Christianity) के लिये एक महत्त्वपूर्ण केंद्र थी, और कुछ ही समय में यह बाइज़ेंटाइन साम्राज्य की स्थापना का प्रतीक बन गया।
- यह इमारत लगभग 900 वर्षों तक ऑर्थोडॉक्स इसाईयत के लिये एक महत्त्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित रही, किंतु वर्ष 1453 में जब इस्लाम को मानने वाले ऑटोमन साम्राज्य (Ottoman Empire) के सुल्तान मेहमत द्वितीय (Sultan Mehmet II) ने कस्तुनतुनिया पर कब्ज़ा कर लिया, तब इसका नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया।
- हमलावर ताकतों ने हागिया सोफिया में काफी तोड़फोड़ की और कुछ समय बाद इसे मस्जिद में बदल दिया गया, मस्जिद के रूप में परिवर्तन होने के पश्चात् स्मारक की संरचना में कई आंतरिक और बाह्य परिवर्तन किये गए और वहाँ से सभी रूढ़िवादी प्रतीकों को हटा दिया गया था, साथ ही इस संरचना के बाहरी हिस्सों में मीनारों का निर्माण किया गया।
  - एक लंबे अरसे तक हागिया सोफिया इस्तांबुल की सबसे महत्त्वपूर्ण मस्जिद रही।
- 1930 के दशक में आधुनिक तुर्की गणराज्य के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क (Mustafa Kemal Ataturk) ने तुर्की को अधिक धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के प्रयासों के तहत मस्जिद को एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया।
  - वर्ष 1935 में इसे एक संग्रहालय के रूप में आम जनता के लिये खोल दिया गया।

भारत द्वारा मालदीव के लिये आर्थिक सहायता की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिये 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिये 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- संबंधित उपायों की घोषणा विदेश मंत्री एस. जयशंकर और मालदीव में उनके समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद के बीच आयोजित एक आभासी बैठक के दौरान की गई।
- घोषणा: भारत सरकार मालदीव को कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक अनिश्चितता से निपटने और मालदीव की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिये 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
  - महत्त्व: इस संबंध में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा कि यह आर्थिक सहायता महामारी के प्रभाव का सामना कर रही मालदीव की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद करेगी।
- घोषणा: बैठक के दौरान ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (Greater Malé Connectivity Project) के लिये 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की गई।
- ध्यातव्य है कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP) मालदीव में सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढाँचा परियोजना होगी, जिसके माध्यम से मालदीव की राजधानी माले (Malé) को पड़ोस के तीन द्वीपों विलिंगिली (Villingili), गुल्हीफाहू (Gulhifalhu) और थिलाफूसी (Thilafushi) से जोड़ा जाएगा।
- भारत सरकार के 500 मिलियन डॉलर के वित्तीय पैकेज में 100 मिलियन डॉलर का अनुदान और 400 मिलियन डॉलर की एक नई लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) शामिल है।
- मालदीव की राजधानी माले (Malé) को तीनों पड़ोसी द्वीपों से जोड़ने के लिये लगभग 6.7 किलोमीटर लंबे सेतु का निर्माण किया जाएगा।
  - महत्त्व: पूरी होने के पश्चात् यह ऐतिहासिक परियोजना चारों द्वीपों के बीच कनेक्टिविटी को सुव्यवस्थित करेगी, जिससे इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, रोज़गार सृजन में सहायता मिलेगी और माले क्षेत्र में समग्र शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- घोषणा: जल्द ही भारत और मालदीव के बीच एयर बबल समझौते (Air Bubble Agreement) के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत की जाएगी।
  - महत्त्व: यह दक्षिण एशिया क्षेत्र में स्थित पहला एयर बबल (Air Bubble) होगा, इस घोषणा के साथ, दोनों देशों के बीच नियमित रूप से निर्धारित उड़ानें शुरू हो जाएंगी, जो दोनों देशों के पारंपरिक रूप से बेहतर संबंधों को और मज़बूत बनाएगा। साथ ही यह एयर बबल मालदीव में पर्यटन के आगमन और राजस्व को बढ़ाने में मदद करेगा।
- घोषणा: भारत और मालदीव के बीच जल्द ही कार्गो फेरी (Cargo Ferry) सेवाएँ शुरू की जाएगी।
  - महत्त्व: कार्गो फेरी (Cargo Ferry) सेवा के माध्यम से दोनों देशों के बीच समुद्री संपर्क में बढ़ोतरी होगी और इससे भारत तथा मालदीव के व्यापारियों को भी सहायता मिलेगी।
- घोषणा: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मालदीव को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु निर्धारित कोटा को नवीनीकृत करने के निर्णय से भी अवगत कराया।
- ध्यातव्य है कि इन आवश्यक वस्तुओं में खाद्य पदार्थों के अलावा निर्माण कार्य के लिये आवश्यक वस्तुएँ भी शामिल हैं।
  - महत्त्व: यह कोटा मालदीव में खाद्य सुरक्षा और निर्माण कार्य के लिये आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का आश्वासन देता है और इस प्रकार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कर मालदीव में इन वस्तुओं के मूल्य को स्थिरता प्रदान की जा सकेगी।

भारत की सहायता के निहितार्थ

- भारत सरकार की इस घोषणा के माध्यम से मौजूदा कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के बीच दोनों देशों के संबंधों को और अधिक मज़बूत करने में सहायता मिलेगी।
- ध्यातव्य है कि मालदीव, भारत द्वारा अपने पड़ोसी देशों को दी गई आर्थिक सहायता का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है, जब वैश्विक स्तर पर महामारी ने आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया था तो भारत ने मई माह में 580 टन खाद्य पदार्थ समेत मालदीव को आवश्यक खाद्य और निर्माण सामग्री की आपूर्ति की थी। इससे दोनों देशों के बीच संबंधों में और मज़बूती आई थी।

नोट :

- ध्यातव्य है की मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के कार्यकाल के दौरान भारत-मालदीव संबंधों में कुछ गिरावट दर्ज की गई थी और मालदीव चीन के काफी करीब जाता दिखाई दे रहा है, हालाँकि मालदीव के नए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह का कार्यकाल शुरू होने के बाद से ही दोनों देशों के संबंधों में सुधार आया है।
  - मालदीव रणनीतिक रूप से भारत के नज़दीक और हिंद महासागर में महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर स्थित है। मालदीव में चीन जैसी किसी प्रतिस्पर्द्धी शक्ति की मौजूदगी भारत के सुरक्षा हितों के संदर्भ में उचित नहीं है, इसलिये ऐसे निर्णय काफी महत्त्वपूर्ण हैं।
- चीन वैश्विक व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के माध्यम से मालदीव जैसे देशों में तेज़ी से अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। ऐसे में मालदीव के ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP) में निवेश करके मालदीव में चीन के वर्चस्व को कम करने में मदद मिल सकती है।

मालदीव

- मालदीव भारतीय उपमहाद्वीप के करीब हिंद महासागर में स्थित 1,192 प्रवाल द्वीपों का एक समूह है। यहाँ तकरीबन 300,000 लोग निवास करते हैं जो 192 द्वीपों पर रहते हैं। शेष द्वीपों पर अब तक मानवीय निवास संभव नहीं हो पाया है।
- उल्लेखनीय है यहाँ के लगभग 90 प्रतिशत रहने योग्य द्वीपों को पर्यटक रिसॉर्ट्स के रूप में विकसित किया गया है और शेष द्वीपों को कृषि अथवा अन्य आजीविका उद्देश्यों के लिये उपयोग किया जाता है। इसलिये पर्यटन इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
- यहाँ का सबसे बड़ा धार्मिक संप्रदाय मुस्लिम धर्म है। मालदीव की राजधानी माले है, जो देश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है।

इज़राइल-यूएई शांति समझौता

चर्चा में क्यों ?

इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात ने ऐतिहासिक 'वाशिंगटन-ब्रोकेड समझौते' (Washington-brokered Deal) के तहत पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिये सहमति व्यक्त की है।

प्रमुख बिंदु:

- ऐसी घोषणा करने वाला यूएई खाड़ी क्षेत्र का प्रथम तथा तीसरा अरब देश है जिसके इज़राइल के साथ सक्रिय राजनयिक संबंध हैं।
  - इससे पहले मिस्र ने वर्ष 1979 में तथा जॉर्डन ने वर्ष 1994 में इज़राइल के साथ 'शांति समझौते' किये थे।
- संयुक्त अरब अमीरात और इज़राइल दोनों पश्चिम एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं।

इज़राइल-यूएई शांति समझौता:

- 'वाशिंगटन-ब्रोकेड समझौता' जिसे 'इज़राइल-यूएई शांति समझौता' (Israel-UAE Peace Deal) के रूप में भी जाना जाता है, यह इज़राइल द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्रों को अपने हिस्सों में को जोड़ने की योजना को 'निलंबित' कर देगा।
- समझौते के तहत इज़राइल, वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से पर कब्जा करने की अपनी योजना को निलंबित कर देगा।
  - वेस्ट बैंक, इज़राइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। इसका एक प्रमुख शहर फिलिस्तीन की वास्तविक प्रशासनिक राजधानी 'रामल्लाह' (Ramallah) है।
  - इज़राइल ने छह-दिवसीय अरब-इज़राइली युद्ध-1967 में इसे अपने नियंत्रण में ले लिया था और बाद के वर्षों में वहाँ बस्तियाँ स्थापित की हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इज़राइल द्वारा एक संयुक्त बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि आने वाले हफ्तों में प्रतिनिधिमंडल सीधी उड़ानों, सुरक्षा, दूरसंचार, ऊर्जा, पर्यटन और स्वास्थ्य देखभाल के सौदों पर हस्ताक्षर करेंगे।

समझौते की पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1971 से संयुक्त अरब अमीरात फिलिस्तीनियों की भूमि पर इज़राइल के नियंत्रण को मान्यता नहीं देता था।
- हाल के वर्षों में ईरान के साथ साझा दुश्मनी और लेबनान के आतंकवादी समूह हिज़्बुल्लाह के कारण खाड़ी अरब देशों और इज़राइल के बीच निकटता आ गई है।
- आतंकवादी समूह 'मुस्लिम ब्रदरहुड' और 'हमास' के कारण भी दोनों देशों के बीच निकटता बढ़ी है।

नोट :

वैश्विक प्रतिक्रिया तथा समझौते का प्रभाव:

- इज़राइल:
  - प्रस्तावित समझौता, वेस्ट बैंक के अलावा अन्य क्षेत्रों में फिलिस्तीनियों को सीमित स्वायत्तता प्रदान करते हुए इज़राइल के वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से पर कब्जा करने की अपनी योजना को निलंबित कर देगा।
  - यह घोषणा इज़राइल के अरब देशों के साथ संबंधों की निकटता को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करती है।
  - यह समझौता इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक ऐसे समय में राजनीतिक रूप से मदद कर सकता है जब इज़राइल की गठबंधन सरकार को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- फिलिस्तीन:
  - फिलिस्तीनी इस्लामी राजनीतिक संगठन 'हमास' ने घोषणा को यह कहते हुए नकार दिया है कि यह सौदा फिलिस्तीनीयों के हित में नहीं है।
  - फिलिस्तीन स्वतंत्रता संघर्ष, अरब राष्ट्रों के विश्वास तथा सहयोग पर आधारित था। प्रस्तावित समझौते को फिलिस्तीन के लिये एक जीत और हार दोनों के रूप में चिह्नित किया जा रहा है।
- अमेरिका:
  - समझौते को नवंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाले चुनाव से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक राजनयिक जीत के रूप में माना जा रहा है।
  - हालाँकि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रयास न तो अफगानिस्तान में युद्ध को समाप्त करने में और न ही इज़राइल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति लाने में अभी तक सफल रहे हैं।
- यूएई:
  - वाशिंगटन में यूएई के राजदूत ने कहा कि इज़राइल के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता कूटनीतिक जीत है और इसे अरब-इज़राइल संबंधों में एक महत्त्वपूर्ण अग्रिम के रूप में माना जाना चाहिये।
- मिस्र:
  - मिश्र ने समझौते की प्रशंसा की है तथा इसे महान हितों की दिशा में एक पहल बताया है।

निष्कर्ष:

- यह समझौता मध्य पूर्व में शांति के लिये एक ऐतिहासिक दिन और महत्त्वपूर्ण कदम है। मध्य-पूर्व को दो सबसे प्रगतिशील और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रत्यक्ष संबंध शुरू होने से आर्थिक विकास के साथ ही लोगों-से-लोगों के संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

बाईडू नेवीगेशन सैटेलाइट सिस्टम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चीन ने औपचारिक रूप से अपने बाईडू-3 नेवीगेशन सैटेलाइट सिस्टम (BeiDou-3 Navigation Satellite System) की वैश्विक सेवाओं की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि चीन के साथ निकटता से कार्य करने वाले कुछ देशों जैसे पाकिस्तान आदि पहले से ही चीन के बाईडू नेवीगेशन सैटेलाइट सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं।
- इसके अलावा चीन, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के लिये हस्ताक्षरित देशों में भी चीन के इस घरेलू नेवीगेशन सैटेलाइट सिस्टम के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है।

बाईडू नेवीगेशन सिस्टम- पृष्ठभूमि

- सर्वप्रथम 1980 के दशक में चीन ने समय की मांग के अनुरूप अपने घरेलू नेवीगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिये अध्ययन की शुरुआत की।
- इसके पश्चात् 1990 के दशक के शुरुआती दौर में चीन ने बाईडू-3 नेवीगेशन सैटेलाइट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और वर्ष 2000 तक चीन का यह घरेलू नेवीगेशन सैटेलाइट सिस्टम सक्रिय रूप से चीन में सेवाएँ प्रदान करने लगा।
- वर्ष 2012 तक चीन की यह तकनीक एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लगभग सभी क्षेत्रों में अपनी नेवीगेशन संबंधी सेवाएँ प्रदान करने लगी।
- इस प्रकार इसे कुल तीन चरणों में विकसित किया गया है, जिसमें पहला चरण (BeiDou-1) केवल चीन तक सीमित था, वहीं दूसरा चरण (BeiDou-2) एशिया-प्रशांत क्षेत्र तक सीमित था और तीसरे चरण (BeiDou-3) के तहत यह प्रणाली विश्व के सभी क्षेत्रों में कार्य करने में सक्षम है।

विशेषताएँ

- चीन के दावे के अनुसार, चीन का यह घरेलू नेवीगेशन सैटेलाइट सिस्टम उपग्रहों के एक व्यापक नेटवर्क का उपयोग करते हुए लगभग दस मीटर के अंदर सटीक अवस्थिति बता सकता है।
  - ज्ञात हो कि अमेरिका का GPS 2.2 मीटर के अंदर अवस्थिति की सटीकता प्रदान करता है।
- चीन का बाईडू नेवीगेशन सैटेलाइट सिस्टम सटीक स्थिति, सटीक नेवीगेशन और सटीक समय के साथ-साथ छोटे संदेशों के संचार की सेवाएँ प्रदान करता है।
- इस प्रणाली का उपयोग चीन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे-रक्षा, परिवहन, कृषि, मत्स्यपालन और आपदा राहत आदि में किया जा रहा है।
- ध्यातव्य है कि चीन की यह प्रणाली अमेरिका के GPS, रूस के ग्लोनास (GLONASS) और यूरोपीय संघ (EU) के गैलीलियो (Galileo) के बाद चौथा वैश्विक उपग्रह नेवीगेशन सिस्टम होगा।
  - चीन का दावा है कि उसका घरेलू नेवीगेशन सैटेलाइट सिस्टम अमेरिका के GPS से भी काफी सटीक जानकारी प्रदान करता है।

निहितार्थ

- अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती: विश्व में मौजूद लगभग सभी नेवीगेशन प्रणालियों में से अमेरिका की GPS प्रणाली का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, ऐसे में चीन के नवीन बाईडू-3 नेवीगेशन सैटेलाइट सिस्टम को अमेरिका की GPS प्रणाली के एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जा रहा है, यदि चीन की यह प्रणाली वैश्विक स्तर पर ख्याति प्राप्त करने में सफल रहती है तो यह अमेरिका के वर्चस्व के लिये बड़ी चुनौती होगी।

नोट :

- सैन्य क्षमता में वृद्धि: गौरतलब है कि जैसे-जैसे चीन और अमेरिका के संबंधों में तनाव बढ़ता जा रहा है, वैसे ही चीन के लिये अपनी स्वयं की नेवीगेशन प्रणाली होना काफी महत्त्वपूर्ण हो गया है, खासतौर पर ऐसी प्रणाली जिस पर अमेरिका का नियंत्रण न हो। स्वयं की सुरक्षित और स्वतंत्र नेवीगेशन प्रणाली के विकास से चीन की सैन्य शक्ति को काफी बढ़ावा मिलेगा।
- आर्थिक लाभ: चीन का दावा है कि उसकी यह घरेलू नेवीगेशन प्रणाली अमेरिका की GPS प्रणाली से काफी बेहतर है और यदि चीन का यह दावा सही है तो इससे दुनिया भर के कई देश और कई बड़ी कंपनियाँ अपने कार्य के लिये चीन की प्रणाली को अपना सकती हैं, जिससे चीन को आर्थिक मोर्चे पर भी काफी फायदा होगा।
- चीन के प्रोपेगंडा का प्रचार: चीन पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल सभी देशों में इस प्रणाली के प्रयोग पर ज़ोर देने पर विचार कर रहा है, ऐसे में यदि ये देश चीन की इस प्रणाली को अपनाते है तो चीन यह भी सुनिश्चित करना चाहेगा कि ये सभी देश ताइवान, तिब्बत, दक्षिण चीन सागर और अन्य संवेदनशील मामलों पर चीन का साथ दे, इससे कई देशों में चीन के प्रोपेगंडा का व्यापक प्रचार होगा।
- भारत के लिये सुरक्षा दृष्टि से खतरा: कई विशेषज्ञ चीन की इस नई प्रणाली को भारत के लिये सुरक्षा की दृष्टि से काफी खतरनाक मान रहे हैं, क्योंकि इस प्रणाली के माध्यम से भारत के रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर आसानी से निगरानी की जा सकेगी। वहीं पाकिस्तान में भी इस प्रणाली का काफी व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है, जिससे भारत को चीन के साथ-साथ पाकिस्तान के फ्रंट पर भी सचेत रहने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि भारत के पास भी नाविक (NavIC) नाम से एक नेवीगेशन प्रणाली है।

नाविक (NavIC)

- नाविक- NavIC (Navigation in Indian Constellation) उपग्रहों की क्षेत्रीय नेवीगेशन उपग्रह आधारित स्वदेशी प्रणाली है जो अमेरिका के GPS की तरह कार्य करती है।
- इसके माध्यम से स्थानीय स्थिति (Indigenous Positioning) या स्थान आधारित सेवा (Location Based Service-LBS) जैसी सुविधाएँ प्रदान की जा रही है। यह भारतीय उपमहाद्वीप पर 1,500 किलोमीटर के दायरे को कवर करता है।
- गौरतलब है कि कारगिल युद्ध के बाद से ही भारत में GPS की तरह ही स्वदेशी नेवीगेशन सेटेलाइट नेटवर्क के विकास पर ज़ोर दिया जा रहा था।

हिरोशिमा परमाणु बमबारी की 75वीं वर्षगांठ

चर्चा में क्यों ?

6 अगस्त, 2020 को हिरोशिमा परमाणु बमबारी की 75वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया है। इस अवसर पर जापान सरकार द्वारा आयोजित किये जाने वाले कई कार्यक्रमों को COVID-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- 6 अगस्त और 9 अगस्त, 1945 को जापान के हिरोशिमा (Hiroshima) एवं नागासाकी (Nagasaki) पर अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया था जिसमें क्रमश: 1,40,000 और 74,000 लोग मारे गए थे।
- जबकि 2,00,000 लोग या जो इन दोनों शहरों के बम विस्फोटों से बच निकले उनमें से अधिकांश विकिरण प्रभाव में आ गए जिन्हें हिबाकुशा (Hibakusha) कहा गया।

परमाणु खतरों के प्रति सुभेद्यता:

उपलब्धता:

- परमाणु युग की शुरुआत के बाद से 1,26,000 से अधिक परमाणु हथियार बनाए गए हैं, उनमें से 2,000 से अधिक का उपयोग विभिन्न प्रकार के परमाणु परीक्षण करने में किया गया है। इससे पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को गंभीर तथा दीर्घकालिक नुकसान होता है।

नोट :

व्यापक नुकसान:

- वर्तमान में उपलब्ध परमाणु हथियारों में से कुछ का उपयोग नागरिक आबादी के खिलाफ किया जाता है, तो इससे होने वाले नुकसान की हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
- व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुँचाने के लिये दुनिया के किसी भी लक्ष्य के खिलाफ परमाणु हथियारों को किसी भी समय लॉन्च किया जा सकता है।

सुरक्षा का अभाव:

- परमाणु हथियारों के हमले के खिलाफ खुद को बचाने का कोई वास्तविक तरीका नहीं है, चाहे इन हथियारों का प्रयोग जानबूझकर, अनजाने में, या गलती से ही क्यों न किया जाए।

व्यापक पहुँच:

- 1950 के दशक के अंत में बैलिस्टिक मिसाइलों का आविष्कार हुआ जिन्हें एक बार लॉन्च होने के बाद रोकना असंभव सा है। वर्तमान में बैलिस्टिक मिसाइलों की पहुँच विश्व के प्रत्येक क्षेत्र तक है। 'बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षा प्रणालियाँ' भी इन परमाणु हमलों को रोकने में पूरी तरह सक्षम नहीं हैं।

परमाणु संपन्नता:

- वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्राँस, चीन, इज़रायल, भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों से संपन्न है।
- मुख्यत: परमाणु हथियार संपन्न देश अन्य परमाणु हथियार संपन्न देशों के लक्ष्य माने जाते हैं, लेकिन गैर-परमाणु हथियार देश भी परमाणु हथियारों के प्रति उतने ही सुभेद्य हैं।

अवरोध का विचार (Idea of Deterrence):

अर्थ:

- अवरोध या डेटरेंस का सामान्य अर्थ है किसी हमले को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से भय, विशेष रूप से दंड और सैन्य शक्ति के द्वारा किसी आपराधिक गतिविधि को रोकना।
- परमाणु हथियारों के संबंध में इसका अर्थ है; अगर आपको पता है कि आपके दुश्मन के पास बड़ी मात्रा में परमाणु हथियार और परमाणु क्षमता है तथा दुश्मन आपके देश के आधे हिस्से को कुछ ही समय में पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, तो आप उस देश के खिलाफ युद्ध करने के अपने निर्णय पर काफी गंभीरता से विचार करेंगे।

महत्त्व:

- इस विचार के समर्थक लोगों का मानना है कि परमाणु हथियार न केवल खुद को दूसरे देश के परमाणु हथियारों से रक्षा करते हैं, बल्कि युद्ध को भी रोकते हैं और स्थिरता को बढ़ावा देते हैं।
- परमाणु अवरोध सिद्धांत के विचार के कारण ही शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी और सोवियत संघ ने शांति बनाए रखी।

नुकसान:

- कुछ मामलों में अवरोध का सिद्धांत युद्ध के खतरों को आगे बढ़ाने के लिये प्रेरक का कार्य कर सकता है, जैसा कि 'क्यूबा मिसाइल संकट' के दौरान फिदेल कास्त्रो के साथ हुआ था।
- इसके अलावा, कुछ मामलों में 'अवरोध का विचार' पारंपरिक हथियारों के साथ अधिक आक्रामक युद्ध नीति का कारण हो सकता है।

निष्कर्ष:

- अवरोध के लिये परमाणु हथियार को रखने और परमाणु युद्ध के लिये इन हथियारों को रखने के बीच व्यावहारिक अंतर होता है।
- सभी परमाणु हथियार संपन्न देशों ने इस संभावना को स्वीकार किया है कि अवरोध का विचार विफल हो सकता है तथा कुछ देश तो परमाणु हथियारों का उपयोग करने तथा परमाणु युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

नोट :

भारत की परमाणु नीति:

क्षमता:

- भारत के पास परमाणु हथियार और व्यापक परमाणु ईंधन चक्र क्षमता दोनों हैं।
- SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में भारत के पास 130 से 140 परमाणु हथियार थे। इस तरह के अनुमान, आमतौर पर 'विपन-ग्रेड प्लूटोनियम' के भंडार के विश्लेषण के आधार पर लगाए जाते हैं।

प्रमुख समूह:

- भारत 'परमाणु अप्रसार संधि' (NPT) और 'व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि' (CTBT) दोनों में शामिल नहीं हुआ है।
- भारत ने 'अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी' (IAEA) के साथ सुविधा-विशिष्ट सुरक्षा समझौते किये हैं तथा 'परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह' (NSG) से विशेष छूट प्राप्त की है। यह उसे वैश्विक असैनिक परमाणु प्रौद्योगिकी वाणिज्य में भाग लेने की अनुमति देता है।

परमाणु अवरोध:

- वर्ष 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद भारत सरकार ने एक 'राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड' की स्थापना की, जिसके द्वारा वर्ष 1999 में भारतीय परमाणु सिद्धांत पर एक ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी की गई।
- ड्राफ्ट रिपोर्ट में व्यापक रूप से भारत की परमाणु 'पहले प्रयोग नहीं की नीति' (No First Use Policy) और 'विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु अवरोध' (Credible Minimum Nuclear Deterrence) की रक्षात्मक मुद्रा को रेखांकित किया गया था।

निष्कर्ष:

- वास्तविक दुनिया में योजनाकारों के लिये परमाणु हथियारों पर पूर्ण नियंत्रण रखना संभव नहीं है। हालाँकि परमाणु हथियारों पर पूर्ण नियंत्रण और सुरक्षा में विश्वास करने की इच्छा अति आत्मविश्वास पैदा करती है, जो खतरनाक साबित हो सकता है। अत: परमाणु हथियारों को न्यूनतम करने की दिशा में सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

सौर वातावरण के चुंबकीय क्षेत्र का मापन

चर्चा में क्यों ?

'जर्नल साइंस' (Journal Science) में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, सौर भौतिकविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम; जिसमें चीन तथा अमेरिका के वैज्ञानिक शामिल थे, ने पहली बार सूर्य के कोरोना अर्थात सूर्य के बाहरी वातावरण के चुंबकीय क्षेत्र का वैश्विक पैमाने पर मापन की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है।

प्रमुख बिंदु:

- ऐसा खगोलीय पिंड जिसकी अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, उसे तारा (Star) कहा जाता है। सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित तारा है।
- वैज्ञानिक समुदाय लंबे समय से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं परंतु अभी भी इससे संबंधित कई पहेलियों (Puzzles) को अभी तक सही से नहीं समझा गया है।

शोध प्रक्रिया:

- शोध टीम द्वारा कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र का मापन करने के लिये 'कोरोनल सिस्मोलॉजी' या 'मैग्नेटोसिस्मोलॉजी' नामक तकनीक का प्रयोग किया गया।
- इस विधि में 'मैग्नेटोहाइड्रोडायनामिक' (MHD) तरंगों के गुणों तथा कोरोना के घनत्व के एक साथ मापन की आवश्यकता होती है।
- अतीत में इन तकनीकों का उपयोग उपकरणों की सीमाओं के कारण बहुत सीमित रूप में किया जाता था।
- शोध टीम ने कोरोनल चुंबकीय क्षेत्र के मापन के लिये उन्नत 'कोरोनल मल्टी-चैनल पोलरिमीटर' (CoMP) तथा उन्नत डेटा विश्लेषण तकनीक का प्रयोग किया है।

नोट :

- सैद्धांतिक गणना से यह दिखाया जा सकता है कि अनुप्रस्थ MHD तरंगे प्रत्यक्षत: चुंबकीय क्षेत्रों की तीव्रता और कोरोना के घनत्व से संबंधित हैं।
- एक बार जब CoMP उपकरण के माध्यम से चुंबकीय तरंगों के गुणों और कोरोना के घनत्व का मापन कर लिया जाए तो गणितीय सूत्र (MHD सिद्धांत से व्युत्पन्न) के माध्यम से कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र की गणना की जा सकती है।

मैग्नेटोहाइड्रोडायनामिक (MHD) तरंगें:

- तरंगों के गुण उस माध्यम पर निर्भर करते हैं जिसमें वे यात्रा करते हैं। तरंग के कुछ गुणों को मापकर उस माध्यम की विशेषताओं का अनुमान लगाया जा सकता है, जिस माध्यम से होकर उन्होंने यात्रा की है। तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगें (ध्वनि तरंगें) या अनुप्रस्थ तरंगें (झील की सतह पर तरंगे) हो सकती हैं।
- एक चुंबकीय प्लाज्मा के माध्यम से गुजरने वाली तरंगों को मैग्नेटोहाइड्रोडायनामिक (MHD) तरंगें कहा जाता है।

उन्नत 'कोरोनल मल्टी-चैनल पोलरिमीटर' (CoMP):

- CoMP एक उपकरण है, जो हवाई द्वीप पर उच्च ऊँचाई पर स्थित वेधशाला द्वारा संचालित है। जिसका उपयोग कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन में किया जाएगा।

शोध का महत्त्व:

- सूर्य के कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र की गणना निम्नलिखित सौर समस्याओं को समझने में मदद मिलेगी:

कोरोना की उष्णता (Coronal Heating):

- सूर्य के कोर का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है जबकि इसकी बाहरी परत अर्थात फोटोस्फीयर (Photosphere) का तापमान मात्र 5700 डिग्री सेल्सियस है।
- कोरोना (Corona); जो सूर्य के ब्राह्य वातावरण का निर्माण करता है, का तापमान फोटोस्फीयर की तुलना में बहुत अधिक अर्थात एक मिलियन डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक है।
- वैज्ञानिक समुदाय लंबे समय से इस पहेली को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वे कौन-से कारक हैं जिनके कारण कोरोना अर्थात सूर्य के वायुमंडल का तापमान फोटोस्फीयर अर्थात सूर्य की सतह की तुलना में इतना अधिक है।
- वैज्ञानिकों के अध्ययन में 'कोरोना की उष्णता' पहेली को समझाने के लिये कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र की पहचान की है। इसलिये यह शोधकार्य इन सिद्धांतों को बेहतर ढंग से समझने और सत्यापित करने में मदद करेगा।

सूर्य में विस्फोट की प्रक्रिया (Mechanisms of Eruptions of the Sun):

- सूर्य के विस्फोट की प्रक्रिया से संबंधित समस्याएँ जैसे कि 'सौर फ्लेयर्स' (Solar Flares) और 'कोरोनल मास इजेक्शन' (Coronal Mass Ejections- CME) आदि को समझना भी वैज्ञानिक समुदाय के समक्ष चुनौतीपूर्ण रहा है।
- शोध के अनुसार, ये घटनाएँ सूर्य के कोरोना में होने वाले 'चुंबकीय सामंजस्य' (Magnetic Reconnection) द्वारा संचालित होती हैं।
- 'चुंबकीय सामंजस्य' या मैग्नेटिक रिकनेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें विपरीत ध्रुवीयता वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ एक-दूसरे में मिल जाती हैं जिससे कुछ 'चुंबकीय ऊर्जा', 'ऊष्मा ऊर्जा' और 'गतिज ऊर्जा' में बदल जाती है, जो कोरोना की उष्णता तथा सोलर फ्लेयर्स आदि का कारण बनती है।

भारत का प्रयास:

- भारत सूर्य से संबंधित परीक्षण के लिये 'आदित्य L-1 मिशन' को भेजने की तैयारी कर रहा है। यह सूर्य के वातावरण तथा चुंबकीय क्षेत्र का नज़दीक से अध्ययन करेगा। यह न केवल कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र को समझने में अपितु सौर विस्फोटों और संबंधित अंतरिक्ष आधारित घटनाओं की पूर्व घोषणा करने में भी मदद करेगा।

नोट :

निष्कर्ष:

- कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र का नियमित मापन बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि सौर कोरोना अत्यधिक गतिशील है तथा लगातार परिवर्तित होता रहता है। इसमें कुछ सेकंड या कुछ मिनट में ही व्यापक पैमाने पर परिवर्तन देखने को मिलता है। नवीन परिष्कृत तकनीक का उपयोग से कोरोना के चुंबकीय क्षेत्रों का व्यापक पैमाने पर मापन करने में मदद मिलेगी।

मेगा प्रयोगशालाएँ

चर्चा में क्यों ?

COVID-19 के परीक्षण को गति देने के साथ-साथ परीक्षण की सटीकता में सुधार लाने के लिये, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research- CSIR) द्वारा "मेगा प्रयोगशालाएँ" (Mega labs) विकसित करने पर काम किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- इन प्रयोगशालाओं में नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन (Next Generation Sequencing Machines- NGS) की स्थापना की जाएगी।
  - इन मशीनों का प्रयोग मानव जीनोम अनुक्रमण के लिये भी किया जाता है।
  - CSIR ने NGS मशीनों के निर्माण हेतु U.S आधारित इल्लुमिना कंपनी के साथ भागीदारी की है।
  - वर्तमान में भारत में उपलब्ध इस प्रकार की NGS मशीन की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है।
- इन मशीनों को SARS-CoV-2 कोरोनावायरस का पता लगाने हेतु एक बार में 1,500-3,000 वायरल जीनोम अनुक्रम करने के लिये फिर से तैयार किया जाएगा।

लाभ:

- सटीकता-
  - NGS परीक्षणों की सटीकता RT-PCR की तुलना में 70%-80% और एंटीजन परीक्षणों की 50% की तुलना में 97.53% है।
    - जीनोम अनुक्रमण मशीनों से वायरस की उन संभावित उपस्थिति का पता बेहतर तरीके से और उपयुक्त संशोधनों के साथ लगाया जा सकता है जो पारंपरिक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन परीक्षण (reverse transcription polymerase chain reaction- RT-PCR) से छूट जाते हैं।
    - RT-PCR परीक्षण के तहत SARS-COV-2 वायरस की पहचान वायरस के केवल विशिष्ट हिस्सों का विश्लेषण करते हुए की जाती है, जबकि जीनोम विधि सहायता से वायरस के जीनोम के एक बड़े हिस्से का विश्लेषण किया जा सकता है।
  - यह विधि वायरस की उपस्थिति का सटीकता से निर्धारण कर सकती है।
- पुष्टिकरण-
  - NGS के मामलों को या तो सकारात्मक या नकारात्मक के रूप में पहचाना जाता है जबकि RT-PCR उन्हें 'अनिर्णायक' भी कर देता है। इस प्रकार इसे एक पुष्टिकरण परीक्षण के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है
- विश्वसनीयता-
  - यह वायरस के विकास के इतिहास का भी पता लगा सकता है और म्यूटेशन को अधिक मज़बूती से ट्रैक कर सकता है।
  - यह अधिक स्थानों की पहचान करने में मदद कर सकता है, क्योंकि SARS-COv-2 वायरस अन्य संबंधित वायरस से भिन्न होते हैं।
- बड़े पैमाने पर परीक्षण:
  - भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research-ICMR) के अनुसार, NGS परीक्षण वर्तमान में लगभग प्रतिदिन 7.5 लाख से एक लाख परीक्षण प्रति दिन तक बढ़ा सकते हैं।

नोट :

- RT-PCR में प्राइमर और प्रोब की आवश्यकता होती है जो महामारी के दौरान थोड़े समय में बड़े पैमाने पर ऐसे परीक्षणों के संचालन में एक बड़ी बाधा के रूप में होते हैं।
- NGS को प्राइमर और प्रोब की आवश्यकता नहीं होती है इसमें केवल कस्टम अभिकर्मकों (Custom Reagents) की आवश्यकता होती है।

प्राइमर (Primers):

- प्राइमर एक विशेष DNA अनुक्रम को बढ़ाने के लिये उपयोग किये जाने वाले DNA के छोटे अनुक्रम हैं।

प्रोब (Probes):

- प्रोब एक छोटा रेडियोधर्मी या फ्लोरोसेंटली (Radioactively or Fluorescently) लेबल DNA अनुक्रम है, जिसका उपयोग किसी विशेष DNA अनुक्रम की पहचान करने के लिये किया जाता है।

अभिकर्मक (Reagents):

- अभिकर्मक को पशु ऊतकों से DNA अर्क (Extracts) को तैयार करने के लिये डिज़ाइन किया गया है जिसका प्रयोग सीधे PCR में किया जा सकता है।

अन्य प्रयोग:

- पूरे जीनोम अनुक्रमण में सक्षम "हब्स" स्थापित करने से वायरस में होने वाले महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को ट्रैक करने में मदद मिलेगी और किसी भी प्रकार के प्रकोप के लिये (वायरल या बैक्टीरियल मूल) पुनरुद्देशित किया जा सकता है, ।
- NGS का उपयोग COVID-19 के लिये नए नैदानिक परीक्षणों को विकसित करने के लिये भी किया जा सकता है।

निगरानी और ट्रेसिंग:

- मौजूदा परीक्षणों की सीमित सटीकता और क्षमता के कारण, एक बड़ी आबादी के गलत तरीके से नकारात्मक परिणाम आए हैं।
- NGS बड़े पूलों जैसे- औद्योगिक हब, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों या उन स्थानों जहाँ प्रकोप होने की संभावना है, की निरंतर निगरानी जैसे एक बड़े उद्देश्य की प्राप्ति में मदद कर सकता है ।

COVID-19 के लिये परीक्षण:

देश में COVID -19 संक्रमण का पता लगाने के लिये परीक्षण के विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है। इनमें शामिल हैं-

- RT PCR Tests
- Rapid Antigen Detection Tests
- RTnPCR Tests
- Feluda Tests
- ELISA Antibody Tests

रूस द्वारा निर्मित COVID-19 वैक्सीन: स्पुतनिक वी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, रूस COVID-19 वैक्सीन को आधिकारिक रूप से पंजीकृत करने और इसे उपयोग के लिये तैयार करने वाला पहला देश बन गया है।

प्रमुख बिंदु

- रूस द्वारा निर्मित वैक्सीन को स्पुतनिक वी (Sputnik V) नाम दिया गया है, जिसे सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किये गए प्रथम कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह (Artificial Earth Satellite) स्पुतनिक-आई (Sputnik-I) के नाम पर रखा गया है।

नोट :

- यह सफलतापूर्वक अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली COVID-19 वैक्सीन है।
  - हालांकि, इससे पूर्व एक चीनी वैक्सीन के 'सीमित उपयोग' (Limited Use) के लिये मंज़ूरी दी गई थी। जो एक एडिनोवायरस वेक्टर वैक्सीन (Adenovirus Vector Vaccin) है जिसे केवल पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (People's Liberation Army) के सैनिकों को देने की मंज़ूरी दी गई है।
  - भारत की कोवाक्सिन (Covaxin) को मानव नैदानिक परीक्षणों (Human Clinical Trials) के लिये अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा एक अन्य भारतीय वैक्सीन ZyCoV-D क्लिनिकल परीक्षण के चरण I / II में है।
- इस वैक्सीन को रूस के रक्षा मंत्रालय के सहयोग से मास्को के गामलेया संस्थान (Moscow's Gamaleya Institute) द्वारा विकसित किया गया है।
- वैक्सीन SARS-CoV-2 प्रकार के एडिनोवायरस के डीएनए पर आधारित है, जो एक सामान्य कोल्ड/ज़ुकाम का वायरस है।
  - वैक्सीन में रोगज़नक़ (Pathogen) की एक छोटी मात्रा को वितरित करने के लिये एक कमज़ोर वायरस का प्रयोग किया गया जो एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्पन्न करता है।
  - वैक्सीन को दो खुराक में दिया गया है जिसमे दो प्रकार के मानव एडिनोवायरस(Human Adenovirus) विद्यमान हैं, प्रत्येक में नए कोरोनोवायरस का एस-एंटीजन (S-antigen) मौजूद है, जो मानव कोशिकाओं में प्रवेश करता है एवं प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है।
- रूसी अधिकारियों का कहना है कि सितंबर माह में बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन शुरू होगा, तथा बड़े पैमाने पर टीकाकरण का कार्य अक्तूबर माह में शुरू हो सकता है।

एडिनोवायरस वेक्टर वैक्सीन:

- इस वैक्सीन में, एडिनोवायरस को एक उपकरण के रूप में उपयोग किया गया है जो जीन या वैक्सीन एंटीजन को लक्षित ऊतक तक पहुँचाने का कार्य करता है।
- एडिनोवायरस: एडिनोवायरस(Adenoviruses- ADVs) 70-90 नैनोमीटर आकार के डीएनए वायरस होते हैं, जो मनुष्यों में कई बीमारियों जैसे सर्दी, श्वसन संक्रमण आदि को उत्पन्न करते हैं।
- वैक्सीन के लिये एडिनोवायरस को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि एडिनोवायरस का DNA दोहरी कुंडली युक्त (Double Stranded) होता है जो आनुवंशिक रूप से अधिक स्थिर है तथा इंजेक्शन के बाद उनके बदलने की संभावना कम होती है।
- रेबीज़ वैक्सीन एक एडिनोवायरस वैक्सीन है।
- हालांकि, एडिनोवायरस वैक्सीन की कुछ कमियाँ हैं जैसे मानव में पहले से मौजूद प्रतिरक्षा (Pre-existing Immunity), ज्वलनशील प्रतिक्रियाएँ (Inflammatory Responses)आदि।
  - जिस प्रकार सामान्यत: मानव शरीर वास्तविक वायरल संक्रमणों के लिये प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया विकसित करता है उसी प्रकार वह एडिनोवायरस वेक्टर के लिये भी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को विकसित कर लेता है। चूँकि एडिनोवायरस वैक्टर एक प्राकृतिक वायरस है, जो कुछ मनुष्यों के शरीर में पहले से ही मौजूद हो सकता है इसलिये यह वैक्सीन सभी के लिये कारगर साबित नहीं हो सकती है।

वैक्सीन से संबंधित चिंताएँ:

- विशेषज्ञों द्वारा वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावकारिता को लेकर चिंता व्यक्त की गई है क्योंकि इसके शीघ्र उत्पादन एवं इससे संबंधित प्रकाशित आंकड़ों/तथ्यों की कमी है।
- रूस द्वारा केवल नैदानिक परीक्षण के चरण -1 के परिणामों को सार्वजनिक किया गया है, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि चरण-1 वांछित प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्पन्न करने में सफल रहा है।
- मानव परीक्षण, जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में पूरा होने में कई वर्ष लगते हैं, स्पुतनिक वी वैक्सीन के संदर्भ में दो महीने से भी कम समय में पूरे हो गए हैं। मानव परीक्षण के बाद के चरण महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि वैक्सीन की प्रभावकारिता विभिन्न जनसंख्या समूहों पर भिन्न-भिन्न हो सकती है।
  - हालाँकि, रूस का ऐसा दावा है कि यह इस कारण संभव हुआ है क्योंकि COVID-19 वैक्सीन के उपयोगकर्त्ता मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (Middle East Respiratory Syndrome-MERS) बीमारी (जोकि एक प्रकार के कोरोना वायरस से होती है) के उपयोगकर्त्ताओं से समानता रखते हैं जिसके लिये पहले ही बड़े पैमाने पर परीक्षण किया जा चुका है।

नोट :

भारत में उपयोग:

- रूस ने दावा किया है कि भारत सहित लगभग 20 देशों ने स्पुतनिक वी वैक्सीन में रुचि दिखाई है।
  - भारत द्वारा COVID-19 वैक्सीन के विकास के लिये अमेरिका के साथ भी साझेदारी की गई है।
- भारत में वैक्सीन के लिये मंज़ूरी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organisation- CDSCO) द्वारा दी गई है।
  - केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत, भारत का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण (National Regulatory Authority-NRA) है।
  - ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत, CDSCO ड्रग्स को मंज़ूरी प्रदान करने के लिये ज़िम्मेदार निकाय है इसके अलावा यह विशषज्ञों की सलाह पर क्लिनिकल ट्रायल का संचालन, ड्रग्स के लिये मानकों को पूरा करना, देश में आयातित ड्रग्स की गुणवत्ता पर नियंत्रण तथा राज्य ड्रग कंट्रोल संगठनों की गतिविधियों का समन्वय करता है।
- CDSCO रूस से मानव परीक्षण के बाद के चरण अर्थात चरण-II और चरण-III के परीक्षणों को भारतीय जनसंख्या पर करने के लिये कह सकता है।
  - यह भारत के बाहर विकसित सभी वैक्सीन की सामान्य आवश्यकता है।
- CDSCO असाधारण स्थिति को देखते हुए बिना बाद के चरण के परीक्षणों (Late-Phase Trials) के वैक्सीन के प्रयोग के संदर्भ में आपातकालीन प्राधिकरण भी दे सकता है।
  - रेमेडिसविर दवा (Remdesivir Drug) को हाल ही में नए कोरोनोवायरस रोगियों पर एक चिकित्सीय के रूप में इस्तेमाल करने के लिये इसी प्रकार की आपातकालीन मंज़ूरी प्रदान की गई है।
- हालाँकि, यह संभावना नहीं है क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन दी जाती है जिसमें बहुत अधिक जोखिम है।
- वैक्सीन के निर्माण में भी समस्याएँ हैं क्योंकि भारत में अभी इसके उत्पादन के लिये किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ है।

पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी, वैक्सीन का बड़े स्तर पर उत्पादन करने के लिये पहले ही निर्माताओं के साथ टाई-अप में प्रवेश कर चुकी है। अन्य भारतीय कंपनियों ने भी इसी तरह के समझौते किये हैं लेकिन रूस के साथ ऐसा कोई समझौता भारत द्वारा अभी नहीं किया गया है।

वैक्सीन का विकास क्रम:

- वैक्सीन के विकास चक्र में सामान्यत: निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं-
  - प्रारंभिक/अनुसंधान चरण (Exploratory stage)
  - पूर्व नैदानिक चरण (Pre-clinical stage)
  - नैदानिक विकास (Clinical development)
  - विनियामक समीक्षा और अनुमोदन (Regulatory review and approval)
  - विनिर्माण (Manufacturing)
  - गुणवत्ता नियंत्रण (Quality control)
- वैक्सीन के निर्माण क्रम में नैदानिक परीक्षण (Clinical trials) तीन चरण की प्रक्रिया है-
  - मनुष्यों में नैदानिक परीक्षणों को तीन चरणों में वर्गीकृत किया जाता है: चरण I, चरण II और चरण III कुछ देशों में इनमें से किसी भी चरण के परीक्षण को करने के लिये औपचारिक विनियामक अनुमोदन आवश्यक है।
  - नैदानिक परीक्षण के चरण I में स्वस्थ वयस्कों की छोटी संख्या (लगभग 20) पर वैक्सीन का प्रारंभिक परीक्षण किया जाता है इस चरण में वैक्सीन के गुणों एवं इसकी सहनशीलता, नैदानिक प्रयोगशाला और औषधीय पैरामीटर का परीक्षण किया जाता है। प्रथम चरण के अध्ययन मुख्य रूप से सुरक्षा से संबंधित हैं।

नोट :

- द्वितीय चरण में बड़ी संख्या में विषयों को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य लक्षित आबादी एवं इसकी सामान्य सुरक्षा (आमतौर पर इम्युनोजेनेसिटी) के संदर्भ में वैक्सीन की उत्पादन क्षमता को विकसित किया जाना है।

- चरण III के परीक्षणों में एक वैक्सीन की सुरक्षात्मक प्रभावकारिता एवं उसकी सुरक्षा का पूरी तरह से आकलन करने की आवश्यकता होती है। चरण III नैदानिक परीक्षण का एक महत्त्वपूर्ण चरण है क्योंकि इस चरण से प्राप्त डेटा जो उत्पाद की सुरक्षा तथा उत्पादकता से संबंधित होते हैं, के आधार पर लाइसेंस प्रदान करने के लिये निर्णय लिये जाते हैं।
- कई वैक्सीन स्वीकृत और लाइसेंस प्राप्त करने के बाद चरण IV की औपचारिक प्रक्रिया से गुजरती है।

आगे की राह:

वर्तमान समय में जब संपूर्ण विश्व महामारी के लिये एक उचित वैक्सीन की खोज में जुटा हुआ है ऐसे समय में रूस द्वारा वैक्सीन का निर्माण एक स्वागत योग्य कदम है, इसकी प्रभावकारिता और सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को निर्माताओं द्वारा प्राथमिकता के आधार पर संबोधित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा विनिर्माण एवं वितरण प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाए ताकि त्वरित एवं कुशल तरीके से वैक्सीन को सभी को वितरित किया जा सके।

नोट :

पर्यावरण एव पारिस्थितिकी

अगत्ती द्वीप पर नारियल के वृक्षों की कटाई पर रोक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (National Green Tribunal-NGT) की दक्षिणी पीठ ने लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप में नारियल के वृक्षों की कटाई पर अंतरिम रोक लगा दी है।

प्रमुख बिंदु:

- यह निर्णय समुद्र तट पर सड़क निर्माण के उद्देश्य से काटे जा रहे नारियल के वृक्षों की कटाई को देखते हुए एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा याचिका दायर करने के बाद आया है।
- इसके अलावा यह पता लगाने के लिये कि सड़क निर्माण के समय, लक्षद्वीप एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना का कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ है, प्राधिकरण के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है।

एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना (Integrated Island Management Plan- IIMP)

- IIMP का लक्ष्य एक एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना तैयार करके भारतीय द्वीपों, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप की सामाजिक-पारिस्थितिक स्थिरता को सुनिश्चित करने में सहायता करना है।
- IIMP अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएगा, जो द्वीपों और उसके संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिये विशेष रूप से आदिवासी बहुल द्वीपों में स्वदेशी दृष्टिकोण के आधार पर काम करेगा।
- इसके अलावा आपदा या विभिन्न प्रकार के खतरों से निपटने हेतु दिशा-निर्देश तैयार करेगा और द्वीपों के लिये जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा शमन रणनीति विकसित करेगा।
- इसके कुछ प्रमुख लक्ष्यों में एकीकृत द्वीप प्रबंधन/ग्रीन द्वीप अर्थव्यवस्था अवधारणा को विकसित करना और द्वीप के जनसमुदायों के सहयोग से इकोटूरिज्म विकास को एक विशेष विकल्प के रूप में स्थापित करना है।

अगत्ती द्वीप:

- भौगोलिक स्थिति:
  - अगत्ती द्वीप कोच्चि से लगभग 459 किमी (248 समुद्री मील) की दूरी पर तथा कवरत्ती द्वीप के पश्चिम में स्थित है।
  - इस द्वीप का लैगून क्षेत्र 17.50 वर्ग किमी में फैला हुआ है।
  - अगत्ती द्वीप में मूंगा वृद्धि और बहुरंगी प्रवाल मछलियाँ बहुतायत में पाई जाती हैं।
- उद्योग:
  - मत्स्य पालन अगत्ती का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्योग है जो शायद मिनिकॉय द्वीप के अलावा एकमात्र द्वीप है जहाँ बहुत अधिक मात्रा में मछलियाँ मिलती हैं।
  - मत्स्य पालन के बाद, जूट और खोपरा (नारियल गिरी) यहाँ के मुख्य उद्योग हैं।
- जलवायु:
  - अगत्ती की जलवायु केरल की जलवायु परिस्थितियों के ही समान है।
  - यहाँ मार्च से मई तक साल का सबसे गर्म समय होता है।
    - यहाँ वार्षिक औसत वर्षा 1600 मिमी तक होती है।

नोट :

मुद्दे:

- याचिकाकर्त्ता का तर्क है कि सड़क निर्माण के लिये बड़े पैमाने पर नारियल के वृक्षों के कटने के कारण, स्थानीय निवासियों की आजीविका प्रभावित हुई है।
- इसके अलावा यह पर्यावरण को भी प्रभावित करेगा क्योंकि ये वृक्ष, समुद्र तट के किनारे चक्रवातों और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान वहाँ जन समुदायों, कृषि आदि की रक्षा के लिये एक ग्रीन बेल्ट के रूप में कार्य करते है।

समुद्र जल स्तर में वृद्धि: तटीय क्षेत्रों के लिये खतरा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में शोधकर्त्ताओं ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2100 तक वैश्विक स्तर पर तटीय बाढ़ से प्रभावित संभावित लोगों की संख्या 128-171 मिलियन से बढ़कर 176-287 मिलियन हो सकती है।

प्रमुख बिंदु

- अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष
  - अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2100 तक वैश्विक स्तर पर तटीय बाढ़ की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
  - अनुमान के अनुसार, वर्ष 2100 तक तटीय बाढ़ के कारण प्रभावित होने वाली कुल वैश्विक संपत्ति 6,000- 9,000 बिलियन डॉलर यानी वैश्विक GDP का 12-20 प्रतिशत तक हो सकती है।
  - इस अध्ययन में शोधकर्त्ताओं ने उल्लेख किया है कि समुद्र-स्तर में वृद्धि (Sea-Level Rise-SLR) जलवायु परिवर्तन का एक स्वीकार्य परिणाम है।
  - आकलन के मुताबिक, विश्व का 0.5-0.7 प्रतिशत भू-भाग वर्ष 2100 तक तटीय बाढ़ के खतरे में होगा और यदि तटीय बचाव संबंधी कोई विशिष्ट उपाय नहीं अपनाए जाते हैं तो तटीय बाढ़ के कारण विश्व की 2.5-4.1 प्रतिशत आबादी प्रभावित हो सकती है।
- समुद्र-स्तर में वृद्धि (SLR) का अर्थ
  - समुद्र स्तर में वृद्धि (SLR) का अभिप्राय वैश्विक तापमान में वृद्धि के प्रभावों के परिणामस्वरूप महासागरों के जल स्तर में होने वाले वृद्धि से है।
    - जीवाश्म ईंधन को जलाना वैश्विक तापमान में वृद्धि के प्रमुख कारणों में से एक है क्योंकि इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड (Carbon Dioxide) और अन्य गैसें वायुमंडल में उत्सर्जित होती हैं।
  - हिमनद (Glaciers) जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान में वृद्धि से काफी अधिक प्रभावित होते हैं और वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि के कारण ये काफी तेज़ गति से पिघल रहे हैं, जिससे इनका जल महासागरों में प्रवेश करता है और समुद्र जल के स्तर में वृद्धि करता है।
  - क्षेत्रीय SLR: चूँकि समुद्र स्तर में होने वाली वृद्धि दुनिया भर में एक समान नहीं है, इसलिये वैश्विक स्तर पर समुद्र के जल स्तर में होने वाली वृद्धि को क्षेत्रीय स्तर पर होने वाली वृद्धि से अलग रखना मापा जाता है।
    - गौरतलब है कि क्षेत्रीय SLR, वैश्विक SLR की तुलना में कम अथवा ज़्यादा हो सकते हैं।
    - उदाहरण के लिये स्कॉटलैंड, आइसलैंड और अलास्का जैसे स्थानों में समुद्र स्तर में होने वाली वृद्धि, पूर्वी अमेरिका में वृद्धि स्तर में होने वाली वृद्धि से काफी कम है।
- समुद्र स्तर में वृद्धि का प्रभाव
  - समुद्र जल के स्तर में वृद्धि तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिये काफी गंभीर खतरा पैदा करती है।
  - आवास में कमी, जैव विविधता की हानि और अंतर्देशीय प्रवास आदि।
  - बीते वर्ष सितंबर माह में, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो (Joko Widodo) ने देश की राजधानी को जकार्ता (Jakarta) से पूर्वी कालीमंतन प्रांत में स्थित बोर्नियो द्वीप के पूर्वी छोर पर स्थानांतरित करने की घोषणा की थी।

नोट :

- राजधानी को हस्तांतरित करने का मुख्य कारण देश की वर्तमान राजधानी जकार्ता पर बोझ को कम करना था, जो कि पहले से ही खराब गुणवत्ता वाली हवा और यातायात के बोझ जैसी समस्याओं का सामना कर रही है, साथ ही इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी तटीय बाढ़ के प्रति भी काफी संवेदनशील है।
- जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या के भारी बोझ के कारण जकार्ता दुनिया के सबसे तेज़ी से डूबने वाले शहरों में से एक बन गया है और अनुमान के अनुसार, यह प्रति वर्ष लगभग 25 सेंटीमीटर डूब रहा है।

- यही स्थिति भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई के साथ भी है, आकलन के अनुसार, वर्ष 2050 तक जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण मुंबई के लगभग सभी क्षेत्र पूर्णत: जलप्लावित हो जाएंगे, जिससे शहरों के लाखों लोग प्रभावित होंगे।
- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) का अनुमान भी बताता है कि आने वाले वर्षों में समुद्र जल स्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जाएगी।

- समुद्र जल स्तर में वृद्धि से बचाव के तरीके
  - बीते वर्ष अमेरिकी मौसम विज्ञान सोसाइटी द्वारा प्रकाशन हेतु स्वीकार किये गए एक शोध पेपर में शोधकर्त्ताओं ने जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप समुद्र जल के बढ़ते स्तर से 25 मिलियन लोगों और 15 उत्तरी यूरोपीय देशों की रक्षा करने के लिये एक उपाय प्रस्तावित किया था।
  - इसके तहत उत्तरी यूरोपीय देशों की रक्षा करने के लिये 637 किलोमीटर की लंबाई वाले दो बांधों का निर्णय शामिल था, ताकि समुद्र जल के स्तर में वृद्धि के खतरे को कम किया जा सके। इस तरह के विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये।
  - इसके अलावा समुद्र जल स्तर में वृद्धि के खतरे को रोकने के लिये तटीय क्षेत्रों में बेहतर जलनिकास प्रणाली (Drainage Systems) स्थापित की जा सकती है और पहले से मौजूद प्रणालियों को अपग्रेड किया जा सकता है।
  - किंतु उक्त उपाय समुद्र जल में वृद्धि के मूल कारण यानी तापमान में वृद्धि को संबोधित नहीं करते हैं, इसलिये देशों को उपरोक्त उपायों के साथ-साथ दूसरे उपायों जैसे- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने आदि पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
    - आवश्यक है कि हम जल्द-से-जल्द जीवाश्म ईंधन के स्थान पर किसी स्वच्छ विकल्प की ओर स्थानांतरित करने का प्रयास करें।
  - तीसरा और सबसे महत्त्वपूर्ण समाधान है, वायुमंडल में मौजूद ग्रीनहाउस गैस को कम करना। गौरतलब है कि अधिकांश वैश्विक मंचों पर इस संदर्भ में चर्चा ही नहीं की जाती है।
    - विशेषज्ञों के अनुसार, इस कार्य हेतु अधिक-से-अधिक पेड़ लगाना और वनों की कटाई को रोकना काफी महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है।

प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने हेतु निवेश

चर्चा में क्यों ?

सिंगापुर स्थित एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) 'अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट' (Alliance to End Plastic Waste) आगामी पाँच वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिये भारत में 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- यह NGO पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिये कुल 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहा है। इसमें से 100 मिलियन डॉलर भारत के लिये जबकि बाकि धनराशि दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के लिये आरक्षित है।

अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट

- एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में 'अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट' की स्थापना वर्ष 2019 में हुई थी, इसका लक्ष्य प्रत्येक वर्ष 8 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट के समुद्र में फैंके जाने जैसी गंभीर एवं जटिल समस्या के समाधान के लिये कार्य करना है।
- प्लास्टिक अपशिष्ट की रोकथाम के साथ-साथ इसे मूल्यवान बनाने की शृंखला में लगभग पचास कंपनियाँ इस अलायंस के साथ मिलकर कार्य कर रही हैं जो इस समस्या के समाधान के लिये तकरीबन 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिये प्रतिबद्ध है।

नोट :

विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस (World Nature Conservation Day):

- विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस (28 जुलाई) के अवसर पर भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट को समाप्त करने के लिये इस निवेश की घोषणा की गई।
- प्राकृतिक संसाधनों के महत्त्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने एवं इसके प्रसार के उद्देश्य से हर वर्ष इस दिवस का आयोजन किया जाता है।
- यह दिवस पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सुरक्षा के लिये लोगों को प्रोत्साहित करता है जो अति-शोषण एवं दुरुपयोग के कारण तेज़ी से कम हो रहे हैं।

इस दिशा में भारत के प्रयास:

- वर्तमान में 'अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट' प्रोजेक्ट 'अविरल' (Aviral) पर कार्य कर रहा है जिसका उद्देश्य गंगा नदी में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करना है।
- 'अविरल' प्रोजेक्ट का लक्ष्य अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिये एक सार्थक दृष्टिकोण प्रदान करना है। विशेष रूप से, यह एक एकीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

विश्वव्यापी पहल:

- UN-हैबिटेट वेस्ट वाइज़ सिटीज़ (UN-Habitat Waste Wise Cities-WWC):
  - अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट भी संसाधनों की पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देते हुए व्यवसाय को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसर पैदा करने वाली परिपत्र अर्थव्यवस्था (Circular Economy) की तरफ ध्यान केंद्रित कर रहा है, इस संदर्भ में यह UN-हैबिटेट के साथ मिलकर काम कर रहा है।
  - यह UN-हैबिटेट वेस्ट वाइज़ सिटीज़ की सहायता से अपशिष्ट प्रवाह का पता लगाने और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों से संभावित प्लास्टिक रिसाव का आकलन करने की दिशा में कार्य करना चाहता है।
  - यह संयुक्त रूप से वर्ष 2022 तक विश्व के 20 शहरों में स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन को स्थापित करने और शहरों की सफाई करने के लिये WWC चैलेंज का सहयोग और समर्थन करते हैं।
- ज़ीरो प्लास्टिक वेस्ट सिटीज़ इनिशिएटिव (Zero Plastic Waste Cities Initiative):
  - यह भारत और वियतनाम में ज़ीरो प्लास्टिक वेस्ट सिटीज़ की पहल को लागू करने की दिशा में भी कार्य कर रहा है जिसका उद्देश्य नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार और आवश्यक सहायता प्रदान करके प्लास्टिक की समस्या से निपटना है, इसके तहत एकत्र अपशिष्ट का पुनर्प्रयोग करने और इसे समुद्र में बहने से रोकने जैसे पक्षों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है।
  - यह स्थायी सामाजिक व्यवसायों को भी विकसित करेगा जो प्लास्टिक अपशिष्ट के पर्यावरण में प्रवेश को बाधित करते हुए बहुत से लोगों की आजीविका में सुधार करते हो।
  - इस परियोजना में शामिल दो प्रारंभिक शहर पुदुच्चेरी (भारत) और वियतनाम के मेकांग डेल्टा क्षेत्र में अवस्थित टैन एन (Tan An) हैं।

प्लास्टिक कचरा

- वैश्विक परिदृश्य में बात करें तो:
  - वर्ष 1950 से अब तक वैश्विक स्तर पर तकरीबन 8.3 बिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन हुआ है और इसका लगभग 60% हिस्सा लैंडफिल या प्राकृतिक वातावरण में ही निस्तारित हो गया है।
  - अभी तक उत्पादित सभी प्रकार के प्लास्टिक अपशिष्ट में से केवल 9% का ही पुनर्नवीनीकरण किया गया है और लगभग 12% को जलाया गया है, जबकि शेष 79% लैंडफिल, डंपिंग के रूप में प्राकृतिक वातावरण में ही मौजूद है।
  - प्लास्टिक अपशिष्ट, चाहे वह किसी नदी या अन्य जलधारा में मौजूद हो, समुद्र में हो या फिर भूमि पर, सदियों तक पर्यावरण में बना रह सकता है, एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2050 तक विश्व भर के समुद्रों और महासागरों में प्लास्टिक की मात्रा का वज़न वहाँ पाई जाने वाली मछलियों की तुलना में अधिक होने की संभावना है।

नोट :

- भारतीय परिदृश्य में बात करें तो:
  - वर्तमान में भारत में प्रत्येक दिन लगभग 26,000 टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है जिसमें से लगभग 10,000 टन से अधिक का संग्रहण तक नहीं हो पाता है।
  - भारत में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत 11 किग्रा से कम है जो संयुक्त राज्य अमेरिका (109 किग्रा) का लगभग दसवाँ हिस्सा है।
  - भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट को आपूर्ति शृंखला में वापस लाने से अर्थात् इसके पुनर्नवीनीकरण से वर्ष 2050 में 40 लाख करोड़ रुपए तक का वार्षिक लाभ प्राप्त हो सकता है।
- वैश्विक के साथ साथ भारत सरकार की पहलें:
  - वैश्विक स्तर पर समुद्री प्लास्टिक अपशिष्ट के मुद्दे से निपटने हेतु G20 (G20) समूह ने कार्रवाई के लिये एक नया कार्यान्वयन ढाँचा अपनाने पर सहमति व्यक्त की है।
  - प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (Plastic Waste Management Rules, 2016) के अनुसार, प्रत्येक स्थानीय निकाय को प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, प्रसंस्करण और निपटान के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचे को स्थापित करने के अपने दायित्व को पूरा करना चाहिये।
  - प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2018 ने विस्तारित निर्माता के उत्तरदायित्व (EPR) की अवधारणा पेश की है।
    - EPR एक नीतिगत दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत उत्पादकों को उपभोक्ता के खरीदने के बाद बचे उत्पादों के निपटान के लिये एक महत्त्वपूर्ण वित्तीय और भौतिक जिम्मेदारी (स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण और संग्रहण) दी जाती है।
  - प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर एक नए राष्ट्रीय ढाँचा को लाने पर विचार किया जा रहा रहा है, जो निगरानी तंत्र के एक भाग के रूप में कार्य करेगा।

आगे की राह

- सरकार को सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, विनियमों के कड़ाई से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये नीतियों का निर्माण करना चाहिये।
- आर्थिक रूप से सस्ते और पारिस्थितिक रूप से व्यवहार्य विकल्पों, ताकि संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- इसके साथ-साथ नागरिकों को भी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिये और अपशिष्ट पृथक्करण एवं अपशिष्ट प्रबंधन में मदद करते हुए इस दिशा में चलाई जा रही पहलों को सफल बनाने के प्रयास करने चाहिये। यदि देश का प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपने उत्तरदायित्व को पूरा करता है तो एकल प्लास्टिक के उन्मूलन को सुनिश्चित करना कोई कठिन कार्य नहीं होगा।

अंटार्कटिका महाद्वीप में बढ़ती मानवीय गतिविधियाँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में शोधकर्त्ताओं के एक दल द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप में मानवीय गतिविधियों (Human Footprint) के कारण बंजर भूमि के संकुचन से संबंधित अध्ययन किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- विंट्स यूनिवर्सिटी (Wits University) के वैज्ञानिक तथा सह-लेखक बर्नार्ड डब्ल्यूटी कोएत्ज़ी (Bernard WT Coetzee) द्वारा इस अध्ययन को वैचारिक रूप प्रदान करने में मदद की गई तथा तथा इनके द्वारा अंटार्कटिका में मानव गतिविधियों की सीमा की मैपिंग करने के लिये कई स्रोतों से स्थानिक डेटाबेस को प्राप्त किया गया।
- अध्ययन में 2.7 मिलियन रिकॉर्ड से प्राप्त किये गए डेटा के माध्यम से इस बात को समझाया गया कि किस प्रकार पिछले 200 वर्षों में अंटार्कटिका महाद्वीप में मानव गतिविधि बढ़ी है।
- अध्ययन के अनुसार, जब से अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज (200 वर्ष पूर्व) हुई है तब से इस महाद्वीप पर मानव गतिविधियाँ तेज़ी से बढ़ी हैं।

नोट :

- शोधकर्त्ताओं के दल द्वारा इस अध्ययन में अंटार्कटिक महाद्वीप में दो मुख्य चिंताओं को रेखांकित किया गया है-
  - पहला मानवीय गतिविधियों के कारण अंटार्कटिका के निर्जन क्षेत्र/बंजर भूमि क्षेत्र तेज़ी से कम हो रहे हैं।
  - दूसरा इस क्षेत्र की जैव विविधता पर अतिरिक्त दबाव बना हुआ है।
- इस शोध कार्य को 'नेचर' पत्रिका में प्रकाशित किया गया है।
- वैज्ञानिकों द्वारा इस अध्ययन के लिये अंटार्कटिका महाद्वीप में वर्ष 1819-2018 के मध्य की 2.7 मिलियन मानव गतिविधियों के रिकॉर्डों की मैपिंग की गई ताकि अंटार्कटिका महाद्वीप में जैव विविधता के साथ-साथ शेष बचे हुए निर्जन क्षेत्र की सीमा का आकलन किया जा सके।

शोध के प्रमुख बिंदु:

- शोध के अनुसार, महाद्वीप के 99.6% क्षेत्र को अभी भी निर्जन क्षेत्र माना जा सकता है, लेकिन इस क्षेत्र में कुछ जैव विविधता अभी भी विद्यमान है।
- अध्ययन के अनुसार अंटार्कटिक महाद्वीप का अपरिवर्तित आदिम क्षेत्र (Pristine areas) मानव हस्तक्षेप से मुक्त एक बहुत छोटे क्षेत्र (अंटार्कटिका के 32%से कम) को कवर करता है जो मानवीय गतिविधियों के कारण क्षीण हो रहा है ।
  - अध्ययन में बताया गया कि अंटार्कटिका में संरक्षित क्षेत्रों के जाल/नेटवर्क का तत्काल विस्तार करके इस प्रवृत्ति को उलट सकते हैं तथा महाद्वीप की जैव विविधता को सुरक्षित रखा जा सकता है।
- कोएत्ज़ी के अनुसार, बंजर क्षेत्र के रूप में पहचाने गए क्षेत्र में वास्तव में व्यापक स्तर पर मानव गतिविधियाँ देखी गई हैं मुख्य रूप से बर्फ-मुक्त एवं ऐसे तटीय क्षेत्रों में जहाँ अधिकांश जैव विविधता पाई जाती है।
  - इसका अर्थ है कि महाद्वीप के कई महत्वपूर्ण जैव विविधता वाले स्थानों पर 'बंजर क्षेत्र' विद्यमान नहीं है लेकिन यह अंतिम बंजर क्षेत्र को संरक्षित करने का एक अवसर है।
- अध्ययन के अनुसार, महाद्वीप पर 16 प्रतिशत क्षेत्र की पहचान की गई जो पक्षियों के संरक्षण के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पक्षी संरक्षण के लिये पहचाने गए जिस क्षेत्र को संकट पूर्ण क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है वह अत्यधिक सूक्ष्म क्षेत्र में विद्यमान है।

अंटार्कटिक संधि:

- इस संधि को वाशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है।
- 1 दिसंबर, 1959 को वाशिंगटन में 12 देशों द्वारा अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किये गए तथा 23 जून, 1961 में इस संधि को लागू किया गया ।
- भारत द्वारा वर्ष 1983 में इस संधि पर हस्ताक्षर किये गए।

संधि के प्रमुख प्रावधान:

अंटार्कटिक संधि से संबंधित प्रावधानों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है जो इस प्रकार हैं-

अनुच्छेद (1)- अंटार्कटिका क्षेत्र का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये किया जाएगा।

अनुच्छेद (2)- संधि में शामिल देशों को अंटार्कटिका में स्वतंत्र वैज्ञानिक अन्वेषण की स्वतंत्रता होगी।

अनुच्छेद (3)-अंटार्कटिका क्षेत्र में वैज्ञानिक अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिये योजनाओं और परिणामों का आदान-प्रदान किया जाएगा।

अनुच्छेद (4)-अंटार्कटिका में प्रादेशिक संप्रभुता के लिये कोई नया दावा, या किसी मौजूदा दावे का विस्तार नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद (5)-अंटार्कटिका में कोई भी परमाणु विस्फोट और रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थ का निपटान निषिद्ध होगा।

अनुच्छेद (6)- संधि के प्रावधान 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण क्षेत्र में लागू होंगे।

अनुच्छेद (7)- संधि में शामिल प्रत्येक पर्यवेक्षक देशों को अंटार्कटिका के किसी भी या सभी क्षेत्रों में किसी भी समय पहुँच की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। अंटार्कटिका के किसी भी या सभी क्षेत्रों में किसी भी समय हवाई निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुच्छेद (8)- संधि में शामिल दशों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कर्मचारियों से संबंधित प्रावधान।

नोट :

अनुच्छेद (9)- संधि में शामिल देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिये बैठकों का प्रावधान।

अनुच्छेद (10)- ऐसी किसी भी गतिविधि का विरोध करना जो अंटार्कटिका क्षेत्र में वर्तमान संधि के सिद्धांतों या उद्देश्यों के विपरीत हो।

अनुच्छेद (11)- संधि में शामिल देशों में किसी भी विवाद का निपटारा विचार-विमर्श, मध्यस्थता, सहमति द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद (12)- हर 30 वर्षों पर संधि की समीक्षा का प्रावधान।

अनुच्छेद (13)-संधि की पुष्टि वर्तमान संधि हस्ताक्षरकर्त्ताओं राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होगी।

अनुच्छेद (14)- विभिन्न भाषाओं में सम्पन्न संधि के संस्करण समान रूप से मान्य होगें जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के अभिलेखागार में जमा किया जाएगा।

आगे की राह:

- हालाँकि अध्ययन में शुरुआती आँकड़ों/तथ्यों के आधार पर संतोषजनक स्थिति प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन बाद के परिणामों के आधार पर कहां जा सकता है कि महाद्वीप के संरक्षण के लिये तीव्र गति से कार्रवाई करने के लिये काफी अवसर विद्यमान हैं।
- अध्ययन में प्रयुक्त बड़े डेटा समूहों/बेस का उपयोग उन सूचनात्मक प्रश्नों के लिये एक गहरी समझ/दृष्टिकोण प्रदान करेगा जो पर्यावरण नीति निर्माताओं के समक्ष लंबे समय से कठिनाई उत्पन्न करते हैं।

वन भूमि का गैर-वानिकी में परिवर्तन

चर्चा में क्यों ?

'वन एवं पर्यावरण के लिये कानूनी पहल' (Legal Initiative for Forest and Environment- LIFE) नामक एक पर्यावरणीय कानूनी फर्म द्वारा किये गए सर्वेक्षण के अनुसार, विगत तीन वर्षों में वन भूमि का विभिन्न परियोजनाओं के लिये परिवर्तन (Diversion) की सिफारिशों में लगातार गिरावट देखी गई है।

प्रमुख बिंदु:

- अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2017 में कुल 27,801.07 हेक्टेयर वन भूमि का गैर-वानिकी उपयोग में परिवर्तन की अनुमति दी गई थी, जो वर्ष 2018 में घटकर 21,781.30 हेक्टेयर और वर्ष 2019 में 13,656.60 हेक्टेयर रह गया है।
- ऐसे प्रस्तावों की अस्वीकृति की वास्तविक दर मात्र 2.36% है। वन भूमि परिवर्तन के 423 प्रस्तावों में से केवल 10 प्रस्तावों को खारिज किया गया है, जबकि 66 प्रस्तावों में उपयोगकर्ता एजेंसी को अधिक विवरण प्रस्तुत करने को कहा गया था।

राज्य स्तरीय विश्लेषण:

- 24 राज्य जिन्होंने वर्ष 2019 में गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिये वन भूमि के परिवर्तन की अनुशंसा की थी, उनमें से 10 राज्यों की भागीदारी 82.49% है।
- गैर-वानिकी उपयोग के सबसे ज्यादा प्रस्ताव ओडिशा (1697.75 हेक्टेयर), झारखंड (1647.41 हेक्टेयर) और मध्य प्रदेश (1626.8 हेक्टेयर) से आए हैं।
- वर्ष 2019 में मेघालय में सबसे कम (छह हेक्टेयर) वन भूमि का गैर-वानिकी में परिर्वतन देखने को मिला है।

वन भूमि परिवर्तन की प्रक्रिया:

- वन भूमि को विभिन्न बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के अधीन परिवर्तन के लिये राज्य सरकारों द्वारा 'वन सलाहकार समिति' (Forest Advisory Committee) या 'क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समितियों' (Regional Empowered Committees) के माध्यम से अनुशंसा की जाती है।
- 'वन सलाहकार समिति' या क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समितियों' से मंज़ूरी मिलने के बाद इसे केंद्रीय 'पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF) द्वारा अंतिम मंज़ूरी दी जाती है।

नोट :

कमी के कारण:

- पारिस्थितिक चिंताओं के कारण गैर-वानिकी उपयोग हेतु वन भूमि में परिवर्तन की सिफारिशों की संख्या में कमी देखी गई है। वन भूमि के गैर-वानिकी भूमि में परिवर्तन की सिफारिश से पूर्व कई मानदंडों जैसे वन का घनत्व, वैकल्पिक साइट की उपलब्धता, शमन उपाय आदि को देखा जाता है।

चिंता के विषय:

- सामान्यत: अत्यधिक सघन वनों में मानव अधिवास न के बराबर होते हैं। इससे मानव पुनर्वास तथा भूमि अधिग्रहण की लागत न के बराबर होती है। लगभग 58% वन भूमि जिसे गैर वानिकी उपयोग के लिये अनुशंसित किया गया है 'सघन वन श्रेणी' के अंतर्गत है।

घनत्व के आधार पर वनों को सामान्यत: तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है

अत्यधिक सघन वन (Very Dense Forest):

- इसमें ऐसे वन आते हैं जहाँ वृक्षों के वितान का घनत्व 70% से अधिक है।

मध्यम सघन वन (Moderately Dense Forest):

- वनों में वृक्ष वितान का घनत्व 40 से 70% होता है।

खुले वन (Open Forest):

- वनों में वृक्ष वितान का घनत्व 10 से 40% होता है।
- गैर-वानिकी उपयोग के लिये अनुशंसित वन भूमि का लगभग 45% वन्य जीव संरक्षण प्रोजेक्टों के अंतर्गत आता है।
- गैर-वानिकी उपयोग के लिये अनुशंसित कुल वन भूमि का 51.73% रैखिक परियोजनाओं (Linear Projects) जैसे सड़क, रेलवे, पारगमन लाइनों, पाइपलाइन आदि के अधीन थी। इसके बाद खनन एवं उत्खनन और सिंचाई का स्थान है।
- रैखिक परियोजनाओं के अधिक वन भूमि के परिवर्तन से क्षेत्रों में वनों की सघनता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा वनों का विखंडन (Fragmentation) बढ़ता है। इससे वनों में अतिक्रमण बढ़ता है तथा 'मानव-वन्यजीव संघर्ष' में वृद्धि होती है।

वन भूमि का परिवर्तन	शीर्ष राज्य
सड़कों का निर्माण	गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश
पारेषण लाइनें	झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश
रेलवे लाइन निर्माण	झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश

निष्कर्ष:

- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों कम करने तथा इसको दूर करने के लिये वन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समाधान प्रस्तुत करते हैं। अत: आवश्यक है कि वनों की कटाई और वृक्षारोपण जैसे मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाए तथा इस विषय को नीति निर्माण के केंद्र में रखा जाए।

हॉर्नबिल

चर्चा में क्यों ?

उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल (Hornbill) पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं।

प्रमुख बिंदु:

- उपग्रह डेटा पर आधारित यह अध्ययन 862 वर्ग किमी. के क्षेत्रफल में फैले पापुम रिज़र्व फॉरेस्ट (Papum Reserve Forest) में किया गया, जो पक्के टाइगर रिज़र्व के क्षेत्र में स्थित है तथा अवैध कटाई और जातीय संघर्ष से प्रभावित है।

नोट :

- पापुम रिज़र्व फॉरेस्ट में वनों की कटाई की वार्षिक दर 8.2 वर्ग किमी. है।
- भारतीय पूर्वी हिमालय के जैविक रूप से समृद्ध जंगलों में महत्त्वपूर्ण हॉर्नबिल निवास स्थान के नुकसान और गिरावट को दर्शाते हैं तथा आवास संरक्षण के प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

महत्त्व:

- पापुम रिज़र्व फॉरेस्ट बड़ी, रंगीन और फल खाने वाली हॉर्नबिल (Large, Colourful Fruit-eating hornbill) की तीन प्रजातियों- ग्रेट, पुष्पांजलि और ओरिएंटल चितकबरा (Great, Wreathed and Oriental Pied) का निवास स्थान है। इसके अतिरिक्त पक्के रिज़र्व में हॉर्नबिल की एक चौथी प्रजाति रूफस-नेक्ड (Rufous-Necked) पाई जाती है।
- उष्णकटिबंधीय वृक्षों के बीजों को फैलाने में अहम भूमिका निभाने के लिये 'वन इंजीनियरों' या 'वन किसानों 'के रूप में प्रसिद्द हार्नबिल वनों की समृद्धि और संतुलन का संकेत देते हैं, जिनमें वे घोंसले बनाते हैं।

खतरा:

- हॉर्नबिल्स का उपयोग उनके ऊपरी चोंच (Upper Beak) के लिये किया जाता था। पूर्वोत्तर में कुछ जातीय समुदायों के सांस्कृतिक प्रतीकों विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के न्यिशी (Nyishi) के सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में इनके पंखों का प्रयोग किया जाता है। फाइबर ग्लास के प्रयोग के बाद संरक्षण कार्यक्रम के बाद पक्षियों के लिये खतरा काफी हद तक कम हो गया।

भारत में हॉर्नबिल:

- भारत में हॉर्नबिल की नौ प्रजातियाँ हैं जिनमें से चार पश्चिमी घाट पर पाई जाती हैं- भारतीय ग्रे हॉर्नबिल (भारत का स्थानिक), मालाबार ग्रे हॉर्नबिल (पश्चिमी घाट का स्थानिक), मालाबार पाइड हॉर्नबिल (भारत व श्रीलंका का स्थानिक) और व्यापक रूप से पाया जाने वाला ग्रेट हॉर्नबिल (अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी)।
- इसके अतिरिक्त रफस-नेक्ड हॉर्नबिल, ऑस्टेन की ब्राउन हॉर्नबिल, जिसमें ग्रेट हॉर्नबिल जैसी संकटग्रस्त प्रजातियाँ पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में पाई जाती हैं।
- भारत में हॉर्नबिल की एक ऐसी प्रजाति नारकोंडम हॉर्नबिल भी है जिसकी संख्या बहुत कम है तथा जो केवल अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के नारकोंडम द्वीप पर पाई जाती है।

पक्के टाइगर रिज़र्व:

- पक्के टाइगर रिज़र्व, जिसे 'पखुई टाइगर रिज़र्व' के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्वी कामेंग ज़िले में स्थित एक टाइगर रिज़र्व है।
- यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में नामदफा रिज़र्व के पश्चिम भाग में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 862 वर्ग किमी. है।
- इस टाइगर रिज़र्व ने 'संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण' की श्रेणी में 'हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम' के लिये भारत जैव विविधता पुरस्कार (India Biodiversity Award-IBA) जीता था।
- यह उत्तर-पश्चिम में भारेली या कामेंग नदी और पूर्व में पक्के नदी से घिरा है।
- पक्के टाइगर रिज़र्व (नवंबर से मार्च तक ठंडे मौसम वाली) उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है।
- यहाँ बिल्ली परिवार की तीन बड़ी प्रजातियाँ- बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड और क्लाउडेड तेंदुआ पाई जाती हैं।
- यहाँ विश्व स्तर पर लुप्तप्राय सफेद पंखों वाला 'व्हाइट विंग्ड वुड डक' (White-winged Wood Duck), आईबिसबिल (Ibisbill) और ओरिएंटल बे उल्लू (Oriental Bay Owl) और हॉर्नबिल जैसे पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- अरुणाचल प्रदेश के अन्य महत्त्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र:
  - नामदफा: यह पूर्वी हिमालय में अवस्थित एक 'जैव विविधता हॉटस्पॉट' (Biodiversity Hotspot) है। यह 27 उत्तरी अक्षांश पर तराई सदाबहार वर्षावन क्षेत्र में अवस्थित है।
  - कमलांग टाइगर रिज़र्व: कमलांग वन्यजीव अभयारण्य वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध है जो अरुणाचल प्रदेश के लोहित ज़िले में स्थित है।

नोट :

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

UNESCO-IOC का 'सुनामी रेडी' प्रोग्राम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization- UNESCO) द्वारा ओडिशा के दो गाँवों को सुनामी से निपटने हेतु तैयारियों के लिये 'सुनामी रेडी ' (Tsunami Ready) के रूप में नामित किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- जगतसिंहपुर ज़िले के गंजम और नोलियासाही में वेंकटरायपुर (बॉक्सिपल्ली) को एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान मान्यता प्रदान (प्रमाण पत्र) की गई है।
- ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Odisha State Disaster Management Authority- OSDMA) ने दो गाँवों में 'सुनामी रेडी' प्रोग्राम को लागू किया।
  - OSDMA ने दिशा-निर्देशों के अनुसार, उन गाँवों में संकेतों के कार्यान्वयन के सत्यापन के बाद, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान कराने हेतु UNESCO-IOC के पास सिफारिश की।
  - OSDMA की सिफारिशों के आधार पर, UNESCO-IOC द्वारा दोनों गाँवों को 'सुनामी रेडी' समुदाय के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है।
- इस मान्यता के साथ, भारत हिंद महासागर क्षेत्र में 'सुनामी रेडी' को लागू करने वाला पहला देश और ओडिशा पहला राज्य बन गया है।
- 'सुनामी रेडी', UNESCO-IOC का एक सामुदायिक प्रदर्शन-आधारित कार्यक्रम है।
  - इसे UNESCO-IOC द्वारा सार्वजनिक, सामुदायिक नेताओं और राष्ट्रीय तथा स्थानीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसियों के सक्रिय सहयोग के माध्यम से, 'सुनामी रेडी' को बढ़ावा देने के लिये शुरू किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन-अंतर-सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (UNESCO-IOC):

- UNESCO का अंतर-सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (Intergovernmental Oceanographic Commission-IOC) संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत समुद्री विज्ञान के प्रति समर्पित एक मात्र सक्षम संगठन है।
  - इसकी स्थापना वर्ष 1960 में UNESCO के कार्यकारी स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।
- इसने 26 दिसंबर, 2004 को आई सुनामी के बाद 'भारतीय समुद्र सुनामी चेतावनी और शमन व्यवस्था' (Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System- IOTWMS) की स्थापना में मदद की थी।

उद्देश्य:

- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, सुनामी के दौरान आपातकालीन स्थितियों से निपटने हेतु तटीय समुदाय की तैयारियों में सुधार लाना है।
- इससे जन और संपत्ति के नुकसान को कम किया जा सकेगा और UNESCO- IOC की हिंद महासागर सुनामी चेतावनी और शमन प्रणाली के लिये अंतर सरकारी समन्वय समूह (Intergovernmental Coordination Group/Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System- ICG/IOTWMS) द्वारा निर्धारित सर्वोत्तम अभ्यास संकेतकों को पूरा करने की सामुदायिक तैयारी में एक संरचनात्मक और व्यवस्थित दृष्टिकोण को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

कार्यान्वयन एजेंसी:

- 'सुनामी रेडी' और आईओवेव (IOWave) अभ्यासों के कार्यान्वयन को लागू करने और निगरानी के लिये, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा INCOIS के निदेशक की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की गई है।

नोट :

- इस बोर्ड में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority- NDMA), गृह मंत्रालय, OSDMA, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपदा प्रबंधन निदेशालय (Andaman & Nicobar Islands Directorate of Disaster Management- DDM) और INCOIS के सदस्यों को शामिल किया गया है।

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र
(Indian National Centre for Ocean Information Services-INCOIS)

- INCOIS, भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र (Indian Tsunami Early Warning Centre- ITEWC) की भारत को सुनामी संबंधित सलाह/सूचना देने हेतु नोडल एजेंसी है।
  - INCOIS की स्थापना वर्ष 1999 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी और यह पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन की एक इकाई है।
- INCOIS, UNESCO-IOC द्वारा सौंपी गई ज़िम्मेदारी वाले सुनामी सेवा प्रदाताओं के रूप में, हिंद महासागर क्षेत्र (25 देशों) को सुनामी संबंधी सलाह/सूचना भी प्रदान करता है।
- लोगों में सुनामी संबंधी जागरूकता के लिये, INCOIS नियमित रूप से तटीय राज्यों और ज़िला स्तरीय आपदा प्रबंधन अधिकारियों (Disaster Management Officials- DMOs) के लिये, सुनामी मानक संचालन प्रक्रिया (Tsunami Standard Operating Procedure- SOP) कार्यशालाओं, प्रशिक्षण सत्रों और सेमिनारों का आयोजन करता है।
- ITEWC और ICG/IOTWMS के समन्वय से INCOIS में आईओवेव सुनामी मॉक अभ्यास का भी आयोजन किया जाता है।
- इसके अलावा आपात स्थितियों से निपटने की क्षमताओं को मज़बूती प्रदान करने के लिये वैकल्पिक वर्षों में गृह मंत्रालय, NDMA तथा राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसियों (State Disaster Management Agencies- SDMA) के समन्वय से राष्ट्रीय स्तर पर मॉक अभ्यास का आयोजन किया जाता है।

आगे की राह:

- यदि सुनामी से जोखिम वाले लोगों को समय पर सटीक चेतावनी प्रदान कर दी जाती है, तो वे जीवन रक्षक उपायों को अपना सकते हैं, इससे नुकसान को कम किया जा सकता है और प्रतिक्रिया में तेज़ी लाई जा सकती है।
- वैज्ञानिकों और आपातकालीन प्रबंधन अधिकारियों के निरंतर प्रयास के माध्यम से, बेहतर सेंसर, सटीक मॉडल और समवर्ती प्रसार के कई उपायों को अपनाकर, सुनामी की चेतावनी और समय-सीमा में पर्याप्त सुधार किया जा सकता है।
- हालाँकि जोखिम में रहने वाले क्षेत्र के किसी व्यक्ति के लिये सुनामी के बाद सुरक्षित रहना, उसके द्वारा चेतावनी संकेतों को पहचानने, सही निर्णय लेने और जल्द से जल्द कार्यवाही करने की क्षमता पर निर्भर करता है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान

चर्चा में क्यों ?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department- IMD) के अनुसार , मानसून के उत्तरार्ध में दीर्घावधि औसत वर्षा के 104% होने की संभावना व्यक्त की गई है। यह औसत वर्षा, वर्षा की "सामान्य" सीमा के अंतर्गत आती है।

प्रमुख बिंदु:

- दीर्घावधि औसत (Long Period Average-LPA): यह जून से सितंबर माह के दौरान दर्ज की गई वर्षा की औसत मात्रा है जिसकी गणना 50 वर्ष की अवधि के दौरान की जाती है तथा हर वर्ष मानसून के मौसम के लिये वर्षा की मात्रा का पूर्वानुमान लगाने के लिये इसे एक बेंचमार्क के रूप में रखा जाता है।
  - भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा देश के प्रत्येक समान क्षेत्र के लिये वर्षा का एक स्वतंत्र दीर्घावधि औसत (Long Period Average) निर्धारित किया गया है जिसकी निर्धारित सीमा 71.6 सेमी से 143.83 सेमी तक है।

नोट :

- भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर वर्षा की मात्रा के आधार पर पाँच वर्षा वितरण श्रेणियाँ (Rainfall Distribution Categories) निर्धारित की गई है जो इस प्रकार है-
  - सामान्य/सामान्य के लगभग (Normal or Near Normal): जब वास्तविक वर्षा का प्रतिशत स्तर वर्षा के LPA का +/- 10% हो, अर्थात LPA के 96-104% के मध्य।
  - सामान्य से कम (Below Normal): जब वास्तविक वर्षा का स्तर LPA के 10% से कम हो अर्थात LPA का 90-96% के मध्य।
  - सामान्य से अधिक (Above Normal): जब वास्तविक वर्षा LPA का 104-110% हो।
  - कमी (Deficient): जब वास्तविक वर्षा का स्तर LPA के 90% से कम हो।
  - आधिक्य (Excess): जब वास्तविक वर्षा का स्तर LPA के 110% से अधिक हो।.
- इस वर्ष मानसून के उत्तरार्द्ध में वर्षा की मात्रा के बढ़ने के कारणों में ला नीना जैसी स्थितियों को ज़िम्मेदार माना जा रहा है।
  - ला नीना (La Nina) एक जलवायु पैटर्न (Climate Pattern) है जिसमे पूर्व-मध्य इक्वेटोरियल प्रशांत (East-Central Equatorial Pacific) में समुद्री सतह का औसत तापमान कम हो जाता है ।
  - ला नीना, एल नीनो (El Nino) के समान ही एक प्रकार की परिघटना है जिसका प्रभाव अल नीनो के विपरीत होता है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग:

- IMD की स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी।
- यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है।
- यह मौसम संबंधी जानकारियों, मौसम पूर्वानुमान तथा भूकंपीय विज्ञान से संबंधित प्रमुख एजेंसी है।

सौर-कलंक सिद्धांत: कारण एवं प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन' (NASA) की 'सोलर डायनेमिक्स ऑब्ज़र्वेटरी' (Solar Dynamics Observatory- SDO) द्वारा व्यापक सौर-कलंक (Sunspot) समूह- AR2770 को देखा गया।

प्रमुख बिंदु:

- ऐसा माना जा रहा है कि सौर कलंक का 25वाँ चक्र सूर्य के आंतरिक भाग में चल रहा है। हाल ही में कुछ पूर्ण विकसित सौर-कलंक दिखाई देने लगे हैं जिनकी पहचान सौर-कलंक (Sunspot) समूह- AR2770 के रूप मे की गई है।
- AR2770 के अवलोकन से पता चलता है कि सौर-कलंक चक्र का 25वाँ चक्र सौर सतह पर दिखाई देना शुरू हो गया है, जो 25वें सौर-चक्र के प्रारंभ को बताता है।

सौर-कलंक:

- सौर-कलंक सूर्य की सतह का ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी सतह आसपास के हिस्सों की तुलना अपेक्षाकृत काली (DARK) होती है तथा तापमान कम होता है। इनका व्यास लगभग 50,000 किमी. होता है।
- ये सूर्य की बाहरी सतह अर्थात फोटोस्फीयर (Photosphere) के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ किसी तारे का चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक होता है। यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की तुलना में लगभग 2,500 गुना अधिक होता है।
- सामान्यत: चुंबकीय क्षेत्र तथा तापमान में व्युत्क्रमनुपाती संबंध होता है , अर्थात तापमान बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र घटता है।

सौर-चक्र (Solar Cycle):

- अधिकांश सौर-कलंक समूहों में दिखाई देते हैं तथा उनका अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसकी ध्रुवीयता लगभग 11 वर्ष में बदलती है जिसे एक 'सौर चक्र' (Solar Cycle) कहा जाता है।

नोट :

- सौर-कलंकों की संख्या में लगभग 11 वर्षों के चक्र के दौरान वृद्धि तथा कमी होती है जिन्हें क्रमश: सौर कलंक के विकास तथा ह्रास का चरण कहा जाता है, वर्तमान में इस चक्र की न्यूनतम संख्या या ह्रास का चरण चल रहा है।
- वर्तमान सौर चक्र की शुरुआत वर्ष 2008 से मानी जाती है जो अपने 'सौर न्यूनतम' (Solar Minimum) चरण में है।
- 'सौर न्यूनतम' के दौरान सौर-कलंकों सौर फ्लेयर्स (Solar Flares) की संख्या में कमी देखी जाती है।

सौर-कलंक से जुड़ी घटनाएँ:

सोलर फ्लेयर्स (Solar Flares):

- सोलर फ्लेयर्स सूर्य के निकट चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के स्पर्श, क्रॉसिंग या पुनर्गठन के कारण होने वाली ऊर्जा का अचानक विस्फोट है तथा सोलर फ्लेयर्स उत्पन्न होती है।
- सोलर फ्लेयर्स के विस्फोट से उत्पन्न ऊर्जा वर्ष 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए 'लिटिल बॉय' परमाणु बम के लगभग होती है।

कोरोनल मास इजेक्शन्स (CMEs):

- कोरोनल मास इजेक्शन्स (CME) सूर्य के कोरोना से प्लाज़्मा एवं चुंबकीय क्षेत्र का विस्फोट है जिसमें अरबों टन कोरोनल सामग्री उत्सर्जित होती है तथा इससे पिंडों के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है।

ऑरोरा की घटना:

- सौर-पवनों के कारण मैग्नेटोस्फेयर में परिवर्तन होता है, जिससे पृथ्वी के दोनों ध्रुवों अर्थात दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव के आसमान में हरे, लाल और नीले रंग के मिश्रण से प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे ऑरोरा या ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है।
- ध्रुवीय स्थिति के आधार पर इन्हें उत्तरी ध्रुवीय ज्योति (Aurora Borealis) तथा दक्षिण ध्रुवीय ज्योति (Aurora Australis) के नाम से जाना जाता है।

माउंडर मिनिमम (Maunder Minimum):

- जब न्यूनतम सौर कलंक सक्रियता की अवधि दीर्घकाल तक रहती है तो इसे 'माउंडर मिनिमम' कहते हैं।
- वर्ष 1645-1715 के बीच की अवधि में सौर कलंक परिघटना में विराम देखा गया जिसे 'माउंडर मिनिमम' कहा जाता है। यह अवधि तीव्र शीतकाल से युक्त रही, अत: सौर कलंक अवधारणा को जलवायु परिवर्तन के साथ जोड़ा जाता है।

सौर-कलंक के प्रभाव:

- सौर-कलंक से उत्पन्न सोलर फ्लेयर्स के कारण रेडियो संचार, ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम (GPS) प्रणाली, ऊर्जा-ग्रिड तथा उपग्रह आधारित संचार प्रणाली बुरी तरह प्रभावित हो सकती है।
- सौर-कलंक के कारण 'भू-चुंबकीय तूफान' (Geomagnetic Storms) उत्पन्न हो सकते हैं।
- 'भू-चुंबकीय तूफान' सौर-तूफ़ानों के कारण पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में उत्पन्न अव्यवस्था है जिससे पृथ्वी की इन खतरनाक विकिरणों से प्राप्त सुरक्षा प्रभावित होती है।
- माउंडर मिनिमम अर्थात न्यूनतम सौर कलंक सक्रियता के समय धरातलीय सतह तथा उसके वायुमंडल का शीतलन, जबकि अधिकतम सौर कलंक सक्रियता काल के समय वायुमंडलीय उष्मन होता है।
- 'अल नीनो' और 'ला नीना' की घटना को भी वैज्ञानिकों द्वारा सौर-कलंक के साथ संबंधित करने का प्रयास किया जा रहा है, यद्यपि यह अनेक दोषों से युक्त है।

नोट :

सामाजिक न्याय

दासता पर CHRI की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 30 जुलाई को 'वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग' (World Day Against Trafficking in Persons) के अवसर पर 'कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव' (Commonwealth Human Rights Initiative- CHRI) तथा एक अंतर्राष्ट्रीय दासता विरोधी संगठन, वॉक फ्री (Walk Free) द्वारा दासता के संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई।

प्रमुख बिंदु:

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु-

- इस रिपोर्ट में राष्ट्रमंडल देशों द्वारा वर्ष 2018 में बलपूर्वक श्रम, मानव तस्करी, बाल श्रम को समाप्त करने एवं सतत् विकास लक्ष्य (लक्ष्य 8.7) को प्राप्त करने तथा आधुनिक दासता की स्थिति को वर्ष 2030 तक समाप्त करने के लिये किये गए वादों की प्रगति का आकलन किया गया।
  - राष्ट्रमंडल देशों में आधुनिक दासता से ग्रसित विश्व के लगभग 40% लोगों विद्यमान हैं।
  - एक अनुमान के अनुसार, राष्ट्रमंडल देशों में 150 लोगों में से प्रत्येक एक व्यक्ति आधुनिक दासता की स्थिति में रह रहा है।
- रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रमंडल देशों द्वारा आधुनिक दासता के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्धता की दिशा में बहुत कम प्रगति की गई है तथा वर्ष 2030 तक आधुनिक दासता को समाप्त करने वाले कार्यों में भी कमी देखी गई है।
  - राष्ट्रमंडल के ⅓ देश जबरन विवाह कराने के अपराध में संलिप्त है जबकि 23 देश ऐसे भी हैं जो बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण के अपराध में संलिप्त नहीं हैं।
  - सभी राष्ट्रमंडल देश इस अंतराल को पीड़ित सहायता कार्यक्रमों में प्रस्तुत करते हैं।

भारत की स्थिति:

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत द्वारा समन्वय के संदर्भ में सबसे खराब प्रदर्शन किया गया है। वर्तमान दासता की स्थिति से निपटने के लिये भारत के पास कोई राष्ट्रीय समन्वय निकाय (National Coordinating Body) या फिर कोई राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan) नहीं है।
- भारत में विश्व की बाल वधुओं का कुल संख्या का एक तिहाई हिस्सा मौजूद है।
- भारत द्वारा एशिया के अन्य सभी राष्ट्रमंडल देशों की तरह, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 2011 के घरेलू कामगारों पर कन्वेंशन या 2014 के 'फोर्सड लेबर प्रोटोकॉल' (Forced Labour Protocol) की पुष्टि नहीं की गई है।
  - वर्ष 2014 का 'फोर्सड लेबर प्रोटोकॉल' (Forced Labour Protocol) राज्य सरकारों को इस बात के लिये बाध्य करता है कि वे मुआवज़े सहित, बलात् श्रम से पीड़ितों को सुरक्षा और उचित श्रम प्रदान करने के लिए बाध्य करें।
  - यह प्रोटोकॉल राज्य को एक राष्ट्रीय नीति विकसित करने एवं जबरन या अनिवार्य श्रम के प्रभावी तथा निरंतर दमन के लिये कार्य योजना तैयार करने के लिये भी बाध्य करता है।

भारत द्वारा इस दिशा में किये गए संवैधानिक प्रावधान:

अनुच्छेद-21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है।

अनुच्छेद-23 बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है।

अनुच्छेद-24 कारखानों, आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य करने से प्रतिबंधित करता है।

नोट :

अनुच्छेद-39 राज्य को श्रमिकों, पुरुषों तथा महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सामर्थ्य को सुरक्षित करने के लिये निर्देशित करता है।

अनुच्छेद-42 राज्य को निर्देश देता है कि वह काम की उचित और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित रखने एवं मातृत्व राहत के लिये प्रावधान करे।

कानूनी प्रावधान:

- भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC) के विभिन्न खंड जैसे 366A, 366B, 370 और 374.
- भारतीय दंड संहिता की धारा 370 और 370A मानव तस्करी के खतरे का मुकाबला करने के लिये व्यापक उपाय प्रदान करती है जिसमें बच्चों का किसी भी रूप में शारीरिक शोषण, यौन शोषण, दासता या जबरन अंगों के व्यापार सहित किसी भी रूप में शोषण के लिये तस्करी शामिल है।
- किशोर न्याय अधिनियम, 2015, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000, अनैतिक यातायात अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम 1956, बंधुआ मजदूरी (उन्मूलन) अधिनियम 1976, इत्यादि का उद्देश्य दासता के विभिन्न स्वरूपों को समाप्त करना है।

अन्य प्रावधान:

- भारत द्वारा 'यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम' (United Nations Convention on Transnational Organised Crime-UNCTOC) की पुष्टि की गई है यह प्रोटोकॉल विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी की रोकथाम से संबंधित है।
- भारत द्वारा महिलाओं एवं बच्चों की वेश्यावृत्ति के लिये तस्करी रोकने के लिये भारत द्वारा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (South Asian Association for Regional Cooperation- SAARC) कन्वेंशन की पुष्टि की गई है।
  - महिलाओं एवं बच्चों की मानव तस्करी की रोकथाम, बचाव, वसूली, प्रत्यावर्तन एवं पीड़ितों के पुन: एकीकरण के लिये जून, 2015 में भारत एवं बांग्लादेश के मध्य द्विपक्षीय सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
- मानव तस्करी के अपराध को रोकने के संदर्भ में राज्य सरकारों द्वारा किये गए विभिन्न फैसलों पर विचार-विमर्श करने एवं कार्रवाई करने के लिये वर्ष 2006 में गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs -MHA) द्वारा नोडल सेल की स्थापना की गई थी।
- न्यायिक सम्मेलन: ट्रायल कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित एवं संवेदनशील बनाने के लिये, उच्च न्यायालय स्तर पर मानव तस्करी पर न्यायिक सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं। इन सम्मेलनों का उद्देश्य मानव तस्करी से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में न्यायिक अधिकारियों को संवेदनशील बनाना तथा शीघ्र न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।
- केंद्र सरकार द्वारा देश भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण में वृद्धि करने एवं उनके माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करने के लिये तथा पुलिस अधिकारियों एवं अभियोजकों के लिये 'मानव तस्करी के उन्मूलन' विषय पर क्षेत्रीय, राज्य और ज़िला स्तर पर संयुक्त प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं।
- गृह मंत्रालय द्वारा एक व्यापक योजना के तहत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से भारत में मानव तस्करी के खिलाफ कानून प्रवर्तन प्रतिक्रिया को मज़बूत करने के लिये देश के 270 ज़िलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इकाइयों (Anti Human Trafficking Units) की स्थापना के लिये फंड जारी किया गया है।
  - एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) का प्राथमिक कार्य कानून प्रवर्तन और पीड़ितों की देखभाल एवं पुनर्वास से संबंधित अन्य एजेंसियों के साथ संपर्क स्थापित करना है।
  - गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में नामित मानव तस्करी विरोधी इकाइयों के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

आधुनिक दासता:

आधुनिक दासता शोषण की उन स्थितियों को संदर्भित करती है जिसमे कोई व्यक्ति धमकी, हिंसा, जबरदस्ती एवं बलपूर्वक या धोखे के दुरुपयोग से बच नहीं पाता है।

राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (Commonwealth Human Rights Initiative- CHRI)

- CHRI एक स्वतंत्र, गैर-पक्षपातपूर्ण, अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है।

नोट :

- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- यह राष्ट्रमंडल में मानव अधिकारों की व्यावहारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये कार्य करता है।
- राष्ट्रमंडल 54 स्वतंत्र एवं समान संप्रभु राज्यों का एक स्वैच्छिक संघ है।
- यह विश्व के सबसे पुराने राजनीतिक संगठनों में से एक है। जिसकी जड़ें उन देशों की स्थापना से संबंधित हैं जिन देशों पर ब्रिटिश द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया गया था।
- वर्ष 1949 में, राष्ट्रमंडल के अस्तित्व में आने के साथ ही अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और प्रशांत क्षेत्र के स्वतंत्र देश भी राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए।
- राष्ट्रमंडल की सदस्यता मुक्त और समान स्वैच्छिक सहयोग पर निर्भर करती है क्योंकि रवांडा और मोज़ाम्बिक ब्रिटिश साम्राज्य का अंग न होने के बावजूद भी राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों में शामिल हैं।

शिक्षा प्रणाली पर COVID-19 महामारी का प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना वायरस (COVID-19) के आर्थिक परिणामों के प्रभावस्वरूप अगले वर्ष लगभग 24 मिलियन बच्चों पर स्कूल न लौट पाने का खतरा उत्पन्न हो गया है।

रिपोर्ट संबंधी प्रमुख बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शिक्षा प्रणाली पर COVID-19 के प्रभाव के कारण शैक्षिक वित्तपोषण का अंतर एक-तिहाई तक बढ़ सकता है।
- स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के बंद होने से विश्व की तकरीबन 94% छात्र आबादी प्रभावित हुई है और निम्न तथा निम्न-मध्यम आय वाले देशों में यह संख्या 99% है।
- इसके अलावा COVID-19 महामारी ने शिक्षा प्रणाली में मौजूद असमानता को और अधिक बढ़ा दिया है।
- इस महामारी के कारण निम्न आय वाले देशों की कमज़ोर एवं संवेदनशील आबादी इस वायरस से सबसे अधिक प्रभावित हुई है। वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही के दौरान निम्न आय वाले देशों में प्राथमिक स्तर पर तकरीबन 86% बच्चे स्कूल से बाहर हो गए हैं, जबकि उच्च आय वाले देशों में यह आँकड़ा केवल 20% है।

प्रभाव:

- इस महामारी का सबसे अधिक प्रभाव लड़कियों और महिलाओं पर देखने को मिल सकता है, स्कूल बंद होने से वे बाल विवाह और लिंग आधारित हिंसा के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएंगी।
- साथ ही बच्चों के साथ होने वाले अपराधों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
- वर्ष 2020 की शुरू में यह अनुमान लगाया गया था कि विश्व के अधिकांश निम्न और मध्यम आय वाले देशों में शिक्षा बजट और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सतत् विकास लक्ष्य तक पहुँचाने के लिये आवश्यक राशि के बीच लगभग 148 बिलियन डॉलर का अंतर है, COVID-19 महामारी के कारण इस वित्तपोषण अंतराल में दो-तिहाई तक वृद्धि हो सकती है।

बेहतर शिक्षा की आवश्यकता

- शिक्षा युवा पीढ़ी को जीवन कौशल प्रदान करती है और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। साथ ही सुशासन हेतु आम लोगों को उनके अधिकारों के प्रति भी जागरूक करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- शिक्षा परिपक्व लोकतंत्र की प्राप्ति एवं 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' के लक्ष्य की प्राप्ति में भी मददगार साबित हो सकती है।
- महिलाओं को शिक्षित करना भारत में कई सामाजिक बुराइयों जैसे- दहेज़ प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि को दूर करने की कुंजी साबित हो सकती है।
  - महिलाओं को शिक्षित करने से उन्हें उनके अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया जा सकता है।

नोट :

- कौशल आधारित शिक्षा आम लोगों को कौशलयुक्त करके भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक विकास में उनकी भूमिका सुनिश्चित कर सकती है। साथ ही शिक्षा लोगों को रोज़गार सृजित करने में भी सहायता कर सकती है।
- वैश्विक स्तर पर संसाधन काफी सीमित हैं और इसलिये इनका धारणीय प्रयोग काफी आवश्यक है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये युवा पीढ़ी को शिक्षा के माध्यम से सीमित संसाधनों का धारणीय प्रयोग सिखाया जा सकता है।
- मानव विकास सूचकांक (HDI) और पिसा रैंकिंग जैसे महत्त्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में में भारत की स्थिति को सुधारने के लिये देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार करना काफी महत्त्वपूर्ण है।

भारत में शिक्षा की वर्तमान समस्याएँ

- पर्याप्त अनुसंधान की कमी: भारतीय शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त अनुसंधान की कमी स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है। साथ ही गुणवत्तायुक्त शिक्षकों की संख्या भी काफी सीमित है।
- लैंगिक विभाजन: भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर काफी कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़े दर्शाते हैं कि राजस्थान (52.7%) और बिहार (53.3%) में महिला शिक्षा की स्थिति काफी खराब है।
  - जनगणना आँकड़े यह भी बताते हैं कि देश की महिला साक्षरता दर (65.5%) देश की कुल साक्षरता दर (74.04%) से भी कम है।
- कौशल आधारित शिक्षा अभाव: भारत में कौशल आधारित शिक्षा की कमी स्पष्ट तौर पर महसूस की जा सकती है। हमारे यहाँ एक ऐसी शिक्षा प्रणाली मौजूद है, जहाँ केवल किताबी ज्ञान प्रदान किया जाता है, और बच्चों को कौशलयुक्त होने के लिये प्रेरणा नहीं दी जाती है।
- खराब अवसंरचना और सुविधाएँ: खराब बुनियादी ढाँचा भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के लिये एक बड़ी चुनौती है, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा संचालित संस्थान खराब भौतिक सुविधाओं और बुनियादी ढाँचे से ग्रस्त हैं। संकाय की कमी और योग्य शिक्षकों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिये राज्य शैक्षिक प्रणाली की अक्षमता कई वर्षों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये चुनौती बन रही है।

सरकार के प्रयास

- सर्व शिक्षा अभियान: यह एक निश्चित समयावधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार का एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6-14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में नि:शुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना आवश्यक बना दिया गया।
- कौशल विकास के माध्यम से किशोरी एवं युवा महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिये भारत सरकार ने तेजस्विनी कार्यक्रम का प्रारंभ किया।
- उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (Higher Education Financing Agency- HEFA) की स्थापना 1,00,000 करोड़ रुपए के साथ की गई जिसका उद्देश्य शिक्षा संबंधी अवसंरचना विकसित करने पर ज़ोर देना है।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (Rashtriya Uchhatar Shiksha Abhiyan - RUSA) के अंतर्गत बजट को तीन गुना बढ़ा दिया गया है।
- राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (National Institutional Ranking Framework-NIRF) के माध्यम से गुणवत्ता और प्रतिस्पर्द्धा में सुधार किया जा रहा है।
- डिजिटल पहल के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ संकायों के द्वारा स्वयं (SWAYAM) पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। इस परस्पर संवादात्मक शिक्षा कार्यक्रम का लाभ 2 मिलियन से ज़्यादा उपयोगकर्त्ता उठा रहे हैं।
- इमप्रिंट (IMPRINT) 1 और 2 के साथ शोध और नवाचार की पहलों का शुभारंभ कर दिया गया है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पहल के माध्यम से सामान्य समस्याओं का समाधान कराने के लिये महाविद्यालय के विद्यार्थियों को खुला आमंत्रण दिया गया है।
- एकलव्य मॉडल डे-बोर्डिंग विद्यालय (EMDBS) के माध्यम से उप-ज़िला (Sub-District) क्षेत्रों की 90% या इससे अधिक जनसंख्या वाले अनुसूचित जनजातीय समुदाय से संबंधित क्षेत्रों में प्रयोगात्मक आधार पर एकलव्य मॉडल डे-बोर्डिंग विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन विद्यालयों का उद्देश्य, बिना आवासीय सुविधा के ST छात्रों को विद्यालय शिक्षा का लाभ देना है।

नोट :

- किरण (KIRAN) का पूर्ण रूप 'शिक्षण द्वारा अनुसंधान विकास में ज्ञान की भागीदारी' (Knowledge Involvement in Research Advancement through Nurturing) है। KIRAN विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लैंगिक समानता से संबंधित विभिन्न मुद्दों/चुनौतियों का समाधान कर रही है।
  - केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने वर्ष 2014 में महिला केंद्रित सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को किरण योजना (KIRAN Scheme) में समाहित कर दिया था।
- अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक सशक्तीकरण और रोज़गार उन्मुख कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (Multi-sectoral Development Programme-MsDP) की शुरुआत जिसका बाद में नाम बदलकर प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) कर दिया गया।
  - इस कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिये स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, लड़कियों के लिये छात्रावास, कौशल विकास केंद्र जैसी सामाजिक-आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं को विकसित करना है।
- अल्पसंख्यक समुदायों का समावेशी विकास से संबंधित पहलें:
  - सीखो और कमाओ
  - उस्ताद
  - गरीब नवाज़ कौशल विकास योजना
  - नई मंज़िल
  - नई रोशनी
  - बेगम हज़रत महल गर्ल्स स्कॉलरशिप

आगे की राह

- रिपोर्ट में सुझाव देते हुए कहा गया है कि विश्व की सरकारों को अपने शिक्षा बजट को संरक्षित करने एवं उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के केंद्र में रखा जाए।
- वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली खराब अवसंरचना और सुविधाओं से जूझ रही है, ऐसे में आवश्यक है कि सरकार देश के शिक्षा क्षेत्र की अवसंरचना में सुधार करने का यथासंभव प्रयास करे, जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके।
- सरकार को अनुसंधान जैसे क्षेत्रों पर GDP का अधिक अंश व्यय करना चाहिये।
- पाठ्यक्रम को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाना चाहिये जिससे वह उच्च शिक्षा को कौशल/ व्यावसायिक प्रशिक्षण और इंडस्ट्री इंटरफेस के साथ एकीकृत कर सके।
- नीति निर्तामाओं को शिक्षा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिये।
- निजी निवेश के साथ सरकारी संचालन एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि निजी निवेश और सरकारी संचालन से समावेशन की स्थिति को भी प्राप्त किया जा सके।

हिंदू महिलाओं के विरासत अधिकारों पर SC का निर्णय

चर्चा में क्यों ?

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने अपने एक हालिया एक निर्णय में पुरुष उत्तराधिकारियों के समान शर्तों पर हिंदू महिलाओं के पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकारी और सहदायक (संयुक्त कानूनी उत्तराधिकारी) के अधिकार का विस्तार किया है। यह निर्णय हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम (Hindu Succession (Amendment) Act), 2005 से संबंधित है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- SC का निर्णय:
  - SC के निर्णय के अनुसार, एक हिंदू महिला को पैतृक संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से प्राप्त है, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसका पिता जीवित हैं या नहीं।
  - SC ने अपने इस निर्णय में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ष 2005 में किये गए संशोधनों का विस्तार किया, इन संशोधनों के माध्यम से बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार देकर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित भेदभाव को दूर किया गया था ।
  - इसने उच्च न्यायालयों को छह माह के भीतर इस मामले से जुड़े मामलों को निपटाने का भी निर्देश दिया।
- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (Hindu Succession Act), 1956:
  - हिंदू कानून की मिताक्षरा धारा को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के रूप में संहिताबद्ध किया गया, संपत्ति के वारिस एवं उत्तराधिकार को इसी अधिनियम के तहत प्रबंधित किया गया, जिसने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में केवल पुरुषों को मान्यता दी।
  - यह उन सभी पर लागू होता है जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं। बौद्ध, सिख, जैन और आर्य समाज, ब्रह्म समाज के अनुयायियों को भी इस कानून के तहत हिंदू माना गया हैं।
  - एक अविभाजित हिंदू परिवार में, कई पीढ़ियों के संयुक्त रूप से कई कानूनी उत्तराधिकारी मौजूद हो सकते हैं। कानूनी उत्तराधिकारी परिवार की संपत्ति की संयुक्त रूप से देख-रेख करते हैं।
- हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम [Hindu Succession (Amendment) Act], 2005:
  - 1956 के अधिनियम को सितंबर 2005 में संशोधित किया गया और वर्ष 2005 से संपत्ति विभाजन के मामले में महिलाओं को सहदायक/कॉपर्सेनर के रूप में मान्यता दी गई।
    - अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करते हुए एक कॉपर्सेनर की पुत्री को भी जन्म से ही पुत्र के समान कॉपर्सेनर माना गया।
    - इस संशोधन के तहत पुत्री को भी पुत्र के समान अधिकार और देनदारियाँ दी गई।
  - यह कानून पैतृक संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति में उत्तराधिकार के नियम को लागू करता है, जहाँ उत्तराधिकार को कानून के अनुसार लागू किया जाता है, न कि एक इच्छा-पत्र के माध्यम से।
  - संशोधन का आधार:
    - विधि आयोग की 174वीं रिपोर्ट में हिंदू उत्तराधिकार कानून में सुधार की सिफारिश की गई थी।
    - वर्ष 2005 के संशोधन से पहले आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने कानून में यह बदलाव कर दिया था। केरल ने वर्ष 1975 में ही हिंदू संयुक्त परिवार प्रणाली को समाप्त कर दिया था।
- सरकार का पक्ष:
  - भारत के महान्यायवादी/सॉलिसिटर जनरल ने महिलाओं को समान अधिकारों की अनुमति देने के लिये कानून का व्यापक संदर्भ में अध्ययन किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया।
  - सॉलिसिटर जनरल ने मिताक्षरा कॉपर्सनरी (Mitakshara coparcenary 1956) कानून की आलोचना की क्योंकि यह कानून लैंगिक आधार पर भेदभाव करता है और भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18) के लिये दमनकारी और नकारात्मक भी है।

हिंदू कानून से संबंधित विधियाँ/नियम

मिताक्षरा कानून	दयाभाग कानून
मिताक्षरा पद की उत्पत्ति याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर द्वारा लिखित एक टीका के नाम से हुई है।	दयाभाग पद जिमुतवाहन द्वारा लिखी गई, समान नाम की पुस्तक से लिया गया है।

नोट :

भारत के सभी भागों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है और यह बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र एवं द्रविड़ शैली में उप-विभाजित है।	बंगाल और असम में इसका प्रभाव देखने को मिलता है।
जन्म से ही संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति में पुत्र की हिस्सेदारी होती है।	पुत्र का संपत्ति पर जन्म से कोई स्वत: स्वामित्व/अधिकार नहीं होता है, परंतु वह अपने पिता की मृत्यु के बाद स्वत: ही इस अधिकार को प्राप्त कर लेता है।
एक पिता के संपूर्ण जीवनकाल के दौरान परिवार के सभी सदस्य को कॉपर्सनरी का अधिकार प्राप्त होता है।	पिता के जीवनकाल में पुत्र को कॉपर्सनर का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
इसमें कॉपर्सनर का भाग परिभाषित नहीं है और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है।	प्रत्येक कॉपर्सनर के हिस्से को परिभाषित किया गया है और इसे समाप्त किया जा सकता है।

पत्नी बँटवारे की मांग नहीं कर सकती है लेकिन उसे अपने पति और पुत्रों के बीच किसी भी बँटवारे में हिस्सेदारी का अधिकार प्राप्त है। यहाँ महिलाओं के लिये समान अधिकार मौजूद नहीं है क्योंकि पुत्र बँटवारे की मांग नहीं कर सकता हैं और यहाँ पिता ही पूर्ण मालिक होता है।

नोट :

कला एवं संस्कृति

राम मंदिर में टाइम कैप्सूल

चर्चा में क्यों ?

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण स्थल पर ज़मीन के नीचे एक 'टाइम कैप्सूल' (Time Capsule) या काल पत्र (Kaal Patra) रखे जाने की खबरों को लेकर विभिन्न प्रकार के दावे पेश किये जा रहे हैं।

प्रमुख बिंदु:

- यद्यपि 'राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट' द्वारा टाइम कैप्सूल रखे जाने की बात का खंडन किया गया है, परंतु ट्रस्ट के कुछ सदस्यों के अनुसार, टाइम कैप्सूल रखा जा रहा है तथा यह भगवान राम और उनके जन्मस्थान के बारे में एक संदेश लेकर जाएगा और इसे हज़ारों वर्षों तक संरक्षित रखा जाएगा।

टाइम कैप्सूल (Time Capsule):

- यह किसी भी आकार या आकृति का एक कंटेनर होता है, जिसमें वर्तमान समय के दस्तावेज़, फोटो और कलाकृतियों को रखा जाता है तथा आने वाली पीढ़ियों की खोज के लिये इसे भूमिगत दफन किया जाता है।
- टाइम कैप्सूल के निर्माण के लिये विशेष इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है ताकि लंबी समयावधि के बाद भी कैप्सूल में रखी गई सामग्री का क्षय न हो।
- कैप्सूल के निर्माण के लिये एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील जैसी सामग्री तथा अम्लता रहित पेपरों का प्रयोग किया जाता है।

वैश्विक स्तर पर टाइम कैप्सूल:

- यद्यपि 'टाइम कैप्सूल' शब्द का प्रयोग 20वीं शताब्दी से प्रयुक्त किया जाने लगा है, परंतु इसका प्रारंभिक उदाहरण वर्ष 1777 का है, जिसे दिसंबर 2017 में पुनर्बहाली कार्य के दौरान स्पेन के एक चर्च से प्राप्त किया गया।
- नियोजित 'टाइम कैप्सूल' का प्रारंभ वर्ष 1876 से माना जाता है, जब न्यूयॉर्क पत्रिका के प्रकाशक द्वारा फिलाडेल्फिया में 'सेंचुरी सेफ' (Century Safe) नाम से टाइम कैप्सूल को दफन किया गया।
- इंटरनेशनल टाइम कैप्सूल सोसाइटी (ITCS); जो दुनिया में 'टाइम कैप्सूल' की संख्या का अनुमान लगाती रहती है, के अनुसार संपूर्ण विश्व में अभी भी 10,000-15,000 'टाइम कैप्सूल' हैं।

भारत में टाइम कैप्सूल:

लाल किला:

- भारत मे टाइम कैप्सूल के कई प्रमुख उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक 'टाइम कैप्सूल' लाल किले के बाहर वर्ष 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भूमिगत रखा गया था। जिसको लेकर सरकार और अन्य पार्टियों के बीच काफी विरोध-प्रदर्शन देखने को मिला तथा जनता पार्टी की सरकार द्वारा इसे खोदकर निकाल लिया गया।

आईआईटी कानपुर:

- 6 मार्च, 2010 को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा IIT कानपुर के कैंपस में टाइम कैप्सूल दफन किया गया था।
- इसमें संस्थान का एक हवाई नक्शा, वार्षिक रिपोर्ट, हॉस्टल मेस का मेनू जैसी कुछ सामग्री रखी गई थी।

अन्य टाइम कैप्सूल:

- मुंबई के एक स्कूल, जालंधर में लवली पब्लिक यूनिवर्सिटी, गांधी नगर के महात्मा मंदिर आदि में भी टाइम कैप्सूल दफन किये गए हैं।

नोट :

टाइम कैप्सूल का महत्त्व:

- 'टाइम कैप्सूल' का उपयोग भविष्य की पीढ़ियों के साथ संचार स्थापित करने की एक विधि के रूप में किया जाता है।
- 'टाइम कैप्सूल' भविष्य के पुरातत्त्वविदों, मानवविज्ञानी, या इतिहासकारों को अतीत की मानव-सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करते हैं।

टाइम कैप्सूल की आलोचना:

- कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह अनिवार्य रूप से एक 'व्यक्तिपरक अभ्यास' है, जिसे वर्तमान में महिमामंडन के रूप में पेश किया जा रहा है।
- 'टाइम कैप्सूल' में पर्याप्त जानकारी का अभाव होता है, कई स्थानों से प्राप्त 'टाइम कैप्सूल' में उस समय के लोगों के बारे में बहुत कम जनकारी प्राप्त हुई है।

निष्कर्ष:

- 'टाइम कैप्सूल' इतिहास को दर्शाने का एक मान्य तरीका नहीं है। टाइम कैप्सूल में रखे जाने वाले दस्तावेज़ों का प्रमाणन नहीं किया जाता है, अत: टाइम कैप्सूल में प्रदान की जाने वाली जानकारी को अन्य स्रोतों के साथ सत्यापित किया जाना चाहिये।

दृष्टि The Vision

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

रक्षा निर्यात को बढ़ाने के लिये मसौदा नीति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence- MoD) ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया (FeedBack) के लिये रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्द्धन नीति (Defence Production & Export Promotion Policy- DPEPP) 2020 का मसौदा तैयार किया है।

- DPEPP 2020 को आत्मनिर्भर बनने और निर्यात के लिये देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिये एक अतिव्यापी मार्गदर्शक दस्तावेज़ के रूप में परिकल्पित किया गया है।

लक्ष्य एवं उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक एयरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं तथा सेवाओं के $5 बिलियन के निर्यात सहित 1,75,000 करोड़ रुपए का विनिर्माण कारोबार सुनिश्चित करना है।
- इसके अलावा सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उत्तम उत्पादों के निर्माण के साथ-साथ एयरोस्पेस और नौसेना के जहाज़ निर्माण उद्योग को शामिल करते हुए एक गतिशील, मज़बूत तथा प्रतिस्पर्द्धी रक्षा उद्योग विकसित करना है।
- आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू डिज़ाइन तथा विकास के माध्यम से "मेक इन इंडिया" पहल को आगे बढ़ाना।
- रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और वैश्विक रक्षा मूल्य शृंखलाओं का हिस्सा बनना।
- एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जो अनुसंधान और विकास तथा नवाचार को प्रोत्साहित करता है एवं एक मज़बूत व आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग को बढ़ावा देता है।

नीति में उल्लिखित रणनीतियाँ:

- खरीद संबंधी सुधार-
  - रक्षा उत्पादों के विकास और उत्पादन से संबंधित विनिर्देशों और प्रौद्योगिकियों के आकलन के लिये एक परियोजना प्रबंधन इकाई (Project Management Unit) स्थापित की जाएगी।
  - स्वदेशी डिज़ाइन, विकास और उत्पादन के लिये लाइसेंस प्राप्ति की प्रक्रिया को खत्म करने पर केंद्रित।
  - इसका उद्देश्य दीर्घकालिक एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना (Long Term Integrated Perspective Plan- LTIPP) में अनुमानित प्रणालियों के डिज़ाइन अधिकारों और बौद्धिक संपदा अधिकारों को अपनाना है।
    - इसके अलावा एक प्रौद्योगिकी मूल्यांकन सेल (Technology Assessment Cell-TAC) भी बनाया जाएगा।
- स्वदेशीकरण और MSMEs/स्टार्टअप को सहायता-
  - स्वदेशीकरण नीति का उद्देश्य भारत में निर्मित रक्षा उपकरणों और प्लेटफार्मों के लिये आयातित घटकों तथा उप-संयोजकों का स्वदेशी स्तर पर निर्माण करने के लिये एक उद्योग परिवेशविकसित करना है।
    - वर्ष 2025 तक इस प्रकार के लगभग 5,000 उपकरणों का भारत में ही निर्माण करना प्रस्तावित है।
  - वर्तमान में 50 से अधिक स्टार्टअप नए 'फिट-फॉर-मिलिटरी-यूज़' तकनीकों/उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं।
- संसाधनों के आवंटन का अनुकूलन करना-
  - मसौदे में कहा गया है कि घरेलू उद्योग की खरीद को बढ़ावा देने के लिये यह अनिवार्य है कि वर्ष 2025 तक मौजूदा खरीद को 70,000 करोड़ रुपए से दोगुना करके 1,40,000 करोड़ रुपए किया जाए।
    - कुल रक्षा खरीद में घरेलू खरीद का हिस्सा लगभग 60% है।

नोट :

- निवेश को बढ़ावा देना और व्यापार सुगमता सूचकांक में सुधार करना-
  - भारत पहले से ही बढ़ते यात्री, यातायात और सैन्य व्यय के साथ एक बड़ा एयरोस्पेस बाज़ार है जिसके परिणामस्वरूप हवाई जहाज़ों की मांग बढ़ रही है।
  - विमान निर्माण कार्य, विमान रखरखाव, मरम्मत और आमूलचूल परिवर्तन, हेलिकाप्टर, इंजन निर्माण और लाइन रिप्लेसमेंट इकाइयाँ, मानव रहित हवाई वाहन और उन्नयन तथा रेट्रोफिट्स जैसे क्षेत्रों में एयरोस्पेस उद्योग के अवसरों की पहचान की गई है।
    - यह विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता सूचकांक में बाज़ार के आकार में सुधार, जनसांख्यिकीय विभाजन आदि संकेतकों में भारत की रैंकिंग से स्पष्ट है।
  - माँग की नियमित आपूर्ति को बनाए रखने के लिये रक्षा क्षेत्र में निवेश नियमित आधार पर होना चाहिये।
- नवाचार और अनुसंधान एवं विकास-
  - रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप्स को आवश्यक ऊष्मायन और बुनियादी ढाँचा सहायता प्रदान करने के लिये रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवाचारों (Innovations for Defence Excellence -iDEX) का संचालन किया गया है।
    - iDEX को अगले पाँच वर्षों के दौरान 300 और स्टार्टअप के साथ जुड़ने तथा 60 नई तकनीकों/उत्पादों को विकसित करने के लिये बढ़ावा दिया जाएगा।
  - मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति को नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने और DPSUs, आयुध निर्माण बोर्ड (Ordnance Factory Board (OFB) में अधिक से अधिक पेटेंट फाइल करने के लिये शुरू किया गया था।
    - इस क्षेत्र में बौद्धिक संपदा के निर्माण और इसके व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिये इसे बढ़ावा दिया जाएगा।

अन्य प्रमुख बिंदु:

- यह नीति रक्षा निर्यात बढ़ाने के लिये, रक्षा अटैच (Attachés) को अनिवार्य बनाती है और विदेशों में स्वदेशी रक्षा उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये समर्थित है।
  - यह प्रयास चयनित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (Defence Public Sector Undertakings- DPSUs) द्वारा पूरा किया जाएगा।
- रणनीतिक विचारों के अधीन, घरेलू रूप से निर्मित रक्षा उत्पादों को सरकार के माध्यम से सरकारी समझौतों और क्रेडिट/फंडिंग के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाएगा।

आगे की राह:

- रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता, प्रभावी रक्षा क्षमता और राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने तथा सैन्य श्रेष्ठता हासिल करने के लिये यह एक महत्त्वपूर्ण घटक साबित होगी।
- इसे प्राप्त करने से रणनीतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी साथ ही लागत प्रभावी रक्षा उपकरण और रक्षा आयात से संबंधित व्यय पर बचत हो सकेगी जो बाद में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचे को सशक्त बनाने में प्रयुक्त हो सकती है।

ब्रू शरणार्थी

चर्चा में क्यों ?

मिज़ोरम से विस्थापित ब्रू समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन संगठनो ने संयुक्त आंदोलन समिति (Joint Movement Committee- JMC) द्वारा त्रिपुरा में ब्रू समुदाय के पुनर्वास के लिये प्रस्तावित स्थलों को खारिज कर दिया है। संयुक्त आंदोलन समिति गैर ब्रू समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- मिज़ोरम ब्रू विस्थापित जन फोरम (Mizoram Bru Displaced Peoples' Forum), मिज़ोरम ब्रू विस्थापित जन समन्वय समिति (Mizoram Bru Displaced Peoples' Coordination Committee) और ब्रू विस्थापित कल्याण समिति (Bru Displaced Welfare Committee) ने ब्रू समुदाय के पुनर्वास के लिये JMC के चार सदस्यों को निगरानी टीम में शामिल करने की माँग को भी खारिज़ कर दिया है।
  - इनका कहना है कि पिछले 23 वर्षों के दौरान मिज़ोरम के पुनरुत्थान या त्रिपुरा में ब्रू समुदाय के पुनर्वास से संबंधित मुद्दे में इन सदस्यों का कोई संबंध या भागीदारी नहीं रही है।
- ब्रू प्रतिनिधियों का तर्क है कि ब्रू समुदाय के लिये प्रस्तावित स्थलों के चयन में कंचनपुर नागरिक सुरक्षा मंच और मिज़ो कन्वेंशन (JMC के प्रमुख घटक) का हस्तक्षेप पूरी तरह से अनुचित है क्योंकि वे न तो चतुर्पक्षीय समझौते के हस्ताक्षरकर्त्ता थे और न ही उनकी कोई भागीदारी थी।
- इसके अलावा उनका कहना है कि JMC द्वारा प्रस्तावित स्थल सड़क और बिजली जैसी सुविधाओं से असंबद्ध हैं तथा अस्पताल, स्कूल एवं अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं।

पृष्ठभूमि:

- 16 जनवरी, 2020 को केंद्र सरकार, त्रिपुरा तथा मिज़ोरम की राज्य सरकारों व ब्रू समुदाय के प्रतिनिधियों के मध्य ब्रू शरणार्थियों से जुड़ा एक चतुर्पक्षीय समझौता हुआ था।
  - इस समझौते के अनुसार, लगभग 34 हज़ार ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में ही बसाया जाएगा, साथ ही उन्हें सीधे सरकारी तंत्र से जोड़कर राशन, यातायात, शिक्षा आदि की सुविधा प्रदान कर उनके पुनर्वास में सहायता प्रदान की जाएगी।
- JMC में बंगाली, मिज़ो, बौद्ध बरुआ और अन्य समुदायों के लोग शामिल थे।
  - इसने वर्ष 1997 के दौरान हुए मिज़ोरम में जातीय हिंसा से बचने वाले ब्रू समुदाय के पुनर्वास के लिये 21 जुलाई को त्रिपुरा सरकार को एक ज्ञापन सौंपा था।
  - इसमें उत्तरी त्रिपुरा ज़िले के कंचनपुर और पनीसागर उपखंडों में छह स्थानों को निर्दिष्ट किया गया था।
- JMC ने इन स्थानों पर लगभग 500 परिवारों को बसाने का प्रस्ताव भी रखा था।

ब्रू समुदाय:

- ब्रू समुदाय भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक जनजातीय समूह है। ऐतिहासिक रूप से यह एक बंजारा समुदाय है तथा इस समुदाय के लोग झूम कृषि (Slash and Burn Farming) से जुड़े रहे हैं।
- ब्रू समुदाय स्वयं को म्याँमार के शान प्रांत का मूल निवासी मानता है, इस समुदाय के लोग सदियों पहले म्याँमार से आकर भारत के मिज़ोरम राज्य में बस गए थे।
- ब्रू समुदाय के लोग पूर्वोत्तर के कई राज्यों में रहते हैं परंतु इस समुदाय की सबसे बड़ी आबादी मिज़ोरम के मामित और कोलासिब ज़िलों में पाई जाती है।
- इस समुदाय के अंतर्गत लगभग 12 उप-जातियाँ शामिल हैं।
- ब्रू समुदाय के कुछ लोग बांग्लादेश के चटगाँव पहाड़ी क्षेत्र में भी निवास करते हैं।
- मिज़ोरम में ब्रू समुदाय को अनुसूचित जनजाति के तहत सूचीबद्ध किया गया है, वहीं त्रिपुरा में ब्रू एक अलग जाति समूह है।
- त्रिपुरा में ब्रू समुदाय को रियांग नाम से जाना जाता है।
- इस समुदाय के लोग ब्रू भाषा बोलते हैं, वर्तमान में इस भाषा की कोई लिपि नहीं है।
- पलायन के परिणामस्वरूप समुदाय के कुछ लोग ब्रू भाषा के अतिरिक्त कुछ अन्य राज्यों की भाषाएँ जैसे-बंगाली, असमिया, मिज़ो, हिंदी और अंग्रेज़ी भी बोल लेते हैं।

नोट :

विशिष्ट रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों ?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 101 वस्तुओं की सूची की घोषणा की है, जिनके आयात पर रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध लगाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- रक्षा मंत्रालय के हालिया निर्णय का अर्थ है कि सशस्त्र बल, नौसेना और वायु सेना के लिये इन 101 वस्तुओं की खरीद केवल घरेलू विनिर्माताओं के माध्यम से ही की जाएगी।
- घोषित नियमों के अनुसार, यह घरेलू निर्माता, निजी क्षेत्र से भी हो सकता है और रक्षा क्षेत्र का कोई सार्वजनिक उपक्रम भी हो सकता है।
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आने वाले समय में इस सूची में कुछ अन्य वस्तुओं को भी शामिल किया जा सकता है।
- इसके अलावा देश में रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिये चालू वित्त वर्ष में घरेलू पूंजीगत खरीद हेतु 52,000 करोड़ रुपए का एक अलग बजट प्रावधान किया गया है।

सूची में शामिल वस्तुएँ

- रक्षा मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी की गई सूची में रक्षा क्षेत्र से संबंधित सामान्य वस्तुओं से लेकर उन्नत तकनीक संबंधी वस्तुओं को शामिल किया गया है।
- इस सूची में पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स, लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, रडार, असॉल्ट राइफलें, सोनार सिस्टम, आर्टिलरी गन्स आदि शामिल हैं।
- गौरतलब है कि रक्षा आयात संबंधी सरकार के उक्त प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से लागू किये जाएंगे, सरकार द्वारा घोषित 101 वस्तुओं की सूची में कुल 69 वस्तुओं के आयात पर इसी वर्ष दिसंबर माह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। अगले चरण में 11 वस्तुओं के आयात पर वर्ष 2021 के अंत तक प्रतिबंध लागू किया जाएगा।
- वहीं सूची में शामिल 12 वस्तुओं पर वर्ष 2023 के अंत में और 8 वस्तुओं पर वर्ष 2024 में प्रतिबंध लागू होंगे।
- इसके अंतिम चरण में लॉन्ग रेंज - लैंड अटैक क्रूज मिसाइल शामिल है, जिसके आयात पर वर्ष 2025 के अंत में प्रतिबंध लागू किये जाएंगे।

आवश्यकता

- बीते कई वर्षों से भारत विश्व के शीर्ष तीन रक्षा आयातकों में से एक रहा है, इसी तथ्य के मद्देनज़र अब सरकार रक्षा क्षेत्र में आयातित वस्तुओं पर निर्भरता को कम करना चाहती है और घरेलू रक्षा विनिर्माण उद्योग को एक नई ऊर्जा प्रदान करना चाहती है।
- विश्व स्तर पर रक्षा निर्यात और आयात को ट्रैक करने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के अनुसार, कुल 16.75 बिलियन डॉलर के आयात के साथ भारत वर्ष 2014 से वर्ष 2019 के बीच विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा उपकरण आयातक देश था।
- ध्यातव्य है कि सूची में शामिल उत्पादों की तकरीबन 260 योजनाओं के लिये अप्रैल 2015 से अगस्त 2020 के बीच तीनों सेनाओं ने लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए का अनुबंध किया था।

महत्त्व

- मुख्य रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाकर सरकार ने घरेलू रक्षा उद्यमों को आगे बढ़ाने और तीनों सेनाओं की रक्षा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने का एक महत्त्वपूर्ण अवसर दिया है।
- ध्यातव्य है कि रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र के निजी विनिर्माताओं और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों को अपने स्वयं के डिज़ाइन और विकास क्षमताओं का उपयोग करके मंत्रालय द्वारा घोषित सूची में शामिल वस्तुओं के निर्माण का एक महत्त्वपूर्ण अवसर दिया है।
- इस संबंध में घोषणा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब रक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान और रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिये पूरी तरह से तैयार है।
- सरकार को उम्मीद है कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र केवल घरेलू बाज़ार की आवश्यकताओं को पूरा करके ही नहीं, बल्कि रक्षा क्षेत्र में एक निर्यातक बनकर भी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है।

नोट :

- सरकार को उम्मीद है कि आगामी 6 से 7 वर्ष के भीतर घरेलू उद्योग के साथ सूची में शामिल वस्तुओं को लेकर लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के अनुबंध किये जाएंगे।

थल सेना, नौसेना और वायु सेना से विमर्श

- सरकार ने घोषणा की है कि प्रतिबंध वस्तुओं की सूची की घोषणा उन सभी संबंधित हितधारकों (जिसमें तीन सेवाएँ भी शामिल हैं) से विचार-विमर्श करने के बाद ही की गई है, जो सूची में शामिल उपकरणों, हथियारों और प्लेटफार्मों का उपयोग करते हैं।
- 101 वस्तुओं की सूची की घोषणा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने उपकरणों की इस सूची से संबंधित निर्णय के लिये भारतीय घरेलू उद्योग की वर्तमान और भविष्य की क्षमता का आकलन करते हुए सशस्त्र बल और निजी तथा सार्वजनिक विनिर्माताओं समेत सभी हितधारकों के साथ कई दौर की परामर्श प्रक्रिया के बाद सूची तैयार की है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान और रक्षा क्षेत्र

- आत्मनिर्भर भारत अभियान संबंधी राहत पैकेज की घोषणा करते हुए मई माह में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र से संबंधित इस प्रकार की सूची बनाने के संकेत दिये थे।
- वित्त मंत्री ने उल्लेख किया था कि सरकार एक निश्चित समय सीमा में आयात पर प्रतिबंध के लिये हथियारों और उपकरणों की एक सूची अधिसूचित करेगी और आयातित उपकरणों के स्वदेशीकरण पर ज़ोर देगी।
- निर्मला सीतारमण के अनुसार, सरकार 'रक्षा उपकरणों की घरेलू खरीद के लिये अलग बजट प्रावधान बनाएगी, जिसमें विशाल रक्षा आयात बिल को कम करने में मदद मिलेगी।
- वित्त मंत्री द्वारा रक्षा क्षेत्र को लेकर आत्मनिर्भर भारत अभियान संबंधी राहत पैकेज के तहत की गई अन्य घोषणाओं में स्वत: रूट (Automatic Route) के तहत रक्षा विनिर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करना, आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण के माध्यम से उसकी स्वायत्तता और जवाबदेही में सुधार करना और समयबद्ध रक्षा खरीद प्रक्रिया और तेज़ी से निर्णय लेने संबंधी प्रक्रिया का निर्माण आदि शामिल था।

नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन (Naval Innovation and Indigenisation Organisation-NIIO) का शुभारंभ किया है।

प्रमुख बिंदु:

- नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन (NIIO) का शुभारंभ करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 'युद्धपोतों के स्वदेशी डिज़ाइन में महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल करने के बाद अब नौसेना को सैन्य हथियार और उपकरण के डिज़ाइन और विकास पर ध्यान देना चाहिये।'
- नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन (NIIO)
  - नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन (NIIO) आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिये नवोन्मेषण एवं स्वदेशीकरण को प्रेरित करने की दिशा में शिक्षा क्षेत्र एवं उद्योग के साथ परस्पर संवाद हेतु सैन्य
  - हथियारों और उपकरणों के अंतिम उपयोगकर्त्ताओं के लिये समर्पित संरचनाओं का निर्माण करता है।
  - यह मुख्य तौर पर एक त्रि-स्तरीय संगठन होगा।
    - इसमें पहले स्तर पर नौसेना प्रौद्योगिकी त्वरण परिषद (Naval Technology Acceleration Council-N-TAC) है, जो कि नवाचार एवं स्वदेशीकरण दोनों पहलुओं को एक साथ लाएगी और शीर्ष स्तरीय निर्देश उपलब्ध कराएगी।
    - दूसरे स्तर पर नौसेना प्रौद्योगिकी त्वरण परिषद (N-TAC) का एक कार्य समूह परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेगा।
    - तीसरे स्तर पर उभरती प्रौद्योगिकी के समावेशन के लिये एक प्रौद्योगिकी विकास त्वरण सेल (Technology Development Acceleration Cell-TDAC) का भी सृजन किया गया है।

नोट :

महत्त्व

- रक्षा अधिग्रहण नीति 2020 के मसौदे में सेना मुख्यालय द्वारा विद्यमान स्रोतों के भीतर एक नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की स्थापना किये जाने की परिकल्पना की गई थी।
- ध्यातव्य है कि भारतीय नौसेना के पास पहले से ही एक कार्यशील स्वदेशीकरण निदेशालय (Directorate of Indigenisation-DoI) है और नवसृजित संगठन वर्तमान में जारी स्वदेशीकरण पहलों को और आगे बढ़ाएगा तथा नवाचार पर भी फोकस करेगा।

भारतीय नौसेना में स्वदेशीकरण

- नौसेना के उप-प्रमुख वाइस एडमिरल अशोक कुमार के अनुसार, वर्तमान में भारत में छोटी नौकाओं से लेकर विमानवाहक पोत तक सभी आकारों और प्रकारों के 130 से अधिक जहाज़ डिज़ाइन किये जा रहे हैं।
- वर्तमान में भारत में हर तरह के जहाज़ और पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें परमाणु पनडुब्बी भी शामिल हैं।

सैन्य क्षेत्र में स्वदेशीकरण पर ज़ोर

- बीते दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 101 वस्तुओं की सूची की घोषणा की है, जिनके आयात पर रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध लगाया जाएगा।
- रक्षा मंत्रालय के हालिया निर्णय का अर्थ है कि सशस्त्र बल, नौसेना और वायु सेना के लिये इन 101 वस्तुओं की खरीद केवल घरेलू विनिर्माताओं के माध्यम से ही की जाएगी।
- घोषित नियमों के अनुसार, यह घरेलू निर्माता, निजी क्षेत्र से भी हो सकता है और रक्षा क्षेत्र का कोई सार्वजनिक उपक्रम भी हो सकता है।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान संबंधी राहत पैकेज की घोषणा करते हुए मई माह में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र से संबंधित इस प्रकार की सूची बनाने के संकेत दिये थे।
- इस प्रकार सरकार द्वारा लिये गए बीते कुछ निर्णयों से यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सरकार रक्षा प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण पर ज़ोर दे रही है।

The Vision

नोट :

चर्चा में

मुस्लिम महिला अधिकार दिवस Muslim Women Rights Day

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री (Union Minister for Minority Affairs) ने कहा कि 1 अगस्त, 2019 को मुस्लिम महिलाओं को 'तीन तलाक' नामक सामाजिक बुराई से मुक्ति मिली थी इसलिये 1 अगस्त को भारत के इतिहास में 'मुस्लिम महिला अधिकार दिवस' (Muslim Women Rights Day) के रूप में दर्ज किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने तीन तलाक नामक सामाजिक बुराई के खिलाफ कानून लाकर 'लैंगिक समानता' सुनिश्चित की है और मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक, मौलिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों को मज़बूत किया है।

भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 में निम्नलिखित प्रकार से वर्णित किया गया है-

अनुच्छेद-14: विधि के समक्ष समता

- अनुच्छेद-15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
- अनुच्छेद-16: लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता
- अनुच्छेद-17: अस्पृश्यता (छुआछूत) का अंत
- अनुच्छेद-18: उपाधियों का अंत
- 'मिस्र' पहला मुस्लिम राष्ट्र था जिसने वर्ष 1929 में तीन तलाक नामक सामाजिक बुराई को समाप्त किया था। जबकि पाकिस्तान ने वर्ष 1956 और बांग्लादेश ने वर्ष 1972 में इस सामाजिक बुराई को समाप्त कर दिया था।

भारत, नेपाल और यूनाइटेड किंगडम के बीच वर्ष 1947 का समझौता The 1947 agreement among India, Nepal and United Kingdom

हाल ही में नेपाली विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत, नेपाल और यूनाइटेड किंगडम के बीच वर्ष 1947 का समझौता जो गोरखा सैनिकों की सैन्य सेवा से संबंधित है, 'निरर्थक' हो गया है।

प्रमुख बिंदु:

- नेपाली विदेश मंत्री ने कहा है कि गोरखा सैनिकों की भर्ती अब अतीत की विरासत हो चुकी है यह एक ऐसा एकल द्वार था जिसे नेपाली युवाओं को विदेश जाने के लिये खोला गया था। बदले हुए परिदृश्य में इस समझौते के कुछ प्रावधान संदिग्ध हो गए हैं। अत: वर्ष 1947 का त्रिपक्षीय समझौता निरर्थक हो गया है।

वर्ष 1947 का त्रिपक्षीय समझौता:

भारत, नेपाल और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए वर्ष 1947 के समझौते के अनुसार, भारत और ब्रिटेन अपने देश की सेना में गोरखाओं लोगों की भर्ती कर सकते हैं।

ब्रिटिश सेना में पहली बार गोरखाओं की भर्ती:

- 'आंग्ल-नेपाल युद्ध' (वर्ष 1814-16) जिसे 'गोरखा युद्ध' भी कहा जाता है, के दौरान जब अंग्रेज सेना को अधिक क्षति हुई थी तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने पहली बार अपनी सेना में गोरखाओं को भर्ती किया था। यह युद्ध वर्ष 1816 की सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था।
- 'आंग्ल-नेपाल युद्ध' के समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे।

नोट :

भारतीय सेना में कार्यरत गोरखा सैनिक:

- उल्लेखनीय है कि नेपाल के गोरखा सैनिक छह दशकों से भारतीय सेना का अभिन्न अंग रहे हैं और वर्तमान में 7 गोरखा रेजिमेंट में कुल 39 बटालियन कार्यरत हैं।

ग्रामोदय विकास योजना के तहत एक पायलट परियोजना
A Pilot Project Under Gramodyog Vikas Yojana

30 जुलाई, 2020 को भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने 'ग्रामोदय विकास योजना' (Gramodyog Vikas Yojana) के तहत अगरबत्ती निर्माण में शामिल कारीगरों को लाभ पहुँचाने एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिये एक कार्यक्रम को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु:

- इस कार्यक्रम के अनुसार, वर्तमान में देश में कुल चार पायलट परियोजना शुरू की जाएंगी। जिनमें से एक पायलट परियोजना पूर्वोत्तर भारत में शुरू की जाएगी।
- इसके तहत प्रत्येक पायलट परियोजना में कारीगरों के प्रत्येक लक्षित समूह को लगभग 50 स्वचालित अगरबत्ती बनाने की मशीन और 10 मिक्सिंग मशीनें प्रदान की जाएंगी।
  - इस तरह चारों पायलट परियोजनाओं में कारीगरों को कुल 200 स्वचालित अगरबत्ती बनाने की मशीन और 40 मिक्सिंग मशीनें प्रदान की जाएंगी।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में अगरबत्ती के उत्पादन को बढ़ाना और पारंपरिक कारीगरों के लिये स्थायी रोज़गार पैदा करना और उनकी आय में वृद्धि करना है।
- अगरबत्ती निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिये हाल ही में भारत सरकार द्वारा दो अहम निर्णय लिये गए हैं।
  - आयात नीति में अगरबत्ती को 'मुक्त व्यापार' श्रेणी से हटाकर 'प्रतिबंधित व्यापार' की श्रेणी में सूचीबद्ध करना।
  - अगरबत्ती निर्माण के लिये उपयोग किये जाने वाले 'चक्राकार बाँस की छड़ी' (Round Bamboo Sticks) पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% करना।
- भारत सरकार के इन निर्णयों से अगरबत्ती के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और ग्रामीण रोज़गार पैदा करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
- यह स्वदेशी उत्पादन एवं मांग के बीच के अंतर को कम करने की प्रक्रिया भी शुरू करेगा और देश में अगरबत्ती के आयात को कम करेगा।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) की भूमिका:

- इस कार्यक्रम के तहत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission- KVIC) अगरबत्ती बनाने वाली मशीनों के साथ इस क्षेत्र में काम करने वाले कारीगरों को प्रशिक्षण एवं सहायता प्रदान करेगा।
- KVIC देश में अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले खादी संस्थानों/अगरबत्ती निर्माताओं के साथ गठजोड़ करेगा जो अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों को कार्य एवं कच्चा माल प्रदान करेंगे।
- यह कार्यक्रम गाँवों एवं छोटे शहरों में अगरबत्ती निर्माण को पुनर्जीवित करने में एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा और लगभग 500 अतिरिक्त नौकरियों का सृजन करेगा।

डिडायमोकॉर्पस/स्टोनफ्लावर Didymocarpus/Stoneflower

हाल ही में भारतीय एवं चीनी वैज्ञानिकों की एक टीम ने पूर्वोत्तर भारत व चीन के युन्नान (Yunnan) प्रांत में डिडायमोकॉर्पस (Didymocarpus) या स्टोनफ्लावर (Stoneflower) की एक नई प्रजाति 'डिडायमोकॉर्पस सिनोइंडिकस' (Didymocarpus Sinoindicus) की खोज की है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- यह प्रजाति अक्सर नम चट्टानों एवं पत्थरों पर उगती है। और दक्षिण एशिया के वर्षा वनों में पाई जाती है।
- स्टोनफ्लावर की चीन में 34 प्रजातियाँ और भारत लगभग 25 प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिनमें से अधिकांश पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती हैं।
  - गौरतलब है कि भारतीय एवं चीनी वैज्ञानिकों की टीम द्वारा खोजी गई 'डिडायमोकॉर्पस सिनोइंडिकस' को भारत में डिडायमोकॉर्पस जीनस की एक नई प्रजाति के रूप में दर्ज किया गया है।

हाल के वर्षों में खोजी गई 'डिडायमोकॉर्पस' जीनस की अन्य प्रमुख प्रजातियाँ:

- डिडायमोकॉर्पस मोइल्लेरी (Didymocarpus Moelleri):
  - वर्ष 2016 में केरल के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई 'डिडायमोकॉर्पस मोइल्लेरी' (Didymocarpus Moelleri) का उल्लेख किया था जिसमें नारंगी रंग का फूल खिलता है और यह अरुणाचल प्रदेश में केवल एक ही स्थान पर पाई जाती है।
- डिडायमोकॉर्पस भूटानिकस (Didymocarpus Bhutanicus):
  - फरवरी, 2020 में सिक्किम में पहली बार 'भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (Botanical Survey of India)' की एक टीम ने डिडायमोकॉर्पस भूटानिकस (Didymocarpus Bhutanicus) की खोज की थी जो पहले केवल भूटान में ही पाई जाती थी।
- वर्ष 2019 में वैज्ञानिकों ने पहली बार लाओस में डिडायमोकॉर्पस जीनस की एक नई प्रजाति 'डिडायमोकॉर्पस मिडिलटोनी' (Didymocarpus Middletonii) को खोजा था इसके बाद वर्ष 2020 की शुरुआत में लाओस में ही 'डिडायमोकॉर्पस अल्बिफ्लोरस' (Didymocarpus Albiflorus) को भी खोजा गया जिसमें बर्फ जैसे सफेद फूल खिलते हैं।

'डिडायमोकॉर्पस' जीनस की चार प्रजातियों की पुन: खोज:

1. डिडायमोकॉर्पस एडेनोकॉर्पस (Didymocarpus Adenocarpus):
   - इस प्रजाति को 87 वर्षों बाद उत्तरी मिज़ोरम से पुन: खोजा गया है।
   - यह उत्तरी मिज़ोरम में उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार वनों में आंशिक रूप से छायांकित क्षेत्रों में उगती है।
2. डिडायमोकॉर्पस पैरियोरम (Didymocarpus Parryorum):
   - इस प्रजाति को दक्षिण मिज़ोरम से पुन: खोजा गया है जिसमें छोटे, नारंगी फूल खिलते हैं।
   - इसे 90 वर्ष बाद पुन: खोजा गया है।
3. डिडायमोकॉर्पस लाइनिकैप्सा (Didymocarpus Lineicapsa):
   - इस प्रजाति को मिज़ोरम के मामित ज़िले से पुन: खोजा गया है।
4. डिडायमोकॉर्पस वेंगेरी (Didymocarpus Wengeri):
   - यह प्रजाति दक्षिण मिज़ोरम में सिर्फ दो स्थानों पर खड़ी ढाल के किनारों पर उगती है और IUCN दिशा-निर्देशों के आधार पर वैज्ञानिकों की टीम द्वारा इसे 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

भारत एयरफाइबर BHARAT AIRFIBER

02 अगस्त, 2020 को केंद्रीय संचार मंत्री ने महाराष्ट्र के अकोला में 'भारत एयर फाइबर सेवाओं' (BHARAT AIRFIBER SERVICES) का उद्घाटन किया।

- इन सेवाओं के माध्यम से महाराष्ट्र के अकोला एवं वाशिम ज़िले में वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा पहुँचाई जा सकेगी।

प्रमुख बिंदु:

- भारत एयर फाइबर सेवाएँ भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) द्वारा भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहलों के एक हिस्से के रूप में प्रस्तुत की गई हैं और इनका लक्ष्य BSNL की मौजूदगी वाले स्थान से 20 किमी. के दायरे में वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है।
  - गौरतलब है कि BSNL स्थानीय 'टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पाटनर्स' (TIP) की सहायता से सस्ती इंटरनेट सेवाएँ उपलब्ध कराती है।

नोट :

भारत एयर फाइबर सेवाओं की विशेषता:

- ये सेवाएँ विशिष्ट हैं क्योंकि BSNL इन सेवाओं में असीमित नि:शुल्क वायस कॉलिंग की सुविधा प्रदान कर रही है।
- इन सेवाओं में BSNL, 100 mbps स्पीड तक की भारत एयर फाइबर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराती है।
- उल्लेखनीय है कि COVID-19 के दौरान जुलाई, 2020 में BSNL ने महाराष्ट्र सर्किल में 15000 FTTH कनेक्शन तथा पूरे भारत में 162000 FTTH कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं।

मोतियाबिंद Cataract

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत एक स्वायत्त संस्थान 'नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान' (Nano Science & Technology- INST) के वैज्ञानिकों ने 'नॉनस्टेरोइडल एंटी-इन्फ्लेमेट्री ड्रग' (Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug-NSAID) 'एस्पिरिन' (Aspirin) से नैनोरॉड (Nanorods) विकसित किये हैं।

'एस्पिरिन' (Aspirin):

- 'एस्पिरिन' दर्द, बुखार या सूजन को कम करने के लिये इस्तेमाल की जाने वाली एक लोकप्रिय दवा है और इसे मोतियाबिंद के खिलाफ एक प्रभावी गैर-आक्रामक छोटे अणु-आधारित नैनोथेराप्यूटिक्स (Nanotherapeutics) के रूप में पाया जाता है।

'मोतियाबिंद' (Cataract):

- मोतियाबिंद अंधापन का एक प्रमुख रूप है, यह तब होता है जब क्रिस्टलीय प्रोटीन की संरचना जो हमारी आँखों में लेंस का निर्माण करती है, खराब हो जाती है जिससे क्षतिग्रस्त या अव्यवस्थित प्रोटीन संगठित होकर एक नीली या भूरी परत बनाता है जो अंतत: लेंस की पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

'जर्नल ऑफ मैटेरियल्स केमिस्ट्री बी' (Journal of Materials Chemistry B):

- 'नैनोरॉड' (Nanorods) से संबंधित INST के वैज्ञानिकों के इस शोध को 'जर्नल ऑफ मैटेरियल्स केमिस्ट्री बी' (Journal of Materials Chemistry B) में प्रकाशित किया गया है जो किफायती एवं कम जटिल तरीके से मोतियाबिंद को रोकने में मदद कर सकता है।

'एस्पिरिन नैनोरॉड' (Aspirin Nanorods):

- एस्पिरिन नैनोरॉड क्रिस्टलीय प्रोटीन और इसके विखंडन से प्राप्त विभिन्न पेप्टाइड्स के एकत्रीकरण को रोकते हैं जो मोतियाबिंद के गठन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - ये जैव आणविक प्रक्रिया के माध्यम से प्रोटीन/पेप्टाइड के एकत्रीकरण को रोकते हैं।
- 'एस्पिरिन नैनोरॉड' आणविक स्व-संयुग्मन की प्रक्रिया का उपयोग करके उत्पादित किये जाते हैं जो आम तौर पर नैनोकणों के संश्लेषण के लिये उपयोग की जाने वाली उच्च लागत और श्रमसाध्य भौतिक विधियों की तुलना में एस्पिरिन नैनोरॉड उत्पन्न करने के लिये सस्ती एवं प्रभावी तकनीक है।

महत्त्व:

- आसान और कम लागत वाली इस उपचार पद्धति से विकासशील देशों में उन रोगियों को लाभ होगा जो मोतियाबिंद के महंगे उपचार के कारण अपना इलाज नहीं करा पाते हैं।

SKOCH गोल्ड अवार्ड SKOCH Gold Award

हाल ही में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs) को 'मंत्रालय के छात्रवृत्ति प्रभाग की IT सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तीकरण' के लिये 'SKOCH गोल्ड अवॉर्ड' (SKOCH Gold Award) प्रदान किया गया।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित 66वीं SKOCH 2020 प्रतियोगिता का एक भाग है जिसका शीर्षक 'डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से COVID-19 का मुकाबला कर रहा भारत' था और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 'डिजिटल इंडिया एंड ई-गवर्नेंस-2020' प्रतियोगिता में भाग लिया था।
  - 'डिजिटल इंडिया' को बढ़ावा देने और ई-गवर्नेंस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मिशन के अंतर्गत सभी 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को 'DBT पोर्टल' के साथ एकीकृत किया है।
  - वर्ष 2019-20 के दौरान, सभी 5 छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 31 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 30 लाख छात्रों के बैंक खातों में लगभग 2500 करोड़ रुपए DBT के माध्यम से भेजे गये थे।

'SKOCH गोल्ड अवॉर्ड' (SKOCH Gold Award):

- SKOCH अवार्ड की शुरुआत वर्ष 2003 में की गई थी।
- यह पुरस्कार भारत को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिये अतिरिक्त प्रयास करने वाले व्यक्तियों, परियोजनाओं तथा संस्थानों को प्रदान किया जाता है।
- यह किसी स्वतंत्र संगठन (SKOCH फाउंडेशन) द्वारा प्रदान किया जाने वाला देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।
- यह पुरस्कार डिजिटल, वित्तीय एवं सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में किये गए सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के लिये प्रदान किया जाता है।

बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र Barakah Nuclear Energy Plant

01 जुलाई, 2020 को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Barakah Nuclear Energy Plant) में चार रिएक्टरों में से पहले रिएक्टर का संचालन शुरू किया है।

प्रमुख बिंदु:

- यह अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। जो अबू धाबी के अल धफरा क्षेत्र (Al Dhafrah Region) में स्थित है।
- इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल क्षमता 5600 मेगावाट है जिसका उद्देश्य UAE को 25% ऊर्जा की आपूर्ति है।
- अमीरात परमाणु ऊर्जा निगम (ENEC), कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (KEPCO) के साथ मिलकर 'बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र' का निर्माण एवं संचालन कर रहा है।

ढोल Dhole

'वाइल्डलाइफ कंज़र्वेशन सोसाइटी' (WCS) भारत, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय (यूएसए), वन्यजीव संरक्षण ट्रस्ट (WCT) और 'नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज़' (NCBS) के वैज्ञानिकों ने पारिस्थितिकी, सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेपों के संयोजन का उपयोग करके भारत में लुप्तप्राय ढोल (Dhole) के संरक्षण के लिये एक रूपरेखा का प्रस्ताव किया है।

प्रमुख बिंदु:

- वन पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष शिकारी के रूप में ढोल एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- हालिया एक नए अध्ययन के अनुसार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भारत में लुप्तप्राय ढोल के संरक्षण में उच्च स्थान पर हैं।
  - शीर्षक 'भारत में लुप्तप्राय ढोल (कुऑन अल्पाइन-Cuon Alpines) के संरक्षण के लिये एक रणनीतिक रोड मैप' नामक अध्ययन हाल ही में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका 'मैमल रिव्यू' (Mammal Review) में प्रकाशित हुआ था।
  - अध्ययन में बताया गया है कि ढोल, भारत के 2342 उप-ज़िलों में से 685 उप-ज़िलों के 49% निवास स्थान को अधिग्रहीत किये हैं।

नोट :

ढोल (Dhole):

- यह मध्य, दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय वनों में निवास करने वाला एक शीर्ष सामाजिक मांसाहारी जीव है।
- इसे 'एशियाई जंगली कुत्ता' (Asiatic Wild Dog) के रूप में भी जाना जाता है।
- बाघ के अलावा भारत में ढोल एकमात्र बड़ा मांसाहारी है जिसे IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय (Endangered) श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।
- इसे CITES की परिशिष्ट II में और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 [Wildlife (Protection) Act] के तहत अनुसूची II में सूचीबद्ध किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क Electronic Vaccine Intelligence Network

इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (eVIN) 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुँच चुका है और शीघ्र ही शेष राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लद्दाख और सिक्किम में पहुँच जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (eVIN):

- यह एक नवीन तकनीकी समाधान है जिसका उद्देश्य देश भर में टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों को मज़बूत करना है।
- इसका कार्यान्वयन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission-NHM) के तहत किया जा रहा है।
- eVIN का लक्ष्य देश के सभी कोल्ड चेन पॉइंट्स पर वैक्सीन के भंडार तथा बाज़ार में उपलब्धता एवं भंडारण तापमान पर रियल टाइम जानकारी देना है।
- COVID-19 महामारी के दौरान अपेक्षित अनुकूलन के साथ आवश्यक प्रतिरक्षण सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने और बच्चों एवं गर्भवती माताओं के टीकाकरण के लिये इस प्रणाली का उपयोग किया गया है।

eVIN के घटक:

- eVIN देश भर में कई स्थानों पर रखे गए टीकों के स्टॉक और भंडारण तापमान की रियल टाइम निगरानी करने के लिये एक मज़बूत आईटी अवसंरचना और प्रशिक्षित मानव संसाधन को आपस में जोड़ती है।
- वर्तमान में 22 राज्यों और 5 केंद्रशासित प्रदेशों के 585 ज़िलों में 23,507 कोल्ड चेन पॉइंट्स नियमित रूप से कुशल वैक्सीन लॉजिस्टिक्स प्रबंधन के लिये eVIN तकनीक का उपयोग कर रहे हैं।

eVIN का लाभ:

- इससे एक बड़ा डेटा आर्किटेक्चर बनाने में मदद मिली है जो आँकड़ों के आधार पर निर्णय लेने और खपत आधारित योजना बनाने को प्रोत्साहित करने वाले क्रियात्मक विश्लेषण सृजित करता है जिससे कम लागत पर अधिक टीकों के भंडारण में मदद मिलती है।
- eVIN के कारण भारत के अधिकांश स्वास्थ्य केंद्रों में प्रत्येक समय टीके की उपलब्धता होने की संभावना बढ़कर 99% हो गई है।
- जबकि वैक्सीन स्टॉक में कमी होने की संभावना को 80% तक घटाया गया है और स्टॉक को फिर से भरने का समय भी औसतन आधे से अधिक घट गया है।
- इससे यह सुनिश्चित हो गया है कि टीकाकरण स्थल पर पहुँचने वाले प्रत्येक बच्चे का टीकाकरण किया जाता है और टीकों की अनुपलब्धता के कारण उन्हें वापस नहीं भेजा जाता है।

स्पेस एक्स का नया क्रू ड्रैगन SpaceX's new Crew Dragon

31 मई, 2020 को स्पेस एक्स (SpaceX) के नए क्रू ड्रैगन (Crew Dragon) में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिये उड़ान भरने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बॉब बेहेनकेन (Bob Behnken) और डौग हर्ले (Doug Hurley) दो महीने की यात्रा के बाद 02 अगस्त, 2020 को वापस आ गए।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- स्पेसएक्स (SpaceX) का यह कैप्सूल मैक्सिको की खाड़ी में उतरा। यह पिछले नौ वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका की धरती से लॉन्च किया गया, नासा (NASA) का पहला क्रू मिशन था।
- इस लैंडमार्क मिशन को नासा के 'कैनेडी स्पेस सेंटर' से 31 मई, 2020 को लॉन्च किया गया था। वर्ष 2011 में नासा के शटल कार्यक्रम के सेवानिवृत्त होने के बाद पहली बार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने अमेरिकी धरती से अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च किया।
  - वर्ष 2011 के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन में लॉन्च करने के लिये रूस के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर निर्भर था।
- स्पेसएक्स कंपनी के ड्रैगन नाम के कैप्सूल से दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी मैक्सिको की खाड़ी में हुई। उल्लेखनीय है कि 45 वर्ष में ऐसा पहली बार हुआ है जब नासा का कोई अंतरिक्ष यात्री समुद्र में उतरा हो।

क्लैडोनोटस भास्करी Cladonotus Bhaskari

हाल ही में क्रोएशियाई एवं जर्मन शोधकर्त्ताओं ने श्रीलंका के वर्षावनों से ट्विग हॉपर (Twig Hopper) की एक नई प्रजाति क्लैडोनोटस भास्करी (Cladonotus Bhaskari) की खोज की।

प्रमुख बिंदु:

- ट्विग हॉपर (Twig Hopper) की इस नई प्रजाति 'क्लैडोनोटस भास्करी' (Cladonotus Bhaskari) का नामकरण 'केरल वन अनुसंधान संस्थान' (Kerala Forest Research Institute- KFRI) के एक युवा संरक्षण जीवविज्ञानी एवं टिड्डी विशेषज्ञ, धनेश भास्कर के नाम पर रखा गया है।
- पिछले 116 वर्षों में खोजी जाने वाली यह पहली नई ट्विग हॉपर (क्लैडोनोटस) प्रजाति है।
- ट्विग हॉपर की इस दुर्लभ प्रजाति को श्री लंका के सिंहराजा वर्षावन (Sinharaja Rainforest) में खोजा गया है।
- 'क्लैडोनोटस भास्करी' (Cladonotus Bhaskari) से संबंधित अध्ययन को शोध पत्रिका ज़ूटाक्सा (Zootaxa) में प्रकाशित किया गया है।

थेनज़ोल गोल्फ रिज़ॉर्ट परियोजना Thenzawl Golf Resort Project

04 अगस्त, 2020 को केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने 'स्वदेश दर्शन योजना' के तहत 'थेनज़ोल गोल्फ रिज़ॉर्ट परियोजना' (Thenzawl Golf Resort Project) का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु:

- इस विश्व स्तरीय परियोजना को पूर्वोत्तर भारत के मिज़ोरम राज्य में निर्मित किया जा रहा है।
- इस परियोजना को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये 'इंटीग्रेटेड डवलपमेंट ऑफ न्यू इको टूरिज़्म' (Integrated Development of New Eco Tourism) के तहत 92.25 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि के साथ मंज़ूरी दी गई है। इसमें से 64.48 रुपए की राशि गोल्फ कोर्स सहित थेनज़ोल के विभिन्न घटकों के लिये आवंटित की गई है।
- थेनज़ोल में गोल्फ कोर्स को कनाडा की सबसे बड़ी गोल्फ कोर्स आर्किटेक्चर कंपनी 'ग्राहम कुक एंड एसोसिएट्स' (Graham Cooke and Associates) द्वारा डिज़ाइन किया गया है।
  - यह गोल्फ कोर्स 105 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। जिसमें 75 एकड़ का खेल क्षेत्र शामिल है।
  - इसमें 18 होल गोल्फ कोर्स (Hole Golf Course) और स्वचालित स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को अमेरिका की कंपनी 'रेन बर्ड' (Rain Bird) द्वारा निर्मित किया गया है।

भारत में गोल्फ पर्यटन:

- भारत में गोल्फ पर्यटन की काफी संभावनाएँ हैं क्योंकि अधिकांश देशों की तुलना में यहाँ की जलवायु गोल्फ के लिये अधिक अनुकूल है।

नोट :

- वर्तमान में भारत में 230 से अधिक गोल्फ कोर्स मौजूद हैं। जिनमें कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स हैं।
- भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय देश में 'गोल्फ कोर्स पर्यटन' के विकास और बढ़ावा देने के लिये सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है।

एनजीसी 2899 NGC 2899

हाल ही में खगोलविदों ने अंतरिक्ष में ईथेरियल पंखों (Ethereal Wings) को फहराती हुई एक इंटरस्टेलर घटना देखी। अंतरिक्ष में यह अनोखा प्रकाश एक उच्च सममित गैस नेबुला (Highly Symmetrical Gas Nebula) के कारण दिखाई दिया जिसे एनजीसी 2899 (NGC 2899) के रूप में जाना जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- इस तस्वीर को शिक्षा एवं सार्वजनिक आउटरीच के प्रयोजनों के लिये यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला (European Southern Observatory- ESO) के 'कॉस्मिक जेम्स प्रोग्राम' (Cosmic Gems Program) के हिस्से के रूप में कैप्चर किया गया था।
- ESO के 'वेरी लार्ज टेलीस्कोप' के माध्यम से खगोलविदों ने पृथ्वी से 3000 से 6500 प्रकाश वर्ष दूर तितली की तरह दिखने वाले चमकते हुए गैसीय विशाल बुलबुले की तस्वीर को रिकॉर्ड किया।
  - हालाँकि नेबुला की खोज ब्रिटिश खगोलशास्त्री जॉन हर्शेल (John Herschel) ने वर्ष 1835 में की थी किंतु हाल की घटना से पहले इतने हाई रिज़ल्युशन में किसी ने भी इस घटना को नहीं देखा है।
- इस इंटरस्टेलर घटना में तितली जैसी आकृति के पंख लगभग 19 ट्रिलियन किलोमीटर या दो प्रकाश वर्ष तक फैले हुए दिखाई देते हैं।
- खगोलविदों का मानना है कि तितली की तरह दिखने वाली इस आकृति का निर्माण हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अणु से हुआ है जो लगभग 10,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होते हैं।
- NGC 2899 को 'वेरी लार्ज टेलीस्कोप' द्वारा केवल दक्षिणी गोलार्द्ध से देखा जा सकता है जो चिली में अवस्थित है।
- चिली स्थित 'वेरी लार्ज टेलीस्कोप' की चार 8.2 मीटर की दूरबीनों ने गहरे अंतरिक्ष में कई वस्तुओं की तस्वीरों को खोजा है।

अमोनियम नाइट्रेट Ammonium Nitrate

हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरुत में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। लेबनानी अधिकारियों द्वारा अमोनियम नाइट्रेट (Ammonium Nitrate) को इस विस्फोट का कारण बताया गया।

प्रमुख बिंदु:

- अमोनियम नाइट्रेट, एक रंगहीन, गंधहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह जल में अत्यधिक घुलनशील है, जल में घुलित अमोनियम नाइट्रेट के घोल को गर्म करने पर यह नाइट्रस ऑक्साइड (लॉफिंग गैस) में बदल जाता है।
- इसे आमतौर पर एक उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है जो दशकों से कई औद्योगिक विस्फोटों का कारण रहा है।
- जब अमोनियम नाइट्रेट को ईंधन तेलों के साथ संयुक्त किया जाता है तो यह एक शक्तिशाली विस्फोटक का निर्माण करता है जिसका उपयोग आमतौर पर विनिर्माण उद्योगों द्वारा किया जाता है।
  - किंतु कभी-कभी इसका उपयोग विद्रोही समूहों जैसे- तालिबान द्वारा भी किया जाता है।
- कृषि क्षेत्र में अमोनियम नाइट्रेट को उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है और नमी के कारण यह मृदा में जल्दी घुल जाता है जिससे मृदा में नाइट्रोजन के स्तर में वृद्धि होती है जो पौधे के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण होती है।
- वर्ष 2013 में टेक्सास के एक उर्वरक संयंत्र में अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुए विस्फोट में कई लोग मारे गए थे वहीँ वर्ष 2001 में फ्रॉन्स के टूलूज़ (Toulouse) में एक रासायनिक संयंत्र में विस्फोट का कारण भी अमोनियम नाइट्रेट था।
  - इसे वर्ष 1995 के संयुक्त राज्य अमेरिका के ओक्लाहोमा सिटी (Oklahoma City) हमले में बम के एक घटक के रूप में भी प्रयोग किया गया था।

उल्लेखनीय है कि लेबनान, पश्चिमी एशिया का एक देश है। यह उत्तर-पूर्व में सीरिया, दक्षिण में इज़राइल और पश्चिम में भूमध्यसागर से घिरा हुआ है।

नोट :

एक्सोप्लैनेट 'TVLM 513b' Exoplanet 'TVLM 513b'

पहली बार खगोलविदों ने रेडियो तरंगों (Radio Waves) और एक वोब्ब्ली तारे (Wobbly Star) का उपयोग करके एक्सोप्लैनेट 'TVLM 513b' (Exoplanet 'TVLM 513b') का पता लगाया है।

प्रमुख बिंदु:

- नया खोजा गया एक्सोप्लैनेट शनि के द्रव्यमान के बराबर है। यह एक्सोप्लैनेट एक बहुत छोटा, लाल बौना (Red Dwarf) है और पृथ्वी से लगभग 35 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है।
- इस एक्सोप्लैनेट को 'TVLM 513b' के रूप में जाना जाता है, जिसकी कक्षा बुध ग्रह की कक्षा के समरूप है।
- खगोलविदों द्वारा यह खोज 10 रेडियो टेलीस्कोप (10 Radio Telescope) की 'वेरी लॉन्ग बेसलाइन ऐरे' (Very Long Baseline Array- VLBA) का उपयोग करके की गई थी।
- इस 'एस्ट्रोमीट्रिक तकनीक' (Astrometric Technique) का प्रयोग आमतौर पर तारों से दूर की कक्षाओं में बृहस्पति जैसे ग्रहों का पता लगाने के लिये किया जाता है।

वोब्ब्ले (Wobble):

जब कोई बड़ा ग्रह किसी तारे की परिक्रमा करता है तो तारे में उत्पन्न होने वाला वोब्ब्ले (Wobble), ग्रह और तारे के बीच दूरी बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। वोब्ब्ले (wobble) की मात्रा ग्रह के आकार के समानुपाती होती है।

बासमती चावल के लिये जीआई टैग GI tag for Basmati Rice

हाल ही में मध्यप्रदेश द्वारा बासमती चावल के लिये भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग की माँग के विरोध में पंजाब के मुख्यमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर निजी दखल की माँग की है।

- गौरतलब है कि मध्य प्रदेश ने बासमती की जीआई टैगिंग के लिये अपने 13 ज़िलों को शामिल करने की मांग की है।

प्रमुख बिंदु:

- पंजाब के अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ ज़िलों को पहले से ही बासमती के लिये जीआई टैग मिला हुआ है।
- पंजाब के मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत प्रत्येक वर्ष 33,000 करोड़ रुपए का बासमती निर्यात करता है। किंतु बासमती के पंजीकरण में किसी भी तरह के बदलाव से बासमती की विशेषताएँ एवं गुणवत्ता के पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में पाकिस्तान को लाभ मिल सकता है जो जीआई टैगिंग के अनुसार बासमती का उत्पादन करता है।

जीआई टैगिंग हेतु प्रावधान:

- जिओग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स (रजिस्ट्रेशन एवं प्रोटेक्शन) एक्ट, 1999 के अनुसार, जीआई टैगिंग कृषि वस्तुओं के लिये जारी किया जा सकता है जो मूल रूप से किसी देश या क्षेत्र विशेष से संबंधित हों जहाँ ऐसी वस्तुओं की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य विशेषताएँ अनिवार्य रूप से इसके भौगोलिक मूल के लिये जिम्मेदार हों।
- बासमती को जीआई टैग पारंपरिक रूप से उगाए गए क्षेत्रों के आधार पर दिया गया है क्योंकि यह विशेष सुगंध, गुणवत्ता और स्वाद के कारण भिन्न है। और यह भिन्नता गंगा के मैदानी भागों में होने वाली बासमती में पाई जाती है।

चावल की पोक्कली किस्म Pokkali Variety of Rice

चावल की पोक्कली (Pokkali) किस्म खारे जल के प्रतिरोध के लिये जानी जाती है और इसकी पैदावार केरल के तटीय ज़िलों अलाप्पुझा (Alappuzha), एर्नाकुलम (Ernakulam) एवं त्रिशूर (Thrissur) में की जाती है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- 20 मई, 2020 को पश्चिम बंगाल में अम्फान (Amphan) चक्रवात आने के कारण सुंदरवन क्षेत्र में धान के खेतों में समुद्री जल/खारा जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है।
  - समुद्री जल भराव की समस्या के कारण पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना ज़िले के किसान केरल की पोक्कली किस्म की रोपाई कर रहे हैं।

वाइटिला-11 किस्म (Vytilla-11 Variety):

- फ्रांसिस कैलाथंगल (Francis Kalathungal) जो पोक्कली संरक्षण समिति का हिस्सा है, ने केरल से पाँच किलो पोक्कली की वाइटिला-11 किस्म को रोपाई के लिये पश्चिम बंगाल भेजा है।
- वाइटिला-11 किस्म को केरल कृषि विश्वविद्यालय के वाइटिला (Vytilla) में स्थित फील्ड स्टेशन ने विकसित किया है।
- अन्य चावल की किस्मों की तुलना में वाइटिला-11 किस्म की पैदावार लगभग 5 टन प्रति हेक्टेयर है। और इस फसल की अवधि लगभग 110 दिन है।

मंदिर वास्तुकला की नागर शैली Nagara Style of Temple Architecture

अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में किया जाएगा जिसमें पाँच गुंबद होंगे।

मंदिर वास्तुकला की नागर शैली:

- 'नागर' शब्द 'नगर' से बना है। सर्वप्रथम नगरों के निर्माण में इस शैली के प्रयोग होने के कारण इसे मंदिर वास्तुकला की नागर शैली कहते हैं।
- यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित थी।
- इसे 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत के मौजूदा शासकों द्वारा पर्याप्त संरक्षण दिया गया।
- नागर शैली की पहचान-विशेषताओं में समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है। इसे अनुप्रस्थिका एवं उत्थापन समन्वय भी कहा जाता है।
- नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं।
- ये मंदिर ऊँचाई में आठ भागों में बाँटे गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं- मूल (आधार), गर्भगृह मसरक (नींव और दीवारों के बीच का भाग), जंघा (दीवार), कपोत (कार्निस), शिखर, गल (गर्दन), वर्तुलाकार आमलक और कुंभ (शूल सहित कलश)।
  - नागर शैली में मंदिर का निर्माण आम तौर पर एक उत्कीर्ण मंच पर किया जाता है जिसे 'जगती' (Jagati) कहा जाता है। मंडप, गर्भगृह के ठीक सामने मौजूद होता है, ये शिखर से सुशोभित होते हैं जो गर्भगृह के ठीक ऊपर होते है।
- इस शैली में बने मंदिरों को ओडिशा में 'कलिंग', गुजरात में 'लाट' और हिमालयी क्षेत्र में 'पर्वतीय' कहा गया है।
- नागर शैली की कई उपशैली भी हैं जैसे-पाल उपशैली, ओडिशा उपशैली, खजुराहो उपशैली, सोलंकी उपशैली।

परिवार पहचान पत्र Parivar Pehchan Patra

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया जिसे 'परिवार पहचान पत्र' (Parivar Pehchan Patra-PPP) कहा जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- इस पहचान पत्र का उद्देश्य हरियाणा में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना है।
- इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक एकल इकाई माना जाएगा और 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी।
- हरियाणा सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने के लिये प्रत्येक परिवार को 'परिवार पहचान पत्र पोर्टल' पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

नोट :

परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड से अलग कैसे है ?

- आधार एक इकाई के रूप में सिर्फ एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जबकि PPP एक इकाई के रूप में एक परिवार का प्रतिनिधित्व करता है।

क्या हरियाणा के प्रत्येक परिवार के लिये PPP लेना अनिवार्य होगा ?

- हरियाणा के प्रत्येक परिवार के लिये PPP प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होगा किंतु सरकारी योजनाओं के तहत लाभ पाने वाले परिवारों के लिये PPP अनिवार्य है।
- इसके अलावा, जब भी कोई परिवार किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहता है तो उसे पात्र होने के लिये पहले PPP प्राप्त करना होगा।

PPP शुरू करने के पीछे हरियाणा सरकार का तर्क क्या है ?

- हरियाणा के अधिकारियों ने कहा कि आधार कार्ड केंद्र सरकार से संबंधित है इसमें व्यक्तिगत विवरण शामिल किया जाता है किंतु यह एक इकाई के रूप में पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
- कुछ परिस्थितियों में, राज्य सरकार के लिये राज्य में रहने वाले सभी परिवारों पर नज़र रखना संभव नहीं हो सकता है। हालाँकि वर्तमान में राशन कार्ड प्रणाली मौजूद है किंतु यह अद्यतन नहीं है और इसमें पर्याप्त पारिवारिक रिकॉर्ड शामिल नहीं हैं।
- PPP के साथ राज्य सरकार के लिये सभी राज्य निवासियों का एक पूरा डेटाबेस बनाए रखना आसान होगा।
- शुरुआती तौर पर हरियाणा सरकार ने पहले ही PPP को तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं- वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन और विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना से जोड़ा है।

उल्लेखनीय है कि तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश भी एक समान PPP परियोजना को लागू करने की संभावना तलाश रहे हैं।

एसएफटीएस वायरस SFTS Virus

हाल ही में टिक-जनित वायरस (Tick-Borne Virus) के कारण 'थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ गंभीर बुखार' (Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome- SFTS) नामक बीमारी से चीन में लगभग 7 लोगों की मौत हुई है।

प्रमुख बिंदु:

- हालाँकि यह बीमारी मकड़ी जैसे दिखने वाले जीव टिक (Tick) के काटने से मनुष्यों में स्थानांतरित होती है किंतु चीनी वायरोलॉजिस्टों ने चेतावनी दी है कि इस वायरस (SFTS Virus) के मानव-से-मानव में संचरण को खारिज़ नहीं किया जा सकता है।
- COVID-19 के विपरीत यह पहली बार नहीं है जब SFTS वायरस ने लोगों को संक्रमित किया है। इससे पहले वर्ष 2020 के शुरुआती महीनों में चीन के जिआंगसू प्रांत में SFTS वायरस से संक्रमित लोगों का निदान किया गया था।

SFTS वायरस क्या है ?

- 'थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ गंभीर बुखार' (Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome- SFTS) वायरस, बुन्यावायरस (Bunyavirus) परिवार से संबंधित है और टिक के काटने से मनुष्यों में प्रेषित होता है।
- इस वायरस की पहचान सबसे पहले चीन में शोधकर्त्ताओं की एक टीम ने एक दशक पहले की थी। वर्ष 2009 में चीन के हुबेई और हैनान प्रांतों के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ मामले सामने आए थे।
- जिस दर से यह वायरस फैलता है और इसकी उच्च मृत्यु दर के कारण, SFTS वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) द्वारा शीर्ष 10 प्राथमिकता वाले रोगों की सूची में सूचीबद्ध किया गया है।
- वायरोलॉजिस्ट मानते हैं कि एक एशियाई टिक (Asian Tick) जिसे 'हेमाफिसलिस लॉन्गिकोर्निस' (Haemaphysalis Longicornis) कहा जाता है, वायरस का प्राथमिक वाहक है।
- यह बीमारी मार्च और नवंबर के बीच फैलने वाली बीमारी के रूप में जानी जाती है। शोधकर्त्ताओं ने पाया है कि अप्रैल और जुलाई के बीच संक्रमण की कुल संख्या आमतौर पर शीर्ष पर होती है।

नोट :

- वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह वायरस अक्सर बकरियों, मवेशियों, हिरणों और भेड़ों जैसे जानवरों से मनुष्यों में फैलता है।
- हालाँकि इस बीमारी का इलाज करने के लिये एक भी टीका अभी तक सफलतापूर्वक विकसित नहीं किया गया है किंतु एंटीवायरल दवा रिबाविरिन (Ribavirin) को इस बीमारी के इलाज में प्रभावी माना जाता है।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस National Handloom Day

प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (National Handloom Day) मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य हथकरघा उद्योग के बारे में लोगों के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करना और सामाजिक-आर्थिक विकास में इसके योगदान को रेखांकित करना है।

प्रमुख बिंदु:

- हथकरघा क्षेत्र देश की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और देश में आजीविका का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। यह क्षेत्र महिला सशक्तीकरण के लिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि 70% हथकरघा बुनकर और संबद्ध श्रमिक महिलाएँ हैं।
- इस छठे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय 07 अगस्त, 2020 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक समारोह का आयोजन कर रहा है।
- इस समारोह में ज़िला प्रशासन, कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) के सहयोग से स्थापित किये जा रहे क्रॉफ्ट हैंडलूम विलेज़, कुल्लू (Craft Handloom Village, Kullu) का प्रदर्शन शामिल है।
- उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने 7 अगस्त, 2015 को चेन्नई (तमिलनाडु) में पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुरुआत की थी।

स्वदेशी आंदोलन:

- ब्रिटिश सरकार (लॉर्ड कर्जन) ने 20 जुलाई, 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी। जिसके परिणामस्वरूप 7 अगस्त, 1905 को कलकत्ता (अब कोलकाता) के टाउनहाल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई।
- इसी बैठक में ऐतिहासिक 'बहिष्कार प्रस्ताव' पारित हुआ जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया।
- पहली बार इस आंदोलन में स्त्रियों ने घर से बाहर निकल कर विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया, धरने पर बैठीं किंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित न कर सका, केवल बारिसाल ही इसका अपवाद रहा जहाँ किसानों ने इस आंदोलन में भाग लिया था।

अबनींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती
150th Birth Anniversary of Abanindranath Tagore

7 अगस्त, 2020 को अबनींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के अवसर पर 'नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट' (National Galary of Modern Art-NGMA), नई दिल्ली एक वर्चुअल टूर का आयोजन करेगा जिसका शीर्षक 'द ग्रेट मेस्ट्रो: अबनींद्रनाथ टैगोर' (The Great Maestro: Abanindranath Tagore) है।

प्रमुख बिंदु:

- यह वर्चुअल टूर NGMA के आरक्षित संग्रह से अबनींद्रनाथ टैगोर की प्रमुख कलाकृतियों में से 77 कलात्मक कार्यों को प्रस्तुत करेगा जो निम्नलिखित चार अलग-अलग विषयों की एक श्रृंखला में समूहीकृत होंगे।
  1. चित्र और वर्ण (Portraits and Characters)
  2. संवेदनशीलता के साथ परंपरा (Tradition with Sensibility)
  3. व्यक्तिगत शैली (Individual Style)
  4. आंतरिकता का परिदृश्य (Landscape of Interiority)

नोट :

- अबनींद्रनाथ टैगोर को आधुनिक भारतीय कला के क्षेत्र में एक विलक्षण व्यक्ति माना जाता है।
- अबनींद्रनाथ ने कई विषयों को चित्रित किया किंतु ऐतिहासिक या साहित्यिक छंदों के साथ चित्र बनाने की ओर उनका झुकाव अधिक था।
- उन्होंने 'अरेबियन नाइट्स' (Arabian Nights) या 'कृष्ण लीला' (Krishna Leela) जैसे विषयों का भी चित्रण किया।

अबनींद्रनाथ टैगोर:

- अबनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 07 अगस्त, 1871 को ब्रिटिश भारत के कलकत्ता के जोरासांको (Jorasanko) में हुआ था।
- वर्ष 1890 में, अबनींद्रनाथ टैगोर ने 'कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट' में भाग लिया जहाँ उन्होंने ओ. घिलार्डी (O. Ghilardi) से 'पेस्टल' और सी. पामर (C. Palmer) जैसे यूरोपीय चित्रकारों से 'तेल चित्रकला' का उपयोग करना सीखा।
- वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अबनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्रनाथ के साथ मिलकर 'इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट' (Indian Society of Oriental Art) की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला-मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई।
- वह भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों के पहले प्रमुख प्रतिपादक भी थे। इन्ही स्वदेशी मूल्यों के आधार पर बंगाल में 'स्कूल ऑफ आर्ट' की स्थापना हुई थी जिससे 'आधुनिक भारतीय चित्रकला का विकास' हुआ।
- अबनींद्रनाथ टैगोर ने कला के पश्चिमी मॉडल के प्रभाव का मुकाबला करने के लिये मुगल और राजपूत चित्रकला शैलियों के आधुनिकीकरण की मांग की।
- अबनींद्रनाथ टैगोर का मानना था कि पश्चिमी चित्रकला का चरित्र 'भौतिकवादी' है अत: आध्यात्मिक मूल्यों को पुनर्प्राप्त करने के लिये भारत को अपनी परंपराओं पर वापस लौटने की आवश्यकता है।
  - अपने बाद के कार्यों में अबनींद्रनाथ टैगोर ने चीनी और जापानी सुलेख परंपराओं को अपनी चित्रकला शैली में एकीकृत करना शुरू किया था।
- अबनींद्रनाथ टैगोर विशेष रूप से बच्चों के लिये एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में जाने जाते थे। उनकी पुस्तकों राजकाहिनी (Rajkahini), बूडो अंगला (Budo Angla), नलक (Nalak), और क्षीरेर पुतुल (Ksheerer Putul) का बच्चों के बंगाली भाषा साहित्य में प्रमुख स्थान है।
- 5 दिसंबर, 1951 को कलकत्ता में अबनींद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई।

कॉर्ड ब्लड Cord Blood

हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा प्लाज्मा उपचार के अलावा कॉर्ड ब्लड (Cord Blood) का इस्तेमाल COVID-19 रोगियों के इलाज के लिये किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

- कॉर्ड ब्लड (Cord Blood), नाभि रज्जु (Umbilical Cord) और गर्भनाल (Placenta) की रक्त वाहिकाओं में पाया जाता है और जन्म के बाद बच्चे की नाभि रज्जु काट कर एकत्र किया जाता है।
- इसमें रक्त बनाने वाली स्टेम कोशिकाएँ होती हैं जो कुछ रक्त और प्रतिरक्षा प्रणाली विकारों के इलाज में उपयोग की जाती हैं।
  - कॉर्ड ब्लड का उपयोग उसी तरह किया जाता है जैसे हेमटोपोइएटिक स्टेम सेल प्रत्यारोपण (Hematopoietic Stem Cell Transplantation) का उपयोग विभिन्न रक्त कैंसर के लिये विकिरण उपचार के बाद अस्थिमज्जा को पुनर्गठित करने के लिये किया जाता है।
- कॉर्ड ब्लड, रक्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों से मिलकर बना होता है जिनमें लाल रक्त कोशिकाएँ, श्वेत रक्त कोशिकाएँ, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स शामिल होते हैं।
- कॉर्ड ब्लड का उपयोग उन लोगों में प्रत्यारोपण के लिये किया जा सकता है जिन्हें इन रक्त बनाने वाली कोशिकाओं के पुनर्जनन की आवश्यकता होती है।

नोट :

'कॉर्ड ब्लड बैंकिंग' के बारे में:

- कॉर्ड ब्लड को एकत्र करने के बाद इसे जमा कर कई वर्षों तक सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जा सकता है।
- कॉर्ड ब्लड को जमाने (फ्रीजिंग) की विधि जिसे 'क्रायोप्रेज़र्वेशन' (Cryopreservation) कहा जाता है, कोशिकाओं की अखंडता को बनाए रखने के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण होती है।
- एकत्रित कॉर्ड ब्लड क्रायोप्रिज़र्व्ड होता है और फिर इसे भविष्य में प्रत्यारोपण के लिये कॉर्ड ब्लड बैंक में संग्रहित किया जाता है।
- आमतौर पर कॉर्ड ब्लड संग्रह में स्टेम सेल रिकवरी की उच्च दर सुनिश्चित करने के लिये क्रायोप्रिज़र्वेशन से पहले लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर दिया जाता है।

फूड सिस्टम विज़न 2050 पुरस्कार Food System Vision 2050 Prize

6 अगस्त, 2020 को रॉकफेलर फाउंडेशन (Rockefeller Foundation) ने न्यूयॉर्क (संयुक्त राज्य अमेरिका) में घोषित फूड सिस्टम विज़न 2050 पुरस्कार (Food System Vision 2050 Prize) के लिये दुनिया के टॉप 10 विज़नरीज़ में से एक के रूप में हैदराबाद स्थित गैर-लाभकारी संगठन नंदी फाउंडेशन (Naandi Foundation) को चुना है।

प्रमुख बिंदु:

- इस पुरस्कार के रूप में नंदी फाउंडेशन को 200,000 डॉलर की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है।
- नंदी फाउंडेशन को यह पुरस्कार अराकु, वर्धा और नई दिल्ली के क्षेत्रों में 'अराकुनोमिक्स' (Arakunomics) मॉडल की सफलता के कारण प्रदान किया गया है। नंदी फाउंडेशन पिछले लगभग 20 वर्षों से 'अराकुनोमिक्स' (Arakunomics) मॉडल के आधार पर अराकु (हैदराबाद) में आदिवासी किसानों के साथ कार्य कर रहा है।

'अराकुनोमिक्स' (Arakunomics) मॉडल:

- यह एक नया एकीकृत आर्थिक मॉडल है जो पुनर्योजी कृषि (Regenerative Agriculture) के माध्यम से किसानों के लिये लाभ और उपभोक्ताओं के लिये गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।
- इस आर्थिक मॉडल के आधार पर अराकु के आदिवासी किसानों ने अराकु क्षेत्र में विश्व स्तरीय कॉफी का उत्पादन किया जिसे वर्ष 2017 में पेरिस (फ्रॉन्स) में लॉन्च किया गया था।
  - साथ ही अराकु के आदिवासी किसानों ने कार्बन अवशोषण के लिये 955 से अधिक गाँवों में 25 मिलियन पेड़ लगाए हैं।
- अराकु में अराकुनोमिक्स की सफलता से प्रेरित होकर वर्धा के कृषि समुदायों ने और साथ ही नई दिल्ली में एक शहरी फार्म सह कार्यक्रम में इस मॉडल को अपनाया गया है।

नंदी फाउंडेशन (Naandi Foundation):

- नंदी फाउंडेशन को सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में 1 नवंबर, 1998 को स्थापित किया गया था।
- यह भारत में 19 राज्यों में कार्य करता है और अब तक 7 मिलियन लोगों को लाभान्वित कर चुका है।

किसान रेल Kisan Rail

07 अगस्त, 2020 को भारत की पहली साप्ताहिक 'किसान रेल' (Kisan Rail) को महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के लिये रवाना किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- इस किसान रेल के माध्यम से किसानों को बिना किसी देरी के अंतर्राज्यीय बाज़ारों में अपने खराब होने वाले कृषि उत्पादों को भेजने में मदद मिल सकेगी।
- इस वर्ष के केंद्रीय बजट (वर्ष 2020-21) में सब्जियों एवं फलों की खेती करने वाले किसानों के लिये 'किसान रेल' की घोषणा की गई थी।

नोट :

- इस रेल में 11 विशेष रूप से निर्मित पार्सल कोच हैं जो चलते-फिरते कोल्ड स्टोरेज के रूप में काम करते हैं।
- यह रेल नासिक रोड, मनमाड, जलगाँव, भुसावल, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, कटनी, मानिकपुर, प्रयागराज छेओकी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन और बक्सर स्टेशनों पर रुकेगी।
- इससे पहले इन कृषि उत्पादों को अन्य राज्यों में ट्रकों से ले जाया जाता था किंतु अब किसान अपनी ज़रूरतों के अनुसार फसलों एवं कृषि उत्पादों को नुकसान के जोखिम के अनुसार ट्रेन के माध्यम से भेज सकते हैं।
- इस रेल के माध्यम से महाराष्ट्र के प्याज़, अंगूर एवं अन्य खराब होने वाले फलों एवं सब्जियों को जबकि बिहार के मखाना, मछली और सब्जियों को देश के अन्य बाज़ारों तक पहुँचाया जाएगा।
- यह रेल जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों को निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करेगी जिससे किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिल सकेगा।

राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र Rashtriya Swachhata Kendra

8 अगस्त, 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री 'राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र' (Rashtriya Swachhata Kendra-RSK) का उद्घाटन करेंगे जो स्वच्छ भारत मिशन पर एक परस्पर संवादात्मक अनुभव केंद्र है।

प्रमुख बिंदु:

- गाँधीजी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर महात्मा गाँधी को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र (RSK) की घोषणा पहली बार 10 अप्रैल, 2017 को की गई थी।

चंपारण सत्याग्रह से संबंधित प्रमुख तथ्य:

- वर्ष 1917 में बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह, भारत में गाँधीजी का प्रथम सत्याग्रह था।
- यह सत्याग्रह 'तिनकठिया पद्धति' से संबंधित था।
- राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गाँधीजी ने चंपारण आने और कृषकों की समस्याओं की जाँच की थी।
- एन. जी. रंगा ने गाँधीजी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था जबकि रवींद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्हें 'महात्मा' की उपाधि दी थी।
- RSK की स्थापना से आने वाली पीढ़ियाँ दुनिया के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन अभियान 'स्वच्छ भारत मिशन' की सफल यात्रा से सही ढंग से अवगत हो पाएंगी।
- RSK में डिजिटल एवं आउटडोर इंस्टॉलेशन के संतुलित मिश्रण से स्वच्छता एवं संबंधित पहलुओं के बारे में विभिन्न सूचनाएँ, जागरूकता और जानकारियाँ प्राप्त होंगी।

स्वच्छ भारत मिशन:

- 'स्वच्छ भारत मिशन' ने भारत में ग्रामीण स्वच्छता के परिदृश्य को व्यापक तौर पर बदल दिया है और 55 करोड़ से भी अधिक लोगों के व्यवहार में उल्लेखनीय बदलाव लाकर उन्हें खुले में शौच के बजाय शौचालय का उपयोग करने के लिये सफलतापूर्वक प्रेरित किया है।
- यह मिशन अब अपने दूसरे चरण में है, जिसका लक्ष्य भारत के गाँवों को 'ओडीएफ' (खुले में शौच मुक्त) से भी आगे ले जाकर 'ओडीएफ प्लस' के स्तर पर पहुँचाना है जिसके तहत ओडीएफ के दर्जे को बनाए रखने के साथ-साथ सभी के लिये ठोस एवं तरल अपशिष्ट का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

'ईट राइट इंडिया' मूवमेंट 'Eat Right India' Movement

हाल ही में केंद्रीय स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research- CSIR) और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI) के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान और खाद्य एवं पोषण के बारे में सूचना प्रसार के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि 'ईट राइट इंडिया' मूवमेंट ('Eat Right India' Movement) सुरक्षित, स्वस्थ एवं टिकाऊ भोजन की संस्कृति बनाने पर ज़ोर देता है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- CSIR और FSSAI के बीच यह समझौता ज्ञापन भारत में पौष्टिक भोजन एवं उपभोक्ता सुरक्षा समाधान के क्षेत्र में एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा।
  - यह जलवायु-अनुकूल खाद्य उत्पादन प्रणालियों और भूमि एवं जल संसाधनों के संरक्षण पर एक विस्तारित ध्यान केंद्रित करेगा।
- इस अवसर पर केंद्रीय स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि वर्ष 2050 की परिकल्पित नई खाद्य प्रणाली में स्वस्थ, पौष्टिक, हरी साग-सब्जियों पर आधारित, स्थानीय, मौसमी एवं स्वदेशी खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि देखी जाएगी।

'ईट राइट इंडिया' आंदोलन ('Eat Right India' Movement):

- 9 अगस्त, 2020 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के 'ईट राइट इंडिया' आंदोलन को नौ अन्य फाइनलिस्ट के साथ-साथ 'फूड सिस्टम विज़न पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।
- 'ईट राइट इंडिया' आंदोलन खाद्य पर्यावरणीय परिदृश्य में सभी हितधारकों द्वारा किया गया एक सामूहिक प्रयास है। इसमें विनियामक क्रियाएँ एवं खाद्य व्यवसायों तथा उपभोक्ताओं की लक्षित पहल शामिल हैं।

'इन बॉन्ड मैन्युफैक्चर एंड अदर ऑपरेशंस' पर वेबएक्स इवेंट
WebEx Event on 'In Bond Manufacture & Other Operations'

7 अगस्त, 2020 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs- CBIC) की 'इन बॉन्ड मैन्युफैक्चर एंड अदर ऑपरेशंस' (In Bond Manufacture & Other Operations) वेबएक्स इवेंट की अध्यक्षता की।

प्रमुख बिंदु:

- इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा अमेरिका-भारत सामरिक साझेदारी फोरम (USISPF) और मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन फॉर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MAIT) के सहयोग से किया गया।
- इस कार्यक्रम में 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' और 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के महत्त्व पर चर्चा की गई और प्रतिभागियों को अवगत कराया गया कि कैसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 योजना (Section 65 Scheme- अनुबंध पर विनिर्माण की व्यवस्था) सशक्त आपूर्ति श्रृंखला बनाने एवं उसका प्रबंधन करने के लिये कारोबार के एक बहुत अच्छे विकल्प का प्रतिनिधित्व करती है।

अनुबंध पर विनिर्माण (In Bond Manufacture) योजना के लाभ:

- 'अनुबंध पर विनिर्माण की सीमा शुल्क व्यवस्था' में पूंजीगत सामान के साथ-साथ कच्चे माल या अनुबंध विनिर्माण में उपयोग होने वाले अन्य सामान पर अलग-अलग दर से आयात शुल्क लगाया जाता है।
  - अगर तैयार माल का निर्यात किया जाता है तो उस पर आयात शुल्क वापस कर दिया जाता है। हालाँकि अगर तैयार माल को घरेलू बाज़ार में मंज़ूरी दी जाती है तो उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल पर बिना ब्याज़ के आयात शुल्क देय होता है।
  - इस वर्तमान योजना का उद्देश्य कुशल क्षमता का उपयोग करना है, यह विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone- SEZ) और निर्यातोन्मुख इकाइयाँ (Export Oriented Units- EOU) जैसी दूसरी योजनाओं से अलग है जो काफी हद तक निर्यात केंद्रित हैं।
  - यह योजना अधिकारियों के साथ न्यूनतम फिज़िकल इंटरफेस को बढ़ावा देती है।

एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान Eravikulam National Park

6 अगस्त, 2020 को केरल के इडुक्की ज़िले में नायमक्कड़ टी एस्टेट (Nayamakkad Tea Estate) में हुए भूस्खलन में कई लोगों की मौत हो गई।

- गौरतलब है कि नायमक्कड़ टी एस्टेट (Nayamakkad Tea Estate), मुन्नार (केरल) से लगभग 30 किमी. दूर स्थित है जो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान (Eravikulam National Park- ENP) से सटा हुआ है।

नोट :

एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान (Eravikulam National Park- ENP)

- यह केरल के इडुक्की ज़िले के देवीकुलम तालुका में दक्षिणी पश्चिमी घाटों के हाई रेंज (कन्नन देवन हिल्स- Kannan Devan Hills) में अवस्थित है।
- यह 97 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैला हुआ है और अपने दक्षिणी क्षेत्र में दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी अनाईमुडी (2695 मीटर) से संबद्ध है।
- इस उद्यान का राजामलाई (Rajamalai) क्षेत्र पर्यटन के लिये प्रसिद्ध है।
- केरल सरकार ने कन्नन देवन हिल प्रोड्यूस (Resumption of Lands) अधिनियम, 1971 [Kannan Devan Hill Produce (Resumption of lands) Act 1971] के तहत 'कन्नन देवन हिल्स प्रोड्यूस कंपनी' से इस क्षेत्र का अधिग्रहण किया था।
- इसे वर्ष 1975 में 'एराविकुलम राजमाला वन्यजीव अभयारण्य' (Eravikulam Rajamala Wildlife Sanctuary) के रूप में घोषित किया गया था और वर्ष 1978 में एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था।
- इस उद्यान में पाए जाने वाले तीन प्रमुख प्रकार के पादप समुदाय हैं-
  - घास के मैदान या ग्रासलैंड्स (Grasslands)
  - क्षुप भूमि या चारागाह (Shrub Land)
  - शोला वन (Shola Forests)
- यह उद्यान पश्चिमी घाट में अद्वितीय मोंटेन शोला-ग्रासलैंड वनस्पति (Montane Shola-Grassland vegetation) का प्रतिनिधित्त्व करता है।
- इस उद्यान में नीलाकुरिंजी (Neelakurinji) (स्ट्रोबिलैंथेस कुंठिआनम-Strobilanthes Kunthianam) नामक विशेष फूल पाए जाते हैं जो प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं।
- इसके अलावा इस उद्यान में दुर्लभ स्थलीय एवं एपिफाइटिक (Epiphytic) ऑर्किड, जंगली बालसम आदि वनस्पतियाँ पाई जाती हैं।
  - एक एपिफाइट (Epiphyte) सूक्ष्म जीव होता है जो पौधे की सतह पर बढ़ता है और हवा, बारिश या इसके आसपास जमा होने वाले मलबे से नमी एवं पोषक तत्वों को प्राप्त करता है।
- यह उद्यान लुप्तप्राय 'नीलगिरि तहर' की सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है।

विश्व आदिवासी दिवस World Tribal Day

प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस (World Tribal Day) या विश्व के देशज़ लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day of the World's Indigenous Peoples) मनाया जाता है।

थीम:

- इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस की थीम 'COVID-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन' (COVID-19 and Indigenous Peoples' Resilience) है।

उद्देश्य:

- विश्व आदिवासी दिवस का उद्देश्य विश्व की देशज़ आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देना एवं उनकी रक्षा करना है।

प्रमुख बिंदु:

- 9 अगस्त, 1982 को जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में देशज़ आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह (United Nations Working Group on Indigenous Populations) की पहली बैठक आयोजित की गई थी। जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रति वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है।

नोट :

- यह दिवस संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार, वर्ष 1994 से प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है।
- इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस पर मनाये जाने वाले समारोह आदिवासी भाषाओं के संरक्षण एवं प्रलेखन पर केंद्रित थे।
- मानवविज्ञानियों ने तमिलनाडु में अपनी अनूठी संस्कृति, जीवन शैली, विभिन्न प्रकार बोलियों का प्रयोग करने वाली 500 से अधिक जनजातियों की पहचान की है। इनमें से छह जनजातियों- थोडा (Thoda), पनियार (Paniyar), कट्टुनाइक्कर (Kattunaickar), इरुला (Irula), कुरुम्बा (Kurumba) और कोठार (Kothar) को नीलगिरी ज़िले में देखा जा सकता है जो पश्चिमी घाट से संबंधित हैं।

'गंदगी मुक्त भारत' अभियान 'Gandagi Mukt Bharat' Campaign

8 अगस्त, 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री ने 'स्वच्छता' के लिये एक सप्ताह (8 अगस्त से 15 अगस्त) तक चलने वाले 'गंदगी मुक्त भारत' (Gandagi Mukt Bharat) अभियान की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु:

- इस सप्ताह के दौरान 15 अगस्त, 2020 तक प्रत्येक दिन शहरी एवं ग्रामीण भारत में 'स्वच्छता' के लिये 'जन-आंदोलन' को फिर से लागू करने के लिये विशेष 'स्वच्छता' कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।
- भारतीय प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राजघाट पर गांधी स्मृति और दर्शन समिति में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र (Rashtriya Swachhata Kendra- RSK) का शुभारंभ किया जो 'स्वच्छ भारत मिशन' पर एक संवादात्मक अनुभव केंद्र है।
- केंद्र सरकार द्वारा 'गंदगी मुक्त भारत' अभियान शुरू किये जाने के बाद 9 अगस्त, 2020 को बिहार सरकार ने राज्य के लोगों को स्वच्छता के महत्त्व के बारे में सूचित करने के लिये एक जागरूकता अभियान शुरू किया।

विश्व जैव ईंधन दिवस World Biofuel Day

परंपरागत जीवाश्म ईंधन के एक विकल्प के रूप में गैर-जीवाश्म ईंधनों के महत्त्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और जैव ईंधन के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा किये गये विभिन्न प्रयासों को उजागर करने के लिये प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को 'विश्व जैव ईंधन दिवस' (World Bio-fuel Day) मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक वेबिनार का आयोजन किया गया जिसका विषय था- 'जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत' (Biofuels Towards Atmanirbhar Bharat)।
- केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय वर्ष 2015 से विश्व जैव ईंधन दिवस मना रहा है।
- भारत सरकार का जैव ईंधन कार्यक्रम 'आत्मनिर्भर भारत' पहल से संबंधित है और इसके अनुसार ही विश्व जैव ईंधन दिवस-2020 की विषय वस्तु (जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत) चुनी गई है।

सर रूडोल्फ डीज़ल (Sir Rudolf Diesel):

- 10 अगस्त की तारीख सर रूडोल्फ डीज़ल द्वारा किये गये अनुसंधान प्रयोगों को भी सम्मान प्रदान करती है जिन्होंने वर्ष 1893 में मूंगफली के तेल से मशीन इंजन चलाया था।
- सर रूडोल्फ डीज़ल ने अपने अनुसंधान प्रयोगों के आधार पर कहा था कि वनस्पति तेल अगली शताब्दी में विभिन्न मशीनी इंजनों के ईंधन के लिये जीवाश्म ईंधनों का स्थान लेगा।

जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018

- इस नीति के द्वारा गन्ने का रस, चीनी युक्त सामग्री, स्टार्च युक्त सामग्री तथा क्षतिग्रस्त अनाज, जैसे- गेहूँ, टूटे चावल और सड़े हुए आलू का उपयोग करके एथेनॉल उत्पादन हेतु कच्चे माल के दायरे का विस्तार किया गया है।

नोट :

- इस नीति में जैव ईंधनों को 'आधारभूत जैव ईंधनों' यानी पहली पीढ़ी (1G) के बायोएथेनॉल और बायोडीज़ल तथा 'विकसित जैव ईंधनों' यानी दूसरी पीढ़ी (2G) के एथेनॉल, निगम के ठोस कचरे (एमएसडब्ल्यू) से लेकर ड्रॉप-इन ईंधन, तीसरी पीढ़ी (3G) के जैव ईंधन, बायो सीएनजी आदि को श्रेणीबद्ध किया गया है, ताकि प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत उचित वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन बढ़ाया जा सके।

जैव ईंधन के लाभ:

- खनिज तेल के आयात में कमी।
- स्वच्छ वातावरण।
- किसानों की आय में वृद्धि।
- रोज़गार का सृजन।

तितलियों की 140 दुर्लभ प्रजातियाँ 140 Rare Species of Butterflies

हाल ही में 125 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद वैज्ञानिकों ने मुंबई (महाराष्ट्र) के पास माथेरान हिल स्टेशन (Matheran Hill Station) में 77 नई प्रजातियों सहित तितलियों की 140 दुर्लभ प्रजातियों की खोज की है।

प्रमुख बिंदु:

- वर्ष 1894 में एक शोधकर्त्ता जे. ए. बेंथम (J.A. Betham) ने इस पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र (माथेरान हिल स्टेशन) में 78 तितली की प्रजातियों की पहचान करते हुए उन्हें संहिताबद्ध किया था।
- 'बायोडायवर्सिटी डेटा जर्नल' (Biodiversity Data Journal) में प्रकाशित बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (Bombay Natural History Society- BNHS) और सोमैया विद्या विहार विश्वविद्यालय (Somaiya Vidya Vihar University) के वैज्ञानिकों द्वारा किये गए एक शोध पत्र 'फाइंडिंग द फॉरगाटेन जेम्स: रीविज़िटिंग द बटरफ्लाईस ऑफ माथेरान आफ्टर 125 इयर्स' (Finding the forgotten gems: Revisiting the butterflies of Matheran after 125 years) में माथेरान हिल स्टेशन में दुर्लभ तितलियों के बारे में जानकारी दी गई है।
- शोध पत्र में कहा गया है कि तितलियों की विविधता में एक दृढ़ मौसमी बदलाव को परिलक्षित होते देखा गया है। शीत ऋतु के दौरान तितलियों की अधिकतम विविधता (125) दर्ज की गई जबकि मानसून के दौरान सबसे कम (80) थी।
- इस शोध पत्र में वर्ष 2011 से वर्ष 2019 के बीच सर्वेक्षण की गई तितलियों की प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है।

तितलियों का महत्त्व:

- तितलियाँ केवल सुंदर प्राणी नहीं हैं बल्कि एक स्वस्थ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र की संकेतक भी हैं।
- तितलियों का एक दीर्घकालिक अध्ययन निश्चित रूप से वैज्ञानिक समुदाय को पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को समझने एवं संरक्षित करने में मदद करेगा।

बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (Bombay Natural History Society- BNHS):

- BNHS एक अखिल भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संगठन है जो वर्ष 1883 से प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा दे रहा है।
- मिशन: BNHS का मिशन अनुसंधान, शिक्षा एवं सार्वजनिक जागरूकता के आधार पर कार्रवाई के माध्यम से प्रकृति का संरक्षण मुख्य रूप से जैव विविधता का संरक्षण करना है।

के. वी. कामथ K.V. Kamath

हाल ही में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (All India Bank Employees' Association- AIBEA) ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा COVID-19 से प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन पर विशेषज्ञ समिति के प्रमुख के रूप में के. वी. कामथ (K.V. Kamath) की नियुक्ति का विरोध किया है क्योंकि उनका नाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI) की प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) में दर्ज है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- AIBEA ने आरोप लगाया कि आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ एवं गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के. वी. कामथ भी उस पैनल के सदस्य थे जब चंदा कोचर (आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी एवं सीईओ) ने वीडियोकॉन समूह को गलत तरीके से ऋण स्वीकृत किया था।
  - इन ऋणों की जाँच वर्तमान में CBI द्वारा की जा रही है।
- AIBEA ने कहा है कि वर्ष 1999 के दौरान के. वी. कामथ ने बैंकों के गैर-निष्पादित ऋण पर भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा गठित एक टास्क फोर्स का नेतृत्त्व किया था। इस टास्क फोर्स ने कुछ भारतीय बैंकों को बंद करने और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) जैसे बैंकों के निजीकरण की सिफारिश की थी।

गौरतलब है कि के. वी. कामथ 'न्यू डेवलपमेंट बैंक' (New Development Bank- NDB) के प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में 'न्यू डेवलपमेंट बैंक' के अध्यक्ष ब्राज़ील के मार्कोस ट्रायजो (Marcos Troyjo) हैं।

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (All India Bank Employees' Association- AIBEA):

- यह भारत में बैंक कर्मचारियों का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा राष्ट्रीय व्यापार संघ केंद्र है।
- इसकी स्थापना 20 अप्रैल, 1946 को कोलकाता में की गई थी।
- वेतन और सेवा शर्तों में सुधार के लिये संघर्ष के अतिरिक्त AIBEA ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिये भी अभियान चलाया था। परिणामतः जुलाई, 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

सिंधु जल संधि Indus Water Treaty

हाल ही में भारत ने भारत-पाकिस्तान सीमा के पास अटारी चेक पोस्ट पर सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) के मुद्दों पर एक बैठक आयोजित करने के लिये पाकिस्तान द्वारा किये गए अनुरोध से इंकार कर दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- मार्च, 2020 में भारत ने एक आभासी सम्मेलन का सुझाव दिया था किंतु पाकिस्तान ने एक फिज़िकल बैठक पर ज़ोर दिया था।
  - भारत ने कहा था कि COVID-19 महामारी के मद्देनज़र आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण बैठक के लिये भारत-पाकिस्तान सीमा की यात्रा करना उचित नहीं है।
- सिंधु जल संधि पर आयोजित होने वाली बैठकों का नेतृत्त्व दोनों देशों के सिंधु जल आयुक्त करते हैं। इन बैठकों में सिंधु नदी प्रणाली से संबंधित बांधों एवं जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की जाती है।
- इससे पहले दोनों देशों के बीच इस तरह की बैठक अक्तूबर, 2019 में इस्लामाबाद (पाकिस्तान) में हुई थी और सिंधु जल संधि (IWT) में हुए समझौते के अनुसार, 31 मार्च, 2020 से पहले भारत में एक बैठक होने वाली थी।
  - इन बैठकों में जम्मू एवं कश्मीर के किश्तवाड़ (Kishtwar) ज़िले में चिनाब नदी पर 'रेटले रन-ऑफ-द-रिवर' (Ratle run-of-the-River) परियोजना के निर्माण को नियंत्रित करने वाले तकनीकी पहलुओं पर आपसी मतभेदों को हल करना है।
  - भारत ने एक 'तटस्थ' पार्टी की नियुक्ति का आग्रह किया है जबकि पाकिस्तान इस जल विद्युत परियोजना के डिज़ाइन मापदंडों पर एक अंतिम प्रस्ताव पर सहमत होने के लिये एक न्यायिक मध्यस्थता का पक्षधर है।

चिनाब नदी:

- चिनाब नदी भारत-पाकिस्तान से होकर बहने वाली एक प्रमुख नदी है और पंजाब क्षेत्र की 5 प्रमुख नदियों में से एक है।

उद्गम:

- इसका उद्गम भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहुल एवं स्पीति ज़िले में ऊपरी हिमालय के बारालाचा-ला दर्रे के पास से होता है। इसके बाद चिनाब नदी जम्मू एवं कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर बहती हुई पाकिस्तान के पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और आगे चलकर सतलज नदी से मिल जाती है।

नोट :

- चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहुल एवं स्पीति ज़िले के तांडी में दो नदियों चंद्र एवं भागा के संगम से बनती है।
  - भागा नदी सूर्या ताल झील से निकलती है जो हिमाचल प्रदेश में बारालाचा-ला दर्रे के पास अवस्थित है।
  - चंद्र नदी का उद्गम बारालाचा-ला दर्रे (चंद्र ताल के पास) के पूर्व के ग्लेशियरों से होता है।

विद्यार्थी उद्यमिता कार्यक्रम 2.0 Student Entrepreneurship Programme 2.0

11 अगस्त, 2020 को नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन (Atal Innovation Mission- AIM) ने डेल टेक्नोलॉजिज़ (Dell Technologies) के साथ भागीदारी में अटल टिंकरिंग लैब्स (Atal Tinkering Labs- ATLs) के युवा नवाचारकर्त्ताओं के लिये विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 (Student Entrepreneurship Programme 2.0- SEP 2.0) का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु:

- SEP 1.0 की सफलता के बाद SEP 2.0 की शुरुआत की गई है।
- SEP 2.0 से विद्यार्थी अन्वेषकों को डेल टेक्नोलॉजिज़ के स्वयंसेवकों के साथ मिलकर कार्य करने का मौका मिलेगा।
- इससे उन्हें संरक्षण, प्रोटोटाइपिंग एवं परीक्षण समर्थन, एंड यूज़र फीडबैक, बौद्धिक संपदा एवं विचार का पंजीकरण, प्रक्रियाओं एवं उत्पादों का पेटेंट संरक्षण हासिल करना, विनिर्माण सहयोग के साथ ही बाज़ार में उत्पाद के लॉन्च में भी सहयोग मिलेगा।

विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 1.0 (SEP 1.0)

- SEP 1.0 की शुरुआत जनवरी, 2019 में हुई थी।
- 10 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम में एक देशव्यापी प्रतियोगिता (ATL मैराथन) में शीर्ष 6 टीमों को अपने नवीन प्रोटोटाइप्स को पूरी तरह कार्यशील उत्पादों में परिवर्तित करने का अवसर मिला जो अब बाज़ार में उपलब्ध हैं।
- इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने सामुदायिक चुनौतियों की पहचान की और ATL के अंतर्गत ज़मीनी स्तर पर नवाचार एवं समाधान तैयार किये गए हैं।
- ATL मैराथन के पिछले सीज़न में लगभग 1500 नवाचार जमा किये गए थे।
  - दो चरणों के बाद 50 टीमों को विद्यार्थी अन्वेषक कार्यक्रम के लिये चुना गया था। जिनमें 75% से ज्यादा विजेता टीमें टियर-2 शहरों या ग्रामीण क्षेत्रों से और 60% से अधिक सरकारी स्कूलों से थे। विजेता टीमों में लगभग 46% छात्राएँ थीं।
  - फिर इन विजेता टीमों को अटल इनक्यूबेशन केंद्रों ने विद्यार्थी अन्वेषक कार्यक्रम के माध्यम से कई महीनों तक संरक्षण दिया।
  - इस क्रम में 14 नवंबर, 2019 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा आठ शीर्ष टीमों को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया था।

स्ट्रिआनास्सा लेराई Strianassa Lerayi

प्रशांत महासागर में पनामा के कोइबा नेशनल पार्क (Coiba National Park) में स्मिथसोनियन ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (Smithsonian Tropical Research Institute- STRI) के समुद्री जीवविज्ञानियों ने झींगा (Shrimp) की एक नई प्रजाति 'स्ट्रिआनास्सा लेराई' (Strianassa Lerayi) खोजी गई।

प्रमुख बिंदु:

- झींगा की खोजी गई यह नई प्रजाति 'स्ट्रिआनास्सा लेराई' (Strianassa Lerayi) लाओमेडीडाए (Laomediidae) परिवार से संबंधित है।
- 'स्ट्रिआनास्सा लेराई' (Strianassa Lerayi) के अतिरिक्त कोइबा नेशनल पार्क में STRI टीम ने वर्ष 2019 के बाद से झींगा की अन्य निम्नलिखित प्रजातियों की खोज की है।

1. यूनिस्कोनिया कोइबेंसिस (Unesconia Coibensis): इस प्रजाति का जीनस नाम यूनिस्कोनिया (Unesconia), यूनेस्को (UNESCO) से लिया गया है जिसने वर्ष 2005 में कोइबा नेशनल पार्क को विश्व विरासत स्थल घोषित किया था।

नोट :

2. पचेलफेअस पाच्याकैंथस (Pachelpheus Pachyacanthus)
3. ट्राईकैंथोनस ब्लैंका (Triacanthoneus Blanca)

कोइबा नेशनल पार्क (Coiba National Park):

- चिरिकुई की खाड़ी (Gulf of Chiriquí) में अवस्थित कोइबा नेशनल पार्क पनामा के प्रशांत महासागरीय तट से दूर एक समुद्री रिज़र्व है।
- कोइबा नेशनल पार्क में 38 द्वीपों का एक समूह शामिल है। गौरतलब है कि कोइबा (Coiba), मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है।
- वर्ष 1992 में पनामा ने कोइबा नेशनल पार्क बनाया था जिसमें 1042 वर्ग मील के क्षेत्र में वन, मैंग्रोव एवं प्रवाल भित्तियाँ आदि शामिल हैं।
- वर्ष 2005 में यूनेस्को (UNESCO) द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा पाने वाला कोइबा नेशनल पार्क समृद्ध एवं संरक्षित प्राकृतिक संसाधन का क्षेत्र है।

सेरेस Ceres

हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहा है कि सेरेस (Ceres) जो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्रग्रह की बेल्ट में सबसे बड़ा पिंड है, एक 'महासागरीय दुनिया' (Ocean World) है जिसमें इसकी सतह के नीचे नमकीन पानी का एक बड़ा भंडार है।

प्रमुख बिंदु:

- सेरेस (Ceres) एक बौना ग्रह (Dwarf Planet) है।
- नासा (NASA) के डॉन अंतरिक्ष यान (Dawn Spacecraft) द्वारा प्राप्त आँकड़ों के आधार पर हाल ही में प्रकाशित शोध में सेरेस से संबंधित एक नई जानकारी प्रदान की गई है। गौरतलब है कि डॉन अंतरिक्ष यान (Dawn Spacecraft) ने वर्ष 2018 में सेरेस की सतह का अध्ययन किया था।
  - सेरेस की सतह के अध्ययन के निष्कर्षों में लवण-युक्त जल के उपसतही भंडार की उपस्थिति की पुष्टि की गई है जो धीरे-धीरे जम चुके हैं।
- सेरेस (Ceres) का व्यास लगभग 590 मील (950 किमी.) है। वैज्ञानिकों ने सेरेस के उत्तरी गोलार्द्ध में लगभग 22 मिलियन वर्ष पहले निर्मित हुए 92 किमी. चौड़े ओक्काटर क्रेटर (Occator Crater) का विश्लेषण किया। जहाँ चमकीले क्षेत्रों की उपस्थिति दर्ज की गई। जो तरल पदार्थ के वाष्पीकरण के कारण छोड़े गए साल्ट क्रस्ट हैं।
- यह तरल सतह के लगभग 25 मील (40 किमी.) नीचे सैकड़ों मील चौड़े एक जलाशय में उत्पन्न हुआ है जिसके प्रभाव से खारे जल को निकलने का रास्ता मिल गया।
- सेरेस से संबंधित इस शोध को 'नेचर एस्ट्रोनॉमी' (Nature Astronomy), 'नेचर जियोसाइंस' (Nature Geoscience) और 'नेचर कम्युनिकेशंस' (Nature Communications) नामक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया है।

SN5 स्टारशिप प्रोटोटाइप SN5 Starship Prototype

हाल ही में स्पेसएक्स कंपनी के SN5 स्टारशिप प्रोटोटाइप (SN5 Starship Prototype) द्वारा अपनी पहली परीक्षण उड़ान पूरी की गई। इस प्रोटोटाइप ने 60 सेकंड से भी कम समय में 500 फीट से अधिक की ऊँचाई तक सफलतापूर्वक उड़ान भरी।

प्रमुख बिंदु:

- यह स्पेसएक्स कंपनी के बिना चालक दल वाले 'मार्स शिप' (Mars ship) का हिस्सा है, यह एक स्टेनलेस स्टील परीक्षण वाहन है जिसे SN5 कहा जाता है।
- यह परीक्षण उड़ान संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिणी टेक्सास के बोका चिका (Boca Chica) नामक स्थान से की गई थी जो अंतरिक्ष यान के कक्षीय मिशन के लिये डिज़ाइन किया गया स्पेसएक्स का व्यावसायिक स्थल है।

नोट :

स्टारशिप क्या है ?

- स्पेसएक्स द्वारा डिज़ाइन किया गया 'स्टारशिप' (Starship) एक अंतरिक्ष यान एवं सुपर-हैवी बूस्टर रॉकेट है जो पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा एवं मंगल पर चालक दल एवं कार्गो के लिये पुन: प्रयोज्य परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करेगा।
- स्पेसएक्स ने स्टारशिप को 'दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण वाहन' के रूप में वर्णित किया है जिसमें पृथ्वी की कक्षा में 100 मीट्रिक टन से अधिक भार ले जाने की क्षमता है।

स्टारशिप की विशेषताएँ:

- स्टारशिप अंतरिक्ष यान 7.5 किमी. प्रति सेकंड की गति से मंगल ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करेगा।
  - स्पेसएक्स कंपनी वर्ष 2022 तक मंगल ग्रह के लिये अपने पहले कार्गो मिशन की योजना बना रही है और वर्ष 2024 तक कंपनी दो मालवाहक एवं दो चालक दल सहित चार जहाज़ों को मंगल ग्रह पर भेजना चाहती है।
- स्टारशिप स्पेसएक्स के फाल्कन प्रक्षेपण वाहन की तुलना में कम लागत में तथा अधिक दूरी तक प्रक्षेपित कर सकता है तथा यह चालक दलों एवं आवश्यक वस्तुओं दोनों को, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) तक पहुँचा सकता है।
- स्टारशिप मानव की अंतरिक्ष यात्रा के विकास एवं अनुसंधान के लिये चंद्रमा तक विभिन्न उपकरणों एवं अन्य वस्तुओं के ले जाने में सहायक होगा।
  - इस अंतरिक्ष यान को चंद्रमा से परे, अंतर-ग्रहीय अभियानों (Interplanetary Missions) के लिये चालक दल एवं अन्य वस्तुओं को ले जाने के लिये डिज़ाइन किया जा रहा है।

गौरतलब है कि हाल ही में स्पेसएक्स कंपनी का क्रू ड्रैगन (Crew Dragon) कैप्सूल अंतरिक्ष की यात्रा करने के बाद मैक्सिको की खाड़ी में बहामास के पास उतरा था।

द ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, टीबी एंड मलेरिया
The Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria

हाल ही में COVID-19 महामारी के दौरान आजीविका के स्रोतों से वंचित होने के कारण यौनकर्मियों, एचआईवी/एड्स, ट्रांसपर्सन (Transperson) जैसे कमज़ोर समूहों द्वारा द ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, टीबी एंड मलेरिया (THE Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria- GFATM) में याचिका दायर की गई।

प्रमुख बिंदु:

- 'एचआईवी/एड्स से प्रभावित आबादी' या की पॉपुलेशन (Key Populations- KPs) की ओर से दायर याचिका में भोजन, आश्रय एवं आपातकालीन चिकित्सा देखभाल हेतु बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये धन का आवंटन करने की मांग की गई है।
- याचिकाकर्त्ताओं ने GFATM से आग्रह किया है कि वे सरकारों के लिये गाइडलाइंस जारी करे ताकि वे अपने COVID-19 राहत कोष से प्रमुख आबादी (Key populations- KPs) की ज़रूरतों को पूरा करें।

की पॉपुलेशन (Key Populations- KPs):

- यह ऐसे लोगों का व्यापक समूह है जिसमें इंजेक्शन से ड्रग्स लेने वाले लोग, सेक्स वर्कर, ट्रांसपर्सन्स, ट्रांसजेंडर एवं जेलों में बंद लोग जो संभवत: एचआईवी/एड्स महामारी से प्रभावित हैं, शामिल हैं।

द ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, टीबी एंड मलेरिया (GFATM):

- GFATM एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषक एवं सहयोगात्मक संगठन है।
- इसे वर्ष 2002 में सरकारों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रों एवं बीमारियों से प्रभावित लोगों के बीच एक साझेदारी के रूप में गठित किया गया था।
- उद्देश्य: GFATM का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता हेतु एचआईवी/एड्स, तपेदिक एवं मलेरिया की महामारी को समाप्त करने के लिये अतिरिक्त संसाधनों को आकर्षित करना तथा उनका लाभ उठाना एवं निवेश करना है।

नोट :

- GFATM एड्स, टीबी और मलेरिया की रोकथाम, उपचार एवं देखभाल के लिये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है।
- यह एक वित्तपोषण तंत्र (Financing Mechanism) है न कि कार्यान्वयन एजेंसी (Implementing Agency)।
- मुख्यालय: जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड)

माउंट सिनाबंग Mount Sinabung

हाल ही में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग (Mount Sinabung) ज्वालामुखी में पुन: उद्गार हुआ है।

- उल्लेखनीय है कि लगभग 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद यह ज्वालामुखी वर्ष 2010 में पुन: सक्रिय हुआ था। वर्ष 2010 के बाद वर्ष 2014 और वर्ष 2016 में भी इस ज्वालामुखी में उद्गार हो चुका है।

प्रमुख बिंदु:

- माउंट सिनाबंग, इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है।
  - इंडोनेशिया के 'रिंग ऑफ फायर' (Ring of Fire) या परिप्रशांत महासागरीय मेखला (Circum-Pacific Belt) में अवस्थिति होने के कारण यहाँ कई सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और यह क्षेत्र भूकंप प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है।
- 'रिंग ऑफ फायर' (Ring of Fire) या परिप्रशांत महासागरीय मेखला (Circum-Pacific Belt) प्रशांत महासागर के चारों ओर विस्तृत एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ विवर्तनिक प्लेटें आकर आपस में मिलती हैं। यह क्षेत्र निरंतर होने वाली भूकंपीय घटनाओं एवं ज्वालामुखी उद्गार के लिये जाना जाता है।
- इस 'रिंग ऑफ फायर' क्षेत्र में 17,000 से अधिक द्वीप एवं द्वीप समूह शामिल हैं और इसमें लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखी हैं।
- इस क्षेत्र में विश्व के लगभग 75% ज्वालामुखी पाए जाते है तथा कुल भूकंपीय घटनाओं में से 90% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं।

पारदर्शी कराधान- ईमानदार का सम्मान
Transparent Taxation–Honoring the Honest

13 अगस्त, 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'पारदर्शी कराधान- ईमानदार का सम्मान' (Transparent Taxation–Honoring the Honest) नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु:

- इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य कर अनुपालन में ढील देना एवं रिफंड में तेज़ी लाना तथा ईमानदार करदाताओं को लाभ पहुँचाना है।
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes- CBDT) ने हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष करों में कई प्रमुख कर सुधार लागू किये हैं।
  - वर्ष 2019 में कॉरपोरेट टैक्स की दर को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया।
  - नई विनिर्माण इकाइयों के लिये कॉरपोरेट टैक्स की दर को 15% कर दिया गया।
  - लाभांश वितरण कर (Dividend Distribution Tax) को समाप्त कर दिया गया।

भारत सरकार के आयकर विभाग के कामकाज में दक्षता एवं पारदर्शिता लाने के लिये CBDT द्वारा की गई पहल:

1. दस्तावेज़ पहचान संख्या (Document Identification Number- DIN): इसके तहत विभाग के प्रत्येक पत्र-व्यवहार पर कंप्यूटर सृजित एक अनूठी दस्तावेज़ पहचान संख्या दर्ज होती है।
2. इसी तरह करदाताओं के लिये मानदंडों को अधिक आसान करने के लिये आयकर विभाग अब 'पहले से ही भरे हुए आयकर रिटर्न फॉर्म' को प्रस्तुत करने लगा है ताकि व्यक्तिगत करदाताओं के लिये मानदंडों को और भी अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके।
3. इसी तरह स्टार्ट-अप्स के लिये भी अनुपालन मानदंडों को सरल बना दिया गया है।
4. प्रत्यक्ष कर 'विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020': लंबित कर विवादों का समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से आयकर विभाग ने प्रत्यक्ष कर 'विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020' (Direct Tax 'Vivad se Vishwas Act, 2020) भी प्रस्तुत किया है जिसके तहत वर्तमान में विवादों को निपटाने के लिये घोषणाएँ दाखिल की जा रही हैं।

नोट :

5. करदाताओं की शिकायतों/मुकदमों में कमी करने के लिये विभिन्न अपीलीय न्यायालयों में विभागीय अपील दाखिल करने के लिये आरंभिक मौद्रिक सीमाएँ बढ़ा दी गई हैं।
6. डिजिटल लेन-देन एवं भुगतान के लिये इलेक्ट्रॉनिक तरीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

गौरतलब है कि 'पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्मान' के लिये लॉन्च किया जाने वाला प्लेटफॉर्म प्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा।

विश्व हाथी दिवस World Elephant Day

प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस (World Elephant Day) मनाया जाता है।

उद्देश्य:

- इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में हाथियों की रक्षा व सम्मान करना तथा उनके सामने आने वाले महत्त्वपूर्ण खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना है।

लक्ष्य:

- विश्व हाथी दिवस का उद्देश्य अफ्रीकी एवं एशियाई हाथियों की स्थिति के बारे में जागरूकता पैदा करना और बंदी एवं जंगली हाथियों की बेहतर देखभाल एवं प्रबंधन के लिये सकारात्मक समाधान साझा करना है।

प्रमुख बिंदु:

- 12 अगस्त, 2012 को पहला विश्व हाथी दिवस मनाया गया था तब से यह वार्षिक रूप से मनाया जाता है।
- वर्ष 2011 में 'एलीफैंट रिइंट्रोडक्शन फाउंडेशन' (Elephant Reintroduction Foundation) और कनाडाई फिल्म निर्माता पेट्रीसिया सिम्स (Patricia Sims) एवं माइकल क्लार्क (Michael Clark) द्वारा विश्व हाथी दिवस की कल्पना की गई थी। इसे आधिकारिक तौर पर 12 अगस्त, 2012 को शुरू किया गया था।

'एलीफैंट रिइंट्रोडक्शन फाउंडेशन' (Elephant Reintroduction Foundation):

- यह थाईलैंड में स्थित एक धर्मार्थ गैर-लाभकारी संगठन है।
- इसे वर्ष 1996 में थाईलैंड की रानी सिरीकित (Sirikit) की शाही पहल के रूप में स्थापित किया गया था।
- इसका मिशन बंदी हाथियों को उनके प्राकृतिक आवास एवं वन्यजीवों के साथ पुन: स्थापित करना तथा एशियाई हाथियों के बारे में लोगों को शिक्षित करना है।
- अफ्रीकी हाथी को IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद्य (Vulnerable) श्रेणी में जबकि एशियाई हाथी को संकटापन्न (Endangered) श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।
  - उल्लेखनीय है कि एशियाई हाथी की तीन उप-प्रजातियाँ हैं: भारतीय, सुमात्रन तथा श्रीलंकन।
- भारत में हाथी को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (Wildlife (Protection) Act, 1972) की अनुसूची I में शामिल करते हुए भारतीय वन्यजीव कानून के तहत उच्चतम संभव संरक्षण प्रदान किया गया है।
- हाथियों का अवैध शिकार, आवास की हानि, मानव-हाथी संघर्ष तथा कैद में रखकर उनके साथ दुर्व्यवहार अफ्रीकी और एशियाई दोनों देशों में हाथियों के लिये सामान्य खतरों के तहत आते हैं।

मानव-हाथी संघर्ष पर 'सुरक्षा' (Surakshya) नामक राष्ट्रीय पोर्टल:

- विश्व हाथी दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने मानव-हाथी संघर्ष पर 'सुरक्षा' (Surakshya) नामक राष्ट्रीय पोर्टल का एक बीटा संस्करण लॉन्च किया।
- उद्देश्य: इस पोर्टल का उद्देश्य मानव-हाथी संघर्ष से संबंधित रियल टाइम जानकारी एकत्र करना है जिसके आधार पर मानव-हाथी संघर्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

नोट :

सार्थक Sarthak

13 अगस्त, 2020 को भारतीय तटरक्षक बल के लिये एक अपतटीय गश्ती पोत (Offshore Patrol Vessel) लॉन्च किया गया और इसे भारतीय तटरक्षक जहाज़ 'सार्थक' (Sarthak) के रूप में पुन: नामांकित किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में आयोजित लॉन्चिंग समारोह को नई दिल्ली में तटरक्षक मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था।
- समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिये तटरक्षक बल द्वारा तैनात पाँच अपतटीय गश्ती पोत (OPV) की श्रृंखला में 'सार्थक' चौथे स्थान पर है।
- इसे 'मेक इन इंडिया' दृष्टिकोण के अनुरूप 'गोवा शिपयार्ड लिमिटेड' द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन एवं निर्मित किया गया है।
  - यह जहाज़ अत्याधुनिक नेवीगेशन एवं संचार उपकरण, सेंसर एवं मशीनरी से सुसज्जित है।
- इस जहाज़ को ट्विन-इंजन हेलीकॉप्टर, चार उच्च गति वाली नावों तथा स्विफ्ट बोर्डिंग एवं सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिये एक इनफ्लैटेबल (Inflatable) नाव को ढोने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - यह जहाज़ समुद्र में तेल रिसाव प्रदूषण से निपटने के लिये 'सीमित प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरण' ले जाने में भी सक्षम है।
- इस जहाज़ को राष्ट्र के समुद्री हितों की सुरक्षा के लिये तैनात किया गया है जिनमें अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone- EEZ) की निगरानी, तटीय सुरक्षा और तट रक्षक चार्टर में निहित अन्य कर्त्तव्य शामिल हैं।

अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone- EEZ): EEZ बेसलाइन से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक फैला होता है। इसमें तटीय देशों को सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन का संप्रभु अधिकार प्राप्त होता है।

SPT0418-47 : बेबी मिल्की वे SPT0418-47 : Baby Milky Way

हाल ही में खगोलविदों ने बताया कि हमारी आकाशगंगा की तरह दिखने वाली 12 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक अन्य सुनहरे प्रभामंडल वाली आकाशगंगा है। जिसे उन्होंने 'SPT0418-47' नाम दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- खगोलविदों के अनुसार, यह शिशु तारा प्रणाली (Infant Star System) ब्रह्मांड के बारे में प्रारंभिक वर्षों में किये गए विश्लेषण को चुनौती देती है।
- इस आकाशगंगा की खोज में शामिल यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला (European Southern Observatory- ESO) ने कहा है कि 'SPT0418-47' नामक आकाशगंगा इतनी दूर है कि इसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में अरबों वर्ष लग गए।
- खगोलविदों ने बताया कि जब ब्रह्मांड की आयु 1.4 अरब वर्ष थी तब इस आकाशगंगा की मौजूदगी थी और ब्रह्मांड में आकाशगंगाएँ अभी भी सृजित हो रही हैं।
- 'बेबी' SPT0418-47 आकाशगंगा को चिली में स्थित 'अल्मा रेडियो टेलीस्कोप' (Alma Radio Telescope) द्वारा 'गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग' (Gravitational Lensing) नामक तकनीक का उपयोग करके खोजा गया था जिसमें पास स्थित एक आकाशगंगा एक शक्तिशाली आवर्धक काँच (Magnifying Glass) के रूप में कार्य करती है।
- 'SPT0418-47' आकाशगंगा में हमारी आकाशगंगा के समान विशेषताएँ हैं:
  - एक घूर्णन डिस्क
  - एक उभार जो गैलाक्टिक केंद्र (Galactic Centre) के चारों ओर उपस्थित तारों के उच्च घनत्व को दर्शाता है।

गौरतलब है कि ब्रह्मांडीय इतिहास में यह पहली बार है कि ब्रह्मांड में एक उभार देखा गया है जो SPT0418-47 के रूप में पृथ्वी से सबसे दूर हमारी आकाशगंगा जैसा दिखता है।

नोट :

कृषि मेघ Krishi Megh

हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने आभासी तरीके से 'भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद' (ICAR) के डेटा रिकवरी सेंटर 'कृषि मेघ' (Krishi Megh) की शुरुआत की।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय 'भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद' (Indian Council of Agricultural Research) के महत्त्वपूर्ण आँकड़ों की रक्षा करना है।

प्रमुख बिंदु:

- इस डेटा रिकवरी सेंटर को हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (National Academy of Agricultural Research Management- NAARM) में स्थापित किया गया है।
- वर्तमान में ICAR का मुख्य डेटा सेंटर नई दिल्ली में भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (Indian Agricultural Statistics Research Institute- IASRI) में स्थापित है।
- भारत सरकार और विश्व बैंक दोनों द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (National Agricultural Higher Education Project- NAHEP) के तहत 'कृषि मेघ' की स्थापना की गई है।

'कृषि मेघ' का महत्त्व:

- इसका निर्माण भारत में कृषि क्षेत्र में जोखिम कम करने, गुणवत्ता बढ़ाने, ई-प्रशासन की उपलब्धता एवं पहुँच, शोध, विस्तार एवं शिक्षा के लिये किया गया है।
- इस केंद्र में इमेज विश्लेषण के माध्यम से फसलों से संबंधित बीमारी एवं नुकसान पहुँचाने वाला कीटों की पहचान, फलों की परिपक्वता एवं उनके पकने से संबंधित जानकारी जुटाना, पशुओं को होने वाले रोगों की पहचान आदि से जुड़े 'डीप लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशंस' के विकास एवं उपयोग के लिये नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (artificial intelligence)/ डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर/ टूल किट्स मौजूद हैं।
- कृषि मेघ किसानों, शोधकर्त्ताओं, छात्रों एवं नीति निर्माताओं को कृषि एवं अनुसंधान के बारे में अद्यतन व नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराएगा।

राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (National Agricultural Higher Education Project- NAHEP):

- इस परियोजना को भारत सरकार तथा विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है।
- इस परियोजना का उद्देश्य कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप अधिक प्रासंगिक एवं उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना है।

भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (Indian Agricultural Statistics Research Institute- IASRI):

- IASRI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) का एक अग्रणी संस्थान है जो कृषि सांख्यिकी, कंप्यूटर अनुप्रयोग एवं जैव सूचना विज्ञान में अनुसंधान, शिक्षण एवं प्रशिक्षण का कार्य करता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1930 में की गई थी तब इसे 'इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च' (Imperial Council of Agricultural Research) के रूप में जाना जाता था।

उल्लेखनीय है कि इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने उच्च कृषि शैक्षिक संस्थानों के लिये 'KVC ALUNET' (कृषि विश्व विद्यालय छात्र एल्युमनी नेटवर्क-Krishi Vishwavidyalaya Chhatr Alumni Network) और 'ऑनलाइन प्रत्यायन प्रणाली' (Online Accreditation System) का भी शुभारंभ किया।

नोट :

मैक्सिकन स्कॉर्पियन एवं अमेरिकन बुलफ्रॉग
Mexican Scorpion & American Bullfrog

ऐसे समय में जब केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environment Impact Assessment- EIA) मसौदा चर्चा का केंद्र बना हुआ है तब केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गुजरात में एक सड़क परियोजना के लिये EIA रिपोर्ट दर्ज की जिसमें मैक्सिकन स्कॉर्पियन (Mexican Scorpion) एवं अमेरिकन बुलफ्रॉग (American Bullfrog) और यूरोप की एक सामान्य छिपकली की सूची दी गई है जबकि इनमें से कोई भी प्रजाति भारत में नहीं पाई जाती है।

प्रमुख बिंदु:

- यह मामला केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति के समक्ष 29-30 जुलाई, 2020 को हुई बैठक में सामने आया जब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) की भारतमाला परियोजना (Bharatmala Pariyojana) के तहत गुजरात में 109 किमी. का अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेस वे (Ahmedabad-Dholera Expressway) के निर्माण पर विचार किया गया।

अमेरिकन बुलफ्रॉग (American Bullfrog):

- अमेरिकन बुलफ्रॉग को EIA रिपोर्ट में सूचीबद्ध किया गया है, इसका वैज्ञानिक नाम लिथोबैटेस कैटेस्बेइनस (Lithobates Catesbeianus) है।
- यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है और कई देशों में इसे आक्रामक प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है किंतु यह भारत में नहीं पाया जाता है।
- इसे IUCN की रेड लिस्ट में संकटमुक्त (Least Concern) की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

पोडार्किस मुरालिस (Podarcis Muralis):

- यह एक सामान्य दीवार वाली छिपकली है जो यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है किंतु भारत में नहीं।
- इसे उत्तरी अमेरिका में 'यूरोपियन वाल लिज़ार्ड' (European Wall Lizard) भी कहा जाता है।
- इसे IUCN की रेड लिस्ट में संकटमुक्त (Least Concern) की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

टायफ्लोचाक्टस मिटचेल्ली (Typhlochactas Mitchelli):

- यह एक मैक्सिकन स्कॉर्पियन (Mexican Scorpion) प्रजाति है जो मूल रूप से मैक्सिको में पाई जाती है।
- यह प्रजाति नेत्रहीन गुफा-आवास (Cave-Dwelling) वाले जीनस टायफ्लोचाक्टस (Typhlochactas) से संबंधित है।

नोट :

विविध

30-सेकंड में COVID-19 परीक्षण

भारत और इज़राइल ने संयुक्त तौर पर मात्र 30 सेकंड में COVID-19 संक्रमण का पता लगाने की क्षमता वाली चार अलग-अलग प्रकार की तकनीकों का रोगियों के एक बड़े नमूने पर नई दिल्ली में परीक्षण शुरू कर दिया है। इस संबंध में नई दिल्ली में स्थित इज़राइल के दूतावास द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, दिल्ली का राम मनोहर लोहिया अस्पताल उन परीक्षण स्थलों में से एक है, जहाँ चार अलग-अलग प्रकार की तकनीकों का परीक्षण शुरू किया है, जो कि मात्र 30-सेकंड के भीतर कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने में सक्षम हैं। इन साधारण परीक्षणों में पहला परीक्षण आवाज़ के माध्यम से संक्रमण का पता लगाएगा, इस कार्य के लिये परीक्षण के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के माध्यम से रोगी की आवाज़ में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाया जाएगा। इसका दूसरा परीक्षण श्वसन विश्लेषण (Breath Analysis) से संबंधित है, जिसमें तकनीक के माध्यम से रोगी के श्वसन का विश्लेषण किया जाएगा। इसमें तीसरा इज़ोथार्मल परीक्षण (Isothermal Testing) है, जो रोगी के लार के नमूने में कोरोना वायरस की पहचान करने में सक्षम है। इसमें अंतिम परीक्षण पॉलियामाइड एसिड से संबंधित है, जो कि COVID-19 से संबंधित प्रोटीन को अलग करने का प्रयास करता है। ये परीक्षण भारत में रोगियों के व्यापक नमूने पर किये जा रहे हैं और यदि ये प्रभावशाली रहते हैं, तो भारत में बड़े पैमाने पर संबंधित उपकरणों का विनिर्माण किया जाएगा।

हार्दिक सतीशचंद्र शाह

हाल ही में वर्ष 2010 बैच के IAS अधिकारी हार्दिक सतीशचंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस संबंध में जारी अध्यादेश के अनुसार, 'हार्दिक सतीश चंद्र शाह की नियुक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंज़ूरी दी है। गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हार्दिक सतीशचंद्र शाह वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर कार्यरत हैं। हार्दिक सतीशचंद्र शाह प्रधानमंत्री के निजी सचिव के तौर पर राजीव टोपनो (Rajeev Topno) का स्थान लेंगे, राजीव टोपनो वर्ष 1996 बैच के IAS अधिकारी हैं और बीते 11 वर्षों से प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्य कर रहे हैं। गौरतलब है कि वे भी गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं। राजीव टोपनो को बीते दिनों वाशिंगटन में विश्व बैंक (World Bank) के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है।

प्रेमचंद

31 जुलाई, 2020 को प्रेमचंद की 140वीं जयंती मनाई गई। प्रेमचंद को हिंदी और उर्दू का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक माना जाता है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई, 1880 को वाराणसी के निकट लमही नाम के एक गांव में हुआ था। हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा में प्रेमचंद का आगमन एक परिवर्तनकारी बिंदु है। हालाँकि उन्होंने अपने लेखन की शुरुआत उर्दू में 'नवाब राय' के नाम से की थी। कुछ समय बाद उन्होंने 'मुंशी प्रेमचंद' के नाम से हिंदी में लिखना शुरू किया। यद्यपि रचनाकाल के आरंभिक दौर में प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी थे, किंतु जल्द ही वे यथार्थ की ओर उन्मुख हुए और यही उनके उपन्यासों की आत्मा रही। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में केवल सामाजिक-आर्थिक यथार्थ को ही शामिल नहीं किया है बल्कि मनोवैज्ञानिक सत्यों को भी उजागर किया है। प्रेमचंद को हिंदी साहित्य का युग प्रवर्तक माना जाता है, उन्होंने वर्ष 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता करते हुए कहा था कि लेखक स्वभाव से प्रगतिशील होता है, जो ऐसा नहीं है वह लेखक नहीं है। एक हिंदी लेखक के तौर पर उन्होंने लगभग दर्जन भर उपन्यास, 250 लघु कथाएँ और कई निबंधों की रचना की। 8 अक्तूबर, 1936 को प्रेमचंद की मृत्यु हो गई।

आंध्रप्रदेश की तीन राजधानियों को राज्यपाल की मंज़ूरी

आंध्रप्रदेश की तीन राजधानियों से संबंधित योजना को राज्य के राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने मंज़ूरी दे दी है। इस संबंध में राज्य के राज्यपाल ने आंध्रप्रदेश विकेंद्रीकरण एवं समग्र क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक, 2020 (Andhra Pradesh Decentralisation and Inclusive Development of All Regions bill 2020) और राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (निरसन) विधेयक 2020 (Capital Region Development Authority (Repeal) bill 2020) को मंज़ूरी दे दी है। आंध्रप्रदेश सरकार की

नोट :

योजना के अनुसार, राज्य में निर्माणाधीन अमरावती को विधायी राजधानी, तटवर्ती विशाखापत्तनम को कार्यकारी राजधानी और कर्नूल को न्यायिक राजधानी के रूप में स्थापित किया जाएगा। ध्यातव्य है कि यह निर्णय रिटायर्ड IAS अधिकारी जी. एन. राव की अध्यक्षता में बनी समिति के सुझावों के आधार पर लिया गया। 17 दिसंबर, 2019 को आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में दक्षिण अफ्रीका मॉडल के आधार पर तीन राजधानियाँ बनाई जाएंगी।

महात्मा गांधी के सम्मान में सिक्का

ब्रिटेन, भारत के राष्ट्रपिता और स्वतंत्रता संग्राम के नायक महात्मा गांधी के सम्मान में एक सिक्का जारी करने पर विचार कर रहा है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया जा रहा है जब लगभग संपूर्ण विश्व अश्वेत, एशियाई और अन्य अल्पसंख्यक जातीय समुदायों के लोगों के योगदान को पहचानने पर नए सिरे से विचार-विमर्श कर रहा है। इस संबंध में सुझाव देते हुए ब्रिटेन के वित्तीय मंत्री और भारतीय मूल के राजनेता ऋषि सुनक (Rishi Sunak) ने रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी (RMAC) को पत्र लिखते हुए कहा है कि 'अश्वेत, एशियाई और अन्य अल्पसंख्यक जातीय समुदायों ने समाज के निर्णय में अतुलनीय योगदान दिया है और अब यह समय उनके योगदान को पहचान देने का है।' रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी (RMAC) एक स्वतंत्र समिति है, जो ब्रिटेन में सिक्कों के लिये थीम एवं डिज़ाइन संबंधी सलाह देती है। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर की रियासत में 2 अक्तूबर, 1869 को हुआ था। 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका रवाना हो गए और दक्षिण अफ्रीका के इस अध्याय ने उनके राजनीतिक जीवन को खासा प्रभावित किया। जीवनपर्यंत अहिंसा की वकालत करने वाले गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिये भारत के संघर्ष में अहम भूमिका निभाई थी। उल्लेखनीय है कि 2 अक्तूबर यानी गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय की आज़ादी के कुछ ही महीनों बाद 30 जनवरी, 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। ब्रिटेन सरकार की यह पहल वैश्विक स्तर पर महात्मा गांधी के विचार को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

पिंगाली वेंकैया

02 अगस्त, 2020 को उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइनर पिंगाली वेंकैया (Pingali Venkayya) को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। पिंगाली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त, 1876 को वर्तमान आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भटाला पेनमरू और मछलीपट्टनम से ही प्राप्त की। एक गांधीवादी विचारक होने के साथ-साथ वे एक भूविज्ञानी, लेखक और भाषाविद भी थे, भाषा पर उनकी पकड़ इतनी अच्छी थी कि उन्होंने वर्ष 1913 में जापानी भाषा में एक संपूर्ण भाषण तक दिया था। पिंगाली वेंकैया ने 19 वर्ष की उम्र में अफ्रीका में एंग्लो-बोआर युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के तौर पर कार्य किया और इसी दौरान वे महात्मा गांधी से मिले और उनके विचार से काफी प्रभावित हुए। वर्ष 1916 में उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें भारतीय ध्वज को बनाने के लिये तीस डिज़ाइन प्रस्तुत किये गए थे। वर्ष 1918 और 1921 के बीच पिंगाली वेंकैया ने कॉन्ग्रेस के लगभग सभी सत्रों में भारत के स्वयं के ध्वज के विचार को आगे बढ़ाया। वर्ष 1931 में कॉन्ग्रेस ने कराची के सम्मेलन में पिंगाली वेंकैया द्वारा डिज़ाइन किया गया केसरिया, सफेद और हरे रंग से बना राष्ट्रीय ध्वज सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया, जिसमें केंद्र में गांधी जी का चरखा भी था।

'संजीवन' एप

बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने 'संजीवन' (Sanjivan) नाम से एक मोबाइल एप लॉन्च किया है, जो राज्य के आम नागरिकों को कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रबंधन से संबंधित नियमित अपडेट प्रदान करने के साथ-साथ COVID-19 परीक्षणों के लिये पंजीकरण करने में मदद करेगा। यह एप नागरिकों को निकटतम COVID-19 परीक्षण केंद्रों, COVID-19 देखभाल केंद्रों, अस्पतालों में बेड की उपलब्धता, आदि का विवरण प्राप्त करने में भी मदद करेगा। इसके अलावा 'संजीवन' मोबाइल एप को ज़िलेवार आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों के साथ अपडेट किया जाएगा, वहीं इस एप के माध्यम से कोरोना वायरस से संबंधित आम जानकारी प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। ज्ञात हो कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग वर्तमान में निजी प्रयोगशालाओं के साथ सहयोग करके डोरस्टेप COVID-19 परीक्षण सुविधाएँ प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रहा है। राज्य में निजी प्रयोगशालों में COVID-19 के परीक्षण की लागत को 2500 रुपए तक सीमित कर दिया गया है।

खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन

हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा प्रस्तावित एक विशिष्ट रोज़गार सृजन कार्यक्रम को मंज़ूरी दी है। खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन (KAAM) के रूप में नामित इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे देश में बेरोज़गार और प्रवासी श्रमिकों के लिये रोज़गार पैदा करना है, साथ ही इससे घरेलू अगरबत्ती उत्पादन में काफी

नोट :

वृद्धि होगी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन (KAAM) कार्यक्रम को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत डिज़ाइन किया है। इस योजना के तहत स्थायी रोज़गार बनाने के लिये कम निवेश की आवश्यकता होगी। यह योजना निजी अगरबत्ती निर्माताओं को उनके द्वारा किसी भी पूंजी निवेश के बिना अगरबत्ती उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करेगी। इस योजना के हिस्से के रूप में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) निजी अगरबत्ती निर्माताओं के माध्यम से कारीगरों को स्वचालित अगरबत्ती बनाने की मशीन और पाउडर मिक्सिंग मशीन उपलब्ध कराएगा। खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन (KAAM) मशीनों की लागत पर 25 प्रतिशत छूट प्रदान करेगा और शेष 75 प्रतिशत लागत प्रत्येक माह आसान किस्तों में कारीगरों से वसूला जाएगा।

हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र

हिम तेंदुओं (Snow Leopards) के संरक्षण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी वन प्रभाग (Uttarkashi Forest Division) में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का उद्देश्य स्थानीय समुदाय की मदद से हिम तेंदुओं की रक्षा करना है, साथ ही पर्यटन के माध्यम से आसपास के गाँवों के स्थानीय लोगों को रोज़गार देना है। इस संरक्षण केंद्र की स्थापना उत्तराखंड वन विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के साथ मिलकर की जाएगी। इस केंद्र का निर्माण एक छह वर्षीय प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालयाज़ (SECURE Himalayas) के तहत किया जाएगा, विदित हो कि वर्ष 2017 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य आजीविका को सुरक्षित करने, संरक्षण तथा स्थायी उपयोग को बढ़ावा देने और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली करना है। यह प्रोजेक्ट हिमालय में पाए जाने वाले हिम तेंदुओं और अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण पर भी ध्यान देता है।

इंदिरा रसोई योजना

राजस्थान सरकार ने 20 अगस्त, 2020 से राज्य के शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। एक अनुमान के अनुसार, राज्य सरकार इस योजना पर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना के तहत राज्य के शहरी गरीब लोगों को मात्र 8 रुपए में गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। इस योजना को सार्वजनिक सेवा, पारदर्शिता और जन भागीदारी की भावना के साथ लागू किया जाना चाहिये ताकि यह देश में गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक उदाहरण बन सके। यह योजना राज्य के सभी 213 शहरी स्थानीय निकायों में चलाई जाएगी। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम से शुरू हो रही इस योजना को राज्य के सभी 213 शहरी स्थानीय निकायों में शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्ज़ियाँ, 250 ग्राम चपाती और अचार परोसने का निर्णय लिया गया है। इस योजना से राज्य के तकरीबन 4.87 करोड़ लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है। योजना के कार्यान्वयन के दौरान कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रयास को रोकने संबंधी उपायों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

संस्कृत दिवस

प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार, श्रावण मास की पूर्णिमा (Poornima) को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस 03 अगस्त, 2020 को आयोजित किया गया। संस्कृत दिवस का मुख्य उद्देश्य इस प्राचीन भारतीय भाषा के पुनरुद्धार को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि इस दिवस का आयोजन सर्वप्रथम वर्ष 1969 में किया गया था। संस्कृत दिवस की शुरुआत इस प्राचीन भारतीय भाषा के संबंध में जागरुकता फैलाने, इससे बढ़ावा देने और इसे पुनर्जीवित करने के प्रयासों को तेज़ करने के लक्ष्य के साथ हुई थी। ध्यातव्य है कि प्रत्येक वर्ष इस दिवस के अवसर पर संस्कृत भाषा के महत्त्व और इसके प्रभाव से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित किये जाते हैं। माना जाता है कि भारत में संस्कृत भाषा की उत्पत्ति लगभग 3500 पूर्व हुई थी। संस्कृत को लगभग सभी भारतीय भाषाओं की जननी माना जाता है और भारत में बोली जाने वाली प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। एक भाषा के तौर पर संस्कृत की खूबसूरती को इसी बात से समझा जा सकता है कि अंग्रेज़ी भाषा में जिस भाव को व्यक्त करने के लिये चार से छह शब्दों की आवश्यकता होगी उसे संस्कृत में मात्र एक शब्द के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। गौरतलब है कि संस्कृत को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के सबसे अनुकूल वैज्ञानिक भाषा माना जाता है।

जॉन ह्यूम

03 अगस्त, 2020 को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और उत्तरी आयरलैंड के राजनीतिज्ञ जॉन ह्यूम (John Hume) का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अपने 30 वर्ष से भी अधिक लंबे राजनीतिक कैरियर के दौरान जॉन ह्यूम उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख राजनेताओं में से एक रहे। वे वर्ष 1970 में सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी (SDLP) के संस्थापक सदस्य बने और वर्ष 1979 से वर्ष 2001 तक पार्टी का नेतृत्त्व भी किया। जॉन ह्यूम ने क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिये शुरू हुई वार्ता में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसके कारण वर्ष 1998 में गुड

नोट :

फ्राइडे समझौता (Good Friday Agreement) हुआ था। इसी समझौते के कारण उत्तरी आयरलैंड में तीन दशकों की हिंसा समाप्त हुई थी। जॉन ह्यूम का जन्म 18 जनवरी, 1937 को उत्तरी आयरलैंड में हुआ था। जॉन ह्यूम को उत्तरी आयरलैंड में किये गए उनके कार्य और शांति प्रयासों के लिये काफी सराहा गया एवं वर्ष 1998 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

इब्राहिम अल्काज़ी

04 अगस्त, 2020 को रंगमंच के दिग्गज कलाकार और एक महान शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध इब्राहिम अल्काज़ी (Ebrahim Alkazi) का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। गौरतलब है कि इब्राहिम अल्काज़ी सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (National School of Drama-NSD) के निदेशक के पद पर रहे थे, इस दौरान उन्होंने गिरीश कर्नाड के 'तुगलक' और धर्मवीर भारती के 'अंध युग' जैसे सुप्रसिद्ध नाटकों का निर्माण किया और उन्हें प्रस्तुत किया। इब्राहिम अल्काज़ी ने रंगमंच के कलाकारों की एक पूरी पीढ़ी को अभिनय के गुण सिखाए, जिसमें नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी जैसे विश्व प्रसिद्ध अभिनेता भी शामिल हैं। इब्राहिम अल्काज़ी का जन्म 18 अक्तूबर, 1925 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था। भारत में रंगमंच के क्षेत्र में क्रांति का श्रेय इब्राहिम अलकाज़ी को ही दिया जाता है, उन्होंने एक रंगकर्मी के तौर अपने कैरियर की शुरुआत एक अंग्रेज़ी थिएटर समूह के साथ की थी, किंतु जल्द ही उन्होंने अपना स्वयं का एक थिएटर समूह बना लिया। 1940 और 1950 का दशक आते-आते वे मुंबई के सबसे प्रमुख रंगमंच कलाकारों में से एक बन गए। 37 वर्ष की उम्र में वर्ष 1962 में इब्राहिम अल्काज़ी दिल्ली आ गए और अगले 15 वर्षों (वर्ष 1962 से वर्ष 1977) तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD) में निदेशक के रूप में कार्य किया, जो कि संस्थान के इतिहास में किसी निदेशक का अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। 50 वर्ष की उम्र में उन्होंने NSD से इस्तीफा दे दिया और नई दिल्ली में एक आर्ट हैरिटेज गैलरी की शुरुआत की।

शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर

05 अगस्त, 2020 को कॉन्ग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर (Shivajirao Patil Nilangekar) का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मराठावाड़ा क्षेत्र के लातूर के रहने वाले शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल काफी संक्षिप्त रहा था और वे राज्य के इस महत्त्वपूर्ण पद पर केवल जून 1985 और मार्च 1986 तक कार्यरत थे, इसके पश्चात् उन्हें विवादास्पद परिस्थितियों में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल वर्ष 1985 में उन पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने अपनी पुत्री और एक अन्य संबंधी की सहायता के लिये राज्य की मेडिकल कॉलेज परीक्षाओं के परिणाम के साथ छेड़खानी की थी। इन्ही आरोपों के चलते उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मराठवाडा के एक सहकारी नेता होने के साथ-साथ वे शिक्षा के क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे थे। गौरतलब है कि वर्ष 2008 में परिसीमन से पहले शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर ने वर्ष 1962 से वर्ष 1980 तक लगातार महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में निलंगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता था।

'एक मास्क-अनेक जिंदगी' अभियान

मध्यप्रदेश में नागरिकों में मास्क के प्रति जागरूकता पैदा करने और उन्हें मास्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक नगरीय निकाय में 1 से 15 अगस्त तक 'एक मास्क-अनेक जिंदगी' (Ek Mask-Anek Zindagi) जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में राज्य के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि 'राज्य के नागरिक मास्क का उपयोग कर स्वयं को कोरोना संक्रमण से बचाने के साथ ही इसके संक्रमण के प्रसार को भी रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।' उल्लेखनीय है कि मास्क कोरोना संक्रमण को रोकने का सबसे सरल एवं कारगर साधन है। इस दौरान प्रत्येक निकाय क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों और नागरिकों से मास्क दान करने की अपील की जाएगी। साथ ही मास्क एकत्रित रखने के लिये मास्क बैंक भी बनाए जाएंगे। दान-दाताओं द्वारा इस बैंक में मास्क अथवा मास्क बनाने हेतु राशि दान की जा सकेगी। इस राशि से स्व-सहायता समूहों के माध्यम से मास्क बनवाए जा सकते हैं।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना

नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, भारत सरकार की राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन संबंधी प्रधानमंत्री जन-धन योजना (Mantri Jan Dhan Yojana-PMJDY) के तहत खोले गए बैंक खातों की संख्या 40 करोड़ के पार पहुँच गई है। सरकार द्वारा जारी हालिया आँकड़े बताते हैं कि इस योजना के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 40.05 करोड़ हो गई है और जन धन बैंक खातों में जमा कुल राशि 1.50 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त, 2014 को देश के आम नागरिकों को बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इस प्रकार योजना के छह वर्ष पूरे होने में भी अभी कुछ समय शेष है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) वित्तीय समावेशन संबंधी एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसमें देश के सभी परिवारों के व्यापक वित्तीय समावेशन हेतु एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है।

नोट :

आयरलैंड में आयरलैंड का डेटा सेंटर

लघु वीडियो साझाकरण एप टिकटॉक 500 मिलियन डॉलर की लागत से आयरलैंड में अपना पहला यूरोपियन डेटा सेंटर शुरू करने की योजना बना रहा है। आयरलैंड में स्थापित किये जा रहे इस डेटा सेंटर में यूरोपीय उपयोगकर्त्ताओं द्वारा उत्पन्न किये जा रहे डेटा जैसे- लघु वीडियो और संदेश आदि को संगृहीत किया जाएगा। गौरतलब है कि अब तक इसके सभी उपयोगकर्त्ताओं का समग्र डेटा अमेरिका में स्थित डेटा सेंटर में संग्रहित किया जाता था, जिसकी बैकअप प्रति (Backup Copy) सिंगापुर स्थित डेटा सेंटर में रखी जाती थी। टिकटॉक द्वारा पहला यूरोपियन डेटा सेंटर स्थापित करने का निर्णय ऐसे समय में लिया गया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अमेरिका में इसी चीनी स्वामित्त्व वाले एप को प्रतिबंधित करने की धमकी दे रहे हैं, ऐसे में अमेरिकी डिजिटल बाज़ार में इस एप के अस्तित्त्व पर बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत द्वारा टिकटॉक समेत कुल 59 एप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करने के बाद से अमेरिका भी सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इसी प्रकार की कार्रवाई पर विचार कर रहा है। टिकटॉक एक लघु वीडियो साझा करने की सुविधा प्रदान करने वाला एक प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म है, जो उपयोगकर्त्ताओं को किसी भी विषय विशिष्ट पर तकरीबन 15 सेकंड की वीडियो और उसे अन्य उपयोगकर्त्ताओं के साथ साझा करने का अवसर देता है, अपने डेटा सेंटर में डेटा एकत्र कर टिकटॉक उनका प्रयोग विज्ञापन प्रदान करने के लिये करता है। एक अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2020 की शुरुआत तक टिकटॉक के पास कुल 800 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्त्ता थे, किंतु चूँकि भारत टिकटॉक का सबसे बड़ा बाज़ार था और केंद्र सरकार ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिये थे, इसलिये टिकटॉक के उपयोगकर्त्ताओं की संख्या में कुछ आई है।

मनोज सिन्हा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू-कश्मीर का नया उप-राज्यपाल (Lieutenant Governor) नियुक्त किया है, गौरतलब है कि इससे पूर्व गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था। वर्ष 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पूर्व अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को अक्तूबर, 2019 में जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे की समाप्ति के बाद राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-BHU (IIT-BHU) के पूर्व छात्र मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्त्व करते हुए कुल 3 बार सांसद के रूप में चुने जा चुके हैं। मनोज सिन्हा ने अपने राजनैतिक कैरियर की शुरुआत 1970 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के साथ की थी, किंतु राजनीति में उन्हें असल पहचान वर्ष 1982 में मिली जब उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने वर्ष 1996 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता था, वर्ष 2014 में भी उन्होंने गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता और उन्हें केंद्रीय संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नियुक्त किया गया।

शशिधर जगदीशन

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने HDFC बैंक के नए प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के तौर पर शशिधर जगदीशन की नियुक्ति को मंज़ूरी दे दी है। इस मंज़ूरी के साथ ही शशिधर जगदीशन, HDFC बैंक के मौजूदा CEO और MD आदित्य पुरी का स्थान लेंगे और अगले तीन वर्ष तक इस पद पर बने रहेंगे। ध्यातव्य है कि शशिधर जगदीशन वर्ष 1996 में प्रबंधक (Manager) के तौर पर HDFC बैंक में शामिल हुए थे और उन्हें बैंकिंग क्षेत्र समग्र तौर पर कुल 29 वर्ष का अनुभव है, वर्तमान में वे बैंक के समूह प्रमुख (Group Head) के तौर पर कार्य कर रहे है। वर्ष 1999 में उन्हें बिज़नेस हेड- फाइनेंस (Business Head- Finance) बनाया गया और वर्ष 2008 में वे बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) के रूप में नियुक्त हुए। इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, 'यह नियुक्ति COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुए अनिश्चित माहौल में बैंक के प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करेगी।

कुलभूषण जाधव मामला

पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में तीन वरिष्ठ वकीलों को न्याय मित्र (Amici Curiae) के रूप में नामित किया है। शीर्ष न्यायालय ने पाकिस्तान सरकार को आदेश दिया है कि वह भारत को कुलभूषण जाधव मामले में वकील नियुक्त करने का एक और अवसर प्रदान करे। ध्यातव्य है कि भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। साथ ही इस सज़ा की पश्चात् पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुँच प्रदान करने से भी इनकार कर दिया था, जिसके पश्चात् पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा दी गई मृत्यु की सज़ा को चुनौती देते हुए भारत इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice-ICJ) के समक्ष ले गया था। हेग

नोट :

स्थित ICJ ने जुलाई 2019 में अपना निर्णय सुनाते हुए कहा था कि पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव की सज़ा की समीक्षा करनी चाहिये और उस पर पुनर्विचार करना चाहिये, साथ ही बिना किसी देरी के भारत को कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुँच देनी चाहिये। दरअसल पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षा बलों ने कुलभूषण जाधव को 3 मार्च, 2016 को जासूसी के आरोप में बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था। जबकि भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा किया गया था, जो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद अपने कारोबार के संबंध में ईरान गए थे।

प्रदीप कुमार जोशी

शिक्षाविद् प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission-UPSC) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि प्रदीप कुमार जोशी वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के सदस्य के तौर पर कार्य कर रहे हैं, उनकी इस नियुक्ति से आयोग के सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है। वर्तमान में भीम सेन बस्सी, एयर मार्शल ए. एस. भोंसले (सेवानिवृत्त), सुजाता मेहता, मनोज सोनी, स्मिता नागराज, एम. साथियावती भारत भूषण व्यास, टी. सी. ए. अनंत और राजीव नयन चौबे UPSC के सदस्य के तौर पर नियुक्त हैं। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष के तौर पर प्रदीप कुमार जोशी, अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे। इससे पूर्व प्रदीप कुमार जोशी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में बतौर अध्यक्ष कार्य कर चुके हैं और उन्हें मई 2015 में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) में सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। आयोग के अध्यक्ष के तौर पर उनका कार्यकाल 12 मई, 2021 को समाप्त होगा। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) भारत के नौकरशाहों और राजनयिकों का चयन करने के लिये सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है।

गिरीश चंद्र मुर्मू

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller Auditor General-CAG) नियुक्त किया है। गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव महर्षि का स्थान लेंगे, जो कि 7 अगस्त, 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) होंगे। गौरतलब है कि इससे पूर्व गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू-कश्मीर का नया उप-राज्यपाल (Lieutenant Governor) नियुक्त किया था। गिरीश चंद्र मुर्मू का जन्म 21 नवंबर,1959 को ओडिशा के मयूरभंज ज़िले के एक गाँव में हुआ था। वर्ष 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पूर्व अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को अक्तूबर, 2019 में जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे की समाप्ति के बाद राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया था। इससे पूर्व गिरीश चंद्र मुर्मू गुजरात के गृह विभाग में और राज्य में नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (Indian Audit & Accounts Department) का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है।

किसान रेल

भारतीय रेलवे ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन यानी 'किसान रेल' की शुरुआत की है। किसान रेल का प्रयोग फल-सब्जियों, मछली-मांस और दूध जैसी जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन के लिये किया जाएगा। यह ट्रेन महाराष्ट्र और बिहार के बीच संचालित की जाएगी और फल तथा सब्जियों जैसी खराब होने वाली वस्तुओं को ले जाने वाली अपनी तरह की पहली ट्रेन होगी। इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, किसान रेल ट्रेन साप्ताहिक आधार पर चलाई जाएगी। रेल मंत्री के अनुसार, किसान रेल का उद्देश्य खेती करने वालों की आमदनी दोगुनी करना है। किसान रेल में वातानुकूलित डिब्बे निर्मित किये गए हैं और इसके माध्यम से देश भर में मछली, मांस और दूध सहित जल्द खराब होने वाली कई खाद्य योग्य वस्तुओं को निर्बाध रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाएगा। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खराब होने वाली वस्तुओं की सप्लाई चेन उपलब्ध कराने के लिये इस वर्ष के बजट में किसान रेल शुरू करने की घोषणा की थी।

अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी के लोकप्रिय लघु वीडियो साझाकरण एप टिकटॉक (TiKTok) और वी-चैट (WeChat) पर अमरीका में प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार, ये एप्स राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिये बड़ा खतरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिबंध संबंधी उक्त आदेश 45 दिनों के बाद से लागू होंगे। कई विशेषज्ञ

नोट :

मान रहे हैं कि 45 दिनों का यह समय मुख्य तौर पर अमेरिका की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) को एक अन्य अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से दिया गया है, ध्यातव्य है कि बीते कई दिनों से अमेरिका द्वारा चीन की इंटरनेट कंपनी बाइटडांस (ByteDance), जिसके पास टिकटॉक का मालिकाना हक है, पर अपने व्यवसाय को अमेरिका की प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) को सौंपने का दबाव बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि टिकटॉक एक लघु वीडियो साझा करने की सुविधा प्रदान करने वाला एक प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म है, जिसके पास अमेरिका में लगभग 100 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्त्ता थे। इस एप के सबसे अधिक उपयोगकर्त्ता भारत में मौजूद थे, किंतु बीते दिनों सरकार ने इस एप पर प्रतिबंध लगा दिया था

दिल्ली हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिये विशेष पोर्टल

नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिये एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। यह पोर्टल देश में आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से स्व-घोषणापत्र भरने और पात्र यात्रियों को आवश्यक प्रशासनिक आइसोलेशन से छूट हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करेगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतराष्ट्रीय हवाईअड्डे का प्रबंध संभालने वाली कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) के अनुसार, यह मंच अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की यात्रा को संपर्करहित बनाएगा। इस मंच के माध्यम से भारत में आने पर स्वघोषणा पत्र (Self Declaration Forms) या आइसोलेशन से छूट हेतु आवेदन करने के लिये कागजी दस्तावेज के रूप में फॉर्म नहीं भरना होगा और सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध होगा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, कुल पाँच श्रेणियों के यात्रियों को अनिवार्य रूप से सात-दिवसीय आइसोलेशन से छूट मिल सकती है। इसमें गर्भवती महिलाएँ, वे लोग जिनके परिवार में किसी की मृत्यु हो हुई है, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ यात्रा कर रहे अभिभावक, यात्रा से 96 घंटे पहले COVID-19 जाँच की नकारात्मक रिपोर्ट वाले यात्री शामिल हैं। हालाँकि प्रशासनिक आइसोलेशन से छूट वाले यात्रियों को 14 दिन अपने घर पर आइसोलेशन में रहना होगा। शेष अन्य सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अनिवार्य रूप से 7 दिन के लिये प्रशासनिक आइसोलेशन और उसके बाद सात दिन तक अपने घर पर आइसोलेशन में रहना होगा।

सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल (Submarine Optical Fibre Cable) का उद्घाटन करेंगे। इस संबंध में जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप (हैवलॉक), लिटल अंडमान, कार निकोबार, कामोर्टा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आईलैंड और रंगट से भी जोड़ेगा। इस नेटवर्क के माध्यम से देश के अन्य हिस्सों की तरह अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को भी तेज़ तथा विश्वसनीय मोबाइल एवं लैंडलाइन टेलीकॉम सेवाएँ प्राप्त हो सकेंगी। गौरतलब है कि इस परियोजना की आधारशिला स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 दिसंबर, 2018 को पोर्ट ब्लेयर में रखी गई थी। यह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क चेन्नई तथा पोर्ट ब्लेयर के बीच 2 x 200 गीगाबिट प्रति सेकंड (Gbps) और पोर्ट ब्लेयर और अन्य द्वीपों के बीच 2 x 100 Gbps की गति से डेटा हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगा। ध्यातव्य है कि दूरसंचार और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में सुधार होने से द्वीपों में पर्यटन और रोज़गार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा, इससे क्षेत्र की स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिल सकेगी और जीवन स्तर में सुधार होगा।

1971 के संग्राम में शहीद भारतीय सैनिकों की स्मृति में स्मारक

बांग्लादेश में वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में वहाँ एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा। यह स्मारक बांग्लादेश की स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ के मौके पर बनाया जाएगा। इस संबंध में सूचना देते हुए बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध मामलों के मंत्री मुज़म्मिल हक ने वर्ष 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग के लिये भारत सरकार और भारतीय सेना का आभार व्यक्त किया है। जो क्षेत्र अब बांग्लादेश कहलाता है, वह कई वर्षों पूर्व भारत के बंगाल का हिस्सा था। वर्ष 1947 में जब भारत और पाकिस्तान ने आज़ादी प्राप्त की तो बंगाल का मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और उसे 'पूर्वी पाकिस्तान' कहा जाने लगा। 1958 से 1962 के बीच तथा 1969 से 1971 के बीच पूर्वी पाकिस्तान मार्शल लॉ के अधीन रहा। इसी बीच पाकिस्तान में सैनिक तानाशाह याहया खान ने स्वतंत्र चुनाव कराए। इस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के आवामी लीग के नेता मुजीबुर्रहमान को बहुमत प्राप्त हुआ। परंतु याहया खान द्वारा मुजीब को प्रधानमंत्री नियुक्त करने से मना करने के प्रतिक्रियास्वरूप पाकिस्तान में गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गयी। शेख मुजीब को गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा विद्रोह को दबाने के नाम पर पूर्वी पाकिस्तान में अमानवीय अत्याचार और नरसंहार प्रारंभ हो गया। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य वार्ता की विफलता के पश्चात् 26 मार्च, 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी।

नोट :

भारत छोड़ो आंदोलन

08 अगस्त, 2020 को देश भर में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किये गए 'भारत छोड़ो आंदोलन' (Quit India Movement) की 78वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ के रूप में सामने आया। माना जाता है कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आखिरी सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसमें सभी भारतवासियों ने एक साथ बड़े स्तर पर भाग लिया था। इस आंदोलन के तहत गांधी जी के नेतृत्त्व में पूरा भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ने के लिये एक साथ आ गया था। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 'भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस समिति' की बैठक 8 अगस्त, 1942 को बंबई में हुई। इसमें यह निर्णय लिया गया कि भारत अपनी सुरक्षा स्वयं करेगा और साम्राज्यवाद तथा फासीवाद का विरोध करता रहेगा। बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अपने एक भाषण में गांधी जी ने 'करो या मरो' का नारा दिया और धीरे-धीरे पूरा देश एकजुट होने लगा। इस आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद और महात्मा गांधी समेत कई बड़े कॉन्ग्रेसी नेताओं को देशद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया गया था। महात्मा गांधी ने भारतीयों से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कार्य करने और अंग्रेजों के आदेशों का पालन न करने का आग्रह किया। शुरुआत में अंग्रेजों ने भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया, किंतु बाद में वे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात् स्वतंत्रता देने के लिये सहमत हो गए। वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और भारत को वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हो गई।

महिंदा राजपक्षे

हाल ही में श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। उनके छोटे भाई और श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने कोलंबो के निकट स्थित बौद्ध मंदिर में आयोजित समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। गौरतलब है कि बीते दिनों 05 अगस्त को आयोजित आम चुनाव में महिंदा राजपक्षे की पार्टी ने भारी बहुमत से जीत प्राप्त की थी। महिंदा राजपक्षे का जन्म 18 नवंबर, 1945 को श्रीलंका के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। महिंदा राजपक्षे सर्वप्रथम वर्ष 1970 में मात्र 24 वर्ष की उम्र में बेलियाट्टा निर्वाचक मंडल से संसद के लिये चुने गए थे। महिंदा राजपक्षे को सर्वप्रथम नवंबर 2005 में राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया और वे वर्ष 2015 तक इस पद पर रहे। वर्ष 2009 श्रीलंकाई गृहयुद्ध का महत्त्वपूर्ण समय माना जाता है, क्योंकि इसी वर्ष श्रीलंकाई सेना ने लिट्टे को उखाड़ फेंका। ज्ञात हो कि इस समय महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति और उनके छोटे भाई गोतबाया राजपक्षे श्रीलंका के रक्षा सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे, इसलिये कई लोग दोनों भाईयों खास तौर पर महिंदा राजपक्षे को श्रीलंका के गृह युद्ध का हीरो मानते हैं। हालाँकि वर्ष 2005 में वे राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे, इस हार के बाद राजपक्षे शासन के कई समर्थकों ने उनकी अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक हार के लिये भारत को ज़िम्मेदार ठहराया था। इसके अलावा राजपक्षे शासन का चीन की ओर आकर्षण भी सदैव भारत के लिये चिंता का विषय रहा है। श्रीलंका में चीनी प्रभाव का उदय महिंदा राजपक्षे की अध्यक्षता के समानांतर ही हुआ था।

विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि

31 जुलाई, 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 11.9 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और इसी के साथ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 534,5 बिलियन डॉलर पर पहुँच गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार, मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक विदेशी मुद्रा भंडार में 56.8 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। ऐसे समय में जब ऐसे समय में जब लगातार महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था तनाव का सामना कर रही है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर में कमी होने की उम्मीद है, तब विभिन्न आर्थिक विशेषज्ञ इस बढे हुए विदेशी मुद्रा भंडार को अर्थव्यवस्था के लिये एक राहत के रूप में आए हैं, क्योंकि अनुमान के अनुसार, यह भारत के एक वर्ष से अधिक के आयात बिल को कवर कर सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी असल में 20 सितंबर, 2019 के बाद शुरू हुई थी जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निगम कर कटौती की घोषणा की थी। आँकड़े बताते हैं कि 20 सितंबर, 2019 और 31 जुलाई, 2020 के बीच भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कुल 106 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में हुई कमी ने भी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाई है। किसी देश/अर्थव्यवस्था के पास उपलब्ध कुल विदेशी मुद्रा को उस देश का विदेशी मुद्रा भंडार करते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार को फॉरेक्स रिज़र्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है।

दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति

हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण को कम करने और मांग में बढ़ोतरी करके प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 'दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति' (Delhi Electric Vehicle Policy) की घोषणा की है, जिसके तहत दिल्ली सरकार

नोट :

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर पंजीकरण शुल्क और सड़क कर से छूट प्रदान करेगी और साथ ही नई इलेक्ट्रिक कारों के लिये 1.5 लाख रुपए तक प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करेगी। इसके अलावा नई नीति के तहत दिल्ली सरकार दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों, ऑटो, ई-रिक्शा, मालवाहक वाहनों की खरीद पर भी 30 हज़ार तक प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल के अनुसार, इस नीति का उद्देश्य दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, रोज़गार का सृजन करना और प्रदूषण के स्तर को कम करना है। विदित हो कि इस नीति के तहत दिल्ली में वर्ष 2024 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के हिस्से को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कि वर्तमान में मात्र 0.29 प्रतिशत है। देश भर के इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं ने दिल्ली सरकार की इस नीति की सराहना की है। सरकार का लक्ष्य आगामी पाँच वर्षों में दिल्ली में कम-से-कम 500,000 इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण करना है, जबकि वर्तमान में शहर में पंजीकृत कुल 11 मिलियन से अधिक वाहनों में से मात्र 83,000 वाहन ही इलेक्ट्रिक वाहन हैं।

विश्व जैव ईंधन दिवस

प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर-जीवाश्म ईंधनों को लेकर जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व जैव ईंधन दिवस (World Biofuel Day) मनाया जाता है। भारत में इस दिवस का आयोजन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 से किया जा रहा है। इस दिवस का आयोजन मुख्य तौर पर गैर-जीवाश्म ईंधनों को लेकर जागरुकता फैलाने के साथ-साथ इस संबंध में सरकार द्वारा किये गए विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से भी किया जाता है। 10 अगस्त, 2020 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय था- 'जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत।' 10 अगस्त का दिन सर रूडोल्फ डीज़ल (Rudolf Diesel) द्वारा किये गये अनुसंधान प्रयोगों को भी सम्मान प्रदान करता है, जिन्होंने वर्ष 1893 में मूंगफली के तेल से इंजन चलाया था। उनके अनुसंधान से यह सिद्ध हो गया था कि वनस्पति तेल अगली शताब्दी में विभिन्न मशीनी इंजनों के ईंधन के लिये जीवाष्म ईंधनों का विकल्प बनेगा।

राजधानी दिल्ली का स्कूल शिक्षा बोर्ड

हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सूचना दी है कि दिल्ली का अपना स्कूल शिक्षा बोर्ड अगले वर्ष से कार्य करना प्रारंभ कर देगा। हालाँकि अन्य राज्यों के विपरीत दिल्ली के अपने स्कूल शिक्षा बोर्ड को दिल्ली के सरकार विद्यालयों पर अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया जाएगा अथवा उन्हें इसे अपनाने के लिये मजबूर नहीं किया जाएगा। दिल्ली के स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना से संबंधित योजना का विवरण देते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली का नया स्कूल शिक्षा बोर्ड, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) में प्रस्तावित सुधारों के अनुरूप कार्य करेगा और यह बोर्ड केवल वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षाओं के विपरीत विद्यार्थियों के सतत् मूल्यांकन पर ध्यान देगा। इस संबंध में सूचना देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 'दिल्ली सरकार ने हाल ही में प्रस्तावित बोर्ड के साथ-साथ पाठ्यक्रम सुधारों पर काम करने के लिये दो समितियों का गठन किया है, और सब कुछ सही रहने पर यह बोर्ड अगले वर्ष तक कार्य करना शुरू कर देगा।' उपमुख्यमंत्री ने बताया कि 'प्रारंभ में, लगभग 40 विद्यालयों को इस नए बोर्ड से संबद्ध किया जाएगा, जो कि सरकारी या निजी हो सकते हैं, हालाँकि प्रदेश के किसी भी विद्यालय के लिये इसमें शामिल होना अनिवार्य नहीं होगा। गौरतलब है कि देश भर में अन्य राज्यों में अकसर यह देखा जाता है कि राज्य के निजी विद्यालय अपने लिये किसी भी प्रकार के बोर्ड का चयन करने के लिये स्वतंत्र होते हैं, जबकि राज्य के सरकारी विद्यालयों को अनिवार्य रूप से राज्य सरकार के बोर्ड का पालन करना पड़ता है। इस प्रकार दिल्ली सरकार एक ऐसे समृद्ध और उपयोगी बोर्ड का गठन करना चाहती है, जिसमें विद्यालय अपनी इच्छा से शामिल हों।

वी.वी. गिरि

10 अगस्त, 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति वी. वी. गिरी (V. V. Giri) की जयंती पर राष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वी.वी. गिरि के नाम से प्रसिद्ध भारत के चौथे राष्ट्रपति वराहगिरि वैंकट गिरि का जन्म 10 अगस्त, 1894 को ओडिशा के गंजाम ज़िले के बेरहामपुर में हुआ था। वी.वी. गिरि ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बेरहामपुर से ही प्राप्त की और उसके पश्चात् वे कानून का अध्ययन करने के लिये आयरलैंड चले गए, वहाँ वे भारत और आयरलैंड दोनों देशों की राजनीति में काफी सक्रिय थे, जिसके चलते उन्हें 1 जून, 1916 को आयरलैंड छोड़ना पड़ा। वर्ष 1916 में वे भारत लौटे और मद्रास उच्च न्यायालय में शामिल हो गए। साथ ही वे कांग्रेस में शामिल होकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय हो गए। वर्ष 1934 में वे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य के तौर पर चुने गए और वर्ष 1937 तक इस पद पर रहे। वर्ष 1951 के आम चुनावों में, वह मद्रास में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पहली लोकसभा के लिये चुने गए थे और वर्ष 1952-54 के बीच केंद्रीय श्रम मंत्री के तौर पर कार्य किया। जिसके बाद वर्ष 1957 से वर्ष 1967 के बीच उन्होंने उत्तर प्रदेश (1957-1960), केरल (1960-

नोट :

1965) और कर्नाटक (1965-1967) के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। 13 मई, 1967 को वी.वी. गिरि भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति के तौर पर चुने गए और वे लगभग 2 वर्ष तक इस पद पर रहे, ज्ञात हो कि वे ऐसे पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। वर्ष 1969 में राष्ट्रपति चुनाव हुए और वी.वी. गिरि को भारत के चौथे राष्ट्रपति के तौर पर चुन लिया गया। वी.वी. गिरि वर्ष 1974 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, वर्ष 1975 में उन्हें 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया और 24 जून, 1980 को उनकी मृत्यु हो गई।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन डेशबोर्ड

हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन डेशबोर्ड का उद्घाटन किया है। ध्यातव्य है कि यह ऑनलाइन डैशबोर्ड देश भर में 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline- NIP) से संबंधित जानकारी के लिये सभी हितधारकों हेतु एक-स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा। इस डेशबोर्ड का संचालन इंडिया इनवेस्टमेंट ग्रिड (India Investment Grid-IIG) द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगले 5 वर्षों में आधारभूत अवसंरचना पर 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसी का अनुसरण करते हुए 31 दिसंबर, 2019 को 103 करोड़ रुपए की लागत वाली राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन शुरू की गई। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत 6500 से अधिक परियोजनाएँ शुरू की जाएगी। अनुमान के अनुसार, भारत को अपनी विकास दर को बनाए रखने के लिये वर्ष 2030 तक बुनियादी ढाँचे पर 4.5 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने की आवश्यकता होगी।

इंदिरा वन मितान योजना

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 'इंदिरा वन मितान योजना' (Indira Van Mitan Yojan) शुरू करने की घोषणा की है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस योजना के तहत, वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिये आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लगभग 10,000 गाँवों में युवाओं के समर्पित समूह का गठन किया जाएगा। युवाओं के ये समूह अनुसूचित क्षेत्रों में वन उपज की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन का काम देखेंगे। इस संबंध में जारी सूचना के अनुसार, प्रत्येक समूह में 10 से 15 सदस्य शामिल होंगे और इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को इसके साथ जोड़ना है।

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस

विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस (International Youth Day) के रूप में मनाया जाता है, इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य युवाओं के मुद्दों पर समाज और सरकारों का ध्यान आकर्षित करना है। यह दिवस न केवल भविष्य की पीढ़ी के रूप में युवाओं के महत्त्व को इंगित करता है, बल्कि यह हमारे वर्तमान को बदलने के एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में भी युवाओं के महत्त्व को रेखांकित करता है। वर्ष 2020 के लिये इस दिवस की थीम 'यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन' (Youth Engagement for Global Action) है। यह दिवस देश के विकास में युवाओं की भूमिका पर केंद्रित है और युवाओं की आवाज़, उनके कार्य और पहलों को पहचान दिलाने का अवसर उपलब्ध कराता है। विदित हो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 दिसंबर, 1999 को युवा विश्व सम्मेलन के दौरान की गई सिफारिशों को मानते हुए पहली बार वर्ष 2000 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया था। वर्ष 2015 में सुरक्षा परिषद द्वारा पारित संकल्प को अपनाने के बाद से इस मान्यता को बल मिला कि परिवर्तन के एजेंट के रूप में युवा संघर्षों को रोकने और शांति बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विश्व में भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। ध्यातव्य है कि मानवता के समक्ष मौजूद वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिये आवश्यक है कि एक साथ मिलकर वैश्विक कार्रवाई पर ध्यान दिया जाए और इस कार्रवाई में युवाओं की अनिवार्य भूमिका सुनिश्चित की जाए।

कमला हैरिस

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन (Joe Biden) ने भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस (Kamala Harris) को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नामित किया है। ध्यातव्य है कि अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार होगा जब एक अश्वेत भारतीय अमेरिकी महिला उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की दौड़ में शामिल होगी। डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य, 55 वर्षीय कमला हैरिस एक अमेरिकी राजनेता और एक वकील हैं, जो कि वर्ष 2017 से अमेरिकी के कैलिफोर्निया से सीनेटर के रूप में सेवा कर रही हैं। कमला हैरिस का जन्म 20 अक्तूबर, 1964 को कैलिफोर्निया के ऑकलैंड (Oakland) शहर में हुआ था। कमला हैरिस की माँ भारतीय मूल की थीं, जबकि उनके पिता जमैका से थे। कमला हैरिस ने वर्ष 2010 से वर्ष 2014 के बीच कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य किया था।

नोट :

कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल के रूप में प्रसिद्ध प्राप्त करने के बाद नवंबर 2016 में कमला हैरिस ने अमेरिकी सीनेट के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके पश्चात् उन्होंने जनवरी, 2019 में राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में शामिल होने की घोषणा की थी, हालाँकि दिसंबर 2019 में उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर अपना वापस ले लिया था।

राहत इंदौरी

11 अगस्त, 2020 को भारत के प्रसिद्ध उर्दू शायर और गीतकार राहत इंदौरी का 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। राहत इंदौरी का जन्म 01 जनवरी, 1950 को मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था, उन्होंने अपनी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा इंदौर से ही प्राप्त की थी। वर्ष 1973 में स्नातक और वर्ष 1975 में परास्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् उन्होंने वर्ष 1985 में मध्यप्रदेश भोज विश्विद्यालय (Bhoj University) से 'उर्दू में मुशायरा' विषय पर पीएचडी (PhD) की डिग्री प्राप्त की। आर्थिक संकट के कारण उनका बचपन काफी कठिन परिस्थितियों में गुजरा, यही कारण था कि उन्होंने मात्र दस वर्ष की उम्र में साइन-पेंटर के तौर पर कार्य करना शुरू कर दिया था। अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद राहत इंदौरी ने इंदौर के के ही एक कॉलेज में उर्दू साहित्य के एक शिक्षक के तौर पर कार्य शुरू किया, और साथ ही वे मुशायरों में भी हिस्सा लेने लगे। उर्दू शायर-ओ-शायरी के लिये राहत इंदौरी को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उर्दू शायरी के अलावा उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग में एक लोकप्रिय गीत लेखक के रूप में भी जाना जाता था।

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना

हाल ही में गुजरात सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों के लिये एक नई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को उक्त स्थितियों में हुए नुकसान की भरपाई के लिये बिना कोई प्रीमियम दिये मुआवज़ा मिल सकेगा। इस संबंध में घोषणा करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की नई योजना इस वर्ष के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana-PMFBY) का स्थान लेगी। आधिकारिक सूचना के अनुसार, केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना के विपरीत, किसानों को इस खरीफ सीजन में सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात जैसे प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षा पाने के लिये इस नई राज्य सरकार की योजना के तहत किसी भी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि यह योजना केवल एक वर्ष के लिये ही लागू होगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार कुल 4,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस वर्ष खरीफ (मानसून) के मौसम में फसल बोने वाले किसानों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। क्षतिपूर्ति केवल तभी दी जाएगी जब फसल का नुकसान 33 प्रतिशत से अधिक होगा।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना

12 अगस्त, 2020 तक भारत सरकार को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना योजना के अंतर्गत, इस योजना के लॉन्च किये जाने के के 41 दिनों के भीतर ही 5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुँचाने के लिये यह योजना प्रारंभ की गई थी। 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि' योजना को संक्षेप में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के नाम से जाना जाता है। सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करना है। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण की सुविधा देना है। यह योजना प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत 1,200 रुपये प्रति वर्ष तक का कैशबैक भी प्रदान किया जाता है। सूक्ष्म वित्त संस्थान और गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ इस योजना के तहत ऋण देने वाली संस्था के रूप में कार्यरत हैं। यह योजना जून 2020 में शुरू की गई थी। इसे स्ट्रीट वेंडर्स की सहायता के लिये लॉन्च किया गया था ताकि COVID-19 के कारण हुए लॉक डाउन के बाद वे अपनी आजीविका फिर से शुरू कर सकें।

लोकसभा में फ्रेंच कोर्स का शुभारंभ

संसद के निम्न सदन लोकसभा ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिये प्रारंभिक स्तर पर एक फ्रांसीसी भाषा पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू किया है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत लगभग 57 अधिकारियों व कर्मचारियों को पंजीकृत किया गया है। इस पहल को संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान लोकतंत्र द्वारा लागू किया जायेगा। भविष्य में लोकसभा में जर्मन, रूसी, स्पेनिश और अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक भाषाओं पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है। भारत में फ्रेंच भाषा की उपस्थिति वर्ष 1673 में दर्ज़ की गई जब फ्रांसीसियों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। हालाँकि, ब्रिटिशों की तुलना में देश में उनकी उपस्थिति बहुत कम थी। वर्तमान में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अन्य देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिये संसद सदस्यों को विदेशी भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। भारत के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, रक्षा तकनीकी, स्वास्थ्य और शिक्षा के तरीकों की निगरानी करना महत्त्वपूर्ण है। यह भारत को गतिशील बने रहने और वैश्विक स्तर पर व्यापार और निवेश के अवसरों में वृद्धि करने और सफलताएँ हासिल करने में सहायता करेगा।

नोट :

मनितोंबी सिंह

मोहन बागान फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान मनितोंबी सिंह का 8 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वह 40 वर्ष के थे। मोहन बागान क्लब ने उनके निधन पर शोक जताया है। मनितोंबी सिंह पिछले कुछ समय से विभिन्न बीमारियों से पीड़ित थे। मनितोंबी सिंह ने वर्ष 2003 से 2005 तक मोहन बागान के लिये फुटबाल खेला। इस दौरान उन्होंने टीम की कप्तानी भी की थी। मोहन बागान के समर्थकों के बीच वह काफी लोकप्रिय थे। उन्हीं के नेतृत्व में मोहन बागान ने वर्ष 2004 में एयरलाइंस गोल्ड कप जीता था। मणिपुर के रहने वाले मनितोंबी सिंह राइट बैक पोजीशन पर खेलते थे। मोहन बागान के अलावा उन्होंने एयरलाइंस और सलगावकर फुटबॉल क्लब की तरफ से भी खेला। वर्ष 2002 में वह भारतीय फुटबॉल टीम के सदस्य भी थे। उन्होंने एशियन गेम्स में भी देश का प्रतिनिधित्व किया। बतौर फुटबॉलर संन्यास लेने के बाद वह कोच के तौर पर अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे थे।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (National Testing Agency-NTA) ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि अंडरग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रम के लिये 'राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा' (National Eligibility Cum Entrance Test- NEET) विदेशी छात्रों के लिये ऑनलाइन आयोजित नहीं की जा सकती है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने न्यायालय के समक्ष स्पष्ट किया कि 'मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) के नियमों के अनुसार, 'राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा' (NEET) अनिवार्य रूप से सभी उम्मीदवारों के लिये पेपर-बुक प्रारूप में होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने पश्चिम एशिया में 4,000 से अधिक NEET अभ्यर्थियों के माता-पिता द्वारा या तो इन देशों में परीक्षा केंद्र स्थापित करने या फिर परीक्षा स्थगित करने को लेकर निर्देश देने संबंधी याचिका को लेकर जवाब दिया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के अनुसार, विदेश में परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती, क्योंकि एकरूपता बनाए रखने के लिये 'राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा' (NEET) को एक ही दिन और एक ही पाली में आयोजित किया जाना अनिवार्य है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने कहा कि 'राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा' (NEET) की तुलना संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) के साथ-साथ नहीं की जा सकती है। ध्यातव्य है कि इंजीनियरिंग और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिये आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) के केंद्र विदेश में भी स्थित हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) एक स्वायत्त संस्था है जो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं छात्रवृत्ति हेतु प्रवेश परीक्षाएँ आयोजित कराती है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की स्थापना भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम-1860 के तहत की गई थी। इस एजेंसी का उद्देश्य प्रवेश और भर्ती हेतु उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने के लिये कुशल, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर परीक्षण करना है।

विश्व अंगदान दिवस

दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस (World Organ Donation Day) के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को जीवन बचाने के लिये मृत्यु के पश्चात् अपने स्वस्थ और कीमती अंगों को दान करने के लिये प्रेरित करना है। अंगदान ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति (जीवित या मृत, दोनों) से स्वस्थ अंगों और ऊतकों को लेकर किसी अन्य ज़रूरतमंद व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। प्रत्यारोपित होने वाले अंगों में दोनों गुर्दे (किडनी), यकृत (लीवर), हृदय, फेफड़े, आंत और अग्न्याशय शामिल होते हैं। जबकि ऊतकों के रूप में कॉर्निया, त्वचा, हृदय वाल्व कार्टिलेज, हड्डियों और वेसल्स का प्रत्यारोपण होता है। जीवित व्यक्ति के लिये अंगदान के समय न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है, हालाँकि अधिकांश अंगों के प्रत्यारोपण का निर्णायक कारक व्यक्ति की शारीरिक स्थिति होती है, उसकी आयु नहीं। भारत में प्रति वर्ष लाखों लोग अंग प्रत्यारोपण का इंतजार करते-करते मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसका कारण मांग और दान किये गए अंगों की संख्या के बीच बड़ा अंतराल है। भारत में इस संबंध में जागरुकता पैदा करने के लिये प्रत्येक वर्ष 27 नवंबर को भारतीय अंगदान दिवस (Indian Organ Donation Day) मनाया जाता है।

अरुणोदय योजना

लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से असम सरकार राज्य में अरुणोदय योजना (Arunoday Scheme) लागू करने की योजना बना रही है है। इस संबंध में सूचना देते हुए राज्य के वित्त मंत्री हेमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएँ खरीदने के लिये पात्र परिवारों को 830 रुपए प्रति महीने प्रदान किये जाएंगे। हेमंता बिस्वा सरमा के अनुसार, यह योजना असम में सबसे बडी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना होगी। आधिकारिक सूचना के अनुसार, इस योजना के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 15 से 17 हजार परिवारों को लाभ पहुँचेगा। अरुणोदय योजना के लिये असम सरकार 210 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च करेगी।

नोट :